राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 41 वां दिवस [संख्या 21

दिनांक 12 जून, सोमवार, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सहकारिता, जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, खाद्य, स्वायत्त शासन, यातायात, पंचायत, आयुर्वेद, कृषि, नगर आयोजन विभाग)।

403. श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मोहनलाल मोदी !

क्रय विक्रय सहकारी समिति, नीम का थाना का चुनाव

403. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्रय विक्रय सहकारी समिति, नीम का थाना का चुनाव अब तक क्यों नहीं हुआ है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) क्या सरकार का इरादा क्रय विक्रय सहकारी समिति नीम का थाना का इतने लम्बे अर्से से चुनाव नहीं होने के कारण एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का है ? अगर नहीं है, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (क) नीम का थाना क्रय विक्रय सहकारी समिति का चुनाव वर्ष 1964-65 के दिनांक 25-12-64 को सम्पन्न हुआ था। इसके बाद चुनाव नहीं हुआ है। व्यवस्थापक ने इसका कारण यह बताया है कि वह अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण आम सभा नहीं बुला सके। इस पर समिति को निर्देश दिये गये हैं कि वह शीघ्र आम सभा बुलाकर चुनाव कार्य सम्पन्न करे।

(ख) यदि समिति आम सभा बुलाकर चुनाव नहीं करायेगी तो सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 30 के अन्तर्गत मीटिंग बुलाई जावेगी और चुनाव कराये जावेंगे। अब तक चुनाव न कराने की वजह से ही एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या संचालक मण्डल को भंग करने के लिए सरकार के पास सहकारी विभाग ने सिफारिश की है तो वह क्या सिफारिश है ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी कोई सिफारिश सरकार के पास नहीं आई है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या यह सही है कि सहकारी राजस्ट्रार को कोआपरेटिव इन्सपेक्टर ने लिखा है कि यह समिति अवैधानिक है और इसको भंग करने की सिफारिश की है ?

Page No. 2

श्री परसराम मदेरणा : सहकारी रजिस्ट्रार का जो लेटेस्ट परिपत्र है इस प्रश्न के संबंध में जो उन्होंने भेजा है तो उन्होंने इस प्रकार से सुपरसीड करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है और उनका ऐसा कहना है कि मैंने 28–5–67 को इस सहकारी समिति के अध्यक्ष को लिखकर दे दिया है कि जल्दी से जल्दी जनरल बोडी की मीटिंग बुलाएं। अध्यक्ष महोदय, मैंने आश्वासन दिया है कि जून के अन्त तक इस समिति के चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : क्रय विक्रय संघ का आडिट हुए कितने साल हो गये ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने पहले अपने उत्तर में निवेदन किया है कि चुनाव 25–12–64 के बाद नहीं हुए हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आडिट के सम्बन्ध में।

श्री परसराम मदेरणा : आडिट के बारे में प्रश्न नहीं पूछा था इसलिए जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पृथ्वीसिंह !

पाली के गांवों हेतु नल-योजना

404. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली)** : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला पाली में कितने गांवों में नल योजना (जल वितरण योजना) का कार्य पूर्ण हो चुका है ? कितने गांवों में कार्य चल रहा है ? कितने गांवों के लिये योजना विचाराधीन है और उनका कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : 12 गांवों में नल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। 17 गांवों में कार्य चल रहा है उनकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है। 10 गांवों के लिये योजना विचाराधीन है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है उन पर कार्य योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर चालू कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

प्रश्न संख्या 405

श्री अध्यक्ष : श्री ललितसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन !

कृषि वर्कशाप जयपुर द्वारा उत्पादन

406. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एग्रीकल्चर वर्कशाप, जयपुर द्वारा सन् 1965–66 में कितना उत्पादन किया गया और मशीनों द्वारा उत्पादित माल की कितनी कीमत थी ?

(2) एग्रीकल्चर वर्कशॉप के एस्टेब्लिशमेंट (अमले) पर सन् 1965–66 में कितना खर्च हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : वित्तीय वर्ष सन् 1965–66 के कृषि यंत्रालय में कुल 1742293.75 रुपये मूल्य के कार्य हुए। इसमें 509300.23 रुपये के मूल्य के

(श्री परसराम मदेरणा)
उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण शामिल है। सारे कार्य में से केवल मशीनों द्वारा उत्पादित माल का मूल्य अलग करना सम्भव नहीं क्योंकि उत्पादन के हर काम पर मशीन, कारीगर एवं मजदूर एक साथ काम करते हैं।

(2) वित्तीय वर्ष सन् 1966-6 में वर्कशॉप के एस्टेब्लिशमेंट पर कुल लगभग 259828 रुपये व्यय हुए।

श्री भीमसेन : जो यन्त्र का उत्पादन करते हैं तो उनकी बिक्री हो जाती है या स्टोर्स में कुछ रह जाते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : जो उत्पादन करते हैं जैसा कि 65-66 के साल का आपने पूछा तो कुल उत्पादन 5,9?,0?0.23 का हुआ और बिक्री 4,9?,197.55 की हुई है। कुछ रुपयों की बिक्री नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बादवार!

बालानन्दजी मोरी, जयपुर के जरिये आगमन

407. **श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर के शहर पनाह के कुल कितने दरवाजे और कितनी मोरियां हैं? प्रत्येक का नाम बताने की कृपा करें।

(2) बालानन्दजी की मोरी पर राज्य सरकार की ओर से कब तक चौकीदार रखा गया और क्या अब यह मोरी यथावत् आवागमन के लिये सार्वजनिक मार्ग के रूप में खुली हुई है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित है इस कारण मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री दुर्गालाल बादवार : यह तो मेरे खयाल से निर्माण विभाग से सम्बन्ध रखता है। शहर-पनाह का सम्बन्ध दूसरे विभाग से नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय आप इस प्रश्न को देखें और इस प्रश्न का उत्तर किस मंत्री महोदय से सम्बन्ध रखता है यह निर्विवाद बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को देख लूंगा। अभी स्थगित किया गया।

नेक्स्ट, श्री फूलचन्द बाफना।

सादड़ी (पाली) में चीनी वितरण

408. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने खाद्य स्थिति पर टिप्पणी (1966-67) में जिलाधिकारियों को इस भावार्थ का निदेश दिया है कि शक्कर की कमी हुई है परन्तु आवंटन इस ढंग से किया जाय कि उपभोक्ताओं को शक्कर की जो मात्रा पहले दी जाती थी उसमें कोई कटौती न की जाय? यदि हां, तो सादड़ी (जिला पाली) की शहरी आबादी वाले वार्ड नं० 1 से 6 को अप्रैल 1967 की शक्कर कतई क्यों नहीं दी गई जबकि सादड़ी के अन्य सभी वार्डों को अप्रैल 1967 की शक्कर वितरित करदी गई? ऐसी अव्यवस्था के लिये कौन उत्तरदायी है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

Page No. 4

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां। यह भी सही है कि सादड़ी (जिला पाली) में केवल वार्ड नं० 1 से 6 की जनता को माह अप्रैल में शक्कर का वितरण समय पर नहीं किया जा सका जिसका कारण यह था कि तहसीलदार देसूरी को विवाह आदि के अवसरों पर माह अप्रैल में ही स्पेशल परमिट द्वारा अधिक चीनी की मात्रा देनी पड़ी। अतः जनता में चीनी के कोटे की पूर्ण मात्रा न होने के कारण माह अप्रैल के वितरण की व्यवस्था वार्ड नं० 1 से 6 में न की जा सकी जिसकी पूर्ति अब शीघ्र ही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री अमीलाल यादव !

मांजरी–कलां–नारनौल सड़क का निर्माण

10. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

क्या यह सही है कि जिला अलवर, तहसील बहरोड़ में मांजरी कलां से नारनौल तक की सड़क स्वीकृत है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : यह सड़क योजना में मन्जूर नहीं हुई है।

श्री अमीलाल यादव : क्या, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह अब मन्जूर नहीं हुई है तो क्या इसके किसी हिस्से पर कार्य शुरू किया गया है ?

श्री अमीनुद्दीन : जब यह मन्जूर ही नहीं हुई तो कार्य कैसे शुरू हो सकता है ?

श्री अमीलाल यादव : इसमें मैंने प्रश्न किया था कि मांजरी-कलां से रेहन तक सड़क बनाई जा रही है तो किसके टेन्डर से बनाई जा रही है तो आपने फर्माया था कि केवल 400 रु० खर्च किये हैं और धनराशि की कमी की वजह से खर्च नहीं किया जा सकता है तो क्या यह सही है कि किसी टुकड़े पर कार्य शुरू किया है और उस पर 400 रु० खर्च हुए हैं ?

श्री अमीनुद्दीन : उसका तो मैं जवाब दे चुका था जिस टुकड़े का आपने पहले जिक्र किया था। वह इसमें नहीं आता है। यह तो सड़क का सवाल किया है और सड़क का जवाब आपको दे दिया है।

श्री अमीलाल यादव : मेरा सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन इसमें यह है कि कार्य शुरू हुआ है कि नहीं जबकि स्वीकृति आप फर्मा रहे हैं कि नहीं हुई है तो फिर यह कार्य कैसे शुरू हुआ है ? तो यह क्या बगैर स्वीकृति के कार्य शुरू कर दिया गया है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह सवाल नहीं है। पहले जो सवाल था उसका वह जवाब था और इस सवाल का यह जवाब है कि मन्जूर नहीं हुई है योजना।

श्री अमीलाल यादव : क्या मैं यह मानूं कि किसी हिस्से पर कार्य कोई नहीं किया गया है ?

श्री अमीनुद्दीन : इस सड़क के किसी कार्य की मन्जूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री अमीलाल यादव : क्या यह माना जाय कि इस सड़क के किसी हिस्से पर कोई कार्य नहीं हुआ है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने आपको बता दिया था, जवाब दे दिया था आपने पूछा था कि मन्जूरी हुई कि नहीं उसका मैंने कहा कि नहीं हुई और आपने कहा कि इस पर काम कैसे शुरू हुआ तो मैंने कहा कि नहीं हुआ ।

श्री अमीलाल यादव : इसी से यह सम्बन्धित प्रश्न है कि क्या यह मन्जूरी नहीं हुई तो क्या कोई कार्य शुरू हुआ कि नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने कहा कि न तो उसकी मन्जूरी हुई और न कोई कार्य उसका हुआ ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री केदारनाथ ।

जिला हैडक्वार्टरों पर चीनी एवं राशन वितरण का आधार

410. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) राजस्थान के जिला हैडक्वार्टरों में कहां कहां पर कितनी कितनी चीनी प्रति व्यक्ति मिलती है । तथा अन्य राशन की मात्रा प्रति व्यक्ति क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर में प्रति व्यक्ति दो किलो चीनी मिलती है जब कि अन्य स्थानों में ऐसा नहीं होता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) उदयपुर नगर में केवल माह जनवरी तथा फरवरी में 2 किलो तथा माह मार्च में 1 किलो 250 ग्राम शक्कर प्रति व्यक्ति वितरित की गई । जिले के अन्य स्थानों पर चीनी के वितरण की अधिक मात्रा चीनी के रिजर्व कोटे पर निर्भर करती है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केदारनाथ : उदयपुर शहर में जनवरी और फरवरी में स्पेशल कोटे की व्यवस्था की गई है तो इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में वह कोटा दिया जाता है तो इन महीनों में भी उतना ही कोटा दिया गया है, लेकिन तहसीलों ने कोटा नहीं उठाया या उठाती है और बच जाता है तो कलेक्टर उसको देखते हुए दूसरी जगह तहसील हैडक्वार्टर पर या म्युनिसिपल कस्बों में जहां पर वह देखता है कि चीनी की मांग है तो वहां पर वह वितरण कर देता है । इसलिए तहसील को कोई भी एडीशनल कोटा नहीं दिया गया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) क्या यह सही है, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि जिला हैडक्वार्टर्स पर चीनी के वितरण की मात्रा ज्यादा रखी गई है और सब डिविजन के हैडक्वार्टर पर चीनी के वितरण की मात्रा कम रखी गई है ? यदि यह सही है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया था कि चीनी के वितरण के सम्बन्ध में शहर और कस्बों के बीच में पहले से ही फर्क था । उस

(श्री परसराम मदेरणा)

फर्क को हटाना सरकार मुनासिब नहीं समझती है। इसका बराबर इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन कर दिया जाय उसको मुनासिब नहीं मानती है क्योंकि शहर के रहने वालों का कन्जंप्शन चीनी के मामलों में ज्यादा रहता है। इसलिए वह फर्क है। उसके बाद जो रिडक्शन किया गया है वह शहरों और गांवों में सब में किया गया है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि 9360 टन चीनी भारत सरकार से हमको एलाट होती थी वह कम होकर 7 हजार टन हो गई थी जिस वक्त मैंने उत्तर दिया था। उसके बाद और कटौती कर दी गई है और आज चीनी राजस्थान के रहने वालों के लिए 5849 टन है, तो 5849 टन में और 9360 टन में जो रेश्यो हैं तो 37-05 पर्सेन्ट की कमी हुई है। तो इस 37-05 पर्सेन्ट की कमी के बाद आप कहें कि युनिफार्म कोटा दिया जाय तो वह पॉसिबल नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा यह सवाल नहीं था, मेरा तो यह निवेदन है कि सब-डिविजन के हैडक्वार्टर्स पर जो चीनी दी जाती है वह जिले के हैडक्वार्टर पर चीनी दी जाती है उससे आधी है, लेकिन राजस्थान में कई कस्बे ऐसे हैं, जैसे धौलपुर जो कई जिलों के हैडक्वार्टर से बड़ा है तो फिर चीनी कम देने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : धौलपुर विशेष का प्रश्न एक्जामिन नहीं किया गया, लेकिन जहां पर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बड़े-बड़े शहर हैं एक लाख की आबादी वाले तो उनको 1 किलो दी जाती है। उसके आगे 750 ग्राम, उसके नीचे 600 ग्राम और ग्रामों को 300, 250 और 200 ग्राम दी जाती है। धौलपुर के बारे में उस कस्बे को क्या पापुलेशन है उसको एक्जामिन करके क्या एलाटमेंट हो रहा है इस बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उसको रिव्यू करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि हर जिले में आप कुछ मात्रा हलवाइयों के लिए रखते हैं और जिस मात्रा में राशन में चीनी मिलती है तो राशन में से कटौती होकर हलवाइयों को देते हैं तो क्या यह सही है कि इस प्रकार से हलवाइयों को जिनको आप फिक्स्ड रेट पर कन्ट्रोल की शुगर देते हैं, मगर वे दिन पर दिन मिठाई की कीमत बढ़ा कर बेचते हैं और राशन की शुगर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : हलवाइयों के लिए कोटा अलग से निर्धारित है, और जो कोटा उनके लिए पहले से निर्धारित था उसका भी 37-5 पर्सेन्ट काट दिया गया है। हलवाइयों को चीनी बिल्कुल ही न दी जाय तो यह उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि बड़े-बड़े शहरों में लोग मिठाई की मांग करते हैं और उस हिसाब से कोटा कम कर दिया जायगा तो इतनी ज्यादा मिठाई उपलब्ध नहीं हो सकेगी लेकिन बिल्कुल ही कोटा काट दिया जाय तो यह मुमकिन नहीं है। तो भी कलेक्टर को यह इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये गये हैं कि हलवाइयों के कोटे के अन्दर और इन्डस्ट्रियल यूनिट्स का जो कोटा है तो यह कोटा अपने डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जितना कम कर सके उतना कम कर दें, क्योंकि भारत सरकार ने हमारा कोटा ड्रास्टिकली काट दिया

(श्री परसराम मदेरणा)
है तो उसको आप ध्यान में रखें और उसके बाद हलवाइयों को और इन्डस्ट्रियल युनिट्स को चीनी का वितरण किया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसी के सम्बन्ध में एक प्रश्न और है कि आप हलवाइयों को कोटा देते हैं तो उससे जो वह मिठाई बनाते हैं तो उसकी भी प्राइस फिक्स्ड कर सकते हैं या नहीं जबकि आपने राशन के भाव से उनको कोटा दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। श्री दिग्विजयसिंह!

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : इसी प्रश्न से सम्बन्धित है कि क्या सरकार हलवाइयों को जो कोटा देती है तो उससे तो हमारी सहमति है लेकिन हलवाइयों का जो कोटा है उसके अन्दर रबड़ी बनाई जाती और मिठाई बनाई जाती है तो उसकी तो रोकथाम कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

उनियारा नल योजना

411. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उनियारा कस्बे के लिये नल योजना की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृति के बाद भी अभी तक इस कार्य को आरम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) स्कीम बनाई जा चुकी है। स्वीकृत हो जाने एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जाने पर कार्य शुरू किया जावेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : जब यह स्कीम बना ली है जैसा कि आपने फर्माया तो इसके स्वीकृत नहीं होने का क्या कारण है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : स्कीम बन चुकी है और गवर्नमेंट आफ इन्डिया को गई है उसमें उन्होंने टैक्निकल चैन्जेज किये हैं और वह पीछे आई है और अब उनमें उसके मुताबिक परिवर्तन किए जायेंगे। और उसके बाद में जब एल. आई. सी. से लोन प्राप्त हो जायगा और साधन उपलब्ध हो जायेंगे तो उसके एक्जीक्यूट करने का प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 412

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शिवचरणसिंह!

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न को मुझे पूछने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : यस।

बिड़ला वैगन फैक्ट्री को भरतपुर नगर-पालिका क्षेत्र में लिया जाना

413 श्री शिवचरणसिंह (महुआ) (श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) द्वारा पूछा गया : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर नगरपालिका द्वारा बार बार राज्य सरकार को लिखने के उपरान्त भी बिड़ला वैगन फैक्टरी क्षेत्र को नगरपालिका सीमाओं में नहीं लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या शीघ्र ही राज्य सरकार इस ओर ध्यान देकर नगरपालिका की मांग स्वीकार करने का विचार रखती है?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): (1) प्रश्न विचाराधीन है।

(2) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष, इस मामले के अन्दर भरतपुर नगरपालिका कई दिनों से सरकार को लिखा पढ़ी कर रही है उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेशन से भरतपुर शहर के बीच में फैक्ट्री पड़ती है और वह सब हिस्सा नगरपालिका के क्षेत्र में है और खाली इस फैक्ट्री को छोड़ दिया गया है तो इसका क्या कारण है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : राज्य सरकार ने पालिका को सूचित किया था कि सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव जिलाधीश की मार्फत भिजवायें तो वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्यों मन्त्री महोदय, इस बात का आश्वासन देंगे कि सरकार इस मामले में इस फैक्ट्री को म्युनिसिपल एरिया में मिलाने की स्वीकृति प्रदान करेगी?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर कमेटी जल्दी एक्शन नहीं लेगी तो म्युनिसिपल एक्ट के सैक्शन 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन कर दिया जायगा और ऑब्जेक्शन इनवाइट कर लिये जायेंगे और उसको सम्मिलित कर दिया जायगा।

श्री रामकिशन (वैर) : मामला विचाराधीन है यह आपने कहा तो विचार में लेने के लिए विचार चल रहा है तो वह कब से चल रहा है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : विचाराधीन उसी समय है जैसा कि मैंने कहा कि वहां से आ जाय तो।

श्री अध्यक्ष : कब से विचाराधीन है, साल, दो साल, तीन साल से?

श्री नारायणसिंह मसूदा : करीब साल डेढ़ साल से विचाराधीन है।

श्री रामकिशन : साल, डेढ़ साल से कैसे? नगरपालिका ने प्रस्ताव पांच साल पहले पास किया है और 62, 63, 64 और 65 में हमने इस प्रश्न को उठाया था और 5 साल से आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : नगरपालिका ने अपने पत्र 4-3-67 में जिलाधीश, भरत-

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
पुर को निवेदन किया है कि नगरपालिका की सीमा बढ़ाई जाय और जिलाधीश के द्वारा पत्र की प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी गई थी तो मैंने अर्ज किया कि राज्य सरकार ने पालिका को सूचित किया है कि सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिलाधीश की मारफत भिजवायें वह अभी तक नही पहुँची है।

श्री रामकिशन : यह तो रिमाइंडर था, नगरपालिका ने 1962 में प्रस्ताव पास किया।

श्री नारायणसिंह मसूदा : लेकिन उसको नगरपालिका की सीमा में मिला दिया जायगा और सेक्शन 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन कर दिया जायेगा।

श्री रामकिशन : वह तो पहले ही नगरपालिका की सीमा में है सदन में हमने पहले भी सवाल पूछा है। हमने पूछा था कि क्या यह ग्राम पंचायत सीमा में है, तो आपने कहा था, नहीं। तो हमने यह पूछा कि आखिर यह फैक्ट्री किस सीमा में है? आसमान में या जमीन में कहां है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकार बिड़ला ब्रदर्स को खुश करने के लिए कारखाने को नगरपालिका सीमा में नहीं मिला रही है। 5 वर्षों से हम कह रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर रही है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जिलाधीश ने सीमा बढ़ाने संबंधी अपना निर्णय देने के संबंध में एक कमेटी बनाई है, वह कमेटी अगर जल्दी निर्णय नहीं लेती है और जो कुछ भी पहले हुआ है उसको छोड़िए। मैं आश्वासन देता हूं कि इस कारखाने को नगरपालिका की सीमा में मिला दिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि यह कारखाना पहले ही नगरपालिका के हद्दूद में था तो फिर सरकार ने किस वजह से इसको बाहर निकाल दिया?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह नगरपालिका के हद्दूद में था या नहीं, मुझे पर्सनल जानकारी नहीं है लेकिन मेरी सूचना के अनुसार उस समय जो सीमा बढ़ाने का प्रश्न आया उसके अनुरूप इसको सम्मिलित नहीं किया गया, अब इसको सीमा को बढ़ा दिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने पूछा कि इसको बाहर क्यों निकाला गया?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और फिर इस फैक्ट्री का है। यह माननीय सदस्यों के दिमाग को एजीटेट करता है। यदि जिलाधीश द्वारा समय पर निर्णय नहीं होता है तो आप उनसे फोन पर कहिए और जल्दी ही इसका निर्णय कराइए।

श्री शोभाराम।

रोडवेज में नियोजित पूंजी व आय

14. श्री शोभाराम (रामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्टेट रोडवेज विभाग ने अब तक कितनी पूंजी लगा दी है?

(2) प्रतिवर्ष रोडवेज को कितनी आय होती है और वह कुल पूंजी का कितना प्रतिशत है? गत तीन वर्षों के आंकड़े बतलाने की कृपा करें।

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 31 मार्च, 1967 तक ढाई करोड़ रुपए की पूंजी लग चुकी है।

(2) निगम के गत तीन वर्षों के आय के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

64–65 (6 माह)	लाखों में
आय (ग्रास)	70.76
पूंजी का प्रतिशत	34.81

65-66	लाखों में
आय	प्रतिशत
147.21	58.8

1966-67	लाखों में
161.19	64.4

श्री शोभाराम : तीन प्रकार के खर्चे होते हैं–पेट्रोल, मेन्टिनेन्स और एस्टेब्लिशमेंट यह आमदनी जो आपने बताई हैं ये खर्च निकालकर बताई है या बिना खर्चे के आमदनी बताई गई है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने आपको ग्रास आमदनी दी है।

श्री भैरोंसिंह : नेट आमदनी कितनी है ?

श्री शोभाराम : मैं नेट इन्कम चाहता हूं।

श्री अमीनुद्दीन : अगर आप डिटेल्स मालूम करना चाहते हैं तो पहुँचा दूंगा।

श्री रामकिशन : यह सवाल नेट इन्कम का है।

श्री शोभाराम : जो खर्चा होता है वह ग्रास आमदनी में से काटकर आमदनी आंकी जाती है। अब इन्कम टेक्स को जो टेक्स देते हैं वह आमदनी पर देते हैं और आमदनी को डिटरमिन करते समय जो खर्चा होता है उसको काटकर आमदनी निकाली जाती है। आपने पेट्रोल आदि का खर्चा भी नहीं निकाला, मेन्टिनेन्स का भी....

श्री अमीनुद्दीन : इसके और डिटेल्स भी पेश कर दूंगा और फिर आपसे राय भी मांग लूंगा, उसके मुताल्लिक..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें न केवल एक ही माननीय सदस्य की दिलचस्पी हो, यह उनकी कांस्टीट्यूयेंसी का सवाल नहीं है। यह सारे राजस्थान का सवाल है। कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न है और कितना मुनाफा है।

श्री अमीनुद्दीन : हमने जो एक्चुअल रिपोर्ट दे दी है हाऊस में, उसके अन्दर भी यह चीज है और वाकई सबका सवाल है और जो कुछ उसके मुताल्लिक सवाल करेंगे उसको पूरा किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्थगित कीजिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब उनके पास जवाब आ गया है, उनको देखने दीजिए। यह महत्वपूर्ण सवाल है, अब समाप्त हो जाय तो अच्छा है। (मंत्री महोदय से) इसमें से पेट्रोल, मेन्टिनेंस का खर्चा निकाला या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन : मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नेट प्रोफिट जो कुछ भी निकाला जाय, खर्चा काटकर वह रकम बताई जाय। तत्पश्चात् यदि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में इतनी आमदनी होती तो उस पर इन्कम टेक्स, सुपरटेक्स, सरचार्ज आदि अगर लागू किए जाते तो अवशेष कालीन नेट प्रोफिट जो होता, वह भी बताया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

बयाना सब-डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्र हेतु चीनी का आवंटन

श्री रामकिशन (वेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) भरतपुर जिले के बयाना सब-डिविजन के लिए माह नवम्बर 1966 से अप्रैल 1967 तक कुल कितनी चीनी ग्रामीण क्षेत्र के लिए एलाट की गई ?

(2) क्या यह सही है कि बयाना पंचायत समिति ने मार्च-अप्रैल 1967 को अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि इस पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामों को गत 6 माह से चीनी नहीं दी जा रही है ?

(3) अगर हां तो जो चीनी एलाट की गई वह किस अधिकारी ने किस ग्राम को कब वितरण की ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) 2758 क्विन्टल।

(2) जी हां।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। चीनी का वितरण ग्राम पंचायतों के अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्री रामकिशन : आपने मेरे प्रश्न दो के उत्तर में कहा है, जी हां। तो बयाना पंचायत समिति में कितनी पंचायतें हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने ब्यौरा दिया है जो पिछले 6 माह में चीनी बांट दी गई है पंचायतों में। नवम्बर में 19, दिसम्बर में 1, जनवरी में 7 और अप्रैल में 1। जो पंचायतें खुद चीनी नहीं लेने जाती हैं। वे पंचायत के किसी अधिकृत आदमी द्वारा ली जाती है। इसलिए जो चीनी बयाना सब-डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कलेक्टर द्वारा एलाट की गई थी, वह स्पेशल परमिट से एस. डी. ओ. ने ग्रामीण क्षेत्रों को दी जो चीनी उठाने के लिए पंचायतें नहीं आई।

श्री रामकिशन : जब पंचायत समिति प्रस्ताव पास करती है कि 6 महीने से चीनी नहीं दी जा रही है। बयाना पंचायत समिति के क्षेत्र में 40 पंचायतें हैं। नवम्बर में 19, दिसम्बर में 1, जनवरी में 1, और अप्रैल में 1 को दी है। आपका कहना है कि पंचायतें चीनी उठाती नहीं हैं। एक तरफ उनका प्रस्ताव है कि चीनी नहीं दी जा रही है तो इस बात का सबूत क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : बयाना के एस. डी. ओ. को मैंने रात को बुलाया था, वह यहां आज भी मौजूद है इस बात को वेरीफाई करने के लिए आया पंचायतें चीनी

Page No. 12

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं उठा रही है अथवा वास्तव में चीनी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि पंचायतों की तरफ से चीनी लेने के लिए कोई नहीं आया, तहसीलदार ने रिपोर्ट दी है और वह तहसीलदार की रिपोर्ट को साथ लेकर आये। उन्होंने बताया कि अप्रैल की चीनी को पंचायतें नहीं उठा रही है इसलिए स्पेशल परमिट दिए गए . .

श्री रामकिशन : यह जानकारी बिल्कुल गलत है। अगर चीनी वे नहीं उठाते तो वितरण अधिकारी एक नोटिस देता है पंचायतों को। यहां प्रोसीजर है कि यदि कोई चीनी नहीं उठाता तो सरकारी अधिकारी नोटिस देता है कि अगर आप नहीं उठायेंगे तो चीनी दूसरी जगह दी जायगी।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है कि चीनी लम्बे अर्से से अगर कोई पंचायत नहीं उठाये तो जो होलसेलर्स और सहकारी समितियां हैं, उनका इन्टरेस्ट लगता रहता है इसलिए लम्बे अर्से से सहकारी संस्थायें ब्याज का भार वहन कर वित्तीय स्थिति को खराब नहीं कर सकती। आपने स्पेसिफिक 6 महीने का प्रश्न पूछा था, तो मैंने एस. डी. ओ. को रात को बुलाया और उन्होंने कहा कि पंचायतों ने चीनी नहीं उठाई। आप कहते हैं कि चीनी नहीं दी। अगर कोई पंचायत या सरपंच कहे कि वह उनके पास गया और चीनी नहीं दी गई, इस तरह की कोई लिखित रूप में शिकायत करे तो मैं जांच करा सकता हूं। क्योंकि मैंने अच्छी तरह से पूछ लिया है। मुझे ऐपरेंटली ऐसा दीखता है कि जब सब के सब पंचायतें नहीं आई इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को दी है, शहरों के लोगों को नहीं दी।

श्री रामकिशन : आपने इन्क्वायरी की उसमें संतुष्ट हूं लेकिन वैसे सारा स्टेटमेंट ही गलत है। शादियों का महीना है। और किसान चीनी लेना चाहते थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पंचायतें नहीं लें। ऐसे ही एफिडेविट ले लिए हों तो बात अलग है। हो सकता है नवम्बर में चीनी दी हो। दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में बहुत कम चीनी मिली है। इन्क्वायरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मालूम हो सके कि ग्रामीण क्षेत्रों की चीनी थी वह शहरों को किस प्रकार मिली। 429 क्विन्टल बांटना बताया, बयाना और वेर के शहरों को दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलाट हुई है। बयाना के लिए अलाटमेंट हुआ 110 क्विन्टल उसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2758 क्विन्टल है। उसमें से 2743.90 क्विन्टल ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई है स्पेशल परमिट से। पंचायतें लेने नहीं आयी।

श्री रामकिशन : इसकी जांच करा लीजिए कि ग्राम पंचायतों ने चीनी उठाने से इन्कार कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार के आदेश जिलाधीशों को आज ही दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी।

मेड़ता, पुष्कर अजमेर बस सर्विस

416. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता)

(श्री गोरधन सोनी)
क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता से बसें अजमेर तक न जाकर केवल पुष्कर तक जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मेड़ता से चलने वाली अधिकांश सवारियां पुष्कर की न होकर अजमेर की होती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मेड़ता से अजमेर की सवारियों को पुष्कर में जब गाड़ी बदलनी पड़ती है तो उनका काफी समय व्यर्थ ही नष्ट होता है और 10 पैसे टैक्स के भी देने पड़ते हैं ?

(4) क्या सरकार यात्रियों की इस असुविधा को मिटाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) :
(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मेड़ता से अजमेर आने वाले यात्रियों को पुष्कर पर गाड़ी बदलनी पड़ती है और ऐसे यात्रियों को अजमेर के लिए जल्दी ही बस मिल जाती है जिससे समय नष्ट नहीं होता है। टैक्स का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(4) सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह मालूम है कि एक बस स्टेन्ड पुष्कर में स्थित है वह दूसरी बस स्टेन्ड से तीन फर्लांग दूर है। यात्रियों को वहां से आने और जाने में बड़ी असुविधा होती है।

श्री अमीनुद्दीन : मुझे इसकी मालूम है जब ही मैंने कहा कि यह सरकार के विचाराधीन है। दरअसल मैंने ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी ने नया बस स्टेन्ड बनाया है वहां आकर उधर से बसें खड़ी हों, अजमेर की तरफ की भी बसें एक बस स्टेन्ड पर आकर खड़ी हों ताकि पैसेन्जर को बसें बदलने में दिक्कत न हो।

श्री गोरधन सोनी : मेड़ता के लिए 95 प्रतिशत बसें चलती हैं। बस टिकिट पुष्कर तक दिये जाते हैं। ओपरेटर्स की बसें हैं वे बड़ी खराब हैं। आप इसको अजमेर तक क्यों नहीं चलाते हैं पुष्कर तक ही क्यों रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह भी विचाराधीन है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह भी विचाराधीन है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सीधा सादा प्रश्न है। मंत्री महोदय कहते हैं कि यह प्रश्न विचाराधीन है। विचाराधीन कितने दिन तक रहेगा ? सीधा सादा प्रश्न है। मेड़ता से अजमेर अ्‌ लाइन जारी क्यों नहीं रखते ? नहीं तो, यह व्यवस्था करने में क्या दिक्कत है ? पुष्कर में रोकना और उसको वहां से चेन्ज करना और दस पैसे का टैक्स वसूल करना यह व्यवस्था क्या ठीक ढंग की है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह हमारे हाथ की बात नहीं है। हमारे लिये जरूरी चीज यह देखना है कि पैसेन्जर को तीन फर्लांग ज्यादा

(श्री अमीनुद्दीन)
चलने की जरूरत न हो। अजमेर से आने वाले और मेड़ता से आने वाले दोनों एक ही बस स्टेन्ड पर आ जायं। पैदल न चलना पड़े यह सहूलियत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें असुविधा है इसका निवारण करें। यह राजस्थान सरकार का रैड टेपिज्म कहूं या और क्या कहूं, लाल फीताशाही, लैतलाली या ढिलाई कहूं या इन्एफिशियेन्सी कहूं। यह सीधा सादा प्रश्न है क्यों नहीं मेड़ता से सीधी बस अजमेर के लिये कर देते हैं ? क्यों पुष्कर के लिए रोकते हैं वहां चेन्ज करने के लिये ?

श्री अध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी।

श्री गोरधन सोनी : अजमेर तक क्यों नहीं अ.. बस कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह विचाराधीन है मंत्री महोदय के।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रिडिक्युलस। क्या मेरा सिर विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री पुखराज।

पाली जिले में अनाज व आटे को वितरण व्यवस्था

(श्री मूलचन्द डागा (पाली) द्वारा पूछा गया)

417. श्री पुखराज कालानी (सोजत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जिले में सरकारी कोटे से अनाज व आटे की वितरण व्यवस्था किस विभाग के जिम्मे है ?

(2) जिले की हर तहसील की आबादी कितनी है तथा अकाल ग्रस्त गांवों की आबादी कितनी है ?

(3) जिले की हर तहसील के पास पहली जनवरी, 1967 को कितना आटा व अनाज स्टाक में था और कितना अनाज जिला अधिकारी द्वारा उन्हें 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 1967 तक पहुँचाया गया ?

(4) जिले में तहसीलों का जो अनाज व आटा वितरित होता है उसका माप दंड क्या है ?

(5) क्या यह सही है कि जिले की कुछ तहसीलों में यह व्यवस्था सहकारी समितियों के मारफत होती है तथा अन्य तहसीलों में प्राइवेट पार्टियों द्वारा ? यदि हां, तो समितियों द्वारा पहली जनवरी से 30 अप्रैल, 1967 तक किन-किन तहसीलों में किन-किन समितियों की मार्फत कितना आटा व अनाज का वितरण हुआ व किस किस तहसील में प्राइवेट पार्टियों की मारफत कितना आटा व अनाज वितरण हुआ ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जिलाधीश (रसद) के जिम्मे है।

(2) सूची 'क' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

(3) सूची 'ख' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(4) जिलों में तहसीलों में जन संख्या के आधार पर वितरण किया जाता है और आवंटित कोटे को भी दृष्टि में रखा जाता है परन्तु अकालग्रस्त क्षेत्र के लिये अधिक से अधिक 8 कि. सब ही वस्तु मिला कर देना निश्चित किया है।

(5) जी हां। सूची 'ग' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

प्रश्न संख्या 418

श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री बी. एन. जोशी।

बांदीकुई–सिकन्दरा सड़क पर पुल निर्माण

419. श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई से सिकन्दरा जाने वाली सड़क पर सांव व बाणा नदियों पर पुल बनाये जाने का प्रावधान तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि दोनों पुलों में से एक भी पुल का निर्माण शुरू नहीं किया गया है?

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होते हुए भी इन पुलों का निर्माण प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण थे?

(4) अब इन पुलों का कार्य राज्य सरकार कब तक प्रारम्भ करने का इरादा रखती है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक नम्बर कम कैसे है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) धन की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो सका।

(4) निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री बी. एन. जोशी : क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि वर्षा में इन दोनों पुलों के अभाव में यातायात अवरुद्ध हो जाता है और बांदीकुई सिकन्दरा आने का कोई रास्ता नहीं रहता जिससे बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है?

श्री अमीनुद्दीन : मेरी यह जानकारी में है और मुझे इससे हमदर्दी भी है। क्या किया जाय? बहुत सी ऐसी ऐसी मजबूरियां होती हैं जो अपने बस की नहीं होती।

श्री बी. एन. जोशी : जब तृतीय पंचवर्षीय योजना में धनाभाव के कारण इन दोनों कामों में कटौती कर दी गई तो चौथी योजना में भी इन्हीं आइटम्स को कम किया जाय यह क्या न्यायसंगत है?

श्री अमीनुद्दीन : आयन्दा की बात को देखकर की जावेगी। दो ही पुलियाओं का सवाल नहीं है। बहुत सी पुलियायें हैं।

Page No. 16

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ) : आज तक मन्त्री महोदय ने, एक महीना हो गया, उनसे जितने प्रश्न पूछे गये हैं उनके लिये यही कहा कि विचाराधीन है या आगे क्या करना है, बस इसके सिवाय उन्होंने यह नहीं बताया डेफिनेटली कि फलां तारीख तक काम शुरू करा देंगे। बस विचाराधीन हैं, इस पर सोच लेंगे। सवाल पूछते हैं तो पता नहीं। यह क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

मन्त्री महोदय ने सबसे ज्यादा आश्वासन दिये हैं। हमदर्दी है।

श्री बी. एन. जोशी : राज्य सरकार कभी भी इस काम को चलाने का इरादा रखती है या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन : बहुत इरादा रखती है। जरूर इरादा रखती है। एक बात कह दूं कि बहुत जल्दी इस बात को मालूम करने का इरादा राज्य सरकार रखती है। मैं आपको स्पष्ट जवाब दे दिया करूंगा कि यह हो सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मन्त्री महोदय की टेक्निक बिल्कुल अनूठी है।

श्री अध्यक्ष : टेक्निक होती तो स्पष्ट जवाब देते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह भी एक टेक्निक ही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती कान्ता कथूरिया।

बीकानेर नगर परिषद् द्वारा ड्रेनेज योजना

420. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बीकानेर शहर की बाहरी बस्तियों में नगर परिषद् के अन्तर्गत ड्रेनेज की कोई योजना बनायी गई है ? यदि हां तो उस पर कितना व्यय होगा ?

(2) कब तक ये योजना कार्यान्वित की जा सकेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : [1] कोई योजना नहीं है।

[2] प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धीरे धीरे ईंटे ढह रही हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : क्या यह सही है कि बीकानेर नगर परिषद् व नगर प्रन्यास से ड्रेनेज की योजना कार्यान्वित होने के लिये सरकार के पास सेंक्शन के लिये आई हुई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस वक्त तक एक सीवेज की योजना सरकार के पास आई है, ड्रेनेज की स्कीम इस समय तक हमारे ध्यान में नहीं हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि सीवेज की स्कीम है वह कौनसी स्कीम है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सीवेज की योजना आई है, इसलिये मैंने पूछा है कि वह कौनसी स्कीम है ?

श्री अध्यक्ष : उस पर तैयार होकर नहीं आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सवाल किया है उस ही के अनुरूप उत्तर है ?

श्री अध्यक्ष : दोनों अलग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे हां कह रहे हैं, दी क्विश्चन इज 420 और उत्तर भी 420 है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों द्वारा तालाबों व एनिकटों का निर्माण

421. श्री हीरा [कुशलगढ़] : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला बांसवाड़ा की विभिन्न पंचायत समितियों के क्षेत्रों में कितने तालाब व एनीकटों का निर्माण 1961 से अब तक हुआ है और प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कितने कितने तालाब और एनीकट बनने हैं ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उपरोक्त तालाबों व एनीकटों से प्रत्येक पंचायत समिति क्षत्र में कितनी कितनी जमीन की सिंचाई हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सही है कि बहुत से निर्माण कार्य अधूरे रह गये हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कितने कितने कार्य अधूरे रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका भी उल्लेख कर दिया गया है।

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 422 श्री दौलतराम सारण :

चूरू जिले के गांवों हेतु जल प्रदाय योजनाएं

422. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): (श्री केदारनाथ गंगानगर द्वारा पूछा गया) क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में किन किन गांवों में ग्राम जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ? ये स्वीकृतियां कब हुईं ? इनके लिये कब कितने मांग की थी ? इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थनापत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) शिमला और बूंताबास की जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास कब किसके द्वारा किया गया ?

Page No. 18

(श्री केदारनाथ)

(3) क्या यह सही है कि शिमला और बूचावास में योजना के लिए पाइप आदि काफी सामान डाल दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) ये योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

(5) इन योजनाओं की सर्वे कब की गई थी और किसके द्वारा ?

(6) चूरू जिले में अब तक किन किन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का विभाग द्वारा सर्वे किया जा चुका है और कब कब ?

(7) सर्वेक्षण की गई योजनाओं पर कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : (1) चूरू जिले में जिन जिन गांवों में जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की गई हैं उनको आवश्यक विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है इनके लिये मांग गांवों की पंचायतों ने की थी। प्रार्थना पत्र यानि प्रस्तावों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) शिमला और बूचावास की जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भूतपूर्व बिजली एवं यातायात मन्त्री श्री चन्दनमल वैद द्वारा क्रमशः दिनांक 13-1-64 व 14-1-67 को किया गया था ।

(3) जी हां । जनवरी 1967 से ।

(4) आवश्यक धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धता पर एक योजना को पूर्ण करने में साधारणतया 2 से 3 वर्ष की अवधि लग जाती है ।

(5) इन योजनाओं की सर्वे सन् 1966 में अधिशासी अभियन्ता स्पेश इन्वेस्टीगेशन डिवीजन जयपुर के कार्यालय द्वारा की गई थी ।

(6) चूरू जिले में उपरोक्त उत्तर 1 में वर्णित स्कीमों के अलावा जिन जिन स्कीमों का सर्वे किया गया था उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(7) सर्वेक्षण की गई योजनाओं पर कार्य स्कीम बनाये जाने पर उस की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धनराशि की उपलब्धता पर चालू किया जावेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निवाई राहोली ग्राम बस सर्विस

423 श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार निवाई राहोली ग्राम तक कच्चे मार्ग पर मोटर चलाने के परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सच है कि इस मार्ग पर मोटर चलाने के लिये बहुत से लोग तैयार है ?

(3) क्या यह भी सच है कि इस मार्ग पर मोटर नहीं होने से लोगों को बड़ी परेशानी है ?

यातायात मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) जब कोई दर्खास्त आयेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : साफ बोलें !

श्री अमीनुद्दीन : मैं तो साफ बताने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मेरी बदकिस्मती है।

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) :

(1) जब कोई दर्खास्त आवेगी।

(2) जानकारी में नहीं है।

(3) ऐसी कोई बात सरकार के नोटिस में नहीं आई।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि एक साल से परमिट दिया हुआ है पर कोई बस नहीं चल रही है, कई लोगों ने इस रूट पर बस चलाने के लिये दर्खास्तें दे रखी हैं पर उसका कोई परमिट कैंसिल नहीं किया गया है न दूसरों को ही परमिट दे रहे हैं न वह व्यक्ति जिस को परमिट दिया गया है, बस चला रहा है।

श्री अमीनुद्दीन : मेरी जानकारी में यह है कि एक परमिट जनवरी में दिया गया था, वही पुरानी सर्विस चालू है। नया परमिट दिया हो वह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कई आदमियों ने यहां बस चलाने के लिये एप्लीकेशन्स दे रखी हैं, वहां कोई बस नहीं चल रही है, न वह परमिट ही कैंसिल किया गया है।

श्री अमीनुद्दीन : मैंने कुछ दिन हुए लिख कर भेजा है कि जहां इस तरह के परमिट दिये जाते हैं और गाड़ियां नहीं चलती हैं, उनकी गाड़ियां 3 महीने के अन्दर अन्दर नहीं चलें तो दूसरे परमिट मांगे जाय, उनका परमिट कैंसिल हो जायं। पूरे तरीके पर देखा जाय कि जहां जरूरत होती है वहां जरूर बसों के परमिट मिले और बसेज चलें।

श्री मदनसिंह दांता : बीकानेर-जयपुर से 3 परमिट दिये गये है और तीन साल तक बसेज नहीं चली हैं, और उन परमिट्स को कैंसिल नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न !

श्री जयनारायण सालोदिया : और कई लोगों ने एप्लीकेशन्स दी हैं, जिसको परमिट दिया है, वह बस नहीं चला रहा है एक साल से कोई बस नहीं चल रही है।

श्री अमीनुद्दीन : मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी हिदायतें ऐसी भेजी हैं कि जिनको परमिट दिये गये हैं यदि वे 3 महीने के अन्दर अन्दर बस नहीं चलते हैं तो उनके परमिट कैंसिल किये जायं, नये परमिट दिये जायं और जहां जरूरत है वहां परमिट दिये जायं और बसेज चलें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

राजकीय आयुर्वेद रसायन शाला, अजमेर द्वारा कस्तूरी की खरीद

424. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी

(श्री भैरोंसिंह)
अजमेर द्वारा मार्च सन् 67 में कितनी कीमत की कितनी किस्तूरी खरीदी गई है ?

(ख) यह खरीद किस प्रक्रिया से हुई और इसकी शुद्धता का प्रमाण-पत्र किस से लिया गया ?

(ग) यह खरीद किस आवश्यकता के कारण किस व्यापारी से की गई ?

(घ) क्या इस खरीद के विरुद्ध विभाग को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

आयुर्वेद मन्त्री : (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) फार्मेसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कस्तूरी का क्रय निम्नांकित रूप से किया गया :

(1) नेपाली कस्तूरी
2 किलोग्राम 576.80 रु.

(2) ......

(विराम)

श्री अध्यक्ष : काश्मीरी कस्तूरी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थोड़ी शिलाजीत खरीदवा लें ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ सुन नहीं रहे हैं, या तो आप पढ़ कर सुना दें ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं फिर से पढ़ रहा हूँ ।

(1) फार्मेसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कस्तूरी का क्रय निम्नांकित रूप से किया गया :

(1) नपाली कस्तूरी 2 किलोग्राम 576.90 रु०

(2) काश्मीरी कस्तूरी 1 किलोग्राम 220.34 रु०

(2) टेन्डर निकाल कर स्टोर परचेज कमेटी में विशेषज्ञों द्वारा परीक्षणोपरान्त उत्तम नमूने को विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति लेकर नमूने माफिक क्रय की गई ।

(3) यह खरीद राज्य के सब ही औषधालयों को ध्यान में रखते हुए कस्तूरी भैरव आदि औषध निर्माण के लिये उचित परिमाण में ही (1) काश्मीरी कस्तूरी : मेसर्स पुष्करणा आयुर्वेद फार्मेसी, देहली, (2) नेपाली कस्तूरी मेसर्स देश रक्षक औषधालय, हरिद्वार के द्वारा क्रय की गई ।

(4) जी हां, श्री घासीलाल नामक तथाकथित व्यक्ति....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यक्ति भी तथाकथित है ?

श्री नारायणसिंह (मसूदा) :तथाकथित है, तथाकथित व्यक्ति की शिकायत प्राप्त हुई है । शिकायती ने अपना पता पूरा नहीं दिया है अतः उससे दरियाफ्त नहीं किया जा सका वैसे कस्तूरी की पूरी जांच कर ली गई है ।

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर्स कब इन्वाइट किये गये थे और किस तारीख तक के लिए ?

(कई क्षणों का विराम)

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल हो तो पूछ लीजिए, वह भी शामिल हो जाय ।

-विराम

श्री भरोंसिह : आप कब तक जवाब देंगे ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : तीसरा प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : टेन्डर्स कब इन्वाइट किये थे मुझे इस समय मालूम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय परचेज की थी, स्टोर में कितना स्टाक था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस सूचना से भी वाकफियत नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : जो टेन्डर्स इन्वाइट किये थे उनको एडवरटाइज किया था क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह जानकारी इस समय नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जो जानकारी है वही बता दीजिए ।

परचेज कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : परचेज कमेटी में । डायरेक्टर आयुर्वेद, प्रिंसिपल जयपुर, श्री मोहनलाल भार्गव, श्री बालचन्द शर्मा पुत्र श्री दीनानाथ ।

दूसरी बात यह अर्ज कर दूं कि यह कस्तूरी खरीदी गई इसके टेस्ट के लिए विभाग ने लिखा था और इसके ऊपर चीफ पब्लिक एनेलाइजर श्री भार्गव ने लिख दिया :

"This sample is to be analysed by Dr. P. C. Dandia as it is either a drug or it is to be used in—

फिर ड्रग एनेलिसिस्ट ने यह लिखा :

This being an Ayurvedic preparation, no standards are available for it and hence analysis not possible, samples are returned.

यह सेम्पल रिटर्न किया गया तो आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार था, परीक्षण आयुर्वेद के सिद्धान्तों के अनुसार किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह परचेजेज की गयीं और जो स्पेसीफिकेशन्स आपके टेन्डर्स इन्वाइट करने के साथ इन फर्म्स ने आपको दिये थे उनसे कम्पेरीजन किस ने किया और इस समय कौन कौन एक्सपर्ट्स थे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इन सब बातों की मैं जानकारी करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को आप एडजर्न कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आपके और क्वेश्चन्स हों तो कर लीजिए ताकि वह जानकारी आपके पास आ जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय परचेजेज कमेटी ने यह टेन्डर्स इन्वाइट किय और टेन्डर्स सारे के सारे परचेजेज कमेटी के सामने रखे गए क्या यह सही है कि लोएस्ट टेन्डर एक्सेप्ट नहीं किया गया और दूसरे किये गये ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह जो अच्छे एक्सपर्ट्स ने देखा और उनका कम्पेरीजन किया और जिस प्रकार से टेन्डर्स लिए वह लिए ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो अलग अलग फर्म्स ने अलग अलग जान-

Page No. 22

(श्री भैरोंसिंह)

कारी दी थी उसमें टेन्डर्स इन्वाइट किये गये तो इस बात को कम्पेरीजन किया गया कि कौन कौन सी फर्म की चीज अच्छी थी और कौन सी फर्म की खराब ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : अलग अलग फर्म ने कस्तूरी दी इनका कम्पेरीजन किया क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके लिए मुझे जानकारी करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : इसके साथ ही और जानकारी भी कर लें और इस समिति ने ही इसका कम्पेरीजन किया है या कोई संस्था रही है इसके कम्पेरीजन को ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : समिति ने आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार परीक्षण किया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया प्रश्न

नेक्स्ट श्री खेतसिंह :

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आपने स्थगित कर दिया यह और खुशी की बात है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय दुबारा इस पर तैयारी करके आयेंगे तब भी उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इस परचेजेज के बारे में बड़ी अनियमिततायें हुई हैं। जिस समय परचेजेज की गयी उस समय शिकायत की, टेन्डर्स इनवाइट किये उस समय शिकायत की, टेन्डर्स खोले गए उस समय शिकायत की डाईरेक्टर आयुर्वेद विभाग ने अपनी मर्जी से कुछ लोगों को औब्लाइज करने के लिए यह रद्दी प्रकार की कस्तूरी खरीदी और कस्तूरी आज भी स्टोर में पड़ी है। उसको वैरीफाई कराया जाये तो मालूम पड़ेगा कि असली कस्तूरी के मुकाबिले में कितनी गिरी हुई कस्तूरी खरीदी है और वही लोगों को और आम लोगों को दवाई में दी जायेगी और लोगों की सेहत के ऊपर उसका विपरीत असर पड़ेगा। इसी प्रकार की परचेजेज के संबंध में और भी शिकायतें आई हैं और विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी और जब तक यह डाइरेक्टर साहब हैं तब तक मंत्री महोदय आप कितना भी इसको देखें और चाहे कस्तूरी में हल्दी मिली हुई हो या उसमें पत्थर रख दें तो भी मंत्री महोदय आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकेंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर दें। लेकिन मैं स्पष्ठ रूप से कहना चाहता हूं कि यह मामला कस्तूरी का नहीं है और न किसी और चीज का है लेकिन दवाइयों में इस प्रकार की गलत चीजें खरीदकर लोगों को देते हैं और उनसे लाभ नहीं होता और यह सब डाइरेक्टर महोदय अपनी मनमानी से करते हैं और दवाई अच्छी मिले इस मामले की आप जांच करें तो ज्यादा उचित रहेगा और सदस्यों को भी पता लगेगा कि किस प्रकार की कस्तूरी खिला रहे हैं और किस प्रकार की कस्तूरी की दवाई बनाई जा रही है। इस समय स्टाक में कस्तूरी थी और जबरदस्ती खरीदी गई, स्टाफ के अन्दर कस्तूरी की कमी नहीं थी लोगों की तरफ से इन्डेन्ट्स नहीं मिले थे····

श्री अध्यक्ष : इस जांच के प्रश्न पर उत्तर बाद में देंगे तब उसके बाद में ले लिया जायेगा।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं इतना निवेदन कर दूं कि मेरे पास जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार उसका कम्पेरीजन ठीक तरह से किया गया और इसलिए मैं उस पर सन्तुष्ट हो गया। अब प्रश्नकर्ता को इतनी गहरी बातें मालूम हैं तो टेन्डर्स कब इनवाइट किये गये, कम्पेयर किये गये या नहीं, स्टाक में थी या नहीं इन सब बातों की जानकारी अवश्य ही प्राप्त करना उचित समझता हूं और उनको सब को देख कर और फिर बाद में इस निर्णय पर आ सकूंगा कि इसके अन्दर.......

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता थी या नहीं, क्यों परचेज की, टेन्डर में पूरा टाइम दिया गया या नहीं, पूरी पब्लिसिटी कराई गयी या नहीं, इन्डेन्ट आये थे या नहीं.......

श्री अध्यक्ष : इन सभी विवादग्रस्त प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे।

नैक्स्ट, श्री खेतसिंह

राज्य के गांवों में ट्यूब वेल व टांकों द्वारा जल वितरण

125. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जिन गांवों में खारा पानी है, वहां की जनता के लिए पीने के पानी की क्या व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है?

(2) क्या ऐसे गांवों में ट्यूब वैल खोदने की कोई योजना है?

(3) क्या पानी के बड़े टांके बनाने बाबत भी राज्य सरकार की कोई योजना है?

(4) तहसील शेरगढ़ में चाबा, सुवालिया व दासानियां गांवों के लिये पेय जल की कोई योजना विचाराधीन है?

(5) इन गांवों की जनता को गर्मी की मौसम में कितनी दूर से पीने का पानी प्राप्त करना पड़ता है?

(6) क्या यह सही है कि पीने के पानी के अभाव में इन गांवों में इन्सान मरते हैं और काफी अधिक तादाद में मवेशी खत्म होते हैं?

(7) पीने योग्य पानी साधारणतया इन गांवों से कितनी दूरी पर प्राप्त होता है?

जन-स्वास्थ्य मंत्री : (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) राजस्थान के गांवों में उचित जल व्यवस्था हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत जिन गांवों में खारा पानी है उन गांवों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था के लिये रीजनल स्कीम का प्रावधान किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, मास्टर प्लान में इसका भी यथा सम्भव प्रयोजन किया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) इसकी जानकारी की जायेगी।

(6) जानकारी की जा रही है।

(7) निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह खारी वाले क्षेत्र में लूनकरणसर है और उसके लिए कोई योजना बनाई है सरकार ने ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को भी स्थगित किया जाये। मंत्री महोदय ने कोई जबाब उचित नहीं दिया है। प्रश्न 6 के उत्तर में कहा है कि पता लगाया जा रहा है और 5 के उत्तर में कहा है जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है तो फिर मैं क्या सप्लीमेंटरी पूछूं ?

श्री अध्यक्ष : कोई मरा है या नहीं इसकी तो जानकारी ही की जायेगी।

श्री नारायणसिंह मसूदा : प्रश्न कर्ता ने स्वयं ने पूरा नहीं सुना है मेरा जवाब। पांचवें में कहा है कि इसकी जानकारी की जायेगी याने गांव की जनता को गर्मी की मौसम में इतनी दूर से पानी प्राप्त करना पड़ता है इस बात की······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मालुम है माइलेज तो बता दें।

श्री खेतसिंह : आप कहेंगे तो मैं जवाब ही बता दूंगा।

श्री नूलचन्द्र डागा : जवाब जानते हैं तो खुद ही पूछते हैं।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह साबित करता है कि योग्य व्यक्ति तो मन्त्री मण्डल के बाहर हैं और अयोग्य मन्त्री मण्डल के अन्दर हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस दूरी इत्यादि के लिये न तो कोई सर्वे टीम की रिपोर्ट थी और न मैंने नक्शा देखा इसलिए एकदम जानकारी नहीं हो सकती।

श्री खेतसिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि क्या इस एरिया की इन्होंने सर्वे कराई है और अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में यह दिया है कि वहां काफी मात्रा में मीठा पानी प्राप्त हो सकता है इन गांवों में ऐसी सूचना आपके पास है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके लिए मास्टर प्लान है।

श्री अध्यक्ष : आगे क्या है वह देखिये।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया कि किस किस जगह अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के माध्यम से ट्यूब वैल्स खुदाये जायें तो मीठा पानी मिल सकता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सर्वे कराया गया इसी के आधार पर ट्यूब वैल्स इत्यादि इधर उधर खोदे गये और कहीं खारी पानी निकला कहीं पर किसी प्रकार का पानी निकला। इस प्रकार से सारा उसका नतीजा हुआ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार की राज्य सरकार को कोई सर्वे रिपोर्ट मिली है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ज्योलाजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार शेरगढ़ तहसील में अण्डर ग्राउन्ड पानी नहीं है।

श्री भीमसेन : लूनकरणसर का कराया क्या आपने ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से खास तौर से निवेदन करता

(श्री खेतसिंह)
चाहूँगा कि क्या एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स ऑर्गेनाइजेशन ने शेरगढ़ तहसील का पूरा सर्वे किया है और उनकी रिपोर्ट है कि इस एरिया में 8 हजार से 16 हजार गैलन तक पर ग्रवर पानी मिल सकता है मीठा पानी—उनकी यह रिपोर्ट है ?

(12 मध्यान्ह)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपके....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी कोई संस्था की भी जानकारी है कि नहीं ? यह भी नहीं होगी आप (श्री अध्यक्ष से) पूछ लीजिए। क्यों साहब, है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कौन सी ?

श्री भैरोंसिंह : एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स ऑर्गेनाइजेशन और अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में क्या अन्तर है, यही बता दीजिये ? (हंसी)

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां कोई एग्जामिनेशन थोड़े ही हो रहा है जो सब बता दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रद्युम्नसिंह।

पंचायत समितियों को कुओं के निर्माण हेतु तकावी

426. **श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुंए बनाने के लिये तकावी के रूप में जो धन राज्य सरकार विभिन्न पंचायत समितियों को देती है उस धन की राशि क्या हर पंचायत समिति के लिए एक सी होती है ?

(2) यदि यह राशि विभिन्न पंचायत समितियों के लिये भिन्न-भिन्न होती है तो इसका क्या कारण है ?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी नहीं।

(2) यह राशि उनकी मांग, उस क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता, पिछले वर्षों में दी गई धन राशि एवम् कुल उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए आवंटित की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप भी महसूस तो करते होंगे कि क्या केबिनेट बनाई है। "हुकुम है शाह कलंदर का कि बैठा दुम हिलाया करो।" करम फूट गए हमारे !

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! नेक्स्ट श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

जयपुर की आवास योजनाओं में प्लाटों का आवंटन

427. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)** : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर में तीन बस्तियां, अर्जुनलाल सेठी नगर, अंबा बाड़ी स्कीम और अजमेर रोड स्कीम सरकार द्वारा मंजूर हो चुकी है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(2) यदि हां, तो क्या इन तीनों स्कीमों में एलॉटमेंट शुरू कर दिया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो किन बस्तियों में एलॉटमेंट शुरू नहीं हुआ ?

(4) किस तारीख को इन स्कीमों की मंजूरी मिली ? तीनों की अलग-अलग तारीखें बताने की कृपा करें ?

नगर आयोजन मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) (1) : जी हां ।

(2) जी हां । अर्जुनलाल सेठी नगर तथा अम्बाबाड़ी योजना में आवन्टन शुरू कर दिया है किन्तु अजमेर रोड योजना में अभी भू-आवण्टन प्रारम्भ नहीं किया गया ।

(3) सूचना उत्तर सं. (2) में वर्णित है ।

(4) तीनों योजनाओं की स्वीकृति-तिथि निम्न प्रकार है:–

1. अर्जुनलाल सेठी नगर दि. 18-12-65.
2. अम्बाबाड़ी योजना दि. 9-2-65.
3. अजमेर रोड दि. 9-12-65.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, तीन योजनाओं में से आपने फरमाया कि दो योजनाओं में एलॉटमेंट शुरू होगया तो मेहरबानी करके फरमायें कि कितने एलॉटमेंट हो चुके हैं ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अंबाबाड़ी योजना में 96 भू-खण्ड सैनिकों को आवंटन किये जा चुके हैं किन्तु आवंटन पत्र इसलिए जारी नहीं किये गये हैं कि सैनिक क्षेत्र को बढ़ाने के सम्बन्ध में कमाण्डेन्ट ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, अम्बाबाड़ी योजना के अन्दर सैनिकों को कैसे एलॉटमेंट हो सकता था, अभी तक तो इस क्षेत्र के बारे में निर्णय ही नहीं हो सका है । हाई कमाण्ड तक केस गया हुआ है ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर रोड स्कीम कहां पर है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अजमेर की तरफ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोकेशन मालूम है ? अच्छा यही बता दीजिए कि अजमेर रोड कहां पर है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : अगर आप यह पूछें कि जैसलमेर के अन्दर फलां कुआं किस दिशा के अन्दर है तो यह कैसे बता सकता हूं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अजमेर रोड स्कीम कब तक शुरू होगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अजमेर रोड योजना के लिए भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की जा रही है । अवाप्ति की कार्यवाही सम्पूर्ण होने तथा मुआवजे की राशि का भुगतान हो जाने पर तथा भूमि का न्यास अधिकार क्षेत्र में आने के पश्चात् नियमानुसार इस योजना में भू-आवन्टन की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रावत !

Page No. 27

श्री जसराज (भिनाय) : क्या शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को इसमें एलॉटमेंट करने के लिए रिजर्वेशन किया है ?

(कोई उत्तर नहीं)

रोडवेज के कर्मचारियों को वर्दी

428. **श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रोडवेज के सब कर्मचारियों को वर्दी सरकार देती है ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि ड्यूटी पर रहते समय कर्मचारियों द्वारा सामान्यतया वर्दी नहीं पहनी जाती है ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): जी हां, नियुक्ति के बाद पहले 6 माह में कर्मचारी को स्वयं की वर्दी पहननी पड़ती है। 6 माह पूरे होने पर निगम द्वारा वर्दी दी जाती है। इसके अलावा दैनिक वेतन पर रखे जाने वाले अस्थाई कर्मचारियों को निगम द्वारा वर्दी नहीं दी जाती है।

(2) जी नहीं, ड्यूटी पर वर्दी धारण करना अनिवार्य है। जब कभी भी कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर बिना वर्दी पाया जाता है, उसके विरुद्ध (नियमानुसार) कार्यवाही की जाती है। साधारणतया ड्यूटी पर कर्मचारीगण वर्दी पहने रहते हैं।

(3) समस्त आगार प्रबन्धकों व सहायक आगार प्रबन्धकों को पुनः आदेश दे दिये गये हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन करवायें।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बसों के अन्दर ऐसे आदमी भी साथ में यात्रा करते हैं जो प्लेन कपड़ों में होते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो जवाब देते हैं कि हम टिकिट चैकर हैं और वह टिकिट चैक करते हैं और फ्री बस में चलते रहते हैं ? क्या कभी आपने किसी को बिना वर्दी के पकड़ा है और उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसकी मुझे मालूम बिल्कुल नहीं है और मैंने पकड़ा नहीं है, यही स्थिति है। लेकिन आपने जो सवाल किया है उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और अगर ऐसी चीज होगी तो पाबन्द किया जाएगा ?

श्री विजयसिंह रावत : क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि हर एक के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है तो आज तक कितने ऐसे केसेज पकड़े स्टेट रोडवेज के अन्दर जो कि कर्मचारी ड्यूटी पर तो थे लेकिन वर्दी में नहीं थे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं मालूम करके इत्तला दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री अब्दुल हादी ! (श्री हादी पहले प्रश्न पूछने के लिए खड़े नहीं हुए) प्रश्न समाप्त हुए।

(श्री हादी द्वारा प्रश्न पूछा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-6-67)

बाड़मेर जालोर और जैसलमेर जिले में सस्ते अनाज की व्यवस्था

224. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर, जालोर व जैसलमेर जिलों में सस्ते धान की दुकानों पर अनाज पहुँचाने का क्या तरीका है ? सरकारी वाहनों से पहुँचाया जाता है या दुकानदार स्वयं अपने साधन से ले जाने का प्रबन्ध करते हैं ? जिलेवार अलग-अलग बताया जाय ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सरकारी धान के दुकानदारों को अनाज बाड़मेर के सरकारी गोदाम पर ही दिया जाता है और दुकानदार स्वयं साधन जुटा कर अपनी दुकानों पर गांवों में ले जाते हैं जिससे उन्हें यातायात का किराया अधिक देना पड़ता है और सरकार निर्धारित दर से किराये की राशि दुकानदार को देती है इसमें दुकानदार को घाटा पड़ता है और वह जनता से अनाज का पैसा अधिक वसूल करता है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि दुकानदार अनाज ले जाने के बाद जो किराये के बिल पेश करता है उसका भुगतान समय पर नहीं होता है जिससे दुकानदारों व सहकारी समितियों को परेशान होना पड़ता है ? यदि हां, तो दिनांक 31-3-67 को ऐसे यातायात बिलों का भुगतान जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर के पास कितने रुपयों का करना बकाया था ?

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर के सरकारी गोदाम से सस्ता अनाज रिटेलरों को तोल कर नहीं दिया जाता है और पुराने तोल के आधार पर दिया जाता है जिससे रिटेलरों को बहुत नुकसान होता है और गोदाम कीपर झूंठी तलपेटियें बना कर रिटेलर के हस्ताक्षर करवा देता है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी जांच कराने का इरादा रखती है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) बाड़मेर व जालोर जिले में सस्ते धान की दुकान पर अनाज दुकानदार स्वयं अपने साधनों से ले जाते हैं।

(2) जी हां। बाड़मेर क्षेत्र में मुख्यतः खाद्यान्न बाड़मेर व बालोतरा के गोदाम से दिए जाते हैं। खाद्यान्न दुकानदार स्वयं अपने साधन से ले जाते हैं। व्यापारी को निर्धारित दर से किराया दिया जाता है। दुकानदार को घाटा होने की कोई शिकायत जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुई है।

निर्धारित दरों से अधिक दर लेने वाले रिटेलरों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। बाड़मेर में केवल लगभग 41200/- रु. का भुगतान बकाया था।

(4) तलपट्टी दर्ज की हुई व मार्का लगाई हुई बोरियों का तोल 10 प्रतिशत होता है। अगर रिटेलर चाहे कि उसे शत प्रतिशत तोल कर दिया जाये तो शेष 90 प्रतिशत तोल का खर्च रिटेलर स्वयं वहन करने पर गोदाम कीपर द्वारा शत प्रतिशत तोल कर बोरियां दी जाती हैं। झूंठी तलपट्टियां बनाने बाबत

(श्री परसराम मदेरणा)
शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ! अध्यक्ष महोदय, ग्राज 11 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर इस सदन में दिए जाते है। अब तक की परम्परा के अनुसार नियमानुसार जो अतारांकित प्रश्न हैं उनके लिखे हुए उत्तर क्वेश्चन अवर समाप्त होने के पहले इस सदन की मेज पर रख दिए जाते हैं और यह मानकर चला जाता है कि प्रश्नों के उत्तर सदन की मेज पर रख दिए जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि ग्राज इन प्रश्नों के उत्तर सदन को मेज पर नहीं रखे गये हैं। इस सम्बन्ध में आप सदन को बतायें कि क्या ये प्रश्नों के उत्तर सदन की मेज पर रख दिए गए हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : वे अभी तक नहीं रखे गए हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो रूल्स की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी कर और सदन को अवगत कर दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं० 433 था जिस पर मैंने कुछ लिखित सूचना मांगी थी लेकिन मुझे अभी तक कोई लिखित सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : पहले का प्रश्न है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी हां। मुझे लिखित सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा इसको भी।

आधा घण्टे की चर्चा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रोजाना रह जाते हैं तो इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इतने ज्यादा प्रश्न रखे जाते हैं तो या तो इनको कम रखना चाहिए या इसका टाइम बढ़ाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों के लिए एक ही घण्टा है। मैं यह प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जावें फिर भी कुछ रह जाते हैं। यह भी प्रयत्न हो सकता है कि कम रखे जायं लेकिन कम रखे जायेंगे तो माननीय सदस्यों को ही हानि होती है क्योंकि जो प्रश्न बाकी रह जाते हैं। वे सदन के बन्द हो जाने के बाद यों ही रह जाते हैं। इसलिए यह प्रयत्न किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जायं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि माननीय सदस्य भी इसमें सहयोग दें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दे दी जाय कि जो प्रश्न नहीं पूछे जायं उन प्रश्नों के उत्तर प्रश्न अवर समाप्त होने के बाद माननीय सदस्यों को दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले भी ऐसी व्यवस्था दी है कि जो प्रश्न अवशेष रह जाते हैं प्रति दिन तो माननीय सदस्यों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर पहुंच जायं।

(श्री अध्यक्ष)
मैंने ऐसी व्यवस्था दे दी है और ऐसे आदेश दे दिये हैं। आज फिर उसकी मैं पुनरावृत्ति करता हूं, अगर फिर भी उत्तर नहीं पहुंचे हों तो आप मुझ से चेम्बर में बात कर लें मैं इसकी दुरुस्ती कर दूंगा।

श्री भैरोंसिह : आपको शिकायत करने में आपत्ति नहीं है लेकिन यह नार्मल प्रेक्टिस होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में आदेश दे दिये हैं।

श्री भैरोंसिह : फिर भी मिलते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं कि लिखित में उत्तर माननीय सदस्यों के पास चले जायं। अगर इसमें कोई लेप्सेज हुए हैं तो मैं फिर देख लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यदि आपके आदेशों की अवहेलना मंत्री महोदय करते हैं तो आप हमको विश्वास में लीजिये, हम ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वतः कार्य भार को सम्भाल लूंगा। यथा शक्ति आपके.......

श्री रामकिशन : सहयोग की जरूरत हुई.......

श्री अध्यक्ष : सहयोग की आवश्यकता, जो नहीं होनी चाहिए, यदि होगी तो मैं लूंगा।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : मेरे दो तीन प्रश्न निकल गये हैं या जो समयाभाव के कारण नहीं आ सके हैं उनके जवाब दिलाने की आप कृपा करें।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ सड़क का निर्माण

405. **श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ चौराहे तक की सड़क के निर्माण कार्य (जिला चित्तौड़गढ़) की मंजूरी कब हुई ?

(2) कितने रुपये की मिट्टी आज तक सड़क पर पड़ चुकी है ?

(3) आज तक कितनी धन राशि इस सड़क के लिये व्यय हो चुकी है ?

(4) क्या इतनी रकम में पक्की सड़क नहीं बन सकती थी ? यदि बन सकती थी तो नहीं बनाने के लिए जिम्मेवार कौन है और उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

(5) अब कब तक इस सड़क का कार्य पूर्ण होने की आशा है ?

उत्तर

(1) पहली योजना में ग्रेवल रोड बनाने की मंजूरी दी गई थी ?

(2) और (3) मिट्टी ग्रेवल व पुलियों के काम पर 2,56,278) रु० खर्च हुआ है।

(4) जी नहीं।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(5) सड़क को पक्का बनाने की मंजूरी योजना में नहीं है।

कामां-जुरहड़ा सड़क की मरम्मत

412. श्री मखलिस खां (कामां) : क्या सर्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कामां-जुरहड़ा सड़क की बहुत ही टूटी-फूटी दशा हो गई है और उस पर ट्रैफिक का चलना असम्भव हो गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

सड़क की हालत साधारण है जूरेरा के निकट 2 मीलों में मरम्मत कराने का विचार है।

अलवर वाटर वर्क्स द्वारा पानी का वितरण

418. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर में वाटर वर्क्स द्वारा पूरा पानी सप्लाई न करने के कारण आम जनता को बहुत असुविधा हो गई है ?

(2) अलवर वाटर वर्क्स द्वारा पूरी तरह पानी न सप्लाई कर सकने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने उन कारणों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(3) अलवर नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या और पानी के लिए बढ़ती हुई आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या राज्य सरकार ने जनता को पूरा पानी सप्लाई करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

(4) क्या सरकार का अलवर नगर की जनता को पानी की दिक्कत से वर्तमान गर्मी के मोसम में राहत देने के लिए कोई कदम उठाने का इरादा है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां सही है जितना पानी उपलब्ध होता है उतना ही वितरण किया जा रहा है।

(2) अलवर की मौजूदा जल-वितरण योजना सन् 19 2 में तत्कालीन जन-संख्या एवं धनराशि की उपलब्धिता को देखते हुए बनाई गई थी, किन्तु अब मुकाबले में जन-संख्या काफी बढ़ गई है, अतः पानी की सप्लाई आवश्यकतानुसार नहीं हो पा रही है। सरकार ने समय पर कुओं को गहरा करवाकर नये ट्यूब वैल खुदवाकर अधिक पानी की व्यवस्था करने हेतु समुचित प्रबन्ध किया है।

(3) जी हां, बढ़ती हुई जन-संख्या को देखते हुए अब पुनर्निर्माण योजना 1,10,000 की जन-संख्या के लिए बनाई जा रही है इस योजना की कुल अनुमानित लागत रु. 35,37,000) होगी, योजना के अनुसार 29 लाख गैलन अतिरिक्त जल-वितरण किया जावेगा। इस योजना के लिए नल बुरजा ग्राम के पास जय समन्द बन्ध की नहर के किनारे पर नल कूप बनाकर प्राप्त किया जावेगा।

(जन-स्वास्थ्य मन्त्री)

(1) जी हां, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 85,000) रु. खर्च किये जाकर दो नये ट्यूब वैल बनाये गये हैं जिनसे 2 लाख गैलन अतिरिक्त जल की व्यवस्था होगी। एक नल कूप से जल वितरण चालू किया जा चुका है। दूसरे से भी शीघ्र ही चालू कर दिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पशु फार्म चांधन

1. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशु फार्म चांधन, जिला जैसलमेर कब से चालू किया गया ?

(2) इस फार्म पर किस-किस वर्ष में कितने-कितने और किस-किस प्रकार के पशु रखे गये ?

(3) इस फार्म पर प्रति वर्ष का खर्च व आय कितनी-कितनी है ?

उत्तर

(1) पशु फार्म चांधन 1964–65 के मध्यान्तर में चालू किया गया था।

(2) इस फार्म पर थारपारकर वंश के जानवर निम्न प्रकार से खरीदे गये —

वर्ष	किस्म जानवर जो खरीदे गये
1964–65	44 गायें एवं 2 बैल।
1965–66	32 गायें एवं 2 उन्नत सांड।
1966–67	कोई खरीद नहीं की गई।

(3) सन् 1964-65 में 59,300 रुपये का व्यय तथा 8.00 रुपये की आय, सन् 1965–66 में 1,94,314.05 रुपये का व्यय तथा 5,161.00 रुपये की आय, सन् 1966–67 में 1,70,546.79 रुपये का व्यय तथा 19,947.51 रुपये की आय हुई है।

अजमेर जिले की स्वयं सेवी संस्थाओं को दी गई धनराशि का उपयोग

2. श्री जसराज (भिनाय) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज-कल्याण विभाग से अजमेर जिले में कितनी स्वयं सेवी संस्थाएं चल रही हैं ?

(2) क्या उनका बजट समाज-कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत है ?

(3) प्रत्येक संस्था को सन् 1957-58 से 1966-67 तक कितनी धनराशि दी गई ? तथा यह राशि किन-किन मदों के व्यय हेतु विभाग द्वारा दी गई ?

(4) क्या उपरोक्त राशि जो समाज-कल्याण विभाग द्वारा इन संस्थाओं को दी गई वह उसी कार्य में उपभोग की गई ? और क्या संस्थाओं द्वारा उन राशियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में महिला शिक्षा सदन, हटूंडी, श्री दयानन्द अनाथालय और बाधित बाल विकास समिति नामक तीन स्वयं सेवी संस्थायें चल रही हैं।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) जी हां।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, केवल वर्ष 66-67 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शेष है जिसके लिए समय बाकी है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

राजस्थान अनुसूचित जाति सेवा संघ

3 श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति सेवा संघ की स्थापना कब हुई और इसके पदाधिकारी कौन-कौन हैं ?

(2) इस संस्था को अब तक किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी सहायता दी गई है तथा किस अधिकारी की सिफारिश पर ?

(3) इस संस्था के ऑडिटेड एकाउन्ट्स कब-कब पेश हुए हैं ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिये छात्रावास

4. श्री रामकिशन (वैर): क्या समाज-कल्या[illegible]मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में कुल कितने अनुसूचित जाति के छात्र व छात्रायें स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इनकी संख्या को देखते हुए इस इलाके में इन जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की जरूरत है ? अगर हां, तो क्या सरकार बयाना, डीग तथा धौलपुर में इस वर्ष छात्रावास खोलने का इरादा रखती है ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

काबिल और बिला काबिल काश्त भूमि

5. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे —

(1) जिला बून्दी की तहसील नैनवां के ग्राम मोतीपुरा के पास जंगलात के कितने एनक्लोजर्स हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र में वन विभाग के डिमार्केशन में कितने एकड़ भूमि घिरी हुई है ?

(3) उक्त भूमि में से काबिल काश्त भूमि कितनी है और बिला काबिल काश्त कितनी ?

(4) क्या सरकार काबिल काश्त भूमि को भूमिहीनों को देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) एनक्लोजर्स से शायद तात्पर्य क्लोजर्स से है यदि हां, तो ग्राम मोतीपुरा के पास जंगलात का कोई क्लोजर नहीं है।

(वन मन्त्री)

(2) मोतीपुरा से सम्बन्धित नाका लुहारपुरा के अन्तर्गत डिमारकेशन में 7497 एकड़ भूमि है ।

(3) इस प्रकार की अब तक कोई सर्वे नहीं हुई है।

(4) जी नहीं।

दूदू-चाकसू वाया फागी सड़क

6. श्री लालूराम सुलानियां (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दूदू-चाकसू वाया फागी सड़क कितनी लम्बी है और उसमें कितना हिस्सा डामर का है और कितना कच्चा ?

(2) क्या यह सही है कि कच्चे हिस्से के कारण बस यात्रियों को व अन्य आवागमन में काफी असुविधा रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क पर डाबची व कादेड़ा के बीच बांडी नदी पर पुल नहीं होने के कारण भी आवागमन में असुविधा रहती है ?

(4) क्या इस सड़क के कच्चे हिस्से को पक्का बनाने की और उक्त पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो ये कार्य कब तक हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) यह सड़क 45 मील लम्बी है और किसी भी भाग में डामर नहीं है । 100 फीट नदी का हिस्सा कच्चा है ।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं ।

सीमा-क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के निर्माण हेतु सामान की खरीद

7. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीमा क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के निर्माण हेतु इस वर्ष विभिन्न किस्मों के क्या-क्या टूल्स एण्ड प्लान्ट्स खरीदे गये तथा कुल कितनी कीमत दी गई ?

(2) उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में कुल कितनी जीपें, ट्रक एवं अन्य वेहिकल्स खरीदे गये ?

(3) प्रत्येक जीप की एक्सपान्डेड बॉडी एवं रोडरॉलर्स की केनोपी की क्या कीमत दी गई तथा इसमें कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

(4) जीपों की एक्सपान्डेड बॉडी तथा स्पेशल टाइप आफ केनोपी में खर्च क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 1967-68 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिये खरीदे गये टूल्स एण्ड प्लान्ट्स की सूची संलग्न है । इस मद पर कुल खर्चा रु. 4,63,000 लगभग हुआ।

(2) इस वर्ष केवल एक साधारण खरीदी गई कोई ट्रक या अन्य वेहिकल्स इस साल अभी तक नहीं खरीदा गया है ।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(3) प्रश्न नहीं उठता कोई एक्सपान्डेन्ड गेप नहीं खरीदी जाने की वजह से इन मदों पर किसी खर्चे का प्रश्न ही नहीं है।

(4) प्रश्न नहीं उठता। ऐसा कोई खर्चा नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिए)

बिचून-फुलेरा रोड़ पर पुलिया का निर्माण

8. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील दूदू में बिचून से फुलेरा रोड पर पुलिया बनाने की योजना है ?

(2) क्या दूदू से मौजमाबाद रोड पर डामर करने की योजना है ?

(3) क्या बिचून से मोखमपुरा, रोड को डामर की बनाने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। काम योजना में मंजूर नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों का निर्माण

9. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें बनाने का प्रावधान रखा गया था, और उनमें से कितनी सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी शेष हैं ? कृपया जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) अब तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सड़कें पूर्ण न होने के क्या कारण रहे हैं ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

राजाखड़ा—पिनाहट सड़क का कार्य

10. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजाखेड़ा से पिनाहट जाने वाले मार्ग पर सड़क बनाने का कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ है ? यदि सरकार का इरादा इस सड़क को बनाने का है तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

अर्थाभाव के कारण काम आरम्भ नहीं हुआ है। आशा है काम चतुर्थ योजना में आरम्भ हो जायगा।

मनोहरथाना—सालपुरा वाया हरनावदा सड़क

11. श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना-सालपुरा वाया हरनावदा सड़क किस विभाग की है ?

Page No. 36

(श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा)

(2) इस सड़क की पिछली बार कब मरम्मत करायी गयी थी ?

(3) इस सड़क पर लगे हुए आम एवं जामुन आदि के ठेके कौन देता है ?

(4) इस सड़क पर कितने ग्राम स्थित हैं ?

उत्तर

(1) केवल छीपा बड़ौद से सालपुरा का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग की देख-रेख में है ?

(2) छीपा बड़ौदसे सालपुरा की मरम्मत महकमें की गेंग द्वारा सालाना होती रहती है। बाकी हिस्से के बारे में इस महकमें को जानकारी नहीं है।

(3) इस महकमें द्वारा ठेके नहीं दिये जाते हैं।

(4) मुख्य मुख्य ग्राम टिवरिया, अमेठ, हरनावदा, नया गांव, सैतकलू, छीपाबड़ौद, और कबाई है।

भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने बाबत आधे घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष : अब आधे घण्टे की चर्चा भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने के बाबत।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने फौजियों के सम्बन्ध में इस सदन में प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय की ओर से जैसा जवाब मुझे मिलना चाहिए था वह सही रूप मे जवाब नहीं मिला। उसके बाद में माननीय खेतसिंह जी ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया था फौजियों को मिलने वाली रियायतों के सम्बन्ध में, उसके सम्बन्ध में भी माननीय मन्त्री महोदय ने कई ऐसी चीजें कहीं जिनसे स्पष्ट स्थिति हमारी समझ में नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, सैनिकों को भूमि एलॉट-मेंट के सम्बन्ध में हमने प्रश्न किया था कि आज तक राजस्थान सरकार ने कितने सैनिकों को भूमि एलॉट की है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक सरसरी तौर पर कह दिया जाता है कि राजस्थान में जो सर्विंग सोल्जर्स हैं या जो एक्स सर्विस सोल्जर्स है इनको 11 हजार एकड़ की तादाद में भूमि एलॉट की है। इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो 11 हजार एकड़ भूमि एलाट की है, यह सैकिण्ड वर्ल्ड वार के टाइम से लेकर आज तक की है ? किन-किन को दी है ? एलॉटमेंट के नियम क्या हैं ? उनके वाकई वह भूमि कब्जे में हो गयी है ? किन-किन डिस्ट्रिक्ट में कब्जे हो गये हैं ? मैं समझता हूं कि काफी अर्से से इस सदन में सैनिकों को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रश्न चल रहे हैं, भूमि-हीन सोल्जर्स को या सर्विंग सोल्जर्स को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये हैं। मैं समझता हूं कि इस बजट सेशन में भी इसके ऊपर चर्चा की गई है और वित्त मन्त्री के भाषण के पश्चात् मैंने सोल्जर्स के सम्बन्ध में निवेदन किया था लेकिन उनके सम्बन्ध में आज तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज भारत का और विशेष कर राजस्थान का सिपाही ऐसा है जिसने अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी दी है और जिसने राजस्थान में रह कर तो मातृभूमि का नाम ऊंचा किया ही है, बाहर जाकर भी मातृभूमि का नाम

Page No. 37

(श्री मदनसिंह)

ऊंचा किया है। विशेषकर जो काश्मीर के अन्दर पहली लड़ाई हुई थी, वहां जो सैनिक मारे गये थे, उन सैनिकों के पीछे जो उनके कुटुम्ब रह गये, उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि उनको कितनी भूमि मिली है या कितनी नहीं मिली है। उसके बाद में चाइना वार के अन्दर जो सैनिक मारे गये, उनके परिवारों को कितनी जमीन एलॉट हुई या कितनी नहीं हुई है, उसके सम्बन्ध में भी स्थिति नहीं समझी गई है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में जो सैनिक मारे गये और पाकिस्तान के साथ हुई वार के बाद में जो सैनिक रिटायर हुए हैं, उन सैनिकों के लिए गवर्नमेंट के और गवर्नर महोदय के ऐसे आदेश हैं, लेकिन उन आदेशों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए आज तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी कई मिसालें हैं जिनके सम्बन्ध में आपको निवेदन करूंगा। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के सारे सदस्यों को मालूम होगा कि मेजर पूर्णसिंह, जिसको वीर चक्र मिला था, ने अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, लेकिन उसकी विडो को आज तक किसी तरह की, रुपये से लेकर जमीन तक कोई सुविधा नहीं मिली है········

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य : शेम-शेम !

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि मेजर पूर्णसिंह के सम्बन्ध में सारी वर्ल्ड जानती है कि इन्होंने कितनी बहादुरी के साथ बलिदान किया, लेकिन उनकी विडो को न तो जमीन मिली है और न ही पैसा मिला है। यहां के गवर्नर और भारत सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि जो सोल्जर्स काम आये हैं, उनके पीछे जितने उनके परिवार के हैं, उनको कुछ जो केश में मिलना चाहिये और कुछ जमीन भी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर जिनको अशोक चक्र और वीर चक्र के मैडल मिले हैं उनका यह हाल है कि उनके साथ में साधारण फौजियों के जैसा व्यवहार हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस बात को इस सदन के सदस्यगण जानते हैं कि आज तक जितने एलॉटमेंट आफ लैण्ड के सम्बन्ध में अनाउन्स-मेंट हुए हैं, उनके अनुसार कोई भूमि सैनिकों को या उनके परिवारों को एलॉट नहीं हुई है। मैं यह मानता हूं कि जब कोई प्रश्न किया जाता है तो उस वक्त मंत्री महोदय उठ कर दो चार नाम बता देते हैं। वह यह नहीं बताते हैं कि जिन हजारों सैनिकों की दरख्वास्तें आई हैं उनको आज तक कितनी-कितनी जमीन मिली है। मैं समझता हूं कि भूमि के सम्बन्ध में जो कानून है उसके अनुसार फौजियों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है, और न फौजियों के पास कोई इत्तला ही होती है। और जैसा कि कानून में बताया गया है कि मुकद्दमों के लिए उनके लिए सरकार वकील मुकर्रर करेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही करके वकील नियुक्त नहीं किये जाते हैं जिससे कि उनको राहत मिल सके वैसे तो गवर्नर महोदय के इस सम्बन्ध में ऑर्डर हैं कि जो फौजी हैं, सर्विंग सोल्जर्स हैं, उनके कोई केसेज हों और सोल्जर्स बोर्डर पर हों उनके लिए वकील कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे फौजी हैं जो बोर्डर पर हैं और जिनके मुकद्दमों के लिए एडवोकेट्स का प्रबन्ध हुआ

(श्री मदनसिंह)

है। मैं समझता हूँ कि एक भी ऐसा सोल्जर नहीं है। क्या मंत्री महोदय एक भी ऐसी मिसाल दे सकते हैं कि अमुक सिपाही को, फौजी को, वकील की सहायता दी गई है? जब कि इसके लिए भारत सरकार की तरफ से और यहां की सरकार की तरफ से है, और इसके लिए कुछ रुपया भी रखा गया है, लेकिन आज तक उस रुपये का कोई उपयोग नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हाउसिंग स्कीम, प्लाट्स के सम्बन्ध में कहा जाता है, अगले दिन जो जयपुर में प्लाट कटे हैं उनके सम्बन्ध में सवाल पूछा था तो राजस्थान के होम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि आज तक फौजियों को 50 प्लाट दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन फौजियों ने भारतवर्ष की शान को रखने के लिए अपनी पूरी जिन्दगी खोई, जिन्होंने दिक्कत उठाई, आज जिस जयपुर शहर के अन्दर पांच लाख लोग बसते हैं वहां उनके लिए केवल 50 प्लाट दिये हैं और इनके लिए वह गौरव समझते हैं कि हमने उनको 50 प्लाट जयपुर में दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर में जो अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड है उसके लोगों ने इस मामले में पक्षपात किया है। मैंने जब कहा कि मिनिस्टर महोदय ऐसी लिस्ट पेश करें कि किन-किन ऑफिसर्स को और किन-किन सिपाहियों को प्लाट मिले हैं, तो वह लिस्ट न तो आज वह पेश करेंगे और न उन्होंने पहले पेश की है इसका कारण यह है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके जयपुर में हाउसेज थे, जिनके तीन-तीन मकान थे, जिनके ऑलरेडी प्लाट थे—उनको तो प्लाट दिये गये लेकिन जो गरीब सिपाही हैं, जो अदर रैंक्स के हैं, उनको आज तक जयपुर में प्लाट नहीं दिये गये हैं।

इसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोई स्कीम थी गवर्नमेंट की और भारत सरकार के कई आदेश थे कि जो एक्स सोल्जर्स हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव बेसिस पर कुछ न कुछ होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि कोऑपरेटिव के मंत्री महोदय इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि राजस्थान के अन्दर कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर कोई एक्स सोल्जर्स की सोसाइटी बनाई हो? मैंने कई दफा मंत्री महोदय से सदन के बाहर भी पूछा है। भारत सरकार का इस सम्बन्ध में एलान है और गवर्नर महोदय का भी एलान है, और गजट में भी एलान हो चुका है कि राजस्थान के अन्दर कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर हमारे फौजियों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, जिसमें एक्स सर्विस मैन या सर्विंग सोल्जर्स हैं वह उसमें एडजस्ट हो सकते हों।

मैं समझता हूं कि इस सरकार से फौजियों को जमीन नहीं मिल सकती है, वह मकान भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई न कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी तो होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, गाड़ियों के परमिट के सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करूं। यातायात मन्त्री जब मैं इस प्रश्न पर आया तो सदन से पधार गए हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मैं ऐसे लोगों को बताऊंगा जिन

Page No. 39

(श्री मदनसिंह)
को पचास पचास परमिट हमारे ट्रान्सपोर्ट विभाग के द्वारा दिये गये हैं। लेकिन एक्स सोल्जर्स की ऐसी कोई बॉडी या यूनियन नहीं है जिसके माध्यम से एक्स सर्विस मैन को चांस दिया जाता हो। मैं समझता हूं कि उनको इन्वाइट करके ऐसा बोर्ड बनाया जा कर ट्रान्सपोर्ट के अन्दर उनकी ऐसी यूनियन बना कर एक आमदनी का जरिया बढ़ाया जा सकता है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, कालेजों के अन्दर स्कालरशिप के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय के अनेक ऑर्डर्स हैं जिनमें यह लिखा हुआ है और भारत सरकार के ऑर्डर्स में भी यह लिखा हुआ है कि फौजियों के बच्चों के लिए स्कालरशिप अच्छे कालेज जो हैं, बड़े स्कूल्स हैं और छोटे स्कूल्स हैं वहां भी मिलनी चाहिए, फ्रीशिप मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं मंत्री महोदय ने न तो सदन के बाहर और न सदन के अन्दर यह बताया है कि इतने फौजियों के लड़के हैं जिनको स्कालर-शिप दी जाती है। चित्तौड़गढ़ में जो सैनिक स्कूल हैं, उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि वहां राजस्थान के बाहर के लड़के मिलेंगे जो वहां भर्ती हुए हैं और राजस्थान के लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। आज भी सैकड़ों की तादाद के अन्दर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वहां जा कर टीचर्स और प्रिंसिपल को दर-ख्वास्त दी है लेकिन उनको यही जवाब मिलता है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। जब कि इस सम्बन्ध में गवर्नर महोदय का आदेश है तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर उदासी हमारे मन्त्री महोदय की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे करीब साल भर हो गया मैं एक-एक जवाब के लिए मंत्री महोदय के पास जाता हूं, और मंत्री महोदय एक दो काम करके यहां एनाउन्स कर देते हैं कि हमने यह काम फौजियों के लिये किया, स्कालरशिप दे दी। मगर हजारों फौजियों के लिये मैं यह कहूंगा कि कोई प्रबन्ध नहीं है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं सर्विसेज के सम्बन्ध में कहूंगा कि आज ऊंचे से ऊंचे पद के लिये आर.ए. एस.और आई. ए. एस. की ऐसी पोस्टें हैं जिन पर फौजियों को एडजस्ट किया जा सकता है और वे लोग उसके योग्य हैं मगर आज हम देखते हैं कि उनको उन पदों पर नहीं लिया जाता और एडजस्ट नहीं किया जाता। आज आपने आबकारी विभाग में जो पहले एडजस्ट किये हुए थे उनको भी कमी में ले लिया है। अच्छे-अच्छे अधिकारी और दूसरे रैंक के फौजी जो नौकरियों में आबकारी विभाग में थे उनको आपने रिटायर किया है। मैं यह कहूंगा कि आबकारी में उन्हीं के कारण सबसे ज्यादा आय होती थी। क्योंकि एक्स सोल्जर नाजायज शराब निकलती थी उसको बन्द करने के लिये अपनी जान पर खेल कर काम करते थे। आज उनको निकाला जाता है।

उनको आपने हाउस बनाने के लिये जमीनें नहीं दी। और नहां पर आपने उनको जमीन एलॉट की वहां पर आपने उनको कब्जा नहीं दिया, और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बीच रखी थी वह यह थी कि अधिकांश फौजियों को जिनको जमीन एलॉट हो गई है और उनको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया उनका उन जमीनों पर कब्जा कराया जाए। मैंने रघुवीरसिंहजी के केस के कागजात राजस्व मंत्री को बताये। और जिस समय राजस्व मंत्री ने उन सारे

(श्री मदनसिंह)

कागजों को देखा और मुलाहिजा किया तो वे उन कागजों को देख कर अपना सिर पकड़ कर बैठ गये कि यह कैसे हुआ? कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई और जब आप देखते हैं कि आठ रोज में कलेक्टर से रिपोर्ट नहीं आई तो फौजी के सामने पेश नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह फौजी तो छुट्टी में है और उसकी छुट्टी समाप्त हो जाने पर वह तो अपनी नौकरी पर चला जाएगा और फिर वे कागज वापिस चले जावेंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के कई केसेज, सीकर, दांतारामगढ़ आदि में हैं। सैकड़ों फौजी लोग जो शब्द कहते हैं वो मैं यहां नहीं कह सकता। जो जो फौजी यहां पर आए हैं उनको भी मैं सदन में नहीं कह सकता। कई फोर्स में आए हुए फौजी अफसर हैं वे कहते हैं कि वर्षों से हमने जमीनें खरीदी हैं और जमीनें हमारी खरीदी हुई होते हुए भी कब्जा नहीं देते हैं और जब वे बड़े बड़े फौजी अधिकारी तहसीलदार के पास जाते हैं तो तहसीलदार कहता है कि लेजर समय में आकर मेरे से मिलना उस समय बात करेंगे। समझ में नहीं आता कि उसी समय क्यों नहीं बात करते और इस प्रकार से तहसीलदार उनके साथ पेश आता है कि लेजर समय में आकर बात करो तो ऐसी स्थिति में उनको आकर असेम्बली की शरण लेनी पड़ी।

गवर्नमेंट उनको जमीनों के बारे लोन देती है। मगर सर्विसेज में होते हुए भी वह कन्स्ट्रक्शन पूरा नहीं करा सकता इसलिए किसी ने अगर हाउस जल्दी में बना बनाया ले लिया तो आप उस पर ऐतराज करते हैं। मैं यह कहूंगा कि आज अगर कोई फौजी जमीन पर हाउस बनाए या बना बनाया मकान खरीद करे उसमें क्या फर्क है? इतना ही नहीं फौजियों के साथ और भी कई जुल्म होते हैं शिक्षा के मामलों में उनको सुविधा नहीं, हॉस्पिटल में आ कर देखा जाय तो उनके लिए स्पेशल बेड्स नहीं। ऐसे ही गांवों में डिस्पेन्सरी की सुविधा नहीं, मगर जिस समय मुसीबत आती है तो वही फौजी मुसीबत में अपनी जान देता है, और काम आता है। जब हमला होता है उस समय सभी उस फौजी को पूछते हैं और फौजी सभी को अच्छा लगता है। मिनिस्टर भी उनको पूछते हैं। उनके लिए चाय की दुकानें और होटलों में खाने का प्रबन्ध किया जाता है। लेकिन जिस वक्त वह दिक्कत खत्म हो जाती है तो उस फौजी की इज्जत एक अदने से अदने आदमी से भी कम हो जाती है और अदने से अदने आदमी की सी भी इज्जत नहीं होती। पंचायत लेवल से लेकर राजस्थान के किसी भी विभाग में आप चले जाएं, आप यही देखेंगे कि उस फौजी की कोई कदर नहीं है। आज फौज के उच्च आफिसरों से कलेक्टर को मिलने के लिए समय नहीं है और यहां तक होता है कि कलेक्टर के आफिस से उनको धक्के लगाए जाते हैं।

(शेम, शेम)

मैं कहूंगा कि अगर आज सुभाषचन्द्र बोस हिन्दुस्तान के प्राइममिनिस्टर होते तो मेजर रघुवीरसिंह के मामले में चौपड़ के ऊपर फांसी का हुक्म हो जाता। मगर आज फौजी की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा और यह कहूंगा कि आप फौजी इलाकों से आए हुए हैं आपको मालूम है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने

Page No. 41

(श्री मदनसिंह दांता)

जिस समय फौजियों से पूछा था कि आपको क्या चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम मरेंगे देश के लिए मगर हम यह चाहते हैं कि हमारे बच्चों को घर पर देखते रहें। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि वह फौजियों की इस प्रकार दुर्दशा करती है।

आज भी राजस्थान के सिपाही सीमाओं पर डटे हैं मगर उनके घरों की क्या हालत है उनके यहां पर कोई आदमी नहीं, पीने के लिए पानी लाने के लिए नहीं और अगर कोई चीनी के परमिट के लिए चला जावे तो उसको चीनी तक नहीं दी जाती है। मैं निवेदन करूं कि एक बड़ा शो हुआ था उसमें राजबहादुर मंत्री भारत सरकार के पधारे थे। उस समय उनके सामने फौजियों के एक बड़े ग्रोफिसर ने कहा कि हमें कहीं भी लड़ाई में मरवा दीजिए मगर पटवारियों के हाथों से मत मरवाइए।

आज आपके पास कई पोर्टफोलियोज़ हैं जहां पर आप फौजी को नौकरी दे सकते हैं। ऐसे कई फौजी ग्राफिसर्स हैं जो बी. डी. ग्रो. की पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। मगर उनको काम नहीं दिया जाता है।

आज तकाबी और इरिगेशन में उनको कोई फेसिलिटीज़ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोगों की रिपोर्ट आती है, फौजियों की यह रिपोर्ट आती है और इस प्रकार की चर्चा होने लगती है। जब सिपाही बात करता है और दूसरे प्रान्त के सिपाहियों के पास चर्चा करता है तो वे लोग यह कहते हैं कि राजस्थान गवर्नमेन्ट कैसी है? जहां तक हमारे पास में पंजाब प्रान्त है वहां फौज के जवानों की क्या इज्जत है उसको देखते हैं तो मालूम होता है कि वहां पर फौजियों की बड़ी इज्जत है और उनको जमीन दी है और वहां कई बातों का उनके लिए प्रबन्ध किया है। मगर समझ में नहीं आता कि जब गवर्नमेन्ट के ग्रॉर्डर हैं तो हमारे यहां पर उन ग्रॉर्डरों पर अमल क्यों नहीं किया जाता है। मेरे पास मिसालें हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे काम हैं जिसके सम्बन्ध में आपको बताऊंगा कि कलेक्टर ने मुख्य मंत्री के पत्र को नहीं माना और उसका अपमान किया। चीफ मिनिस्टर वहां यह लिखते हैं, 27 जून 1966 को, "आदरणीय महोदय शर्मा,

"मुख्य मंत्री जी को श्री बुद्धसिंह नायब सुबेदार की ओर से एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि आपको सेवार्थ प्रेषित है। आदेशानुसार निवेदन है कि श्री बुद्धसिंह इस समय पर सीमा पर तैनात है और उनकी अनुपस्थिति में यदि उनकी भूमि पर किसी ने अनधिकृत अधिकार कर लिया तो उनके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।"

लेकिन मैं समझता हूं कि साथ साथ मुख्य मंत्री के ग्रॉर्डर का पालन नहीं होने से मुख्य मंत्री के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा कि उनके नीचे के अधिकारी कलेक्टर और दूसरे अधिकारी हैं वे भी उसी चीज़ पर विचार करेंगे और आदेश नहीं मानेंगे। यह विचार ने की चीज है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं फौजियों के सम्बन्ध में पहले भी कह चुका हूं। भगवान न करे, यदि उनके भावों में कोई ऐसी चीज़ आ जावे जिसको लेकर अपमान के कारण भयंकर क्रांति देश में पैदा हो जाए जैसा आज हुआ

(श्री मदनसिंह दांता)

17 ऐसे देशों में देखते हैं कि फौजियों की बेइज्जति करने से फौजी शासन वहां कायम हो गया।

और बेइज्जत इस सेंस में नहीं होना चाहते चीनी का परमिट लें और रिश्वत दें। आज राजस्थान के फौज में जो लोग हैं उनके प्रति राजस्थान में न प्रेम है, न इज्जत है। इस तरह से उनके मनोबल पर फर्क पड़ सकता है, पड़ भी रहा है। फस्टेशन उनमें है।

इसलिये मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय, और सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा और कांग्रेस में भी ऐसे सदस्य हैं जो फौजी इलाके से आये हैं और कुछ फौजी भी हैं। अगर वे मेरे साथ मुख्यमन्त्रीजी को सजेशन दें तो उनका भला हो सकता है। अन्यथा मन्त्रियों के आर्डर से तो कुछ नहीं होगा।

मेरा सजेशन है कि इसके लिये एक सेपरेट मिनिस्टर होना चाहिये। इसका डिपार्टमेंट भी अलग होना चाहिये। और सोल्जर्स बोर्ड से सीधा सम्बन्ध होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान सरकार भारत सरकार से एप्रोच करे कि कम से कम पांच ऐसी असेम्बली कान्स्टीट्यूएन्सी होनी चाहिये जिनमें से केवल फौजी ही कन्टेस्ट कर सकते हों जैसे कि हरिजन सीटें हैं। अन्यथा····

श्री अध्यक्ष : सरकार को एप्रोच करने से क्या होगा ? यह प्रश्न तो संविधान का है।

श्री मदनसिंह दांता : यह प्रोब्लेम ऐसी है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। जागीर कमिश्नर की एक पोस्ट कम हुई, मैं समझता हूं कि इस महकमे के बजाय जागीरदारों के राहत मंत्री कमिश्नर थे उस तरह से फौजियों के लिये भी कोई कमिश्नर की पोस्ट हो बना दी जाय और रिटायर्ड सोल्जर रखा जाय तो अच्छी बात है।

जब तक फौज है तब तक लोग रिटायर होंगे और जब तक संसार में फौज है उनका काम होता रहेगा। यह जागीरदारों जैसा प्रोब्लम नहीं है कि मुआवजा देकर सन्तुष्ट करा देंगे। यह तो हमेशा का प्रोब्लम रहेगा। इसलिये इसका स्थायी प्रबन्ध करना होगा।

पर आपका प्रबन्ध कुछ नहीं है। 10/15 हाउसिंग स्कीम के अलाटमेंट का सवाल है। नाम और बताना चाहता हूं मैं। जो लोग उनके साथ बैठते उठते हैं, उनके मुंह लगे हुए हैं वे बनादन जमीनें ले रहे हैं पर उनको नहीं मिलती। 23 ऐसे केस बताता हूं जो सूबेदार तक की रैंक के हैं। उनके जांच फार्म्स रिजेक्ट कर दिये। एप्लीकेशनों का भी पता नहीं। उनको मकान नहीं मिला। जमीन नहीं मिली। हमारे पास आये थक कर। और हमने उनसे कहा कि भाई फौजी तो हमेशा मौत का सामना करते रहे हैं। अपने लिये तो श्मशान भूमि में जगह है। बड़कों की अपनी श्मशान भूमि में इतना आराम रहा है कि उसके बराबर जमीन वहीं नहीं है।

सूबेदार देवसिंह	सू. प्रेमसिंह
बनेसिंह	भाग.रथसिंह
बाघसिंह	प्रेमसिंह
रघुनाथसिंह	गणपतसिंह
हरिसिंह	धनपतसिंह
पेमसिंह	राजेन्द्रसिंह
त्रिलोकीसिंह	जसवन्तसिंह

मूलसिंह बलभक्तसिंह
रामसिंह हरिसिंह
उम्मेदसिंह

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनमें ब्रजसुन्दर का भी नाम होता तो मिल जाता। सभी सिंह ही सिंह हैं।

श्री मदनसिंह दांता : ब्रजसुन्दर का भी है, उनको भी नहीं मिला। और वे अपने झोंपड़े बना चुके हैं। इस पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने आदेश दिया और पुलिस भेजी गई कि इनको झोंपड़ों से हटाया जावे।

श्री विजयसिंह रावत : पुलिस भेज दी।

श्री मदनसिंह दांता : इस तरह पुलिस भेजकर श्मशान भूमि से हटाने की कोशिश की है। जो श्मशान भूमि न उनकी है, न कांग्रेस की है, न कांग्रेस के बड़कों की है।

अध्यक्ष किसी का अधिकार नहीं है उस पर। वही एक जमीन है ऐसी। श्मशान ही एक ऐसी जमीन है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : उस पर फौजियों का ही कब्जा है, वहीं रमते हैं। वहां उनके पक्के हाउसेज बन गये हैं। इसलिये आपके मार्फत निवेदन है मेरा कि उनको जगह बतावें। सिविलियन भी हैं वहां पर उनको नहीं उठा सकते वे। क्योंकि उनसे पैसे मिले हुए हैं। पर फौजी ने चूंकि पैसा नहीं दिया इसलिये उसी के लिये कठिनाई हो रही है। तो मैं निवेदन करूं कि उनको अगर वहां से हटाया जावेगा तो इसका विरोध होगा।

आज तक मैं नहीं चाहता था, अध्यक्ष महोदय, कि इस तरह से विरोध होता चाहिये। फौजियों को लेकर विरोध का—आन्दोलन का काम हो यह मैं अच्छा नहीं मानता। पर बार बार कहने बुझाने पर भी व्यवस्था अगर नहीं हुई तो मजबूरी है। फौजी आन्दोलन होगा। और अगर यह होगा तो कोई चौधरी कुम्भाराम का आन्दोलन नहीं होगा। वह चलने के बाद रुकेगा नहीं। मैं स्पष्ट अर्ज कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : उसमें क्या फर्क है?

श्री मदनसिंह दांता : वह जमकर चलेगा और नतीजा हासिल करके रुकेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सदस्यों को भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सीरियसली सोचें। मैं माननीय भैरोंसिंहजी को भी अर्ज करूंगा कि आपने पहले इसको छेड़ा है। आपके पास इसके आंकड़े हैं कि फौजियों के साथ कितना जुल्म हुआ है। यह अधिकार मैं आपको देता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे होगा। मेरे अधिकार आपने आपको दे दिये।

श्री भैरोंसिंह : आपको मार्फत ही मेरे को मिला है।

श्री मदनसिंह दांता : आपके मार्फत ही है। खेतसिंहजी को भी देता हूं पर वे मजबूर हैं। वे बता नहीं सकते बेचारे। छिप के दबे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय रूल्स पढ़ लिये हैं मैंने पहले ही।

Page No. 44

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि आपको समय देने में मुझको कोई संकोच नहीं है पर समय कम से कम लिया जावे। यह चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : दो मिनिट मुझे भी दिये जावें ?

श्री अध्यक्ष : आपको भी नजर करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में फौजियों की जितनी संख्या है वह पांकड़ों के आधार पर कह सकता हूं कि देश के अन्य भागों से अन्य सभी राज्यों से ज्यादा है और यदि यह कहा जावे कि राजस्थान यदि फौज के लिये सैनिक नहीं दे तो हिन्दुस्तान की फौज में बहादुर नौजवानों की जबर्दस्त कमी आवेगी।

जहां फौज हमारे देश की रक्षा करती है वह हमारा परम धर्म है कि हम फौज के स्वार्थों की रक्षा करें। जितना हम फौज को खुश रक्खेंगे, जितना हम उनके स्वार्थों की रक्षा कर सकेंगे उतने ही वे देश के लिये अपना जी जान लगाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह स्वाभाविक बात है। फौजी जब मैदाने जंग में जाता है तो उस समय वह अपने परिवार के लोगों को भूल जाता है और भूल कर ही कुरबानी की स्थिति में आता है।

पर यह भी स्वाभाविक है कि लड़ाई लड़ने वाले फौजी के मस्तिष्क में कई बार इस बात की भी चिन्ता व्याप्त होती है कि अगर मर गया तो मेरे पीछे मेरे परिवार वालों की हालत किस प्रकार की होगी। यह चिन्ता किस प्रेरणा से समाप्त होती है या किसी विश्वास से समाप्त होती है। यह प्रेरणा और विश्वास अगर हम दे सकें तो अच्छा है नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हम न वह प्रेरणा दे पाये हैं न विश्वास उनके मस्तिष्क में उत्पन्न कर पाये हैं। हमारे कारनामों ने उल्टा अविश्वास ही पैदा किया है। कहने में हमने बहुत कुछ कहा है। राजस्थान की अगर तारीफ की जावे तो एक बात की। जब भी राज्य सरकार को मौका मिला प्रचार करवाने का तो आदेश भी निकाल दिये, प्रचारात्मक साधन भी जुटाये, विज्ञप्तियां भी निकलवाईं, कई प्रकार के नियम भी बनाये और जो भी कागजी काम हो सकता था उसके करने में हमारी राजस्थान सरकार किसी से पीछे नहीं है। लेकिन यह भी मैं कहूंगा कि हमारी सरकार के मस्तिष्क में यह कभी नहीं आया कि वास्तव में कुछ किया जाय यह मैं विश्वास से कह सकता हूं। पिछले दो तीन सालों में सदन में भी काफी प्रश्न इस बारे में उठाये गये, पर सरकार की ओर से उनका सन्तोष-जनक उत्तर नहीं मिलता था। हम उस समय यह समझते थे कि सरकार को समय नहीं मिल रहा है। समय मिलते ही तो कुछ करने की कोशिश करेगी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के लिये समय का बहाना मात्र था। आज समय मिल रहा है। पर उनके ग्रीवेन्सेज कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। तो मेरी धारणा बन रही है कि राजस्थान सरकार मार्शल रेसेज के खिलाफ है। उसके कर्म और उसकी प्रवृत्ति आज मार्शल रेसेज के खिलाफ बनती जा रही है तो फौजियों में इससे असन्तोष बढ़ता है।

राजस्थान में मार्शल रेसेज की कमी नहीं है। बढ़ती ही रहती है। कमी नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

है । कुरबानी करने वालों की कमी नहीं है। पर यदि कमी है तो सरकार की मनोवृत्ति की कमी है। वह मनोवृत्ति मार्शल रेसेज के खिलाफ बनती जा रही है। उसी का परिणाम है आज राजस्थान की सरकार ने नियम बनाये, कानून कायदे बनाये, आदेश निकाले, विज्ञप्तियां जारी कीं, कितनी ही हिदायतें भेजीं इसके बावजूद भी फौजियों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिये थी वे नहीं मिलीं।

इस सम्बन्ध में ज्यादा ताज्जुब तो उस दिन हुआ जब राजस्थान के एक मन्त्री महोदय सदन में पेन्शन होल्डर्स के लिये उत्तर दे रहे थे और अप्रेल 66 की रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी तो इस रिपोर्ट के बारे में उनसे मालूम हुआ कि उस रिपोर्ट को राजस्थान के मन्त्री मण्डल में से किसी सदस्य ने नहीं पढ़ा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और शोचनीय बात और क्या हो सकती है। मोटे-मोटे राजस्थान के ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर के जनरलों और कर्नलों ने यहां की स्थिति को स्टडी किया, ग्रीवान्सेज को देखा सुना और इसके बाद इनकी रेमिडी क्या क्या हो सकती है यह उन्होंने उस रिपोर्ट में सजेस्ट किया। इन सारे सजेशनों के ऊपर भी राजस्थान सरकार एक साल तक कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकी। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और नहीं हो सकती।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं इसके प्रमाण मे उस रिपोर्ट के तीन एक्ट पढ़ कर सुनाऊंगा। इसमें लिखा है :

"However, in spite of Government's sincere desire and pious intentions to provide maximum relief to soldiers and their families and the ex-servicemen, it transpired that their lot and their living conditions left much to be desired and it was apparent that there was a great shortfall in Govermmet's desire and intentions and their implementation."

यह तो फौजी अधिकारियों की रिपोर्ट है। जिसमें लिखा है कि गवर्नमेंट की करनी और कथनी में रात-दिन का अन्तर है। जमीन के अलोटमेंट का प्रश्न आया था, उस समय भी मैंने कहा था, उसी का एक रेफरेंस है वह पढ़ कर सुनाता हूं।

"It is not only the case that possession of land allotted in ordinary allotment cases is not given or delayed inordinately, but even in the case of Inam land, given for gallantry, meritorious services or decorations, possession is not given expeditiously or even within a reosonable time. There are many cases of officers as well as ordinary ranks where possession has not been given even after the expiry of 10 or 15 years from the date that the grant was made."

अब इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? इसके बाद प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि इनकी मनोवृत्ति धीरे धीरे बनती जा रही है जिससे फौजी अधिकारियों के लिये जो भी घोषणा की जाय उनको

Page No. 46

(श्री भैरोंसिंह)

किसी भी प्रकार की सहूलियत मिले यह सरकार के लिये चिन्ता का विषय नहीं। इसी आधार पर, अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा चाहे उनको लैंड अलॉटमेन्ट का सवाल हो, आबादी की लैण्ड हो या एग्रीकलचर लैंड हो, उनको सर्विसेज में लेने का सवाल हो, उनके बच्चों के लिये स्कॉलरशिप देने का सवाल हो, और और सहूलियतें देने का सवाल हो, क्या राज्य सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सके कि इतने प्रार्थना पत्र आये, इतनों का डिसपोजल हुआ, इतने का अलॉटमेंट हुआ इतने लोगों को रियायतें दी गईं, उनके लिये बजट में इतना प्रोविजन रखा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार केवल इस बात की चिन्ता करती है कि उनकी कुर्सी किस प्रकार से सुरक्षित रहे। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय, को निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा प्रान्त सीमावर्ती क्षेत्र है। हमें पुलिस के सिपाहियों को फौज के सिपाही के बराबर समझ कर अपनी रक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये और उनमें भी उसी प्रकार का उत्साह पैदा करना चाहिये। आज हमारे लिये यह भी दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस के सिपाही की तो क्या हम फौज के सिपाही की भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। आज बाहर के गांवों में कन्ट्रोल का गेहूँ उनको नहीं मिलता, चीनी का कोटा नहीं मिलता। आज राजस्थान मन्त्री मण्डल में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिनका मकान नहीं उसके उपरान्त जयपुर में जमीन ले ली, अग्रीकलचर लैंड ले ली रिहायशी प्लाट्स ले लिये ऐसे मंत्रीगण भी हैं जिन्होंने बेनामी तौर पर केनाल एरिया में जमीने ले ली। इस तरह से किसी न किसी प्रकार से नाजायज तौर पर आपने लाभ उठाया है लेकिन जब फौज के सिपाही का सवाल आता है आपको कोई चिन्ता नहीं। आज हम पाकिस्तान की लड़ाई की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, चीन से हमारा संघर्ष है आपको इन सब बातों की चिन्ता नहीं केवल चिन्ता यह है कि हमारी कुर्सियें किस प्रकार सुरक्षित रहें।

आज एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, इजरायल ने अरब राष्ट्रों को सबक दिया है। मैं आपको यह चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि आज आपके फौजियों में यही निराशा बनी रही और उन्होंने किसी प्रकार का कदम उठाना शुरू कर दिया तो राजस्व मंत्री महोदय आपका बून्दी तक पता नहीं चलेगा आप कहीं जाकर छिप जाओगे। आप फौजियों के साथ भी इसी प्रकार खेल खेलने जा रहे हैं। आज नगर-पालिका का चेयरमैन है वह वहां के स्वीपर की उपेक्षा नहीं कर सकता लेकिन राजस्थान सरकार फौजियों की उपेक्षा करती जा रही है। आप फौजी अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लें। आप टूर में जाते हैं अपने इलाके में फेमीन के काम को देखने के लिये जाते हैं किसी पटवारी का ट्रान्सफर करवाना हो तो उसके लिये चले जाते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर के ट्रान्सफर के लिये अपनी मोटर दौड़ाकर चले जाते हैं, लेकिन आपने कभी टूर में जाते हुए उस इलाके के फौजियों को बुलाकर पूछा कि आपको क्या तकलीफें है, आपको पेन्शन मिलती है या नहीं। यह कोई करने की चेष्टा नहीं करता। आज सर्विसेज के अन्दर जो रिजरवेशन दे रखा है उसको एक परसैन्ट भी कम्प्लायेन्स नहीं हो रही है।

(श्री भैरोंसिंह)

आप यह करके फौजियों को यह दिखा देना चाहते हैं कि हम उनका शोषण करना चाहते हैं ये किताबें जो आपके द्वारा प्रकाशित हो रही हैं उन किताबों को आग लगा दी जायगी, मौका आयगा तो फौजियों की ताकत इस रद्दी मन्त्री मन्डल को खड़े-खड़े आग लगा देगी। आज फौजी का तमाशा करने वाले व्यक्ति राज्य कर रहे हैं। आज आपके सिविल सर्वेन्ट्स का यह हाल कि कोई फौजी उनके पास जाये तो उससे बात तक न करे। आज फौज का कितना बड़ा अफसर हो आपके अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। आज वह बैंच पर बाहर बैठा रहता है, जिनको घंटों-घंटों इन्तजार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हमने वह जमाना भी देखा है—अंग्रेजों के जमाने में फौजी अधिकारी यदि किसी अफसर के सामने चला जाता हो उस अफसर की पिन्डलियां कांपती थीं। लेकिन आज फौजी की कोई इज्जत नहीं। आज हमारे देश में अगर फौज की इज्जत बढ़ती है तो सरकार की इज्जत बढ़ती है। हमने देखा चीन की लड़ाई में हमें मुंह की खानी पड़ी जो हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी हमारी फौज नहीं हारी। कच्छ के रण में हमें मात खानी पड़ी। यह सब क्यों हुआ? अगर हम फौजियों का सम्मान बढ़ायेंगे तो हमारा सम्मान भी बढ़ेगा, देश का सम्मान बढ़ेगा तो हमारा सम्मान भी बढ़ेगा। फौजियों का सम्मान घटेगा तो हमारा सम्मान भी घटेगा, देश का भी सम्मान घटेगा। राजस्थान सरकार फौजियों का सम्मान घटाकर देश का सम्मान घटाने पर तुली हुई है। सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है फौज के लोग उधर भी हैं और इधर भी हैं। इस विषय में हम सब साथ मिल कर राज्य सरकार पर दबाव डालें ताकि वे फौजियों की ग्रीवान्सेज हैं उनको मीट कर सके। अगर वे मीट नहीं करते हैं तो वैधानिक हथियारों से दबाव डालें ताकि इस सारी समस्या का समाधान हो सके। फौजियों के लिये जो इन किताबों में लिखा है उन्हीं का पालन हो जाय तो भी बहुत है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस करप्ट गवर्नमेंट से जो उन्होंने रूल्स बनाये हैं उनको इम्पलीमेंट कराया जा सके।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं उसमें आज 9 हजार फौजी नौकर हैं। 4½ हजार पेन्शनर हैं। रात दिन उनसे मिलने का इत्तिफाक होता है। सही परिस्थिति है अध्यक्ष महोदय, उन फौजियों के दिमाग में बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। उनके हित में राजस्थान सरकार का बरताव अच्छा नहीं है। मैं खास तौर से आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो एलान आप करते हैं, आपकी जो घोषित नीति है वह तो पूरी होनी ही चाहिये। मुझे कहते हुए बहुत ही अफसोस है कि परमवीर मेजर शैतानसिंह के लड़के के लिये मुख्य मन्त्री महोदय ने एलान किया था कि इनको शिक्षा मुफ्त दी जायगी लेकिन हकीकत यह है कि ऐलान के बाद में, आदेश मिलने के बाद में संचालक शिक्षा विभाग ने उन आदेशों का पालन नहीं किया है। उनके लड़के से फीस ली गई इसका नतीजा यह हुआ कि उसको पढ़ाई छोड़ कर घर बैठना पड़ा।

(श्री खेतसिंह)

आपका यह भी आदेश था कि मेजर शैतानसिंह के परिवार के भरण पोषण के लिये दो मुरब्बा जमीन दी जाय। यह आदेश बिलकुल ठीक थे उनको दो मुरब्बा दिया गया लेकिन वे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में दिये गये कि उस पर काश्त करने में बड़ी परेशानी हुई है। कितनी बुरी बात है कि जिसने राजस्थान का ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया, अगर उसके परिवार के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जाय तो दूसरे का क्या हाल हो सकता है ?

इसी प्रकार मैं एक दूसरा उदाहरण आपके समक्ष मेजर मेघसिंहजी का देता हूं। मेजर मेघसिंहजी ने बहुत अच्छा नाम किया और राज्य सरकार ने उनकी बहुत सराहना की है। वे छुट्टी में आये हुए थे तो मेरे पास मिलने आये। मैं उनके शब्दों को बयान करूंगा कि वे कितने फ्रस्ट्रेटेड थे। उनके काम की सराहना में भारत सरकार ने उनको "वीर चक्र" का एवार्ड दिया उनकी आज यह परिस्थिति है कि वे जोधपुर के कलेक्टर से मिलना चाहते थे लेकिन उनको उन्होंने समय नहीं दिया। (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जमीन के बारे में कई दरख्वास्तें दीं लेकिन उनका आज तक जवाब नहीं। (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) यह कोई अच्छी बात नहीं है।

इसी प्रकार से थोड़े दिन पहले मैं बीकानेर गया तो वहां पर मेजर पूरणसिंह जी की बेवा मिली। वे पर्दानशीं औरत हैं कहीं पर जा नहीं सकतीं। उन्होंने कितने ही खतो-किताबत किये और जो एवार्ड उनको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। (विपक्ष की ओर से शेम, शेम)। ये सारी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं फौजी क्या सोचता है उससे अच्छी तरह से परिचित है, क्योंकि आपके स्वयं के घर में फौजी हैं जब वे छुट्टी आते होंगे तो आप से बातचीत होती होगी और वे बताते होंगे कि किस तरह से फौजियों के साथ में सिविल सर्वेन्ट्स का बरताव होना चाहिए, और जैसा उन्होंने कहा, भगवान बचाये वह परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन फौजियों के फ्रस्ट्रेशन को मिटाना सबका फर्ज है। उनको सहूलियतें जो राज्य सरकार ने दी हैं उनका पूर्णतया पालन होना चाहिए।

जो आपने एक कमेटी बनाई थी और जिसका मैं भी एक मेम्बर था तो कई दिनों तक कोशिश करके आपके पास उसकी रिकमनडेशन्स भेजी हैं लेकिन आज तक उन पर कुछ नहीं हुआ है तो यह शर्म की बात है (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कमेटी की रिकमन्डेशन्स को कितना माना है और कितना वह नहीं मानती है, किन सिफारिशों को ठीक समझती है और किनको नहीं और उनके बारे में राज्य सरकार क्या कर सकती है तो जो कुछ करना है वह निश्चित समय में करें और जल्दी करें। फौजियों को सहूलियतें दें। आज जब फौजी छुट्टी पर आता है तो राशन उनको मिलता नहीं है, शक्कर मिलती नहीं है। मकान पर छत लगाने के लिए उनको पतरे नहीं मिलते हैं कन्ट्रोल से। इन चीजों के लिए जब प्रश्न होता है तो यह सबके लिए अच्छी बात नहीं

(श्री खेतसिंह)

है । इसलिए इन सारी चीजों को जो बहुत ही मामूली सहूलियतें हैं जिनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं । इनकी ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दें ।

साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि पेंशन समय पर मिले और उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो । वे आपके अफसरों के पास जायं तो उनकी इज्जत रहे । ये सारी बातें देखने की आपकी जिम्मेदारी है । यह ठीक है कि जिस वक्त में रियासती राज्य थे तो फौजियो की कद्र हुआ करती थी । वे जब अफसरों के पास जाते थे तो उनके रैंक के हिसाब से उनको इज्जत दी जाती थी । आज चाहे कर्नल हो, चाहे ब्रिगेडियर सिविल सर्वेन्ट्स उनको इज्जत नहीं देते हैं । उनको समय नहीं देते हैं और उनकी बात नहीं सुनते हैं और उन पर कार्यवाही नहीं करते हैं । ये सारी बातें हैं जो उनके दिमाग और दिलों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इन बातों पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावत !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एक्स्ट्रेक्ट एक रिपोर्ट में से पढ़ा था उस रिपोर्ट का नाम मैंने नहीं बताया था और वह प्रोसीडिंग में नहीं आ सका था इसलिए मैं उस रिपोर्ट का नाम बताना चाहता हूं वह है रिपोर्ट आफ दी स्टडी ग्रुप फार द वेलफेयर आफ दी सर्विस परसोनेल, 1966।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि इस छोटी सी उम्र में भारतवर्ष के ऊपर तीन हमलावरों ने हमले किये उस समय मैंने सीने से सीना लड़ाकर युद्ध किया है । इस छोटी सी उम्र में ही मैं राजस्थान सरकार का एक अंग बन कर यहां पर आया हूं । मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार चलाने के लिए जो जिम्मेदार हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं तो देश की स्वाधीनता के लिए वे प्रतीक और जिम्मेदार हैं । उनके दिमाग के अन्दर यह नहीं बैठता है कि फौजियों को क्या कठिनाइयां होती हैं । अगर आप चीन की लड़ाई के अन्दर, माउन्टेन्स पर जहां माइनस 14 डिग्री फार्नेहाइट का टेम्परेचर होता है वहां कि 15-15 दिन तक भोजन नहीं मिला पर्याप्त रूप से, जहां पर एम्युनिशन्स, शस्त्र नहीं थे, जहां पर वस्त्र नहीं थे, होते तो आपको पता चलता । भारत की अन्दर की जनता ने उन लोगों के लिए वस्त्र भेजे कई चीजें भेजीं, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने उन चीजों को हमारे तक नहीं पहुंचाया ।

वहां से लड़ने के बाद जो फौजी वापिस आये तो उसके बाद का मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको हाल सुनाता हूं तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में जो थे उसमें 32 आदमी थे तो उसमें से 6 वापिस लौटकर आये तो उन 6 के अन्दर में से भी दो तो अस्पताल में भरती हुए जिनके शरीर में से 14-14 बुलेट्स निकलीं और उन लोगों को टी.बी. और ट्यूबरक्लोसिस हो गई तो उनके फेफड़े निकाल दिये गये और वे लोग जिनमें एक तो सोल्जर है और एक हवलदार है जिनका यहां पर केस श्री मदनसिंहजी ने रखा है कि उनको जमीन का अलॉटमेंट हुआ था कोटपूतली के अन्दर तो उस जमीन को वापिस ले लिया जाता है । फौज से वापिस आए तो उनको टी० बी० हो गई और न जाने कितनी बीमारियां हो गई

(श्री विजयसिंह रावत)

और उस हालत में वे डिसएबल्ड हुए तो उन के बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं, दूसरी सुविधा नहीं। उनकी जमीन पर गैर–कानूनी तौर से जो सिविल ऑथॉरिटी है या जो सिविल के आदमी हैं कब्जा जमा लेते हैं तो यह बड़े खेद की बात है।

दूसरा हमला गोआ का हुआ तो उसमें मैं भी था और सालाजार की सेना के सैनिकों को बन्दी बनाने के लिए निकले और व्हाइट झण्डा दिखाने के बाद भी हमने फायर बन्द कर दिया तो 17 में से 7 आदमी बचे और 10 आदमी 5 मिनिट में ही खत्म हुए तो उस आग की ज्वाला को मन्त्री महोदय देखें कि एक इन्सान की जिन्दगी का मापदण्ड क्या होता है और उसकी कीमत क्या होती है। अफसोस की बात है कि जब ये बातें सुनता हूं तो लड़ाई का टाइम याद आ जाता है। खास तौर से मेरे दिमाग में यही चीज थी कि क्वालिफाइड होते हुए भी मैंने सिविल सर्विस नहीं कर मैं राजनीति में पड़ा। जो जवान हमारे देश की स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए अपने तन-मन-धन को लेकर जाता है, अपने रिश्तेदारों को अपने मां-बाप को सब चीजों को भुला कर जाता है तो वहां पर उसके सामने do and die ही रहता है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। उस चीज़ को मान्यता नहीं देते हैं, उस चीज के लिए मंत्री महोदय कहते हैं कि जैसा दूसरों के साथ किया जायगा वैसा ही करेंगे। यह बड़े खेद की बात है।

मैं बताता हूं कि जहां पर मिलट्री शासन रहा है जैसे कि गोआ में प्रबन्धक रहे थे जनरल चौधरी तो वहां की जनता आज भी फौज को याद करती है कि वह मिलट्री शासन हमारे लिए लाख गुना अच्छा था। वहां के सिविल क्रिमिनल्स को दो महीनों के अन्दर हटाया गया। जब फौजी सड़कों पर से गुजरते थे तो सड़कें साफ हो जाया करती थीं। ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो। जिस सरकार के मंत्री करप्ट हों, जिस सरकार के मंत्री करप्ट हों जिस सरकार के मन्त्री ×× जो इस देश को खत्म कर रहे हैं कैसे फौजियों की, वीर चक्र प्राप्त करने वालों की कद्र कर सकते हैं!

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज कर दें जो × ×× का शब्द है उसको।

श्री विजयसिंह रावत : पाकिस्तान से लड़ाई हुई। मैं था उसके अन्दर। उसके बाद नेफा में गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा में आया और ब्रह्मपुत्रा को नीचे डुबो दिया। मैं समझता हूं कि हम उस वक्त किन कठिनाइयों में थे वे बातें सदन के सामने डिस्क्लोज करने की नहीं हैं। दे आर टॉप सीक्रेट्स। लेकिन उस वक्त ये मंत्री होते तो पता चलता कि फौज के अन्दर क्या बीतती है और कलेक्टर और सेक्रेटरी जो यहां पर बियर पीकर धांधलियां करते हैं उनको पता चलता कि क्या कीमत होती है।

जहां पर मिलिट्री का शासन हुआ है तो उसका सबसे बड़ा मूल कारण यह रहा है कि वहां की सरकार का दुराचार फौजियों के साथ में था। मैं इंग्लैंड की बात बताता हूं जहां मैं 28 महीने ट्रेनिंग के लिए रहा तो वहां के एम. पी. और प्राइम मिनिस्टर

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री विजयसिंह रावत)

और एलिजाबेथ भी जहां पर फौजी मिल जाता है तो कार रोक कर उसकी ड्रेस को चूमते हैं। यही कारण है कि एक छोटे से इंग्लैंड ने सारे संसार पर राज्य किया है, क्योंकि वे फौजियों को इज्जत देते हैं। लेकिन आज हमारे यहां न उनके लिये अनाज के लिए व्यवस्था है, न उनके लिए शक्कर की व्यवस्था है। मुझे अफसोस है कि मेरी बात पर मंत्री महोदय हंस रहे हैं जैसे कि कोई ××××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह एक्सपन्ज किया जाय × × × ×

श्री विजयसिंह रावत : मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह का व्यवहार रहेगा और फौजियों के साथ में इसी तरह की हरकतें जारी रहेंगी और राज्य सरकार ने जो भी सहूलियतें दी हैं उनके क्रियान्वयन देखेंगी नहीं तो आप निश्चित मान कर चलें, आपको दावे के साथ कहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब कि आपको छिपने के लिए टनल्स नहीं मिलेंगे, जगह नहीं मिलेगी, आपकी कारें गायब हो जायेंगी, आपकी सल्तनत खत्म हो जायगी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं यह निवेदन इसलिए करता हूं कि मेरे ऊपर भी गोलियां चली हैं, मेरे भी निशान हैं। वे फौजी आग से खेलते हैं। आग के अंदर इन्सान को पूरी कीमत मालूम पड़ती है। तो आज यही चाहते हैं कि राज्य सरकार उन फौजियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो असुविधायें होती हैं, जो बाधायें हैं, उनको निश्चित रूप से मिटाने के लिये कारगर कदम उठाये जिसके कारण फौजी तन मन धन से दुश्मन को मारकर वापस आए और न कि पिट कर वापस आए।

श्री आलम अली (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूं। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, अभी मुझ से पहले वक्ताओं ने जो बातें कहीं मैं उनका पूरी तौर से समर्थन करती हूं। आज हमारे सैनिकों के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, उनके दिमाग में अभाव अभियोग हैं वे मैं सदन के सामने रखना चाहती हूँ। जब कोई सिपाही शहर में मकान बनाता है और परिवार के साथ बाहर चला जाता है, तो वह अपना मकान निःसन्देह किराए पर दे जाता है। फिर उनको नॉन-फेमिली स्टेशन मिल जाती है और वह अपने परिवार को वापिस भेजता है, किराएदार उसमें रहने लग जाता है, वह मकान खाली नहीं करता और फिर पति की गैर हाजिरी में, जाने पति कहां पहाड़ों पर ड्यूटी देता रहता है, तो उनके परिवार को दिक्कत आती है। ऐसा ही सवाल कुछ दिन पहले आया था। मैं कई जगह गई लेकिन जो आपने कानून बनाया है, उस कानून के अनुसार उनकी पत्नी को, बच्चों को अपने मकान में रहने का मौका नहीं मिला, न जाने उस परिवार को कितनी दिक्कतें मिलीं। तो ऐसे कानून में सुधार करना निहायत जरूरी है। मुझे एक किस्सा याद आता है। जिन दिनों हमारी चीन के साथ लड़ाई हो रही थी, हमारे फौजी जवान लद्दाख की बर्फ में बैठे

××××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

रहते थे, उनको भी अपने घरों की याद आती होगी, उन दिनों दूसरे राज्यों के यहाँ से कई तरह की पार्टियां जाती थीं मनोरंजन के लिए, मंत्री भी जाते थे, नेता लोग भी जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनकी खैर खबर पूछने के लिए और कई गायकों की पार्टियां मनोरंजन के लिए जाती रहीं। मैं इस प्रश्न को लेकर मुख्य मंत्री से मिली। मैंने उनसे लिखकर निवेदन किया कि पंजाब की पार्टियां कई बार जा चुकी हैं. राजस्थान से कोई पार्टी नहीं गई, इससे हमारे फौजी भाइयों के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है कि हमारे राज्य में हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने उस पर इजाजत दी कि संगीत नाटक अकादमी से ऐसा कोई प्रबंध किया जाय। अध्यक्ष महोदय, उन दिनों आप शिक्षा मंत्री थे, शायद आपको भी याद होगा। आपने कुछ लिखा था लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है वह आपकी आशायें सारी की सारी रेड-टेपिज्म में धरी रह गईं। आखिर संगीत नाटक अकादमी से कुछ भी नहीं हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : दो तीन बार ट्रूप्स गए थे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : लद्दाख में नहीं गए।

श्री अध्यक्ष : नेफा में गए होंगे।

श्री विजयसिंह रावत : मैं लद्दाख में था, नहीं आए थे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : जब इतने लोग वर्षों से बर्फ में, सुनसान जगह में रहते हैं तो आप सोचें तो उनकी क्या स्थिति होगी। हमारे फौजियों को अपनी संस्कृति से प्यार है, अपनी भाषा से प्यार है, संगीत से लगन है। ऐसे समय में अगर यहां से कोई जाता तो उन लोगों को न जाने कितनी प्रेरणा मिलती। एक फौजी को और कुछ न चाहिए, उसको जोश चाहिए, प्रेम और अपनापन चाहिए, वह एक मिनिट में अपना सर काट कर देता है, इनकी भी छोटी छोटी भावनायें होती हैं। आज हमारे जवान के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई है और वह दिनों दिन बढ़ रही है। यदि सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहती हूं। हमारे देश में फौजियों की संख्या की दृष्टि से सबसे पहले पंजाब आता है। दूसरे नम्बर में राजस्थान। पंजाब में वहां सरकार ने उनके लिए कई प्रकार की सुविधायें दे रखी हैं। कई प्रकार से उनका खयाल रखा जाता है। मंत्रीगण उनकी इज्जत करते हैं। ब्यूरोक्रेसी उनकी इज्जत करती है और न जाने उस राज्य में कितनी प्रकार की सुविधायें मिलती हैं। मेरा निवेदन यह है कि पंजाब में राज्य सरकार ने उनको क्या क्या सुविधायें दे रखी हैं, वह जानकारी वहां से मंगाई जाय और राज्य सरकार यह कोशिश करे कि कानून के अनुसार और व्यक्तिगत तौर से फौजियों को वही चीजें दी जायं।

श्री मदनसिंह दांता : यही काफी है, अगर दे दें तो।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में राज्य सरकार..

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय खड़े हुए हैं, आप स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्य जो दांता रामगढ़ से पधारे हैं, उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की है, फौजियों की असुविधाओं के सम्बन्ध में भी उन्होंने चर्चा की है। मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हरेक देश की प्रभु सत्ता, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर है, Sovereignty of a state depends upon the attitude of its defence power.

सरकार की नीतियां चाहे कितनी भी हों लेकिन वे नीतियां कार्यरूप में परिणत नहीं होतीं और उनको कार्यान्वित न करने के कारण आज किसान, मजदूर, व्यापारी सब के सब बिल्कुल तंग हैं। अगर आप फौजियों की यह दुर्दशा करेंगे तो मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि, ऐसा न हो किन्तु, यदि देश पर कोई आपत्ति आई तो आपकी परम्परा, सरकार की परम्परा, मार्शल या फौजी परम्परा नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं कि आपकी धोतियां भी खुल जायं उस समय।

श्री भैरोंसिंह : इनकी धोतियों के लिए तो पुलिस ही काफी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारा इतिहास हजारों वर्ष का इतिहास है। कर्नल टॉड ने "एनल्स ऑफ राजस्थान" में कहा है It is the cradle of brave men and women.

मेरे खयाल से इस देश का अद्वितीय इतिहास है जिसमें जोहर की परम्परा रही है और ठेट कुंभा से लेकर आज तक टोटल वार कहें या स्कार्च्ड अर्थ पालिसी कहें, सर्वस्व बलिदान करके भी अपना स्वाभिमान कायम रखा है। ऐसे अनेक उदाहरण इस राजस्थान ने दिए हैं, यह राजस्थान का ट्रेडीशन है, राजस्थान की परम्परा है। तो जैसे माननीय सदस्या मेरे पूर्व बोल रही थीं, पंजाब के विचार, उसकी बहुत सी बातें आप ले सकते हैं। आप फ्रांस, इसराइल और यू. के. से भी ले सकते हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि विभाजन के पश्चात् आपकी गलत नीतियां रहीं, तिब्बत के समाप्त होने पश्चात गलत विदेशी नीतियां इन सब बातो को देखते हुए हम सच्चे रूप से नहीं देख सकते कि हमारे मित्र कौन ऐसे है जो हम पर खट्टी, फीकी, कड़वी और बुरी निगाहें डाल रहे हैं। ऐसी हालत में आज आप अपने फौजियों को ही सतुष्ट नहीं रख-सकते तो आप क्या कर सकते हैं? मेरा यही निवेदन है कि आपको चाहिये कि आप गम्भीरतापूर्वक इस बारे में विचार करें। और कोई ठोस सुझाव मैं नहीं देता लेकिन एक यह चीज साधारणतया कर सकते हैं कि आप सोल्जर्स बोर्ड को महत्व देकर केबिनेट से तालमेल एस्टेब्लिश करा सकते हैं। आप सोल्जर्स बोर्ड द्वारा सोल्जर्स की दिक्कतों को आसानी से और शीघ्र तिशीघ्र दूर कर सकते हैं। Where there is a will there is a way. आपको इस सम्बन्ध में कुछ करने की इच्छा है तो आप करें और आपकी इच्छा नहीं है तो, मेरे खयाल से, दिन ब दिन बुरी से बदतर हालत होती जावेगी। तो मेरे खयाल से हमारी सुरक्षा और स्वतन्त्रता खत्म होकर आप तो जहन्नुम में जावेंगे ही किन्तु हमारे देश को भी जहन्नुम में पहुंचायेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सरकार से निवेदन है कि आपके बहरे कानों पर यदि यह प्रश्न किसी प्रकार भी पहुंच

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सकता है तो आप इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ प्राथमिकता देकर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री आलम अली : अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक्स सर्विस मेन हूं। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि हाफ एन आवर डिस्कशन होता है उसकी जगह एक घंटा हो गया और उसके बाद एक घंटे से सवा घंटा हो गया।

श्री अमीलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति पैदा हो गई है उसके लिए कोई सुनता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री आलम अली : अध्यक्ष महोदय, मैं सोल्जर्स के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : रेगुलर डिबेट नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री अमीलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, · ·

श्री आलम अली : अध्यक्ष महोदय, फौजियों के विषय में कहूंगा। आप सुनें तो सही।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

माननीय सदस्य को दो मिनट देना चाहता हूं। आप कहिये।

श्री आलम अली : अध्यक्ष महोदय, चीन की लड़ाई में प्रधान मंत्री के नारे सुन कर खुश हुए थे। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भी नारे सुनकर बहुत खुश हुए थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। एक्स सोल्जर्स की और उनकी बेवाओं की बड़ी दुर्दशा है। मैं आपको बताऊं कि झुंझुनू जिले में बड़ी बुरी बातें गरीब सिपाहियों और उनकी औरतों के साथ घट रही हैं। मेरे गांव के सिपाही की मरे हुए की सूचना तार से आई। उसकी बूढ़ी मां को गिरफ्तार कर रहे हैं। थाने में रिपोर्ट है। मैं आपको और उदाहरण बताऊं कि चीन के अटेक के वक्त में कानसिंह मरा। औरत भी मर गई लेकिन उसको जमीन नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, आपको पूरो विश्वास है। विरोधी पक्ष की तरफ झुकाव ज्यादा है। आपसे बात करवा को मोको मिल्यो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ने तो फौजी बेटा पैदा किया है। उधर सब घीघी पैदा हुई है।

श्री आलम अली : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहता। सिपाही मोर्चे पर लड़ते है, पीछे उनके गांवों में उनकी औरतों और बच्चों को अनाज चीनी नहीं मिलती। आप रसगुल्ले, टमाटर आदि खाते हैं लेकिन उन गरीबों को गांवों में, सिपाही की फेमिलीज को मोटा अनाज बाजरी वगैरा तो मिले। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मजाक और दुख की बात हो जाती है। हर बार सिपाही की स्त्री को तहसीलदार के सामने जाकर चीनी की दरख्वास्त देनी पड़ती है। जैसे कोई भीख मांगने जा रहे हों और भीख ले रहे हों। सही सुधार नहीं हुआ तो आप उलटते नजर

(श्री ग्रालम ग्रमी)

ग्राग्रोगे। जवानों ग्रोर किसानों की हाय ग्रापको ले डूबेगी। "जय जवान ग्रोर जय किसान" के नारे से किसान ग्रोर जवान खड़े हो जावेंगे ग्रोर ग्राप उड़ते नजर ग्रावेंगे। ग्राज ग्रापने उन गरीबों की ग्रांतड़ियां निकाल ली हैं पेट से। मैं ग्रापकी ग्राज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा कि 'जय जवान ग्रोर जय किसान' दोनों के नारे को ग्रन्धकार में न रखें। ग्रंधकार में रखोगे तो उलटते नजर ग्राग्रोगे।

श्री ग्रमीलाल यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। जो कहा गया है उसके ग्रलावा नई बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। ग्रलवर जिले में सबसे ज्यादा बहरोड़ तहसील के नौजवान वीर गति को प्राप्त हुए। 27 पाकिस्तानी एग्रेशन के समय हुए ग्रौर इससे पहले चीनी एग्रेशन के वक्त 24 फौजी नौजवान वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें से 47.48 वीर गति को प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री बहरोड़ में पधारे थे उस वक्त एलान हुग्रा था उनकी ग्रोर से कि एक महीने के ग्रन्दर कि जो मिलीटरी मैन वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको जमीन प्राप्त हो जावेगी। बड़े ग्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चार पांच केस में तो जमीन बिल्कुल ग्रलॉट ही नहीं हुई ग्रौर तीन चार केस में बिना कारण खसरा टीप के दावा कर दिया ग्रौर इसमें परेशान किया जा रहा है। एक बात कहना चाहता हूं राजस्व मंत्रीजी को कि जल्दी से जल्दी ग्रलॉटमेंट कराया जाय। दूसरी ग्रर्ज यह करनी है कि वहां पर सबसे ज्यादा मिलिटरी पर्सनल्स हैं। जयकिशनजी ग्रौर शोभारामजी इसको ग्रच्छी तरह से जानते हैं। वहां का सारा एरिया राजपूत ग्रोर दूसरी मार्शल रेस का है। वहां पर ग्रनाज बिल्कुल नहीं है। छोटे 2 बच्चे हैं, फेमिलीज़ है उनको ग्रनाज नहीं मिल रहा है। उनको परमिट नहीं दिये जा रहे हैं। वे लोग ग्रनाज के बगैर भूखों मर रहे हैं। एज ए स्पेशल केस ही वहां पर ग्रनाज का इन्तजाम किया जाय। जवान ग्रोपरेशन एरिया में हैं। उनकी फेमिलीज की बड़ी दुर्दशा है कि उनको खाने के लिए ग्रनाज नहीं मिल रहा है इसलिए खाद्य मंत्री महोदय को कोशिश करनी चाहिए कि जो ग्रोपरेशनल एरिया में हैं उनकी फैमिलीज़ ग्रादि को कोर्स ग्रेन मिले इसकी तो व्यवस्था की जाय। पांच मील का ऐसा सर्कुलर निकाल दिया है कि बोर्डर एरिया से पांच मील के ग्रन्दर गेहूं तो बिल्कुल नहीं आ सकता। कम से कम मोटा ग्रनाज तो भिजवायें। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने मुझे इतना समय दिया है उसके लिए मैं ग्रापका बहुत ग्राभारी हूं। मैं दो तीन दफा बोलने के लिए खड़ा भी हुग्रा।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रौर जैसे कहा गया है कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर कोई भी महत्व नहीं देती है तो यह बिल्कुल गलत है।

श्री विजयसिंह रावत : यह बिल्कुल सही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बीच में ग्राप नहीं बोलें तो ग्रच्छा रहे। जब ग्राप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो ग्रब ग्राप भी मुझे सुनने की कृपा करें।

Page No. 56

श्री विजयसिंह रावत : हम इस झूंठी बात को मान्यता नहीं देंगे ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशन : शुरू से ही कह दिया बिल्कुल गलत है, धीरे धीरे समझाते हुए कहते तो ठीक था ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार ने हर फौजी भाई को सुख सुविधा और सारे साधन देने का भरपूर प्रयत्न किया है और जो सुख सुविधाएं राजस्थान में फौजियों के लिये तथा भूतपूर्व फौजियों के लिये हैं उतनी अन्य स्टेटों में भी नहीं होगीं ।

श्री केशरीसिंह : आवाज नहीं आ रही है, अध्यक्ष महोदय ।

एक माननीय सदस्य : आवाज ही ऐसी है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो सहूलियतें हमने दी हैं वे किसी भी राज्य से किसी कदर कम नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : झूंठ है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरी जगहों से अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं दी गई हैं । अधिक जमीनें दी गई हैं । सुविधाएं दी गई हैं । शिक्षा अलाउन्स के बारे में सुविधाएं दी गई हैं । और जिनके बारे में राजस्थान सरकार ने बार-बार घोषणाएं की हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेजर शैतानसिंह के लड़के को स्कॉलरशिप नहीं देना भी सुविधा है तो धिक्कार है आपको । फिर आप कहते हैं आप सहूलियतें दे रहे हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपकी जबान में धिक्कार ही धिक्कार बसता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके कर्मों में धिक्कार ही धिक्कार है ।

श्री अध्यक्ष : तेजी नहीं लावें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन सुविधाओं का प्रकाशन बार-बार किया गया है । और यदि माननीय सदस्य इस बात को चाहें तो मैं इस बारे में पुस्तिका छपी है उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घोषणाएं तो हैं, पर करनी उल्टी है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्रियान्वित नहीं किया यह माननीय सदस्यों का प्रश्न है ।

श्री लक्ष्मीकुमारी चण्डावत : यह बिल्कुल सही है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि शतशः पालन नहीं किया गया है । इसमें कई दिक्कतें आई हैं, परेशानी आई हैं और इस बात से····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं किया गया ? कौन जिम्मेदार है इसके लिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन्कार नहीं किया जा सकता । लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के मामले मेरे पास आये हैं अगर माननीय सदस्य उनको देखेंगे तो हो सकता है ये दिक्कतें वास्तविक रूप में हों, जिसकी वजह से हमारी परेशानियां बढी हों ।

जिन बातों का यहां पर जिक्र किया गया, चूंकि मेरा सम्बन्ध भूमि सम्बन्धी मामलों से ही है इसलिये उन सबकी डिटेल तो सम्बन्धित मन्त्री महोदय ही उनको दे सकेंगे। पर जहां तक भूमि सम्बन्धी मामलों का प्रश्न है मैं निवेदन करूंगा कि....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरप्शन करके इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि इतना महत्त्वपूर्ण विषय और मुख्यमन्त्री इस सदन में यहां नहीं बिराजें और वे इस सदन में अपने विचार व्यक्त नहीं करें तो यहां सदन को कभी भी संतोष नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न माननीय राजस्वमन्त्री का था। मुख्यमन्त्री को सूचना नहीं थी इसलिये उनकी उपस्थिति न होना कोई अनुपयुक्त नहीं मालूम होता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करूं कि मन्त्री महोदय ने कहा कि भूमि का आवंटन के सम्बन्ध में वे विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हरेक सोल्जर को भूमि नहीं मिल सकती। पर यह तो ऐसा प्रश्न है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय को कहने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : उनके उत्तर से संतोष नहीं हो सकता। वे सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं यह कह कर कि केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भूमि सम्बन्धी जानकारी से वे सम्बन्धित हैं और वही जानकारी वे दे सकते हैं, शिक्षा के बारे में और दूसरी ग्रीवेन्सेज के बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। पर मैं निवेदन करदूं कि नियमानुसार डिस्ट्रिक्ट सोल्जर और सैलर्स बोर्ड के सारे मामले रेवेन्यू विभाग ही डील करता है। सुपरविजन के अलावा सारी जिम्मेदारी भी रेवेन्यू विभाग की है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो प्रश्न उठाये गये हैं वे इस बात के थे कि एक तो कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, दूसरा कमेटी की सिफारशों के बारे में और तीसरा यह कि जो भूतपूर्व सोल्जर्स हैं उनके परिवार के लिये भूमि सम्बन्धी मामलों के बारे में।

श्री मदनसिंह दांता : इसी में सब आ गये।

श्री बिरधीचन्द (बाड़मेर) : विचार इनको रखने तो दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने हरेक जिले से भूमि सम्बन्धी मामलों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। और यह आ भी चुकी है। जितने मामले हैं उनमें जो वास्तविक परेशानियां हैं मैं उनके लिए नहीं कहता कि उनको नहीं रखना चाहिए। पर जहां तक जिलों का तालुक है वहां तक 166 मामले पेन्डिग हैं जिनमें 140 मामले ऐसे हैं जिनमें लोगों ने अपनी इच्छा से नहीं ली हैं। 19 ऐसे हैं जो अदालतों में चल रहे हैं। जिलेवार परिस्थिति को देखें तो पता लगेगा कि 259 सैनिकों ने दर्खास्त दी और अजमेर में प्राप्त हो गई। कोई पेन्डिग नहीं है।

अलवर में 678 भूमि अलॉटमेंट की दरख्वास्तें आई जिनमें से 549 को कब्जा

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

मिल गया है । 131 हैं जिनमें कब्जे की कार्यवाही चल रही है । जिनमें बहुतों ने स्वेच्छा से कब्जा नहीं लिया है ।

बांसवाड़ा में 51 ने दरख्वास्तें दीं और 51 को ही अलाट हो चुकी है । बाड़मेर में 24 में से 22 को हो चुकी है । जिनको कब्जा नहीं मिला वे दो हैं जिनमें से एक ने स्वेच्छा से नहीं लिया है ।

भरतपुर में 581 लोगों ने दरख्वास्तें दीं भूमि अलाटमेन्ट की और सब को कब्जा मिल चुका ।

भीलवाड़ा में 176 ने दरख्वास्तें दी सब को मिल गये ।

बीकानेर में 240 को ही मिल गई ।

बूंदी में 98 ने दी और सब को मिल गई ।

चित्तौड़ में 53 ने दी और सब को मिल गई ।

चूरू में 25 ने दी, 24 को मिल चुकी हैं । एक में अपील दायर हो रही है । अपील का फैसला करने पर निर्णय सामने आवेगा ।

डूंगरपुर में 13 में से 13 को ही अलॉट हो गई ।

गंगानगर में 299 में से 299 को मिल चुकी हैं ।

जयपुर में 176 में से 173 को मिल चुकी हैं । 1 ऐसा केस है जिसमें कब्जा नहीं मिला है । और एक से कब्जा वापिस ले लिया गया है । दो ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से नहीं ली ।

जैसलमेर में 20 में से 20 को मिल गई ।

जालौर में 27 में से 18 को मिल गई । 9 को कब्जा नहीं मिला । जिनमें से चार ऐसे हैं जिनका कब्जा वापिस हुआ है और दो पेन्डिंग में हैं ।

श्री भरोंसिह : यह कब तक के फीगर हैं । कब से कब तक की एप्लीकेशनें हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा विदिन थ्री ईयर्स की हैं ।

श्री भैरोंसिह : आपकी रिपोर्ट के आंकड़े ही आपस में टैली नहीं करते । किसको सही मानें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हरेक रिपोर्ट आज तक की है ।

श्री मदनसिंह दांता : पाकिस्तान की लड़ाई वालों को मिलने का था। इनको प्राव- धान नहीं था, यह कहां से मिल गई ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : झालावाड़ में 92 में से 92 को मिल गई ।

झुंझुनूं में 159 में से 133 को मिली । 0 को कब्जा नहीं दिया गया 13 से कब्जा छीना गया है ।

जोधपुर में 87 में से 82 को मिल गया । चार को कब्जा नहीं मिला ।

कोटा में 32 में से 32 को मिल गई । नागोर में 161 में से 161 को मिल गया ।

पाली में 123 में से 123 को मिल गई ।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

सवाई माधोपुर में 140 में से 133 को मिला। 7 को कब्जा नहीं मिला।

सीकर में 132 में से 132 को मिल गई।

श्री मदनसिंह दांता : सीकर में 200 दरख्वास्तें हैं। एक को भी नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : इससे मुकाबला कर लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : टोंक का बता दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 376 में से 373 को मिल गये।

श्री विजयसिंह रावत : टोंक के लिये जानकारी गलत हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उदयपुर में 661 में से 660 को मिल गई।

बीकानेर में 217 में से 217 को मिल गई।

16048 एप्लीकेशनें कोलोनाइजेशन में पेन्डिग हैं।

एक माननीय सदस्य : वीरगति पाने वालों में से कितने बाकी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोलोनाइजेशन में कितने बताये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 16048।

श्री भैरोंसिंह : सिर्फ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में निवेदन करूंगा कि जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है एरिया रिजर्व कर दिया गया है! राजस्थान कैनाल के रूल भारत सरकार के पास होकर अभी आये नहीं हैं। और इसलिए उनकी प्रक्रिया अभी तक कायदे के माफिक नहीं होने की वजह से यह 16 हजार एप्लीकेशन्स पेन्डिग हैं...

श्री मदनसिंह दांता : तब तक फौजी क्या करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वहां पर टेम्पो-रेरी अलाटमेन्ट का है वह कोई भी ले सकता है और फौजियों को प्राथमिकता दी गई...

श्री मदनसिंह दांता : दी है किसी को ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो मुझे पता नहीं..

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट में तो आक्शन होता है और आक्शन में फौजी ले नहीं सकते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसमें भूमिहीन को अलाटमेन्ट होता है।

श्री मदनसिंह दांता : उन्होंने कहा है कि हम नहीं देंगे जब तक फौजी पैसा नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : वह तो मंत्री महोदय के साथ नीति बदल रही है। वह आप सुन तो लीजिए। सुनने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचिये।

श्री मदनसिंह दांता : अगर मौका दिया जायेगा तो।

श्री अध्यक्ष : मौका तो आगे देखा जायेगा।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। बड़ी सहानुभूति से इस प्रश्न को उठाया गया है। आपने विवाद किया, मंत्री महोदय को आप पहले मौका दीजिए।

श्री मदनसिंह दांता : मौका 5 साल का है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो भी मामले फौजियों के माननीय दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये हैं उनको समझने की मैंने कोशिश की है और उनकी प्रोबलम्स को जानने की कोशिश की है और यह भी जानने की कोशिश की है कि किन वजह से यह मामले अटकते हैं। माननीय सदस्य खासकर एक केस का जिक्र बार-बार करते हैं और वह है श्री बुधसिंह का। इस केस की मैंने फाइल भी मंगाई और मैंने उसको देखा भी है और वास्तव में यह टिपीकल केस है कि जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। माननीय बुधसिंह के पिता हैं उन्होंने इस जमीन को दूसरे काश्तकार से जुतवाई थी और सेटलमेंट हुआ और उसके बाद में वह आदमी जोतता रहा और सब-टीनेन्ट हो गया। तो जो बुधसिंह हैं उन्होंने प्रार्थना की कि वह जमीन मेरी है और मुझे दिला दी जाये तो सवाल यह उठा कि जिस व्यक्ति को उनकी जमीन के ऊपर खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं तो वह जमीन उनको किस तरह से दिला दी जाये। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि अदालत ही यह इनको दिला सकती है। मामला सबजुडिस है लेकिन फिर भी मैं यत्न करूंगा कि जो भूतपूर्व सैनिक जिसका नाम दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है बुधसिंह उनको अगर जमीन के लिए दूसरे अलॉटमेन्ट की जरूरत पड़ेगी तो उनको अवश्य अलाटमेन्ट किया जायेगा लेकिन इस बात पर इनसिस्ट करना कि वही जमीन उनको दिलाई जाये तो मैं यह नहीं कह सकता कि इसको हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि अदालत में इसके लिए कार्यवाही चल रही है....

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, एक प्रेस्टीज केस बना रखा है और यह मंत्री महोदय के पास आधे कागज हैं। कलेक्टर के पास से पूरे कागज नहीं आये हैं। मुझे आज्ञा दी जाये कि पूरी फाइल लाई जाये तो वह मैं लाकर दूंगा......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके ऊपर ही छोड़ सकता हूं कि इसमें सरकार क्या कर सकती है ?

श्री मदनसिंह दांता : कानून के तहत कार्यवाही चलती है तो भी सिपाहियों को जाने का अधिकार था लेकिन यह नहीं कि पुलिस लेजाकर उसको औरत को ठुकवाया गया। इस तरह से सही सिपाहियों की बात गलत तरीके से ली जाती है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का बहुत आदर करता हूं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता हूं और जितना उस पर निर्णय मेरी तरफ से हो सकता है उसमें निर्णय करने की कोशिश करता हूं लेकिन जो मामला सबजुडिस है, जो मामला रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी के यहां या रेवेन्यू बोर्ड में है······

श्री मदनसिंह दांता : बुधसिंह का केस नहीं है। यह नेताओं के जरिये चलाया गया है मैं गारन्टी के साथ कहता हूं ······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आपको अधिकार है बोलने का लेकिन उसका इन्टरप्रिटेशन नहीं करें। आप इसके बाद में पूछ सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय,···

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मैंने उसका अध्ययन किया है। मैं कह सकता हूं, ऐसा करने में दिक्कतें आती है। कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें जमीन का गलत अलाँटमेंट भी हो जाता है, सही आदमी का कब्जा नही होता है और दूसरे आदमी का होता है और वह मुकदमें लड़ते हैं तो जैसा आपने इन फिगर्स को देखा होगा कि 130 या 135 मामलों में झगड़ा चल रहा है जब कि केसेज करीब 6 हजार के है। तो इतने मामलों में इतने से झगड़ा हो जाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने माननीय सदस्य के कहने पर जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको आदेश दिया कि किसी भी स्पेशल आफीसर को इनकी हियरिंग के लिए नियुक्त किया जाये और मामलों का निपटारा किया जाये। लेकिन जो प्रोसेस आफ लॉ है वह कम्पलीट होगा तब ही मामलों का फैसला होगा। उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय न तो माननीय सदस्य दखल दे सकते हैं और न मैं ही दखल दे सकता हूं। Law will take its own course.

श्री विजयसिंह रावत : Then the soldiers will also take their own course.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसी भी व्यवस्था होगी। अगर बदअमनी फैला करके कुछ काम करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर होनी चाहिए उसके ऊपर होगी। लेकिन हम यह कोशिश करते हैं कि जहां तक निपटारे का सवाल है उनका शीघ्रातिशीघ्र निपटारा किया जाय और जो सुविधायें उनको दी जा सकें वह दी जानी चाहिए और जो सेवायें राज्य सरकार अपनी ओर से दे सकती है उन सेवाओं से किसी प्रकार से उनको वंचित नहीं रखा जाये। जहां तक स्कालरशिप का सवाल है तो हो सकता है कि एक दो को नहीं भी मिली हो। लास्ट ईयर तो मैने कईयों को स्कालरशिप दिलवाई थी। लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी को नहीं मिली हो और उसमें मुख्य मुख्य मामले भी हो सकते है जैसे श्री खेतसिंह जी ने कहा लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि जो आज मामले सामने आये है जिसमें जमीन नहीं मिलने की बात कही गयी है उनमें क्या दिक्कतें है उन इन्डीवीजुअल केसेज को लेंगे, जिनको स्कालरशिप नहीं मिली है उनके इन्डीवीजुअल केसेज को लेंगे और इसका प्रयत्न करेंगे कि जैसा

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)
माननीय सदस्य ने कहा कि उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन है तो हो सकता है जो आदमी दौड़धूप करता है और जब काम नहीं बनता तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। पर यह किन्हीं लोगों में हो सकता है किन्हीं में नहीं और कलेक्टर साहब ने किसी को निकाल दिया। तो हो सकता है। हम तो गालियां खाने के आदी हो गये है, लोग हमको व्यभिचारी भी कहते हैं। हो सकता है उन माननीय सदस्यों के साथ कुछ ऐसा रहा हो तो जिन्होने इस प्रकार का व्यवहार किया है जैसा कि आफिसर के साथ नहीं किया जाना चाहिए तो कलेक्टर को गुस्सा आना नामुमकीन बात नहीं है . . .

श्री विजयसिंह रावत : कर्नल कलेक्टर से कम नहीं होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कर्नल को यह भी फिर अधिकार नहीं है कि वह कलेक्टर को ब्लडी फूल या नानसेन्स कहे।

श्री विजयसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय परमवीर चक्र वालों के लिए ऐसी बात कहें तो ठीक नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हम मानते हैं सभ्य नागरिक अपनी भाषा में शिष्ट रहेगा और जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही उसका व्यवहार अच्छा होता है। अगर व्यवहार अच्छा होता है तो दूसरे से अपेक्षा की जा सकती है। मैं नही समझता कि इस प्रकार की कोई चीज हुई है। अगर माननीय सदस्य की जानकारी में है तो उसकी जानकारी दें और जानकारी हासिल करने के बाद ही उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि यह ऐसा सवाल है जिसको हम अपने आपस का सवाल नहीं बनाकर एक राष्ट्रीय महत्व का सवाल समझें क्योंकि फौज हमारी राष्ट्रीय महत्व की चीज है और हमारी रक्षा करने वाले जो लोग हैं वह सर्वोपरि हैं और उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते उनके साथ हम डिसीप्लीनेरी एक्शन की बात हो तो उसे भी लें और उनके खराब काम हो तो ऐसी कोशिश करें कि जिससे उनको निबाह लें। लेकिन साथ ही साथ हम अपना महत्व कम करते हैं यदि इस प्रकार की बात करते हैं तो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मामला हमारे सामने आयेगा उन मामलों के ऊपर गंभीरता से विचार किया जायेगा और उनको निपटाने की कोशिश की जायेगी। मैं तो यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : मुझको केवल दो बातें कहनी है।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं कुछ कहना चाहता हूं।

इस सदन के सम्मुख जो प्रश्न आया वह निश्चय रूप से गम्भीर, महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय वेदना का विषय हैं।

Page No. 63

(श्री अध्यक्ष)

जहां तक राज्य सरकार की जानकारी है, इस सम्बन्ध में मैं नहीं जाना चाहता, सही हो सकती है उनकी जानकारी, लेकिन जिन दिनों युद्धकालीन समय था, युद्धकालीन समय से लगा कर अभी तक निश्चित रूप से मेरी भी यह अनुभूति रही है कि सैनिकों का सम्मान, उनके प्रति सद्व्यवहार–इस सम्बन्ध में बराबर जहां तक राजतंत्र का सम्बन्ध है, ह्रास हुआ है और यह प्रमुख कारण है और में राज्य सरकार से यह जरूर कहूंगा कि चाहे ब्रिगेडियर हो या कर्नल, मेजर हो या कैप्टिन, ये सैनिक जिनके पद ऊंचे हैं या नीचे है, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि उनको वर्दी की दृष्टि से जो उनका पद है, वह रक्षा की दृष्टि से सबसे ऊंचा माना जाना चाहिए। जिस प्रकार का सम्मान यह राष्ट्र संकट के दिनों में सैनिकों को देता रहा है शायद वह स्थिति अब नहीं रही है और यह भी एक कारण विक्षुब्धता का हो सकता है। अगर वही सम्मान सैनिकों को दिया जाता रहे तो एक सैनिक को संतोष हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं यह आपसे भी निवेदन करूंगा मेरी अनुभूति के आधार पर, जो सैनिक बोर्डर पर तैनात हैं और वह यह अनुभूति लेकर आए कि अपने झगड़ों को, अपनी कठिनाइयों को कुछ सीमित समय के अन्दर निपटवा कर चला जाऊं वापस ड्यूटी पर और उनके प्रति पटवारी या और छोटे मोटे व्यक्तियों के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाय तो उनका क्षुब्ध होना स्वाभाविक है और वह जो क्षुब्धता प्रगट करता हं वह सही करता है। उसकी क्षुब्धता को आप समझें और उसके प्रश्नों को शीघ्रता से हल करें। इसलिए मेरी मान्यता है और मैं समझता हूं कि सरकार इसके प्रति जागरुक रहेगी।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो ही.....

श्री अध्यक्ष : अब यह प्रश्न समाप्त होता है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं बहस नहीं बढाना चाहता मुझे दो ही बातें पूछनी हैं....

श्री अध्यक्ष : देखिए, माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं नियमों के अनुसार चलता तो यह सिर्फ आधे घण्टे से अधिक बहस नहीं होती। लेकिन हमने डेढ घंटे से ज्यादा समय ले लिया। आगे हमारी मांगे हैं और उन्हें भी निपटाने के लिए समय चाहिए। आप क्षमा करें और आगे की कार्यवाही लेने दें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा लेकिन मुझे दो ही बातें कहनी है ताकि कम से कम स्थिति स्पष्ट हो। यह केवल अलाटमेंट का ही सवाल नहीं है या बाकी रिपोर्टों के सम्बन्ध में ही नहीं है। तीन-तीन चार-चार वर्षों के अलॉटमेंट के कागजात अभी तक उनके पास है। आज भी मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय को सही जानकारी नहीं है। आपको मैं जानकारी दे सकता हूं आप उसको पढिए। कर्नल और बिग्रेडियर के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है, गवर्नर के आर्डर आ चुके हैं। इनके अलावा भी और भी चीजें हैं उनका भी आपको जवाब देना था जो उनसे सम्बन्ध रखती है। जितनी 2 अपने आर्डर्स

(श्री मदन सिंह दांता)
की बातें कहीं हैं वे सही चीजें नहीं है। कलेक्टर ने गलत रिपोर्ट दी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य आप मजबूर कर रहे हैं मुझे। अब आप इसे यहीं समाप्त करिए, मुझे आगे का काम लेना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि अभी सैनिकों को दी गई सुविधाओं के सम्बन्ध में जो प्रश्न माननीम सदस्यों ने उठाए और उस संबंध में आपने अत्यन्त उदरतापूर्वक माननोय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। उन सब प्रश्नों का सम्बन्ध सोल्जर्स सेलर्स बोर्ड है जो कि सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है। भूमि के अलॉट-मेंट का ही प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बहुत सारे मामले यहां उठाए गए, जिन मामलों के बारे में आलम-अलीजी ने कहा, जिन मामलों को खेतसिंहजी ने उठाया और दूसरे दूसरे माननोय सदस्यों ने उठाया उन सब के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने एक शब्द नहीं कहा और उलटे अधिकारियों को संरक्षण देने की कोशिश की। आपने आंकड़े सदन में पेश कर दिए कि इतनी एप्लीकेशन्स दी गईं, पिछले बीस सालों में और इतने 2 अलॉटमेंट किए गए, उनका विवरण सदन में पेश कर दिया। लेकिन इससे सारे सदन को संतोष नहीं हुआ। यहां पर स्पेसिफिक इन्सटांसेज कोट की गई कि इस इस प्रकार से दरख्वास्तें दी गई, इस प्रकार की हिदायतें की गई लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। यहां पर शेरगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने घटना बताई, माननीय सदस्य विजयसिंह ने कुछ बातें रखीं, लेकिन इन सारे इंस्टांसेज के बारे में सरकार ने आज तक कोई उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, सदन केवल एक बात जानना चाहता है कि राज्य सरकार ने जितनी घोषणायें की एक तरफ तो उनका चित्र हो और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक किया गया, दूसरा यह चित्र हो। जहां तक सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का सवाल है, केवल भूमि के अलॉटमेंट का सवाल ही नहीं है, जितने भी सैनिकों से सम्बन्धित सवाल है, सन् 1962 में चाईनीज एग्रेशन के बाद जो-जो भी घोषणायें सरकार की तरफ से की गई, जो भी प्रोक्लेमेशन निकाले गए उन सब को सदन की मेज पर रख दिया जाय उनका चार्ट बना कर और उन सारी घोषणाओं को किस हद तक इम्प्लीमेंट किया गया, इतनी पूरी हुई और इतनी पूरी नहीं हुई इसका भी एक चार्ट रख दिया जाय और इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि यह जानकारी देने के बाद भी जैसा कि आम तौर पर सदस्यों ने कहा कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और मंत्री महोदय के उत्तर से भी सदन को संतोष नहीं हुआ, तो चाहिए तो यह था कि जिन अधिकारियों ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया उन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन यह सरकार सदन को देती लेकिन मंत्री महोदय, वह आश्वासन देने की बजाय उन अधिकारियों को डिफेन्स करने की कोशिश कर रहे हैं और यह कहना कि सैनिक अफसरों की सभ्यता के साथ व्यवहार करना आना चाहिए, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती। श्री

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

खेतसिंहजी ने कहा, श्री मदनसिंहजी ने कहा, श्री विजयसिंहजी ने कुछ बातें कहीं, आलमअलीजी ने कुछ बातें सदन के सामने रखीं लेकिन आपको उन पर भरोसा नहीं है और आप केवल अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं, जांच का आश्वासन नहीं देना चाहते। सरकारी अधिकारियों को बचाने के लिए, उनके लेप्सेज, ओमिशन्स को बचाने के लिए सरकार उनके खिलाफ जांच तक करने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, घोषणायें करने में तो सरकार सबसे आगे है, सन् 62 में मेजर शैतानसिंहजी के शव का जुलूस कांग्रेस के नेतृत्व में निकाला गया लेकिन आज तक उनके घर के बच्चों को एक मुरब्बा जमीन तक नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी, आपने जो सहानुभूति ऊपर से प्रगट की और ऊपर से जो आपने निर्देश दिया, सरकार इस सम्बन्ध में अवश्य सम्मान करके कार्यवाही करेगी लेकिन इस गूंगी और बहरी सरकार से इतना भी नहीं हुआ कि खड़े होकर इतना ही कहे कि आपके निर्देशों का पालन यह सरकार करेगी और यह व्यवस्था की जायेगी कि सारे आदेशों को भली प्रकार लागू किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि सारी डिबेट को मैं इतनी देर तक ध्यान पूर्वक सुनता रहा और सारी डिबेट को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इससे बढ़ कर सरकार के लिए निकम्मापन और नहीं हो सकता, इससे बढ़ कर बेहूदापन सरकार के लिए नहीं हो सकता। चाईनीज एग्रेशन के बाद अतिरंजित घोषणायें करने में राजस्थान की सरकार सबसे आगे रही हिन्दुस्तान में लेकिन उन घोषणाओं को इम्पलीमेंट करने में सबसे पीछे है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, सरकार की इस उदासीनता के प्रति अपनी नाराजगी प्रगट करने के लिए मैं अपने सब साथियों से निवेदन करूंगा कि यह अहम मसला है, राजस्थान के सिपाहियों और सैनिकों का, देश की आजादी का सवाल है इसमें और राज्य सरकार का जो निकम्मा विभाग इन सैनिकों के प्रति घोर उदासीन रहा है उसके प्रति अपना विरोध प्रगट करने के लिए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जो जनसंघ के माननीय सदस्य सतीशचन्द्रजी ने विचार व्यक्त किये हैं वे बिल्कुल ठीक हैं और मैं और मेरा दल मन्त्री महोदय के उत्तर से असन्तुष्ट हैं और इसलिये हम भी बहिर्गमन करते हैं।

(सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा बहिर्गमन)

(1.46 म. प.)

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं0 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा

(श्री परसराम मदेरणा)

स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,63,17,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46, मुख्य

(1.47 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पीठासीन)

शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च-1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,82,54,000 रु. तक की राशि, प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था–राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,71,01,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांग संख्या 47

4. श्री शोभाराम (रामगढ़) : मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था–राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभिन्न संस्थाओं को दिये गये ऋण तथा अग्रिम की धन राशि का सदुपयोग नहीं हुआ, इस विषय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

2. श्री सहदेव (आमेर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सादिक अली रिपोर्ट पर आबू में लिये गये निर्णयों को लागू न करने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की यह योजना कि ऋण पंचायत समितियों को न देकर केवल भूमि बंधक बैंक ही देगी, इससे लाभ कम और हानि तथा विलम्ब अधिक होगी, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 46

4. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रसायनिक खाद, विशेषतया सुपरफास्फेट, आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

5. श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों में सरपंचों

[श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा)]
द्वारा बरती गई अनियमितताओं व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

6. मांग संख्या 22, मुख्य शीषक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रधानों द्वारा बरती गई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

7. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाए (पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा विकास के नाम पर धन के दुरुपयोग एवं अदूरदर्शिता पर चर्चा के लिए) ।

8. श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (धरियावद गोगुन्दा पंचायत समितियों में बावड़ियों को कुआ में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

9. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में तकावी लोन देने में विलम्ब होता है, इस पर चर्चा के लिए) ।

10. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बड़गांव पंचायत समिति में तकावी लोन व सब्सिडी में अनियमितताएं हुई, इस पर चर्चा के लिए) ।

11. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायतों व न्याय पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं कराये जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

12. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में से 100)रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में खेती के विकास के लिए तकावी की रकम बहुत कम दी जाती है व इस रकम का अलॉटमेंट भी पक्षपात पूर्ण तरीके से होता है, इस पर चर्चा के लिए) ।

13. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को एक सौ बीघा जमीन अलॉट एवं प्रत्येक पंचायत, को 15 बीघा जमीन अलॉट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के प्रशासन में कन्ट्रोल के बारे में चर्चा के लिए) ।

15. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला परिषदों को अधिक अधिकार दिये जाने के बारे में चर्चा के लिए) ।

16. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक

(श्री खेतसिंह)

विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा ऑडिट ऐतराजों की अनुपालना न करने पर चर्चा के लिए)।

17. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा दिए गए कर्ज की वसूली में ढिलाई की चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा सामान की अनियमित रूप से खरीद को विभाग द्वारा न रोकने पर चर्चा के लिए)।

19. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायतों के आकार बढ़ाने पर चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों की योग्यता बढ़ाने बाबत चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों एवं तहसीलों का विलीनीकरण करने पर चर्चा के लिए)।

22. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में होने वाले अपव्यय को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए)।

23. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विकास अधिकारियों के पदों को समाप्त करने पर चर्चा के लिए)।

24. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बामसूर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की कार्यप्रणाली में अव्यवस्था) तथा अकर्मण्यता को विभाग द्वारा न रोके जाने पर चर्चा के लिए)।

25. श्री किशनलाल (नाथद्वारा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभागीय शिथिलता से वांछित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

26. श्री केसरीसिंह (हिण्डोली) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों व जिला परिषदों में वाहनों इत्यादि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

27. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विकास खंडों में ऑडिट न होने से

Page No. 69

(श्री केसरीसिंह)
अनियमितताओं की वृद्धि पर विभाग द्वारा ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिए) ।

28. श्री मोहनलाल (नीम का थाना) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा जीपों का सही उपयोग नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

29. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विकास कार्य में धन के सदुपयोग नही होने के बाबत चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 46.

30. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की व्यवस्था में अयोग्य अफसरों के कारण घाटे पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 22

31. श्री दुर्गालाल बाकृदार (हवामहल-जयपुर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने जयपुर जिले के लिये सामुदायिक विकास परियोजनाओं हेतु बजट में नगण्य प्रावधान रखा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 46.

32. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नमक के व्यापार में सरकार की पूंजी के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या, 22.

33. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा ऋण वितरण में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 46.

34. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जबरिया गल्ला वसूली पर चर्चा के लिए) ।

35. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजना पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (वर्तमान खाद्य वितरण की प्रणाली पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 22.

36. श्री रामकिशन (वैर) : मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति बनेड़ा द्वारा पंपिंग सेटों के लिए दिये गये ऋण पर चर्चा के लिए) ।

37. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि

(श्री रामकिशन)

में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बनेड़ा पंचायत द्वारा दी गई तकावी की वसूली में ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बनेड़ा पंचायत समिति में मूंगफली के बीज खरीदने में किए गए घोटालों पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

39. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के कोष से उदरत के नाम पर हजारों रुपये उठाये गये, उस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 46.

40. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा अनाज की खरीद व फरोक्त की नीति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22.

41. श्री केदार नाथ (गंगानगर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत व पंचायत समितियों द्वारा गांवों में सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिए)।

42. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकार पंचायतों को पूर्ण अधिकार देने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए)।

43. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा धन के दुरुपयोग एवं पक्षपात को विभाग द्वारा नहीं रोके जाने पर चर्चा के लिए)।

44. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से तकावी देने का कार्य हटाकर सहकारी बैंकों को देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 46.

45. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अनाज का थोक व्यापार राजकीय क्षेत्र में लेने के प्रति सरकार की अपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 47.

46. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था–राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अलवर नगर परिषद को विकास कार्य हेतु ऋण दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

47. श्री देवीदत्त (बारां): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास

Page No. 71

(श्री देवीदत्त)
परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा दोष पूर्ण तरीके से ऋण वितरण किये जाने पर चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को पंचायत विभाग के आधीन रखने के बारे में चर्चा के लिए)।

49. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई); मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को विभाग द्वारा रोकने में असफलता पर चर्चा के लिए)।

50. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37— सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति निवाई में कम्प्रेशर मशीन खरीद में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिए)।

51. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से जीपें वापिस लेने पर चर्चा के लिए)।

52. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (इन समस्याओं द्वारा) हो रहे धन के दुरुपयोग को रोकने में विभागीय असफलताओं पर चर्चा के लिए)

53. श्री नथूलाल करोल (जमवा-रामगढ़) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विकास कार्यों की योजनायें बनाने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिए)।

54. श्री रेवतराम (छापर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अनावश्यक स्टाफ पर चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा कृषि उत्पादन एवं पशुपालन पर ज्यादा ध्यान विभाग द्वारा दिलाए जाने पर चर्चा के लिए)।

56. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा अनुदान के दुरुपयोग को विभाग द्वारा रोकने की असफलता पर चर्चा के लिए)।

57. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत व न्याय पंचायत को आर्थिक सहयोग दिया जाय, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 46.

58. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय, (Food Grains में State Trading नहीं अपनाया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, 22.

59. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (रामगंज मण्डी विकास खण्ड में तकावी व ऋण मिलने में होने वाली दिक्कतों पर चर्चा के लिए)।

60. श्री छुवालाल चौधरी (दूदू) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायती राज की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

61. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (दूदू पंचायत समिति द्वारा लिए गये पक्षपात निर्णयों से जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

62. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दूदू द्वारा कृषि ऋण का सही उपयोग नहीं हो पाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 46.

63. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय(सरकार की दुग्ध वितरण योजना उचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकने के कारण सरकार को हुई हानि पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 22.

64. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास की योजनाओं की असफलताओं के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

65. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के माध्यम से ग्राम पेय जल के लिए इस वर्ष राशि नहीं रखी गई है, इस पर चर्चा के लिए) ।

66. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (इस मांग के आधीन सिंचन के लिए बहुत कम रकम रखी गई है, इस पर चर्चा के लिए) ।

67. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु कम कर दिया जाय (स्वास्थ्य व ग्राम स्वच्छता के खर्च हेतु बहुत ही कम रकम रखी गई है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 46

68. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में लापरवाही के कारण हानि हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 47

69. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था—राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभिन्न संस्थाओं को कर्ज देने में लापरवाही बरते जाने पर चर्चा के लिए)।

70. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था—राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभिन्न संस्थाओं को दिये हुए कर्ज पर ब्याज की वसूली नहीं होती है, इसे करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

71. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक पाठशालाओं को पंचायत क्षेत्र से हटाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 46

72. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं में होने वाले निरन्तर घाटे की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

73. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति की जीपों के अधिक दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

74. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विकास के कार्यों में अनुभव हीन अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को सर्विस में लेने पर चर्चा के लिए)।

75. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति को सीधा कर्जा देना पैसे का दुरुपयोग करना है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 46

76. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

77. श्री देवीलाल (सराड़ा): मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु०

(श्री देवीलाल)
कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा पंचायत समिति के लिये सिंचाई की छोटी योजनाओं पर अधिक राशि दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा के द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के लए, निर्माण कार्यों हेतु, अधिक धन राशि व्यय करने का अधिकार दिलाने पर चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में आदिवासी ब्लाक खुलवाने पर चर्चा के लिए)।

80. श्री हीरालाल (कुम्भलगढ़): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर होने वाले establishment के व्यय के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

81. श्री शिवचरण माथुर (मांडल): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में पंचायती राज्य के सम्बन्ध में सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 46

82. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनाज के व्यापार को सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हाथ में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

83. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के प्रति शासन की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

84. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायती राज Institution की प्राथमिक इकाई के Viable Unit होने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 47

85. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 'था'—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से 100) रु. कम कर दिया जाय (Taccavi Loans) के वितरण की पद्धति के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

86. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय। (सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलता पर चर्चा के लिए)।

Page No. 75

87. श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले के रायपुर विकास खंड में हुई गम्भीर अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

88. श्री हीरा (कुशलगढ़) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सज्जनगढ़ पंचायत समिति द्वारा ऋण वितरण में पक्षपात करने से विकास में उत्पन्न बाधाओं पर चर्चा के लिए)।

89. श्री भूलचन्द कटेवा (पिलानी) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के प्रसार अधिकारियों पर समिति का सीधा नियंत्रण न रहने से विकास में बाधा आती है, इस पर चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37--सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में कर्जा देने की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर विभाग द्वारा ध्यान दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37--सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में धन की कमी रहने से शिक्षा सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं हो सकने पर चर्चा के लिए)।

92. श्री रामकुंवार (सपोटरा) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को कृषि—विकास कार्य हेतु ऋण दिए जाने की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया, इस बारे में चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37--सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूल भवन जिन पर श्रमदान लिया जाता है और इस पर राज्य सरकार ने रकम देना बंद कर दिया है, इस पर चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किए जाने पर चर्चा के लिए)।

95. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिला परिषदों को अधिकार दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

96. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पेय जल के लिए बीकानेर व लूणकरणसर समितियों को धनराशि देते वक्त आदेश दिए जावें कि दी जाने वाली राशि केवल ऐसे गांवों को दी जावे जहां पर कोई कूआं या कुंड नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

97. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास खंडों में कर्मचारियों की छंटनी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 46

98. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (Wool Trading Scheme) अनावश्यक एवं भारी खर्चीली स्कीम है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

99 श्री हंसराज (भादरा) मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गांवों के विकास कार्य सही ढंग से नही चलाए जाते हैं, पर चर्चा के के लिए)।

100 श्री चुन्नीलाल (खंडार) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को दिए गये अधिकार बहुत कम हैं, इस पर चर्चा के लिए।)

101. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत पलू व मोटेर, तहसील नोहर का गठन सही नहीं है, दुरुस्त करने पर चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला परिषदों को और अधिकार देने पर चर्चा के लिए)।

103. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत व न्याय पंचायतों को अलग नहीं रखा जावे, इस पर चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सूरतगढ़ की पंचायतों के पुनर्गठन पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति नोहर का गठन गलत हुआ है, इस पर चर्चा के लिए)।

106. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकार को पंचायत समितियों का कार्य कम करना चाहिए क्योंकि खर्चा फिजूल हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

107. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभागाधिकारियों द्वारा

(श्री शिवनाथसिंह)
अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण न करवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 46

108. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (इन्वेस्टमेन्ट का उचित फल प्राप्त न होने के संबंध से चर्चा के लिए)।

109. श्री ...राज (भिनाय) : मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की नीति के कारण आर्थिक हानि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 47

110. श्री ...बसोतिया (नवलगढ़): मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 'था'–राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी बकाया वसूली समय पर नहीं होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक 'था'–राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा ऋण वसूली में फेल रहे पक्षपात एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा जो कटौती का प्रस्ताव लोन्स एण्ड एडवांसेज के बारे में है और मैंने इसलिए भी रखा कि जो बजट में आंकड़े बताए गए और जो आडिट रिपोर्ट और फाइनेन्स अकाउन्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रकाशित किए गए उनको देखने से मेरे मन पर यह असर हुआ है कि पूरा चित्र सरकार की तरफ से पेश नहीं किया गया। हम जानते हैं कि 343 करोड़ रुपये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, बल्कि यह कहें कि 31 मार्च, 1960 को पब्लिक डेब्ट की शक्ल में हमें प्राप्त हुए और जो लोन्स एण्ड एडवान्सेज हमने 31 मार्च, 1966 तक कई विभागों को दिये उसकी धनराशि 109 करोड़ 45 लाख रुपये की आती है। जो आंकड़े इसमें दिये गए हैं आडिट रिपोर्ट में मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं फाइनेन्स अकाउन्ट को आप अगर देखेंगे तो उस में हर साल का ओपनिंग बेलेन्स और क्लोजिंग बेलेन्स दे रखा है–उस वर्ष के बीच में कितना नया कर्ज दिया गया, कितना रिपेमेन्ट हुआ–उसको देखने से यह मालूम पड़ता है कि उसमें यह जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें क्या इन्ट्रेस्ट का हिसाब, ब्याज का हिसाब भी शामिल किया है या नहीं किया है? आप देखेंगे कि 1961 में 31 मार्च को हमारे लोन्स एण्ड एडवान्सेज की राशि 47 करोड़ 81 लाख रुपये की थी, जो कि पांच साल के अन्दर 109 करोड़ 45 लाख की हो गई है। इन पांच साल के अन्दर जो कुछ रिपेमेन्ट हुआ, उससे ज्ञात होता है कि हमारे पास में पूरे आंकड़े नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए आपके द्वारा दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम 31 मार्च, 1966 तक कौन कौन से वर्ष में कितने लोन्स एण्ड एडवान्सेज राज्य सरकार की तरफ से कौन

(श्री शोभाराम)

कौन से विभाग को दिये गये, म्युनिसिपेलिटी को कितना दिया गया, पंचायत समिति को कितना दिया गया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इत्यादि विभाग को इस सम्बन्ध में कितना दिया गया। जिस समय बजट के ऊपर बहस हो रही थी उस समय मैंने दरख्वास्त की थी कि मंत्री महोदय यह बतायें कि पिछले पन्द्रह साल के अन्दर हमने जो लोन एडवान्स किया, उसमें कितना प्रिन्सिपल अमाउन्ट हमने दिया और उसमें से कितना ड्यू हुआ और उस पर कितना इन्ट्रेस्ट हमारे पास आया और कितना इन्ट्रेस्ट अभी बाकी है। इसका कोई जिक्र नहीं है कि कितना हिसाब किताब पेश किया गया है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि रिकवरीज एण्ड एरियर्स का जो चेप्टर दिया गया है, तो जब हम लोन्स एण्ड एडवान्सेज की बात करते हैं तो हमको देखना होगा कि बकाया रकम कितने दिनों से बाकी पड़ी है। 1963–64 के जो फाइनेन्स अकाउन्ट्स हैं उनको आप देखें तो उनमें यह लिखा हुआ था, जो आडिटर जनरल ने यह रिपोर्ट दी है उसमें है: "Detailed accounts of certain categories of loans (total amount outstarding upto the end of 1963-64, Rs. 11.08 Crores) are maintained in 377 offices of the State Government. Informatiou received from 83 offices indicates that a sum of Rs. 28 lakhs is pending recovery on cth31st March, 1964."

इसमें सबसे बड़ी जो दयनीय बात है वह यह है कि जहां कि 377 आफिसेज से इन्फर्मेशन आनी चाहिए थी वहां केवल 83 आफिसेज से सूचना आई। उसके बारे में उन्होंने कहा कि लाखों रुपया बकाया था। यह 1963-64 की रिपोर्ट है। हमने समझा कि शायद कुछ गलती हो गई है। लेकिन 1964-65 की जो रिपोर्ट है उसको यदि देखें तो उसमें भी प्रकार इसी की शिकायत हमें देखने को मिलती है। उसमें भी कहा गया है :—
"Detailed account of certain categories of loans : Information not received."

आप देखेंगे कि पौने चार सौ आफिसेज थे उनको कोई इन्फार्मेशन मिली नहीं। यह नहीं, बल्कि 1965-66 के अन्दर हम देखें तो इसी प्रकार से यह चीज देखने को मिलती है। उसमें भी यह कहा गया था कि जहां बहुत से आफिसेज में 485 स्टेटमेंट ड्यू थे, उनमें से 88 स्टेटमेंट प्राप्त हुए हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि यदि यह स्थिति है तो इसके बाद सही विवरण संस्थाओं के साधनों के बारे में कैसे पता चल सकता है जब कि बहुत से दफ्तर, बहुत से आफिसेज से सही रिपोर्ट तक नहीं आती है। 1963-64, 1964-65, 1965-66 इन तीन सालों के मुतवातिर फाइनेन्स अकाउन्ट्स देखने का मौका मिला तो मुझे हैरानी हुई इस बात की कि हर वर्ष आडिटर जनरल यह कहते हैं कि इतने स्टेटमेंट इतने आफिसेज से हमारे नहीं आये हैं। यही नहीं, आप ताज्जुब करेंगे यह सुन कर कि एक रिपोर्ट में तो कहा गया है कि करोड़ों रुपये का इस तरह का मामला है कि हैड आफ डिपार्टमेंट से, कितना बेलेन्स उनके पास बाकी है, इसके एक्सेप्टेन्स का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि साढ़े पांच करोड़ रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

(श्री शोभाराम)
के अन्दर बेलेन्स बकाया बताया जाता है, लेकिन उसकी तरफ से, इतनी बड़ी संस्था की तरफ से न तो एक्सेप्टेन्स के लिए कोई तजकिरा किया गया है और न कोई एक्सेप्टेन्स दी है। –मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

तो मैंने एक बात आपसे निवेदन की है कि अगर हम वित्तीय साधनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इसलिए कि लोन्स एण्ड एडवान्सेज के फण्ड से, सेन्ट्रल असिस्टेन्स से और कैपीटल रिसीट्स से जो पैसा हम पाते हैं इनकी हमें अदायगी करनी हैं। मेरा यह मानना है कि जहां हमने 116 करोड़ रुपये के लोन्स की शक्ल में सेन्टर ले लिये हैं, वहां हमने विभागीय तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दूसरे विभागों के द्वारा पब्लिक के लिए, इन्स्टीट्यूशन्स के लिए 109 करोड़ 45 लाख रुपया वितरित किया है। मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि अभी हमने इन्ट्रेस्ट के पेमेन्ट के लिए जो लोन्स एण्ड एडवान्सेज दे रखें हैं उसके लिए कर्जा लेते हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से और उसकी अदायगी करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि बहुत मुमकिन है कि इस प्रकार की पूरी इत्तला इस वक्त मौजूद नहीं हो, किन्तु अगर हम इसकी गहराई में जाना पसन्द करेंगे तो 1951 से लेकर पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, और तीसरी पंचवर्षीय में कितना-कितना कर्ज लिया गया, वह किन किन लोगों को किन किन विभागों की मार्फत मिला, उनका प्रिन्सिपल अमाउन्ट कितना ड्यू हुआ, कौन कौन से वर्ष में कितना 2 ब्याज ड्यू हुआ, और कितना बाकी है– इस सब की हमको जानकारी होनी चाहिये वैसे शर्तें यह भी है, आप जानते हैं कि अगर वक्त के अन्दर कर्ज वापिस नहीं दिया जाता है तो पेनल इन्ट्रेस्ट का प्रोविजन एक तरह से रखा जाता है। मुझे यह कहने की जरूरत है कि फर्टिलाइजर के वितरण के बारे में सहकारी स्टेट बैंक से यह कहा गया कि क्योंकि वक्त पर पैसे की अदायगी नहीं की है कि इसलिए उस अमाउन्ट पर पेनल इन्ट्रेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसी प्रकार की शर्त कोआपरेटिव संस्थाओं जो कोआपरेटिव सेक्टर में है, पर भी आयद होती है, उसके अन्दर भी हमको पेनल इन्ट्रेस्ट प्रिन्सीपल अमाउन्ट के वक्त पर न चुकारा होने पर देने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि कितना प्रिन्सिपल अमाउन्ट था, जिस पर पेनल इन्ट्रेस्ट कितनी कितनी साल का बकाया है। इसके साथ साथ मैं मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक बताया गया है कि जो कर्जा हमने अभी तक लिया है 343 करोड़ का और हमारी केपीटल रिसीट्स जो बजट तकरीर में बताई गई है वह 430 करोड़ की होती है, मैं जानना चाहूंगा कि अगले दस साल का यदि हमें अनुमान मालूम पड़े कि हमें कितना कितना कर्ज चुकाना है, उसका प्रिन्सिपल अमाउन्ट क्या है और कितना इन्ट्रेस्ट, पेनल इन्ट्रेस्ट उस पर बनता है? और कितनी टोटल लाइबिलिटीज हम पर हर साल में आती है। मुझे यह सूचना मिली है कि कुछ दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की एक कांफ्रेन्स हुई थी उसमें मुख्य मन्त्री जी ने यह सवाल उठाया था और इन्होंने पूछा था हैरानी के साथ कि हमारे पास यह आंकड़े नहीं है कि अगले दस वर्ष टोटल लाइबिलिटीज कितनी होगी, प्रिन्सिपल अमाउन्ट कितना होगा, और इन्ट्रेस्ट ड्यू कितना होगा और जो

(श्री शोभाराम)
ब्याज का डेफर्ड पेमेन्ट हो गया है उसका अमाउन्ट कितना होगा····

[2. म. प.]

अनेक तरीकों से, वार्निंग के तरीके से उनको चेतावनी दी थी कि अगर हम अपने वित्तीय साधनों पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं और अपने वित्तीय साधनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने रेवेन्यू अकाउन्ट को सुधारना चाहते हैं तो हमारे पास पूरे हिसाब मय तफसील के होने चाहिए।

मैं लोन एण्ड एडवान्सेज के बारे में निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी टोटल लाएबिलिटीज आवेगी उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हमारी आम जनता की जेब से ताल्लुक रखता है। हमने 20 हजार टन का एक तरफ से लेवी के जरिये से अनाज को उपलब्ध करने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मुश्किल से 40 लाख की बचत होगी और इससे आप कुछ कम दामों पर अनाज वितरण करना चाहते हैं वह कर सकेंगे। मगर यह बात नहीं बतायी गई कि जहां आप 34 रु. मन खरीदते है वहां बाजार से भाव का 4 , 45 रु. मन का पड़ता होता है। यदि आप इस प्रकार 40 लाख रुपयों की बचत करके सस्ता अनाज लोगों को बेचना चाहते हैं, आप 40 लाख के लिये इतनी लेवी लेते हैं और उसके लिये आप किसानों को कितनी परेशानी में डाल रहे हैं। उनके लिये आपने कहा है कि किसानों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी गाड़ी में या खेती करने के साधनों से आपको सेन्टरों पर तुलवाएगा। ठीक है, आप प्रोक्योरमेंट करें या लेवी लें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जहां तक 40 लाख का फायदा करेंगे उसके लिये मैं कहूंगा कि सरकार के प्रत्येक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि अगर हमारे पास रिकवरी के आंकड़े हो और वसूली के पूरे प्रयत्न किये जावें तो 5 करोड़ की आमदनी का कम से कम लाभ हो सकता है। मैंने यह भी देखा है कि लोन का अमाउन्ट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनमें 36 करोड़ एक साल में uninvested बेलेन्स के तौर पर पड़ा रहा। अगर वह रुपया पड़ा नहीं रहता तो 2 करोड़ 16 लाख इन्ट्रेस्ट के रूप में आते जब कि इन 36 करोड़ में जो पड़े रहे उनके इन्ट्रेस्ट को चुकाने की जिम्मेदारी भी सरकार की रही। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोन्स एन्ड एडवान्सेज के लिये हमारे सामने एक स्टेटमेंट पेश करें कि कितना दिया और कितना उसमें प्रिन्सिपल अमाउन्ट है और कितना चुका दिया और कितना बाकी है और कितना इन्ट्रेस्ट है और उसकी रिकवरी करने के लिये सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जिससे पता लगेगा कि टोटल लाएबिलिटी क्या है और कितना इन्ट्रेस्ट होगा। तीसरी बात मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप पंचायत समितियों से एक बात का स्पष्टीकरण करें कि 232 ब्लॉक्स हैं उनमें से 50 ब्लॉकों के लिए आपने यह कह दिया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से कर्जा वितरित होगा। मगर बाकी के ब्लॉक्स हैं उनमें भी आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि जहां आपका 21 करोड़ रुपया पंचायत समितियों का आउट स्टेन्डिंग है तो उस

(श्री शोभाराम)

आउट स्टेन्डिंग रुपये के वसूल करने की किसकी जिम्मेदारी होगी । क्या यह पुराने कर्जे की जिम्मेदारी कोआपरेटिव बैंकों की होगी या जो बी. डी. ओ. काम करेंगे उसकी जिम्मेदारी होगी यह भी एक विचारणीय विषय है । आज उन 21 करोड़ रुपयों के बारे में आज नहीं तो कल सोचना ही होगा । आप उनके सैट अप में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं और बी. डी. ओ. को हटा कर एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसरों को लगाना चाहते हैं । उनकी क्या जिम्मेदारी होगी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसे अधिकारी को जिम्मेदार लगावे जो कि 15 वर्षों में जितने विभागों में पैसा दिया गया उसकी वसूली की क्या कार्यवाही हुई है यह देखें । अगर इस तरह की कोई कार्यवाही हो और 6 या 8 महीने में रिकवरी हो जाए तो 5 साल तक आपके रेवेन्यू में कोई घाटे का बजट नहीं होगा । क्योंकि पिछले 5 वर्षों में 22 करोड़ का घाटा दिखाया गया है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कमियां जो वित्तीय लेखों में दिखाई गई हैं वह दूर हो सकती हैं । बशर्ते कि इनके प्रोपर अकाउन्ट की व्यवस्था की जावे ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि आप अगर अपने विभागों को वार्निंग दें कि जब ऑडिट पार्टी आती है तो उनके सामने पूरा का पूरा रेकार्ड पेश किया जावे । ऑडिट ने यह ऑब्जेक्शन किया कि हजारों की तादाद में वाउचर्स पेश नहीं किये जाते । इसलिए वाउचर्स पेश करने की व्यवस्था की जाए । मैं यह जानना चाहूंगा कि लोन्स एण्ड एडवान्सेज कितने पड़े हैं । बस मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सहदेव शर्मा ।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष की तरफ से और राज्य पक्ष की ओर से भी पंचायत राज्य को काफी कोसा गया है और भारी शोक दोनों तरफ से प्रकट किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि इस सारे शोक का कारण है तो हमारी सरकार है । हमारी सरकार ने पंचायती राज्य के सम्बन्ध में नीतियें अपनाई हैं वे अधूरे पन से अपनाई हैं । सबसे बड़ी गलती यह है कि किसी काम को विश्वास से शुरू करती है और किसी काम को अविश्वास से शुरू करती है । जहां तक पंचायती राज्य को अधिकार देने का प्रश्न है वहां अविश्वास की प्रणाली अपनाती है और जहां सरकार के निकम्मेपन को ढकने का प्रश्न है वहां पर वे पूरे कार्यान्वित तरीके हमारे ऊपर छोड़ देती है । मैं बहुत ही अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले यदि एक बात हो रही है और उनको यह है कि पंचायत राज्य के मालिक तुम हो जैसे किसी को यह कह दिया जाय कि तुम इस घर के मालिक हो तो घर के मालिक तो तुम हो गये मगर उस घर में जो सामान है उसको देखने का और इधर उधर रखने का तुमको कोई अधिकार नहीं है । घर के आप मालिक हो मगर घर का सामान आप काम में नहीं ले सकते हैं । ठीक वही हाल पंचायतों का है ।

मैं सबसे पहले पंचायत राज्य मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि आज से लगभग दो तीन वर्ष पूर्व आबू की ठंडी हवा में आपने यह निश्चय किया था कि जिला परिषदों को

(श्री सहदेव शर्मा)

ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जावे और उन्होंने कहा था कि कुछ कर्जा देंगे। मगर अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि आज जिला परिषद् की दशा हास्यास्पद है। कोई भी माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित है कि जिला परिषद् में आज सिवाय एक पोस्ट ग्रोफिस के समान काम होता है उससे ज्यादा कोई काम नहीं होता। कभी कभी यह होता है कि जिला परिषदों की मार्फत नहीं लिख कर सीधा पंचायत समितियों को ही लिख दिया जाता है। इससे इसका कोई महत्व नहीं। डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में नियुक्तियों के लिए एक कमीशन बैठ जाय, ताकि वह भी आज की बेरोजगारी में एक साधन बन जाय। तो मैं कहना चाहता था कि जो आबू में राज्य सरकार ने निर्णय लिये थे उनको क्यों नहीं लागू किया। मैं तो यही मानता हूं कि सरकार द्वारा उन निर्णयों को लागू नहीं करने के पीछे सरकार की नीति में, सरकार के मन में खोट थी। सरकार चाहती थी कि परेशानियां बढ़ें पर मैं कहना चाहता हूं कि इसमें खोट न हो कर सरकार के लिये लाभ ही था, इन निर्णयों को लागू करने से सरकार के कुछ काम और भी सरल हो जाते। मेरा निवेदन है कि मिडिल स्कूलों तक की शिक्षा जिला परिषदों को देने का निर्णय लिया। हो सकता है मैं गलत सोच सकता हूं पर जो शिक्षक संगठन ने आन्दोलन की धमकी दी और सरकार को कुछ कहा, डाक्टरों के लिये यह निर्णय था कि जिला परिषदों को हैल्थ सेंटर्स दे दिये जायं, उस निर्णय से सोचा कि न मालूम कौनसा तूफान खड़ा हो जायगा, मैं नहीं समझता कि ग्राफिसर्स यह क्यों सोचते हैं, जिला परिषद् लेवल तक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाय तो इसमें क्या दिक्कत हो जायगी ? मेरा तो यह मानना है कि पशु पालन अधिकारी, विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी आदि जिला स्तर के अधिकारियों की कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार जिला परिषद् के प्रमुख को होना चाहिये। कृषि प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी कोई एलिजियेंस शो करते हैं कलेक्टर के प्रति तो इसलिये कि कलेक्टर के हाथ में उनके जीवन को बनाने या बिगाड़ने के अधिकार हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनके जीवन को प्रमुख बिगाड़े, ऐसा कार्य कोई भी आत्मा वाला आदमी तो नहीं करेगा। मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, के प्रति एलिजियेंस शो कर सकता है तो विकास अधिकारी प्रमुख के प्रति एलिजियेंस क्यों नहीं शो करें। पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भय ही सबसे बड़ी बुरी चीज है, जिसके कारण आदमी का मान और अपमान दोनों ढक जाते हैं। मैं यह कहना चाहता था पंचायत के मंत्री जी से कि यदि पंचायती राज संस्थाओं को जीवित रखना है तो फिर उस तरीके से काम कीजिये जैसा कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का उद्घाटन करते हुए कहा था :

> There should be no halfway to the House. Partly trusting and partly distrusting will not help.

मैं उनकी दुहाई दे कर कहना चाहता हूं कि इन बातों को याद रख कर पंचायती राज संस्थाओं को चलाना है तो इस विश्वास के साथ चलाइये वर्ना इनसे कुछ भी हित होने वाला नहीं है, इनका चलाना न चलाना समान ही होगा।

(श्री सहदेव शर्मा)

पंचायत समितियों में कार्य करने वाले प्रसार अधिकारियों की अजीब ही नीति अपनाई हुई है, राज्य सरकार द्वारा। उनसे काम लेने की जिम्मेदारी है पंचायत समिति की और उनके ऊपर सीधा नियन्त्रण है पेरेन्ट डिपार्टमेंट का। पंचायत समिति विकास अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, विकास अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो उसके लिये हमें पेरेन्ट डिपार्टमेंट को लिखना पड़ता है। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि यदि पंचायती राज की संस्थाओं में गवर्नमेंट का इस प्रकार इन्टरफीयरेंस चलता रहा तो पंचायती राज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जिस गति से पंचायती राज चल रहा है उस गति से इसका चलना न चलना बराबर है। अगर सरकार पंचायती राज संस्थाओं में इसी प्रकार का अपना इन्टरफीयरेंस रखना चाहती है तो इससे तो यह अच्छा होगा कि एक बिल ला कर सभी पंचायती राज संस्थाओं को वापिस ले लें। इसकी मैं एक मिसाल, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगा। अभी चतुर्थ ग्राम चुनाव हुए, आप अन्दाज करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्थ ग्राम चुनावों में हमारे विकास अधिकारियों को इन्स्ट्रक्शन्स थे कि किन-किन चुनाव क्षेत्रों में क्या क्या कार्य करेंगे। मेरे क्षेत्र में विकास अधिकारी को कहा गया कि ये मास्टर हैं, इनका तबादला किया जाय, ये ये ग्राम सेवक हैं, इनका तबादला किया जाय। मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा पंचायत मंत्रीजी से कि अगर यह बगावत प्रमुखों के खिलाफ चलायेंगे तो यह पंचायती राज चलाने की बात है या पंचायती राज को बरबाद करने का रास्ता है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)- रास्ता तो कांग्रेस के बहुमत को प्राप्त करने का है।

श्री सहदेव शर्मा : ट्रान्सफर पावर्स, तबादले करने के अधिकार विकास अधिकारियों को दिये हैं, मेरे को बताइये पंचायत राज मंत्री महोदय, कि अगर यह अधिकार विकास अधिकारी को देने थे तो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया? क्या मतलब हुआ डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन का? काहे के लिये बनाई है प्रशासन समिति और अनुशासन समिति, उनके प्रति इनको जिम्मेदार नहीं ठहराना है तो पंचायती राज बनाने का क्या मकसद है?

पिछले चुनावों में अध्यादेश ला कर डी. ई. सी. के अधिकार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिये। उधर डी ई. सी. को पावर्स इधर गवर्नमेंट को पावर्स, इन दोहरे अधिकारों का क्या मतलब है? मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि पिछले साल हमने हमारे ड्राइवरों के ट्रान्सफर किये, गवर्नमेंट द्वारा उनको कैंसिल कर दिया गया, इस तरह के इन्टरफीयरेंस मत कीजिये, डी. ई. सी. के अधिकारों को डी. ई. सी. तक ही रहने दीजिये। पंचायती राज संस्थाओं में यदि आपका विश्वास नहीं है तो उन्हें बन्द कर दीजिये, इस तरह से तो वे नहीं चलेंगी, इससे इनमें बुरा रूप आ जायगा। बड़ा डिसआर्डर फैल जायगा।

कई बार हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है, मुख्य मंत्री के भाषण, पंचायत के मंत्री का तो नहीं तत्कालीन पंचायत मंत्रीजी ने कहा था कि जन शक्ति को मोबिलाइज करिये। किस तरह जन शक्ति को मोबिलाइज करेंगे? आप योजना बनाते हैं,

(श्री सहदेव शर्मा)

डिस्ट्रिक्ट के इन्डिकेशन उपलब्ध नहीं होते। जयपुर जिला परिषद् इन्डिकेशन्स तैयार कर रही थी, मैंने कलेक्टर को लिखा था कि आपके इन्डिकेशन्स बताइये पर खेद के साथ कह रहा हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के इन्डिकेशन्स अब तक अवेलेबल नहीं हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अन्त में मैं अपने यहां के नीचे से नीचे ग्राम पंचायत के लेवल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मन्त्रीगण किसी बात को आरम्भ करते हैं तो मुख्य सचिव, सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव आपकी मदद करते हैं, पंचायती राज के नीचे से ऊपर तक के अधिकारी जिलाधीश आदि आपकी मदद करते हैं पर मैं पंचायत मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सरपंच की मदद करने वाला कौन है ? उसको भी सचिव की आवश्यकता है। आप कह सकते हैं कि खर्चीला एडमिनिस्ट्रेशन होता जा रहा है, पर उस गरीब की क्या हालत है ? आज कोई अधिकारी गांव में आता है तो सरपंच को पहले बुलाता है, आज राजबलाई की सी ड्यूटी सरपंच की हैं, और जगह की मैं नहीं कह सकता, जयपुर राज्य में जो राज बलाई की ड्यूटी थी, वह आज सरपंच की ड्यूटी हैं। आप मेरे को बताइये कि इतनी मशरफियत के बीच में भी आप सरपंच को सचिव नहीं देते, उसको फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलटीज के लिये सचिव नहीं देते हैं तो अगर कहीं जरा भी भूल उससे हो गई तो आप उसके हथकड़ी लगाकर घुमाने को तैयार हो जायेंगे, उसको नंगे रूप में दुनियां के सामने रखने को तैयार हो जायेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कितना ही खर्चीला एडमिनिस्ट्रेशन हो, पंचायती राज को बदनामी से बचाना है तो सरपंच के लिये सचिव की व्यवस्था करिये नहीं तो वे लोग रोज आपकी 17 (4) की कार्यवाहियों के शिकार होते जायेंगे।

इसलिये 17 (4) की कार्यवाही इतनी सस्ती न बना दी जाय। इससे कोई भला आदमी तैयार ही नहीं होगा। हम कभी किसी को जाकर सरपंच बनने के लिये कहते हैं तो वे कहते है हमारी इज्जत एम० एल० ए० साहब बरकरार रहने दीजिये। 17 (4) से दुनियां तंग आ गई है। सरपंच पद पर खड़े होने वाले व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि यह भले आदमियों का काम नहीं। आप इस पद को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि यह दूसरे तीसरे दिन जाकर निरर्थक बन जाता है। आप इस पद को रूल आउट करना नहीं चाहते लेकिन आप तहकीक करके इसको इन्सान समझिये। राजनैतिक आदमी में भी मानव पक्ष अपना स्थान रखता है। राजनीति में भी मानव पक्ष है। जिसको बिठा दिया है यह खातिर मानकर चलिये कि वह काम अच्छा करेगा। आप इसके लिये 17 (4) की कार्यवाही करने में नहीं चूकते। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ सहायता पंचायत राज को चलाने के लिये गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है, ग्राम पंचायतों को दी जाती है वह बन्द कर दी गई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सब बातों पर ध्यान दीजिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और रह गई पंचायत समितियों के बारे में। पंचायत मंत्री महोदय ध्यान से सुन रहे हैं

(श्री सहदेव शर्मा)

या नहीं यह मुझे मालूम नहीं। उम्मीद करता हूं वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। ये आपके विभाग के अध्यक्ष बिना प्रधान की जानकारी के प्रसार अधिकारियों का तबादला कर देते हैं यह अच्छी परम्परा नहीं, समझदारी की परम्परा नहीं है। मैं आपको कोटपुतली के बारे में बताना चाहता हूं वहां के पशु पालन अधिकारी का तबादला किसी शिकायत पर कर दिया गया। उसके बारे में तत्कालीन कृषि मंत्री से कहा था उन्होंने निवेदन को कबूल किया, सही माना। और पशु पालन अधिकारी का तबादला कर दिया गया। आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गलत परम्परायें पड़ गई हैं। उनको आप अवश्य छोड़िये। आखिर वहां भी प्रधान है। किसी भी प्रसार अधिकारी का तबादला किया जाय तो प्रधान की राय ले लीजिये। आप ऐसा कलंक क्यों लगाते हैं। आपको तो डिसक्रीशनरी पावर्स हैं। आप कहीं भी किसी को फेंक सकते हैं पंचायत समितियों के जो वास्तविक अधिकारी हैं वे तो दे दीजिये।

अन्त में मैं जिला परिषदों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं या तो आप जिला परिषदों को खत्म कर दीजिये और अगर चलाना है तो सही रूप में चलाइये। सादिकअली रिपोर्ट को लागू कीजिये अन्यथा कोई रास्ता नहीं। इन्हीं बातों के कारण आप बदनाम हो गये, आदमी बदनाम हो गये। विकास अधिकारियों को चुनाव प्रचार में मत लगाइये। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपकी खिलाफ पार्टी में बैठा हूं मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है हमने कभी उनका उपयोग चुनाव में नहीं किया। आप भी इस बात पर अवश्य ध्यान दें पंचायत समितियों को चुनाव के अवसर पर दूर रखिये। आशा है पंचायत मंत्री मेरी इन बातों पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें गत वर्ष सामुदायिक विकास योजनाओं पर जो खर्चा हुआ वह 12.87 हजार रुपया था जो अधिक खर्चा हुआ। यह खर्चा विभाग द्वारा प्रशासनिक खर्च में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, भवन निर्माण, वेतन और भत्तों पर खर्च किया गया। जहां तक इस खर्चे का सवाल है इतना अधिक खर्चा करने के बाद भी इस विभाग में योजना के अन्दर किसी प्रकार की भी इफीशियेन्सी लाई होती तो इसमें आपत्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन भवन निर्माण और सरकारी कर्मचारियों पर इतना खर्च करने के बाद भी किसी प्रकार की इफीशियेन्सी, किसी प्रकार की सुव्यवस्था योजना में आयी हो तो खुशी की बात होती। मैं इस बारे में आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की पंचायत समितियों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां के लोगों को कुछ तकावियां, सिंचाई के कुओं के बनाने के लिये मिलीं। जो तकावी दी जाती है वह इन्स्टालमेन्ट में लोगों को दी जाती है उस समय एक इन्स्टालमेंट दी गई। कुए खोदने में और उनके निर्माण में यह रुपया लगाया। आज उस किसान के हिसाब पेश करने के बाद भी उनको दूसरी किस्त आज तक नहीं दी गई। यह दूसरी किस्त पंचायत समिति इटावा द्वारा न मिलने के कारण उन किसानों को बरसात के समय भारी क्षति उठानी पड़

(श्री महेन्द्रसिंह)

सकती है। जो एक किश्त उनको दी गई उस सारी रकम को लगाने के बाद उनका निर्माण अधूरा रह गया इस कारण यदि वर्षा हो गई तो उनका सारा पैसा बरबाद होने की स्थिति में आ जायगा इसलिये पंचायत मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि विकास अधिकारियों को एक लेटर लिखकर यह आज्ञा प्रदान करें कि दूसरी किश्त जो बकाया है वह जल्दी से जल्दी उनको दिलाई जाय ताकि जो उनका अधूरा निर्माण है वह पूरा हो जाय।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के अधीन जब से प्राइमरी स्कूल्स आगये हैं उनके अध्यापकों में काफी बड़ा असन्तोष है। अक्सर अध्यापकों को सरपंच के अधीन रहना पड़ता है उनका कहना मानना पड़ता है, जिस सरपंच का बहुमत पंचायत समिति में होता है उनका कहना मानना पड़ता है, जो बहुमत में बैठते हैं जो प्रधान के गुर्गे हैं उन लोगों के साथ मजबूर होकर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को चलना पड़ता है, उनकी बातों को मानना पड़ता है,। इस तरह से पढ़ाई की तरफ वे कम ध्यान दे पाते हैं, जिन गांवों के अध्यापक पार्टी पोलिटिक्स में पड़ गये हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, वे अध्यापक उन प्रधान या सरपंच के विपरीत कोई काम करते हैं, या उनकी बात वे अध्यापक नहीं मानते तो उनका तबादला कर दिया जाता है। और जो उनकी हां में हां मिलाने वाला होता है तो वह चाहे तो स्कूल ही न खोले तो भी काम चल जायगा। उनको केवल एक ही सबक सिखाया गया है कि जो सरपंच है उनको खुश रक्खो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसी स्कूलों में कई लड़के ऐसे हैं जिनको चार और तीन मिलाकर कितना होता है यह जोड़ तक नहीं आता। आगे जब उनको मिडिल स्कूल में भेजते हैं तो अधिकतर लड़के फेल हो जाते है।

इस कारण घर बैठ जाते हैं। आज प्राइमरी स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है, उसका कारण यह है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के प्राइमरी अध्यापकों को संरक्षण नहीं मिलता। जो कुछ वहां का प्रधान या सरपंच करना चाहता है, उसके हिसाब से ही सब लोगों को चलना पड़ता है। मैं एक स्कूल का हवाला देना चाहता हूं। एक अध्यापक से सारे लोग नाराज थे। जिस अध्यापक के खिलाफ ग्राम पंचायत के लोगों ने शिकायत की है लेकिन वहां के सरपंच का उसके सर पर हाथ है। इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रमुख का हाथ है, विकास अधिकारी उससे प्रसन्न है और इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता। वह अध्यापक स्कूल को अटेंड नहीं करता, लड़कों को एडमिट नहीं करता। सारी बातों को इन्क्वायरी करने के बाद, विकास अधिकारी से संपर्क स्थापित करने के बाद, उस अध्यापक का तबादला नहीं हुआ और न ही उसके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लिया गया। वह है तालाब गांव के मुख्याध्यापक। सारे ग्राम के लोग उससे असंतुष्ट हैं। दूसरी तरफ कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं, जिनको सारे गांव वाले चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि यह अध्यापक यहां रहना चाहिए, वह अच्छा काम करता है लेकिन उनसे सरपंच नाराज हैं, इस-लिए उनको परेशान किया जा रहा है। तो इस प्रकार का हस्तक्षेप प्राइमरी स्कूलों में पंचायत

(श्री महेन्द्रसिंह)
समितियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा किया जा रहा है, उसके कारण अध्यापकों में असंतोष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

इसलिए यदि आप प्राइमरी शिक्षा को प्रभावशाली और अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिवा इसके और कोई उपाय नहीं कि इन स्कूलों को सरकार अपने हाथ में ले और अगर पंचायतों के पास ही रखना है तो कमसे कम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कमसे कम हस्तक्षेप सरपंच और प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाय। जो कुछ भी एक्शन लिया जाय वह एस. डी. आई या विकास अधिकारी द्वारा लिया जाय तो कुछ न कुछ राहत मिल सकेगी। इस समय सरकार की तरफ से वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है।

अब मैं विकास योजनाओं पर आता हूं। इन योजनाओं में भी कुछ पैसा पंचायत समितियों द्वारा खर्च किया जाता है लेकिन आज तक कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें किसी प्रकार से मास्टर प्लान बनाकर पंचायत समिति ने विकास किया हो। जो कुछ विकास के कामों पर खर्च होता है, वह मनमाने तरीके से होता है। थोड़ा पैसा इसमें और थोड़ा उसमें दिया जाता है, नतीजा यह होता है कि कोई योजना पूरी नहीं होती और सारी की सारी योजना अधूरी पड़ जाती है और सारा पैसा बेकार हो जाता है।

एग्रीकल्चर के अन्दर कुछ तकाबियां दी जाती हैं। नई फसलें जो कृषि विभाग सिफारिश करता है उनके बीज वितरण किए जाते हैं। उसकी हालत भी यह है कि गन्ने के मामले में एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोटा जिले के कृषि विभाग ने निर्णय किया कि लार्ज स्केल पर गन्ना लगाया जाय। चम्बल कमांडेड एरिया की योजना को अपने हाथ में लिया और पंचायत समितियों में काफी तकावी किसानों को देकर लाखों रुपये खर्च करके गन्ना लगवाया। सुल्तानपुर, लाडपुरा, अंता और इटावा पंचायत समितियों ने ऐसा किया। इटावा पंचायत समिति की अजीब हालत है। किसान विकास अधिकारी को रो रहे हैं। जितना पैसा गन्ने के मामले में दिया है, उसका 50 या 75 प्रतिशत सब्सीडी ऐसी है जिसका प्रधान और विकास अधिकारी ने मिलकर गबन किया है, किसानों को नहीं मिला। जिन लोगों से पंचायत समिति ने बीज खरीदा है उनको लोगों को कम भुगतान किया है और जिन किसानों को बेचा है उनसे ज्यादा पैसा वसूल किए हैं। इसकी जांच कराइए। जहां से गन्ने का बीज पंचायत समिति इटावा ने खरीदा है, उनसे पूछिए कि कितने रुपये में खरीदा और किसानों से पूछिये कि कितने रुपए में आपको दिया है। जिन लोगों से बीज लिया है उनको पंचायत समिति ने पेमेंट किया है 112 के हजार, 114 के हजार और 100 के हजार और जिन किसानों को दिया है, उनसे पंचायत समिति ने वसूल किया है 130 के हजार और 160 के हजार। आप अन्दाजा लगाइए, कितना पैसा बीच में पंचायत समिति ने लिया है। सारे का सारा पैसा विकास अधिकारी और प्रधान की जेब में चला गया। यह मामला तब खुला जब पशुपालन के डाक्टर साहब वहां के विकास अधिकारी इन्चार्ज बने, उस समय यह आवाज उठी कि विकास अधिकारी ने पैसा खाया है लेकिन राज्य सरकार ने प्रधान की बात

(श्री महेन्द्रसिंह)

मानकर उस विकास अधिकारी को वापस वहां नियुक्त किया। अगर सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार कम हो तो जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं उन सारे लोगों को जांच कराएं उनको सजा दिलाएं। तो मेरा निवेदन है कि इस मामले को सरकार अपने हाथ में ले और जिन किसानों ने गन्ना खरीदा है और जिनसे पंचायत समिति ने लिया, उनसे पूछताछ करें, तो सारे मामले सामने आ जायेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि कितने पैसे का पंचायत समिति ने गबन किया।

खतौली पंचायत, तालाब गांव, के सरपंच ने पंचायत समिति से लिए हुए ऋण को किसानों को नहीं दिया। विकास में नहीं लगाया और आज तक जेब में लेकर बैठे हैं, ब्याज कमा रहे हैं। तालाब गांव पंचायत की रकम जो हरिजनों और कोलियों के लिए कुए बनाने के लिए थी, उस रकम को सरपंच दबा कर बैठा हुआ है, कोलियों को नहीं दी है। खतौली के सरपंच ने जो उसको बैलों के लिए तकाबी मिली वह तकाबी सारी अपने कर्जे में जमा करा दी। सरपंच का कर्जा उन लोगों पर निकलता था और किसानों से तकाबी पर दस्तखत करवाये गये। इस प्रकार की अव्यवस्थायें पंचायत समिति इटावा के सरपंच, प्रधान और विकास अधिकारी द्वारा हो रही हैं।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव उदयपुर जिले में कुओं को बावड़ियों को बन्द कराने के सम्बन्ध में रखा है। उदयपुर जिले के अन्दर कई पंचायत समिति क्षेत्रों के अन्दर बावडिया थीं और उनका पानी पीने के कारण वहां के आदमियों को नेहरू (गोनीवरम) बीमारी होती थी। उसके लिए जिला परिषद् ने राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव रखा और सरकार ने उन बावडियों को बन्द कर कुओं में परिवर्तन कराने के लिए कुछ रुपए देकर जिले की पंचायत समितियों को दिया। जब वह रुपया पंचायत समितियों में आया तो वहां के विकास अधिकारियों को चाहिए था कि वे पंचायत समितियों के द्वारा जो बावडियां उन पंचायत समितियों के क्षेत्रों में थीं जिनके प्रोपोजल उन्होंने विकास विभाग को भेजे थे उनको बन्द करवाना चाहिए था किन्तु उसका उल्टा हुआ और वह यह हुआ कि गोगुंदा पंचायत समिति में वहां के विकास अधिकारी जो पशुपालन अधिकारी, वह कार्यवाहक विकास अधिकारी थे श्री सर्वानन्द शर्मा, उन्होंने 60 हजार के हैंड-पम्प्स खरीदे, उनके टेन्डर्स नहीं लिए गए थे, उनका एडवरटाइजमेंट नहीं किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : किसी अधिकारी का नाम न लें।

श्री रोशनलाल : तो टेन्डर नहीं लिए, कोई प्रकाशन नहीं कराया, उन्होंने अपने ही एक व्यापारी से हैंड-पम्प्स खरीद लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब इस बात का पता मुझे लगा तो मैंने उस बारे में जानकारी की और जानकारी करने पर मुझे यह मालूम हुआ कि 60 हजार रुपये के हैंड पम्प कार्यवाहक विकास अधिकारी के द्वारा खरीदे गये थे। जिस कम्पनी के हैंड पम्प थे, वे अहमदाबाद की एक कम्पनी के थे जो 180 रुपये के थे उनको 375 रुपया प्रति हैंड पम्प खरीदा गया। मैं जिला प्रमुख के नाते

(श्री रोशनलाल)
पंचायत समिति के अन्दर गया। पंचायत समिति की सारी कार्यवाही को देखा। मैंने मुआयना रिपोर्ट में विकास विभाग को बताया कि बड़ा घोटाला है इसकी जांच की जाय। उप विकास अधिकारी श्री बिन्दु ...

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी अधिकारी का बिना पूर्व सूचना के नाम न लें।

श्री रोशनलाल : अच्छी बात है मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने विकास विभाग को रिपोर्ट भेज दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि दो साल से ऊपर का अर्सा इसको हो गया अभी तक विकास विभाग ने इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की है। हम कहते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज अच्छी तरह से चले, जनता और अधिकारी लोगों का आपस में सहयोग हो, लेकिन जब अधिकारियों की कमजोरियों को बताते हैं और उनके विरुद्ध जब कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जनता और जनता के प्रतिनिधियों में शिथिलता आ जाती है। यह तो मैंने गोगुन्दा पंचायत समिति की स्थिति बतायी।

इसी प्रकार धरियावद पंचायत समिति में विकास अधिकारी ने हैंड पम्प खरीदे। बावड़ियों को कुओं में परिवर्तित करने का था। उस क्षेत्र में एक भी बावड़ी कुए में परिवर्तित नहीं हुई। उन्होंने हैंड पम्प एक कम्पनी से खरीदे। मैंने उस कम्पनी का लेटर पैड देखा। कम्पनी चलाने वाले व्यक्ति से पूछा कि हैंड पम्प सप्लाई किया है तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है न टेन्डर निकाले और न ही सूचना दी और धरियावद पंचायत समिति में जाकर सरपंचों को एक तरफ हैंड पम्प दिये और दूसरी तरफ कहा कि यह रकम नाम मांड दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक इसके कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। ये जो दो हैंड पम्प के काण्ड हुए हैं उनकी काफी भारी चर्चा है। उस क्षेत्र में जो जन प्रतिनिधि काम करने वाले हैं उनके दिमाग में बड़ा भारी रोष है। सरकार के सामने सही स्थिति रखते हैं, इस तरह के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं उन पर इतने लम्बे अर्से तक कोई कार्यवाही नहीं होती है तो भ्रष्टाचार की बात करें कि इसको बन्द कर रहे हैं और पंचायती राज जैसी संस्थाओं में इस तरह का भ्रष्टाचार हो तो यह शोभाजनक बात नहीं हो सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं बड़गांव पंचायत समिति में विकास अधिकारी थे, उनका हाउस में आपने बैसा फरमाया कि नाम नहीं लेना चाहिये मैं उनका नाम नहीं लेता। उस विकास अधिकारी ने काश्तकारों के नाम पर तकावी लोन रोकड़ में मांडा, कुछ ग्रामीणों के नाम हाउस लोन मांडा, जिन लोगों के नाम मांडा उन लोगों को न तो हाउस लोन पहुंचा और न ही तकावी पहुंची। उसके बारे में इन्क्वायरी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि इस पंचायती राज संस्था के बाद में हमें यह उम्मीद थी कि ब्लाक लेवल पर रुपयों में गड़बड़ी होती हैं, जहां जन प्रतिनिधि बैठे हैं वहां पर गड़बड़ नहीं होगी इससे यह देख कर मुझ जैसे व्यक्ति को भी निराशा हुई है। विभाग को बताया कि

(श्री रोशनलाल)

रुपयों का दुरुपयोग हुआ है और फिर भी विभाग आंख मींच कर बैठ जाय तो क्या होगा। उदयपुर जिले में काफी चर्चा है। काफी लोगों में निराशा है। हैंड पम्प खरीदे गये। नियम के अनुसार यह होना चाहिये कि विकास योजना में पंचायतें डिमाण्ड करें कि किस बात की आवश्यकता है। उन्हें अपने क्षेत्र में किस योजना को प्रारम्भ करना है। हैंड पम्प की किसी पंचायत ने मांग नहीं की। पंचायत समिति से मांग नहीं हुई, प्रधान से नहीं पूछा गया और विकास अधिकारी ने अपने पावर्स से खरीद लिया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान ने इस पर ओब्जेक्शन किया कि किस नियम के अनुसार खरीदा है। वहां के विकास अधिकारी ने प्रधान को विश्वास में नहीं लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायत राज संस्था जनतन्त्र की नींव है। इस नींव को कमजोर करने का काम जो राजस्थान में हो रहा है वह नहीं होना चाहिये। इस नींव के द्वारा हम अच्छा विकास कर सकते हैं। अगर हमारे सरकारी अधिकारी जन प्रतिनिधि को अच्छा सहयोग दें या जो नियम हैं उनके अनुसार ठीक ढंग से काम करें तो मैं नहीं मानता कि जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई अनियमितताएं दूर न हो सकें। ये दो कटौती प्रस्ताव मैंने धरियावद और बड़गांव के बारे में प्रस्तुत किये।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव तकावी लौन के बारे में है। पंचायती राज के बाद किसानों ने समझा कि तकावी लौन आसानी से मिल जावेगा। कुए खोदने के लिये खेती में तरक्की करने के लिये तकावी लौन आसानी से मिल जायगा और कोई उसको खर्चा नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में छः छः महीने लौन के लिये दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं उन पर कोई विचार नहीं होता। पंचायत समितियों के विकास अधिकारी जमानत लेकर काश्तकारों की दरख्वास्तें उप समिति में नहीं रखते। जो तकावी लौन का नियम बनाया गया, सौ रुपया यदि काश्तकार को चाहिये और जिसमें नियम है कि पचास भी देंगे, वह पचास रुपया भी उस काश्तकार को नहीं मिलता। सन् 5। से लेकर आज तक जो तकावी लौन दिया गया है यह रकम आवश्यकता के अनुसार नहीं देने से काश्तकारों के कुए अधूरे ही पड़े हैं। हमने राज्य सरकार से निवेदन किया कि हमारे जिले में इतने कुए अधूरे पड़े हुए हैं क्योंकि तकावी लौन जितना काश्तकार को चाहिये वह उसको नहीं मिला है तो आप लौन दीजिये तो लौन हमको नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1959 से लेकर 1967 तक राजस्थान में इस विभाग ने कई सेमीनार किये। सेमिनार में, प्रमुख, प्रधान और एम. एल. एज. ने सुझाव दिये, जिला परिषदों ने कई सुझाव भेजे तकावी लौन में विलम्ब होता है उसको दूर किया जाय। एक तरफ आप चाहते हैं कि काश्तकार का शोषण होता है उससे काश्तकार को बचायें और दूसरी तरफ शोषण करने वाले के पास काश्तकार को भेजते हैं। एक आसामी व्यापारी के पास जाता है, काश्तकार को कुए खुदवाने और आवश्यकता के लिये उस से रुपया मिल जाता है उसके बजाय वह पंचायत समिति में दरख्वास्त दे, पटवारी की महीना भर वह खुशामद करे,

(श्री रोशनलाल)
ग्राम सेवक के पास जाय, पंचायत समिति में दरख्वास्त आये उस पर उप समिति विचार करे और उसके बाद उप समिति की स्वीकृति हो फिर जमानत नामा हो, उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना लम्बा प्रोसिजर है कि आज किसान परेशान है और वह तकावी लेना पसन्द नहीं करता। उदयपुर जिले की एक दो पंचायत समितियों ने इस पर विचार किया। विकास अधिकारी को कहा, मुझे कहा। पंचायत समिति देखने गये वह रुपया क्यों पड़ा हुआ है, पंचायत समिति पर ब्याज लग रहा है, वे कहते हैं कि क्या करें कृषक नहीं लेते। हमने जिला परिषद् में बैठ कर निर्णय लिया कि रूल्स को आसान किया जाय। हमने सुझाव दिये लेकिन विकास विभाग अभी तक विचार नहीं कर सका। मिलने हैं तो सहानुभूति की बात होती है लेकिन अमल नहीं होता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि बैंक के द्वारा तकावी लोन देना स्वीकार कर लिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बैंक ब्याज ज्यादा लेता है। बैंक के पास किसान जाना पसन्द नहीं करता है वहां भी डिले होती है। लोन का मामला है, हम चाहते हैं कि वह बैंक के द्वारा ही हो। हम उसके विरोधी नहीं हैं। लेकिन जो लोन दिया जाय उसमें काश्तकारों से कम ब्याज लिया जाय। काश्तकार को अगर लोन की आवश्यकता चार हजार की है तो चार हजार रुपया उसको लोन दिया जाय ताकि कुआ पूरा हो। कुए पूरे नहीं होते हैं तो मैं मेरे जिले के लिये क्या कई जिलों के लिये कह सकता हूं कि आपने जिस तरह की रकम दी उससे काश्तकार को फायदा होना चाहिये, राज्य सरकार को फायदा होना चाहिये, अधिक उत्पादन होने में राज्य सरकार को मदद मिलनी चाहिये पर वह इसलिये नहीं मिल सकी कि काश्तकार को समय पर रुपया नहीं मिलता

काश्तकारों को रुपया पूरा नहीं मिलता है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है कि तकावी लोन में विलम्ब को दूर किया जावे और इसके अलावा काश्तकारों को पूरी रकम दी जावे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है सामुदायिक विकास योजना के सम्बन्ध में उसमें पहला प्रस्ताव यह है कि पंचायतों का राजस्थान में जो गठन किया गया है वह गलत है।

जिस प्रकार से नोहर पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायतें बनी हैं वे ठीक नहीं हैं। एक पंचायत का गांव 15 मील की दूरी पर है दूसरी का हैड क्वार्टर पास में तो है और तीसरी को 15 मील तक जाना पड़ता है। इस तरह से पंचायतों का गठन हुआ है इसमें संशोधन होना चाहिये। पहले शुरू से जो पंचायत बनाई थी उनमें और अब में भी बड़ा अन्तर है।

इनमें अब फेरबदल चुनाव कमीशन द्वारा ही संशोधन हो सकता है इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जावे और सारी पंचायतों का पुनर्निरीक्षण करके संशोधन किया जावे।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

दूसरा मेरा प्रस्ताव है जिला परिषद् के अन्दर अधिकारों के सम्बन्ध में । ये परिषद् नाम मात्र की हैं । जैसे अजायब घर में एक सुन्दर मूर्ति हो। ये काम कुछ नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा है उनको समाप्त कर दिया जाय । और अगर इनको सफल बनाना है तो इनको अधिकार देने चाहिये। और जिलाधीश को जिला परिषद् का सेक्रेटरी होना चाहिये ।

तीसरा मेरा प्रस्ताव है न्याय पंचायतों और पंचायतों के सम्बन्ध में । मैं अनुभव के तौर पर बता देना चाहता हूं कि न्याय पंचायतें बनाने के बाद में गांवों में पार्टीबाजी ज्यादा हो गई है । इससे किसी को लाभ नहीं हुआ है। जितने मुकदमे होते हैं पंचायतों के मार्फत न जाकर सीधे दर्ज करते हैं। अब उनके पास न आमदनी है न ही जो सहायता पंचायतों की तरफ से मिलनी चाहिये, वह मिलती है । बड़ा आपस में संघर्ष चलता है। जिस पार्टी का आदमी चेयरमेन होता है उससे खिलाफ वाले उनसे लड़ते रहते हैं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मुकद्दमे पंचायत में ही ले लें तो। वैसे तो न पंचायत में विश्वास है लोगों को न न्याय पंचायतों में ।

जिस वक्त राजस्थान में तहसील पंचायतें थीं । तब इतने झगड़े नहीं थे । तो मेरा सुझाव है कि न्याय पंचायतों को समाप्त कर दिया जाय ताकि गांवों की एकता बनी रहे और पंचायत राज को आगे बढ़ने में मार्ग मिले ।

सूरतगढ़ पंचायत समिति का गठन बिलकुल निरर्थक किया गया है । जैसे मेरा प्रश्न पिछले दिनों सदन में भी आया था। जहां दो हजार से अधिक की पंचायत नहीं होनी चाहिये वहां 10 हजार की पंचायत को कैसे आप स्वीकार करते हैं। इस पंचायत में 3 गांव है जबकि एक से अधिक गांव को मिला कर दो हजार से अधिक की पंचायत नहीं होनी चाहिये । तो यह गलत है । क्योंकि 7 पंचायतें मेरे चुनाव क्षेत्र में आई हैं जो एक डेढ़ हजार की हैं, जब कि दूसरी 10 हजार की है। अपनी कम्यूनिटी की प्रभुसत्ता कायम रखने के लिये मनफूल सिंहजी और उनके ही भाई प्रधान हैं बीरबल सिंहजी, इन दोनों ने मिलकर उस पंचायत समिति क्षेत्र को ही तबाह कर रख है । इस पर पुनर्विचार होना चाहिये । यह गलत सिस्टम है। इस प्रकार पंचायत नहीं होनी चाहिये. इससे तो पंचायत राज से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है ।

पंचायत समिति नोहर का गठन भी गलत है । जब कि सात महीने पहले मैं उस समिति का प्रधान था, झूठे मुकद्दमे में लगा कर उस पद से खारिज कर दिया गया और इसके बाद चुनाव नहीं हुआ। वहां की और जो कमेटियां बनी हैं उनके रिक्त स्थानों का चुनाव भी नहीं हुआ है ।

राजस्थान के अन्दर 24125 ऐसी पंचायत समितियां हैं जिनमें प्रधान नहीं हैं। उप प्रधान काम कर रहे हैं। इससे लोगों को विश्वास नहीं है । इसलिये इनका चुनाव जल्दी से जल्दी करना चाहिये। और चुनाव प्रणाली जो है इसे सरल बनाया जाय, इसके बिना कोई गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता इसका । और अधूरे कमेटियों के चुनाव पंचायत समितियों में पड़े हैं वे भी पूरे कराये जावें ।

Page No. 93

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नोहर की स्थायी समितियों के स्थान सारे खाली पड़े हैं, और सात महीनों से प्रधान का पद खाली है। तो काफी पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनके चुनाव नहीं हुए तो वे कराये जावें।

छठा प्रस्ताव मेरा पंचायत समितियों के अन्दर के घोटालों के बारे में है। जितने घोटाले इन समितियों में होते हैं उतने और संस्थाओं मे नहीं होते। कर्जे भी इन पर असीम हैं।

विकास समितियों के बारे में निवेदन करूं कि इनको आप विकास समितियां नहीं, विनाश समितियां कह सकते हैं। इनको विनाश समितियां कहना चाहिए। लाखों करोड़ों के घोटाले इनमें होते हैं और सरकार ध्यान नहीं देती। उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि नोहर में लाखों रुपयों का सामान खरीदा गया। 53 फर्स्ट एड बाक्स खरीदे गये। 380 रुपये में एक बक्स है जब कि बाजार में उसकी एक की कीमत है 30) 35) रुपया है। पंचायत मंत्री दामोदरलाल जी व्यास थे। मैंने उनसे शिकायत की पर उल्टा उन्होंने मुझको धमकाया कि तुम बदमाश हो इसलिये विकास अधिकारी की खिलाफत करते हो मैंने कहा कि मैं बदमाश इसलिये हू कि सही बात कहता हूं और वे इस सदन में भी सही बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। पांच चार दिनों बाद मेरे को तो वहां से प्रधान पद से हटा दिया पर इसकी रिपोर्ट पहले ही मैंने कर दी थी। लेकिन इस पर जांच नहीं की गई। एन्टी करप्शन विभाग को विजिलेन्स कमीशन को भी और जिलाधीश को भी लिख दिया। फाइलें कहीं पड़ी हैं स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट है। उसमें कम से कम 50 हजार से ऊपर रुपयां विकास अधिकारी से वसूल करने के लिये लिखा बताया है। तो इस तरह से घोटाले पंचायत समितियों में होते हैं और ये मंत्री सुनते नहीं हैं। इससे तो बहतर है इनको तोड़ देना चाहिये। करोडों का नुकसान होता है और विकास के बदले विनाश होता है।

झूठे खर्चे लिखाये जाते हैं यहां तक कि पंचायत समितियों में जो प्रसार अधिकारी होते हैं वे घर बैठे ही टी. ए. डी. ए. के फार्म भरते हैं और महीने में बीस इक्कीस दिन घर बैठे रहते हैं और नाजायज तरीके से काम करते हैं। उनके अधिकारीगण भी कुछ सुनते नहीं। विकास अधिकारी हैं उसको प्रधान पर बिठा रखा है पंचायत समिति के सदस्य और सरपंच की जांच विकास अधिकारी कर सकता है, फिर मरजी आवे उसके खिलाफ शिकायत की जावे तो जवाब तलब किया जाता है।

....तो इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर जो पंचायत समितियां बनाई गई हैं मैं तो यह कहूंगा कि पंचायती राज्य का जनाजा ही निकला है आपने कोई विकास नहीं किया है उल्टा विनाश ही किया है। और मूल जड़ के अन्दर जाकर यही इन्क्वायरी कराई जाये तो अनेक आदमी जेल जा सकते हैं और इस तरह से जो 1965–66 की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें भी कितनी ही कमियां बताई गई हैं और कितनी ही ऐसी पंचायत समितियां है कि जिनको अनुदान मिला है और उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र पेश नहीं करने की वजह से कोई हिसाब ही नहीं हो सका और न जाने कितने ही इल्जाम रिपोर्ट में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लगाये गये हैं लेकिन जब इस सरकार के अन्दर ही कमियां हैं तो वह दूसरों की ओर क्या देखे ? पहले तो राजस्थान के अन्दर राजा महाराजा मौज करते थे और यहां अब राजस्थान के अन्दर अधिकारी लोग राजा महाराजाओं की तरह अपनी जीपें लिये फिरते हैं। उनके अच्छे बंगले हैं, उनको अर्दली मिले हुए हैं ? और हजार-हजार और डेढ़ डेढ़ हजार की तनख्वाह लेते हैं और कोई काम करने की जरूरत नहीं। खुले आम रिश्वत लेते हैं, सरकार की परवाह नहीं करते, और यहां से हुक्म जाते हैं तो नीचे का अधिकारी उसको मानता ही नहीं हैं, उसके उपर कार्यवाही ही नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सरकार खुद भ्रष्ट है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार यदि यही व्यवस्था रही तो राजस्थान का दिवाला निकलने वाला है। साथ ही सरकार भी जायेगी और सबका मुंह काला होने वाला है। इस तरह से कोई शासन पद्धति नहीं चला करती है। जिस तरह से वह विकास पंचायतों के नाम से घोटाले हो रहे हैं तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए, और पंचायत समितियों के अन्दर जितने घोटाले हैं उनके लिए शीघ्रातिशीघ्र कोई कमीशन, नियुक्त करके जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि एन्टीकरप्शन विभाग खुद करप्ट है, इसलिए आपको एक स्पेशल अदालत की नियुक्ति करनी चाहिए, और जांच करनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं आप यह सब नहीं कर सकते इसलिए कि आप खुद ही दोषी हैं। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आपको समय रहते हुए समझ जाना चाहिए कि मामला कहां तक पहुंच गया है और आप लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया तो समय बहुत नजदीक है कि आप लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जो जानबूझ कर जनता के खजाने का पैसा लूटते हैं उनकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यह 6 कटौती प्रस्ताव थे जिनके ऊपर मुझे प्रकाश डालना था। मैं आशा करता हूं-आशा तो मुझे नहीं है क्योंकि यह सरकार 20 साल के शासन में भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती मंहगाई के अलावा इसने कुछ नहीं किया है। मंहगाई आज इतनी हो गई है तो आगे कुछ होने वाला तो है नहीं लेकिन मैं अपना फर्ज समझता हूं कि वक्त रहते हुए आपको समझना चाहिए और अगर नहीं समझेंगे तो इसका नतीजा उल्टा ही निकलेगा जो कि आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मौज आप लोग ही करते हैं तो सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय को जो बातें मैंने कही है उनके ऊपर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीलाल !

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटमोशन पंचायत समितियों को 100 बीघा जमीन एलाॅट करने के सम्बन्ध में और पंचायतों को 15 बीघा अलाॅट करने के सम्बन्ध में है। दूसरा कटमोशन पंचायत समितियों को जिला

(श्री अमीलाल यादव)

परिषदों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने के संबंध में है और तीसरा कटमोशन जो डुग्रम गवर्नमेंट पंचायतों में है उसके संबंध में है।

मैं सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय इस बारे में अर्ज करूंगा कि दरअसल वही योजनायें कामयाब होती हैं जिनमें कि सरकार की नीति स्पष्ट हो और वास्तव में जो करनी और कथनी में फर्क नहीं समझे, और उनकी नीतियां उन संस्थाओं को या जो योजनायें हैं उनको चलाती हैं उनको कागजों में लिखती हैं, और जिस प्रकार से उनका प्रोपोगेन्डा करती हैं उसी प्रकार से उनको नीतियां कार्यान्वित यदि हों तो तभी वह योजनायें कामयाब होती हैं, और वही संस्थायें कामयाब होती हैं। यह बात सही है कि पंचायती राज्य जैसा कि विधान के डाइरेक्टिव्स में दिया हुआ है बहुत अच्छी हैं और चलनी चाहिए, और अवश्य ही इनको चलाना चाहिये। लेकिन इस पंचायती राज्य में हमारी सरकार की कितनी निष्ठा है और कितनी निष्ठा के साथ में उसका कार्य कर रही है यह हमारे देखने की बात है। पंचायतें बनी, शुरू में पंचायतें सन् 53 में बनीं। उसके बाद में एक बड़े गांव को साथ लेकर जिसमें क्रिमिनल केसेज और विकास के कार्य होते थे वह पंचायतें हम समझते थे कि आगे चलकर अच्छा काम करेंगी। फिर उनका कुछ रूप बदला और न्याय पंचायत और पंचायतें अलग की गयीं और अलग करने के बाद में विकेन्द्रीकरण आया। तो फिर हमने सोचा कि शायद जो पहले कार्य चल रहे थे उससे कहीं हम आगे हो जा रहे हैं लेकिन देखा यह गया कि जितने जितने हम आगे गये और जो घोषणाएँ हमने कीं उससे कहीं अधिक गड्ढे की तरफ ही हम जाते रहे। हमने देखा कि जो भी घोषणायें राज्य की ओर से की जाती हैं तो वह केवल घोषणामात्र ही रह जाती हैं और उनको क्रियान्वित किसी काम में नहीं किया जाता है। पंचायती राज्य को मैं तो यह कहूंगा कि नीति के आधार पर इसको असफल किया जा रहा है वर्ना पंचायती राज्य बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और पंचायती राज्य को यदि सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से उनकी नीति है उस प्रकार से कार्य करने की इजाजत दी जाय और उसी तरह से सुपरवीजन के तरीके पर किया जाय तो न तो कोई गांव में मुकदमा चले और न गांव में जिस प्रकार से ईर्ष्या, द्वेष और पार्टीबाजी है वह ही हो. और गांवों में जितना विनाश होता जा रहा है वह कभी नहीं हो सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि पंचायतों के नाम पर आप अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और एक दूसरों को लड़ाकर मुकदमेबाजी में डाला जाता है, पार्टीबाजी में डाला जाता है। वैसे पार्टीबाजी बुरी नहीं होती है लेकिन वह सही नीति में होनी चाहिए और उसका साउण्ड क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन आप अपना ही मतलब इससे पूरा करते हैं और पंचायतों को आप व्यक्तिगत दुश्मनी का लक्ष्य बनाते हैं। तो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि नीति सरकार की यह होनी चाहिए कि पंचायतों को सफल बनाना चाहिए और पंचायतों को शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसी के ऊपर 15 बीघा जमीन पंचायतों को एलॉट करने की सरकार ने घोषणा की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यह जमीन कितनी पंचायतों को एलॉट की गई है? मैं अलवर जिले की कह सकता हूं और खास

(श्री अमीलाल यादव)

तौर से पहाड़ी क्षेत्र की कह सकता हूं कि मेरे खयाल से पेपर के ऊपर तो एलाटमेंट 10 पंचायतों को किया है लेकिन उनमें से केवल दो को ही पजेशन दिया है । इसके अलावा किसी को क़ब्जा नहीं दिया गया है । इसी प्रकार की यह जनरल समस्या सब जगह है । दूसरा सरकुलर और गया था कि पंचायत समितियों को 100 बीघा जमीन एलॉट की जायेगी । मैं जब खुद प्रधान था उस समय एक सुझाव दिया था कि पंचायत समिति के बिल्कुल पास ही बहुत अच्छी जमीन थी नीमराना के पास में जहां कि दोनों पहाड़ियों के बीच में एक बंध भी बन सकता था और उससे बहुत ज्यादा पैदावार हो सकती थी.... प्रोडक्शन की भी बात करते हैं और प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ता है, किस तरह से खाद्यान्न की समस्या है यह भी हम समझते हैं । हम देखते हैं कि जो घोषणा की जाती है उसका पालन नहीं होता । यदि 15 बीघा जमीन का एलॉटमेंट कर दिया जाता तो ग्राम पंचायतें कितना अनाज पैदा कर देती और सौ-सौ बीघा पंचायत समितियों के लिए जो कहा गया था वह भी एलॉटमेंट नहीं किया गया । उसमें यदि इतने दिनों के अन्दर एलॉटमेंट हो जाता तो मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों से कम से कम आसपास के गांवों की खाद्यान्न की समस्या दूर हो सकती थी । इसलिए यह भी मेरा खयाल है कि किसी भी पंचायत समिति को सौ-सौ बीघा जमीन का एलॉटमेंट आज तक नहीं किया गया ।

अब मैं कहता हूं कि जैसा कि रुख चल रहा है सरकार का कि पंचायत समितियों से वहां के विकास अधिकारियों को हटाया जा रहा है, पंचायत समितियों से ऋण कोआपरेटिव को दिया जा रहा है । और पंचायत समितियों में और भी कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं । इससे साफ जाहिर होता है कि शायद सरकार की यह नीति हो कि पंचायत समितियों को तोड़ दिया जाय । और वास्तव में जब हम देखते हैं कि सेक्शन 66 को कि जहां एक तरफ पूरे अधिकार दिए हैं पंचायत समितियों को और दूसरी तरफ सेक्शन 66 में ही पूरे अधिकार वापिस ले लेते हैं । जहां सेक्शन 25 में प्रधान को अधिकार हैं और सेक्शन 27 में विकास अधिकारियों को अधिकार दिए हैं । वहीं उनका दूसरा कन्ट्रोल, डुअल कन्ट्रोल वहां के कर्मचारियों के हाथ में, उनके डिपार्टमेंटल हैड के हाथ में होता है । तो इसलिए सही मायने में यह चल रहा है रुख, जो नीति है, जो निष्ठा होनी चाहिए वह निष्ठा यह है कि पंचायत समितियों को सबल बनाने की सरकार की निष्ठा नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि वास्तव में इसी प्रकार से कहीं एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से उनकी शक्ति को ले लेना तो इससे अच्छा तो यह होगा कि संस्थाओं को चलाया ही न जाय ।

मैं यहां पर अर्ज करूं कि अभी मेरे साथी प्राईमरी स्कूल के टीचर्स के बारे में कह रहे थे । मैं सच कहता हूं यह मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि पंचायत समितियों के अन्दर टीचर्स का बड़ा ह्यूमिलियेशन होता है । उनकी जैसी हालत है उससे तो मुझे एक कहावत याद आती है कि "वहीं बहू का पीसना और वहीं ससुर की खाट ।" वहां पर सरपंच छाती पर रहता है । वहां पर प्राईमरी स्कूल का टीचर रहता है, यदि उनकी इच्छा के विपरीत जरा सी सच्ची बात कह

(श्री अमीलाल यादव)

दें सो उसको किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह सही बात है कि इस प्रकार की संस्थायें, यदि राज्य सरकार की यह नीति है, राज्य सरकार की यही निष्ठा है, तो इन संस्थाओं के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन लाना पड़ेगा और यदि जैसा कि आज का सरकार का रुख है जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है, ऋण यहां से ले रहे हैं, दूसरे विकास अधिकारी हटाए जा रहे हैं, तीसरे इस प्रकार के कामों के अन्दर कहीं भी किसी के खिलाफ सेक्शन 117 के तहत अपनी पार्टी सम्बन्धी नीति को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरी राय तो यह है कि इन परिस्थितियों में पंचायत समितियों को तोड़ देना ही अच्छा होगा।

तीसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि यह जो आपकी जिला परिषदें हैं ये तो बिल्कुल ही पोस्ट ऑफिस हैं। इसका हाल तो यह है कि जिस तरह से एक बाजीगर खेल दिखाने लगता है और उसका आगे क्या नतीजा आएगा इसी प्रकार का कार्य आज पंचायत समितियों का चल रहा है। सो तो बहुत सुन्दर नजर आ रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। उनके लिए यह कहा जाता है कि उनको कोआर्डीनेटिंग का अधिकार है। ये पंचायत समितियों का कोआर्डीनेशन करती हैं। लेकिन जिला परिषदों का कार्य हम तो रोजाना यह देखते हैं जो कुछ भी कर दिया प्रधान ने, प्रधान की जैसी इच्छा हुई वैसा कर दिया उसके बाद में प्रमुख या और कोई उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। उसको किसी प्रकार से कोई बदलने वाला नहीं है। यही नहीं,.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जितने रेजोल्यूशन्स आज तक पंचायत समितियों ने और जिला परिषदों ने पास करके सरकार के पास भेजे उनकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यदि आज तक यह कोई कह दे कि कोई भी प्रस्ताव जो पंचायत समिति या जिला परिषद् की तरफ से पास करके सरकार के पास भेजा और उसे सरकार ने माना हो या उसके अनुसार आचरण किया हो, कोई महत्ता उनको दी हो। आपको ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा कोंक्रीट सुझाव है कि इन जिला परिषदों को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए और जिस प्रकार से पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी होती थी वही रूप इन जिला परिषदों को दिया जाय। वहां की कमेटी को जिस प्रकार की घटना है वह सारा डिस्ट्रिब्यूशन करेगी, उनका सुपरवीजन एस. डी. ओ. और तहसीलदार के द्वारा हो। वहीं से फण्ड एलॉट हो जाने चाहिये और उनको तमाम शक्ति, मिडिल स्कूल वगैरा को उनके अन्दर वेस्ट करनी चाहिए। जैसा सहदेव जी शर्मा बता रहे थे कि जिला परिषदों को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए। यह सही बात है कि उनको सिफारिशें मानी जाती हैं। एपॉइन्ट-मेंट्स वगैरा में प्रमुख जाते हैं। यहां तक भी होता है और मेरी निजी नॉलेज है कि आगे आकर वह मेम्बर जाते हैं उनकी राय में फेर बदल करके एक दूसरे के लड़के को कम करके दूसरे लड़के को नम्बर देकर लिस्ट के अन्दर एडीशन्स कराये जाते हैं। इस तरह से रद्दोबदल करना तो एक मामूली बात होती है। उसके अन्दर प्रमुख जाते हैं वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको बहुत इज्जत होती है। उनकी लिखी हुई बात को

(श्री अमीलाल यादव)
इस तरह दूसरे के हाथ ले काटा फांसी करके हटा दिया जाय यह कहां तक उचित है ? यह एक प्रकार से प्रधान की इज्जत का सवाल होता है और उसकी जितनी मान्यता होती है, लेकिन इस प्रकार से जिला परिषद् को एक हंसी बना रखा है। इसलिए उनको ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए और उनके जो प्रस्ताव होते हैं राज्य सरकार को उनको महत्ता प्रदान करनी चाहिए। उन पर पूरा अमल करना चाहिए और पूरी तरह से उनकी समस्याओं को, उनकी योजनाओं को महत्व देना चाहिए। आज जो कोआॅर्डीनेशन की बात कहते हैं तो यह काम तो एक क्लर्क भी कर सकता है, इसके लिए तो इनकी आवश्यकता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, इन थोड़े से सुझावों के साथ में और इसके साथ में जो यह एलाॅटमेंट करने थे वे तुरन्त करने चाहिए और सरकार की करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। उनको अपनी बात को कार्यान्वित करना चाहिए और जिला परिषदों को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। पहला मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह आॅडिट एतराजातों के अनुपालन के सिलसिले में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में जो आॅडिट हुआ करता है उसका अनुपालन कतई नहीं हुआ करता। जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है पंचायतों का आॅडिट आॅब्जेक्शन्स का अनुपालन ठीक ढंग से हुआ करता है लेकिन पंचायत समितियों के अन्दर इतने घोटाले हैं और खास तौर से इस सीगे की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आॅडिट आॅब्जेक्शन्स सालों साल जब से पंचायत समितियें सन् 1959 में कायम हुईं तब से लगातार आज तक बढ़ते जा रहे हैं। अलग-अलग पंचायत समितियों में जितने आॅडिट आॅब्जेक्शन्स सालों साल किए गए हैं उनमें मैं यह समझता हूं कि बीस प्रतिशत आॅडिट आॅब्जेक्शन्स की अनुपालना नहीं हुई है, और मैं समझता हूं कि इस तरह से सालों साल आॅडिट आॅब्जेक्शन्स का बढ़ना और उनकी अनुपालना नहीं होना, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मैं पहला निवेदन तो यह करना चाहूंगा कि जितने आपने पंचायत समितियों के मार्फत काश्तकारों को लोन दिए हैं, जितनी आपने उनको ग्रान्ट दी हैं, जितना बीज दिया है, जितनी आपने खाद के लिए पैसा दिया है, तकावी के रूप में पैसा दिया है, यह सारे क सारा हिसाब जो पंचायत समितियों के अन्दर रहना चाहिए, उनको आप देखेंगे कि किसी भी पंचायत समिति के अन्दर सुचारु रूप से हिसाब नहीं रखा जाता है। और इसलिए देखने में यह आता है कि आॅडिट के आॅब्जेक्शन होते रहते हैं, उनकी अनुपालना नहीं होती है, बी. डी. ओ. देखते नहीं है और सालों साल आॅडिट आॅब्जेक्शन बढ़ते रहते हैं। जहां तक वसूली का ताल्लुक है, आपकी वसूली पूअर है। इतने वर्षों में जितना पैसा दिया गया है उनकी वसूली

(श्री खेतसिंह)

नाकाफी है, क्योंकि आपके बी. डी. ओ. समय पर स्टेटमेंट बना कर तहसीलों को भेजते नहीं हैं और तहसीलदार किसी पार्टी पर नोटिस इश्यु करते है, किसी पर नहीं करते हैं। इसका कोई स्टेटमेंट वापिस पंचायत समितियों में नहीं आता है कि कितनों पर नोटिसेज इश्यु हुए हैं, इसलिए पंचायत समितियां अंधेरे में रहती हैं। जो स्टेटमेंट तहसीलदार के पास भेजा था वसूली के लिए उनकी बाकायदा अनुपालना की गई या नहीं, लोगों से रुपया वसूल किया गया या नहीं इसकी कोई जानकारी पंचायत समितियों को नहीं होती। पंचायत समितियों के द्वारा स्टेटमेंट बना कर भेजे जाते हैं, लेकिन· •

तहसील के अन्दर जो स्टेटमेंट बना कर भेजते हैं उसको तहसीलदार कोई परवाह नहीं करता है। उस स्टेटमेंट के अनुसार वसूली की कार्यवाही नहीं होती है और इस प्रकार आगे से आगे काश्तकार के ऊपर वसूली बढ़ती रहती है चाहे काश्तकार वसूली की रकम को देना चाहें, लेकिन सरकार की तरफ से वसूली के मामले में ढिलाई बरतने के फलस्वरूप वसूली नहीं होती है। इस सम्बन्ध में मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप विकास विभाग को कहिये और रेवेन्यू विभाग को इस तरह की हिदायत दीजिये कि जो वसूली का स्टेटमेंट पंचायत समिति की मार्फत तहसील को जाता है, उस स्टेटमेंट के अनुसार वसूली के लिए कितने नोटिस निकाले, और कितनों से रकम वसूल हुई—इसका दुबारा तहसीलदार एक स्टेटमेंट बना कर पंचायत समिति को भेजें, जहां से वह स्टेटमेंट विकास विभाग के पास आये ताकि यह विचार किया जा सके कि बकाया में से कितनी वसूली हुई है और कितनी नहीं हुई है।

दूसरे मैं सामान की खरीद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पंचायत समिति में खास तौर से सामान खरीदा जाता है उसके बारे में शिकायतें होती हैं। एक पंचायत समिति ने तो पूरे के पूरे फण्ड को लेकर उससे स्टेशनरी खरीद ली, और हमारे यहां यह एक मखौल की बात हुई है कि जितनी स्टेशनरी पड़ी है वह 80 लाख की स्टेशनरी····

श्री परस [illegible] मदेरणा : कितनी ?

श्री खेतसिंह : 80 हजार। भूल गया, तो 80 हजार की स्टेशनरी एक बी. डी. ओ. ने एक पंचायत समिति से खरीदली····

एक [illegible]नीय सदस्य : आपका जमाना है।

श्री खेतसिंह : सुनिये, सुनिये। हमारे राज्य में तो इस प्रकार की गलतियां कम होती हैं और होती हैं तो हम उनको खोल कर कहते हैं। आपके राज्य में, वैसे तो आपका राज्य होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा होंगी।

श्री मदनसिंह दांता : हमारे राज्य में तो आपके बाप दादा कामदार थे।

श्री खेतसिंह : आपके राज्य में हमारे बाप दादा कामदार नहीं रहे—यह आपको गलतफहमी है।

श्री मदनसिंह दांता : यह बैठे हैं काणोता में।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री खेतसिंह : मैं कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जो सामान खरीदा जाता है, उसके सिलसिले में जो मैंने बताया, इस तरह से स्टेशनरी खरीद ली जाती है हजारों रुपयों की नाजायज तरीके से, इसमें पंचायत राज बदनाम होता है। इस प्रकार एक बी.डी.ओ. स्वयं के लालच से गलती करता है लेकिन उसका असर सारे पंचायत राज पर होता है··

श्री भैरोंसिंह : इतना ही नहीं, मैं समझ रहा हूं कि आप जैसलमेर के बी. डी. ओ. के बारे में कह रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : उसने लाग बुक्स खरीदीं गाड़ियों के लिए, वह मैं समझता हूं कि चार सौ वर्ष तक काम में ली जा सकती हैं फिर भी खत्म नहीं होंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह दूसरी पंचायत समितियों में वितरित कर दी जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आपके राज्य में और क्या होगा, यही होगा।

श्री खेतसिंह : इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव दूंगा, यह सुझाव जब जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामसिंह जी थे तब एक सेमिनार में मैंने दिया था कि जिला स्तर पर एक कमेटी आपको रखनी चाहिए सामान की खरीद फरोख्त के लिए और उसका चेयरमेन कलेक्टर को रखना चाहिए। और किसी भी पंचायत समिति में जितनी भी खरीद फरोख्त हो वह जिलाधीश की मार्फत होनी चाहिए। लेकिन आप इस ओर कोई तवज्जह नहीं देते हैं। आपके बी.डी.ओ. मनमाने तरीके से सामान खरीदते हैं। वह किन्हीं तीन फर्म्स से टेण्डर ले लेते हैं और फिर मनमाने तरीके से सामान खरीद लेते हैं। जो सामान खरीदा जाता है उसमें उनका कमीशन होता है। इस प्रकार तो पंचायत राज बदनाम होगा। आशा है, आप इसकी ओर ध्यान देंगे और इसके लिए कुछ न कुछ करेंगे।

तीसरे में स्टोर के लिए कहना चाहता हूं कि जो स्टोर स्टाक का चैकिंग होता है वह आपका विकास अधिकारी करता है। आप देखिये कि विकास अधिकारी खुद तो खरीदने वाला है और खुद ही उसका चैकिंग करने वाला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टोर वेरीफिकेशन के लिए कि जो चीज खरीदी गई वह स्टाक में है या नहीं है और किस तरह से उनका वितरण हुआ है, इसके चैकिंग के लिए आप कलेक्टर को अधिकार दे दीजिये। कलेक्टर जिस वक्त में इन्सपेक्शन के लिए पंचायत समिति में जाय, उस वक्त वह स्टोर के स्टाक का वेरीफिकेशन करे। यदि वह पूरे स्टाक का चैकिंग न कर सके तो कुछ आर्टिकल्स का ही चैकिंग कर ले जिससे उसे मालूम पड़ जाय कि जितना वह आर्टिकल खरीदा गया था वह स्टाक में है या नहीं। मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई न कोई पाबन्दी होनी चाहिए।

इसी प्रकार से जो टूर बी० डी० ओ० किया करते हैं, उसमें कई दफा यह देखा गया है कि जिस वक्त में टूर नोट बनता है तो उसमें चपरासी का टूर नोट बनता है तो उसमें कुछ और होता है, बी. डी. ओ. के टूर नोट में कुछ

(श्री खेतसिंह)

और होता है और ड्राइवर के टूर नोट में कुछ और। इनको देखते हुए, प्रान फेस ग्राफ इट मालूम पड़ता है कि जैसे यह फर्जी बनाया है, कहीं टूर पर गये नहीं और झूंठा सब कुछ किया है। इस सम्बन्ध में कुछ सख्ती होनी चाहिए। वैसे यह बात तो बड़ी छोटी सी है लेकिन गांवों में इसका प्रचार गलत होता है। इसके साथ साथ इस तरह से जीप का भी दुरुपयोग होता है– उसको रोकने की ग्राप कोशिश कीजिये। ग्रापने पहले रूल्स बनाये थे कि पंचायत समिति में इतने गैलन से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी ग्रनुपालना नहीं होती है। बी. डी. ग्रो. जो भी खर्च कर देता है वह पंचायत समिति में रख देता है ग्रौर उसको मंजूर करवा लेता है ग्रौर कह देता है कि इस इस में खर्च कर दिया है। इस ग्रोर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि ग्रापके रूल्स इस बात के लिए ग्रलाऊ करते हैं कि एक बी. डी. ग्रो. एक दफा में पांच हजार रुपये तक की धनराशि उठा सकता है। ग्रब वह क्या करता है कि दस बजे पांच हजार का चैक काट दिया, 12 बजे दूसरा एक पांच हजार का चैक काट दिया ग्रौर 2 बजे तीसरा पांच हजार रुपये का चैक काट दिया। इस प्रकार वह बीस पच्चीस हजार उठा सकता है ग्रौर बाद में वह प्रधान के नोटिस में ग्राता है। इस सम्बन्ध में ग्रापका ऐसा स्पेसिफिक ग्रादेश होना चाहिए कि कितना रुपया बी. डी. ग्रो. बिना प्रधान की स्वीकृति के उठा सकता है। इससे भी कुछ सुधार ग्रायेग, यह मैं खास ग्रौर से कहना चाहता हूं।

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रापके पंचायत राज एक्ट के ग्रन्दर यह प्रावधान है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कि बजट पंचायत समितियां जिला परिषद् में भेजेंगी। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों का बजट है क्या। ग्रापके विकास विभाग की तरफ से उनके पास जो ग्रनुदान ग्राता है, या जो टैक्स लगाने की उन्हें शक्ति देते हैं–वह सब मिला कर उनका बजट है। इसके ग्रलावा ग्रौर कोई बजट है नहीं। इसके लिए ग्रापने कानून में प्राव-धान बना रखा है। ग्रौर इसलिए लम्बा चौड़ा बजट बना कर पत्र खराब करके जिला परिषद् में भेज देते हैं। ग्रौर वह उसे देख कर पास कर देता है। इसका नतीजा क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार के बजट बनाने से तो कोई प्रयोजन हल नहीं होता है। इसलिए क्यों नहीं बजट वाले सीधे को सुधारने की ग्राप कोशिश करें।

ग्रब ग्रन्त में मैं कहूंगा कि ग्रापके लेखा लिपिक हैं वह कतई ट्रेन्ड नहीं हैं इसलिए ग्रनि-यमिततायें पद होती है जो यह लेखा लिपिक किया करते हैं। इसलिए इनकी ट्रेनिंग का प्रावधान ग्रापको करना चाहिए।

इसके ग्रलावा जो सरपंच की ट्रेनिंग ग्रापकी है, ग्रौर उप सरपंच की ट्रेनिंग ग्रापने रखी है, वह सात दिन की ट्रेनिंग है ग्रौर सरपंच की ट्रेनिंग दस दिन की रखी है। यदि कोई उप सरपंच सरपंच बन जाता है तो उसे फिर दस दिन की ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। इसलिए दस दस दिन रखिये। इससे उनको बार बार ट्रेनिंग के लिए ग्राप दोनों के लिये नहीं ग्राना पड़ेगा ग्रौर राज्य सरकार का भी खर्चा

(श्री खेतसिंह)

नहीं होगा। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहता हूं कि आपने बी. डी. ओ. की पोस्ट को हटाया है जो पहले आर. ए. एस. बी. डी. ओ. थे उनको हटाया है और उनके स्थान पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या एनीमल हस्बेन्ड्री एक्सटेंशन ऑफिसर को बी. डी. ओ. की जगह पर रखा है। इससे यह भावना होगई है गांवों में कि आपने जिस दिल और भावना से पंचायत राज को शुरू किया था दो अक्टूबर को, योजना मंत्री ने जो नागौर में पंचायत राज को शुरू किया था और पं. नेहरू के कर कमलों से शुरू कराया था, और हिन्दुस्तान में पंचायत राज में पहल की थी, और भारतवर्ष के कई राज्यों ने आपकी ओर देखना शुरू किया था। आज पंचायत राज में कुछ अनियमिततायें होने की वजह से, पंचायती राज सुचारु रूप से नहीं चलने की वजह से और जिस प्रकार से आप ऑफिसर्स को हटा रहे हैं उससे यह भावना हो रही है कि पंचायती राज को आप धीरेधीरे करके खत्म करना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि आप लोगों में वापिस वही भावना ला सकते हैं कि राज्य सरकार की पंचायती राज को खत्म करने की मन्शा नहीं है और आप पंचायती राज को सही मायने में चलाना चाहते हैं। जैसा सहदेव जी ने कहा था कि जिला परिषद् को स्ट्रांग बनाकर जैसे महाराष्ट्र में पंचायती राज चला रहे हैं, वहां जिला परिषद को सबसे स्ट्रांग बाडी बनाया है और उसको अधिकार दिया है और उसके मार्फत काम होते हैं उसी प्रकार से आप कोशिश कीजिये। अगर आपको कुछ शंका है, सन्देह है, और आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो महरबानी करके, मैं कहूंगा कि जिला परिषद् को आप खत्म कर दीजिए। इससे आपका खर्चा भी कम हो जायगा, आप केवल एक एडवाइजरी बाडी ऊपर रखिये और पंचायत समितियों के माध्यम से पंचायती राज को चलाने की कोशिश कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वी सिंह !

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सामुदायिक विकास परियोजना की अनुदान की मांग के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। उसके सम्बन्ध में मेरे भी दो तीन कटौती प्रस्ताव हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा।

पंच शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पंच शब्द को हमारे पुराणों में, समाज में बहुत ऊंची मान्यता दी गई है, और पंच को परमेश्वर के बराबर माना गया है। इस पंच शब्द से ही पंचायतों की, पंचायत समितियों की, जिला परिषदों की और न्याय पंचायतों की स्थापना की गई है और इस कार्य को करने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने हिन्दुस्तान में पहल की और नागौर में इसका उद्घाटन कराया और इसकी शुरूआत पं. नेहरू के कर कमलों के द्वारा कराई गई। इसके अलावा पंचायतों का हमारे भारतवर्ष में कार्यक्रम चलता आ रहा है, वह बहुत ही प्राचीन समय से है, यहां तक कि महाभारत और रामायण काल से चला आ रहा है। इससे पूर्व से भी, जब से समाज की स्थापना हुई है, तब से पंचायतों की व्यवस्था हमारे समाज में कायम है और बदस्तूर आज दिन तक चलती आ रही है और इसका मतलब यह कि इनको मजबूत बनाने के लिये हमारा दृढ़ विश्वास

(श्री पृथ्वी सिंह)

होना चाहिये न कि उनमें अविश्वास करके इन योजनाओं को खत्म कर दिया जाए। जैसा कि हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाल रहे थे उस समय कहा। जैसा हमारे रामचन्द्रजी ने कहा कि उन्होंने पंचायत समिति के कार्यकाल में ऐसा अनुभव किया कि यह पंचायती राज्य चलने का नहीं। इसमें बी. डी. ओ. के कार्य, पंचायत समिति के दूसरे कार्य क्रम और न्याय पंचायतों के अलग कार्यक्रम यह सारी की सारी योजना बिल्कुल फेल होने वाली है और इसलिये इनको बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिये और भी कई माननीय सदस्यों ने इसके लिये कहा कि इन पंचायत समितियों को बन्द कर दिया जाना चाहिये। लेकिन मेरा विचार है कि यह पंचायतों का कार्यक्रम बन्द नहीं होना चाहिये बल्कि इनको अच्छे ढंग से चलाने की सुदृढ और सुव्यवस्था होनी चाहिये और योग्य व्यक्तियों को आगे लाकर इसमें रखना चाहिये। इसकी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये। ऐसे योग्य और सज्जन पुरुषों को चुनना चाहिये जो शिक्षित हों, योग्य हों और जो आगे आने की कोशिश कर सकें।

आज हम पंचायतों के चुनावों में देखते हैं कि पंचायतों के चुनाव में वही लोग खड़े होते हैं और आगे आते हैं जिसका डंडा मजबूत होता है। वे पंचायतों में और किसी दूसरे आदमी को उस क्षेत्र में खड़ा नहीं होने देते हैं और कई जगह तो ऐसा होता है कि वे व्यक्ति निर्विरोध चुन लिये जाते हैं। इसलिये ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पंचायतों के कानून को फिर से सुधार करना चाहिये और फिर से उनके कार्यक्रम के बारे में विचार करना चाहिये और उन्हें पंचायतों के आकार को बड़ा बनाना चाहिये जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से हों और हर एक आदमी चुनावों में खड़ा होने की हिम्मत रख सकेगा। मतदाताओं को वोट डालने में सुविधा रहेगी और निष्पक्ष और ईमानदार और योग्य व शिक्षित आदमी पंचायतों में आगे आने में सफल होंगे और उनको सहूलियतें रहेंगी।

इसके अलावा अमूमन यह देखा जाता है कि जो लोग जनप्रतिनिधि कहलाने के लिये तैयार हो जाते हैं और बार बार यह कहते हैं कि पंचायतों को और जिला परिषदों को और प्रधानों को ज्यादा अधिकार दे दिये जावें। लेकिन मैं यह कहूंगा कि वास्तव में उनको अधिकारों की मांग नहीं करनी चाहिये। उनको यह मांग करनी चाहिये कि हमें विकास के ज्यादा कार्य दिये जावें, खेती के ज्यादा कार्य दिये जावें और शिक्षा के कार्य दिये जावें जिससे हम सही माने में विकेन्द्रीकरण को लाभ पहुँचा सकें और राजस्थान में लोग उसका सही माने में लाभ उठा सकें। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख को निरंकुश नहीं रहने दिया जाय, उन पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। उनको जो काम दिया जावे उनकी उन पर जिम्मेदारी रहनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसके लिए कानून बनावे कि अगर पंच या सरपंच अपना कार्य करने में असफल रहता है तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जावेगी और उसको कई प्रकार का दंड भी भुगतना पड़ेगा। अगर इस तरह से कोई कानून बनाया गया तो उनको भय भी रहेगा कि वास्तव में काम करना है और वे मशीन की तरह से काम करेंगे और फिर वे काम करने में पूरी जान लड़ा देंगे।

(श्री पृथ्वी सिंह)

इसके अलावा जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव होते हैं वे इतने खर्चीले हो गये हैं जिससे योग्य आदमी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, जो लोगों को ज्यादा मांस और मदिरा खिला पिला सकता है और पूरी और आमलेट खिला सकता है वह प्रमुख व प्रधान आसानी से जीत कर आ सकता है न कि योग्य और निष्पक्ष आदमी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि प्रमुख और प्रधान के चुनाव भी पंच और सरपंच के चुनावों की तरह ग्राम जनमतों के द्वारा ही होने चाहिये। उनकी मतदान पेटी पंचों और सरपंचों के साथ ही लगा देनी चाहिए जिसमे ग्रामलोग अपना वोट दे कर उन्हें चुन सके।

जिला परिषद् के बारे में मैं कहूंगा कि कई लोगों को विश्वास था कि जिला परिषदों को अधिकार कम दिये हैं और उनको मजबूत नहीं किया गया है मेरा भी यही विश्वास है कि जिला परिषद् के पास कोई काम नहीं है और वहां पर ऊपर ऊपर का काम होता है और वे कलेक्टर के पास बैठे है। इसलिए या तो उनको अधिकार व कार्य दिया जाना चाहिए या बिल्कुल ही उनको खत्म कर देना चाहिए ताकि फालतू को खर्चा हमारे राज्य पर नहीं पड़े।

पंचायत समिति और तहसीलों के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा और कहूंगा कि पटवारी और ग्रामसेवक और पंचायतों में आपस में तालमेल होना चाहिए पंचायत समितियों को तहसील से बिल्कुल अलग रखना गलत है। इसलिए मेरा विश्वास है कि तहसीलदार को पंचायत समिति के साथ जोड़ कर तहसीलदार को खत्म कर देना चाहिए। आप बी. डी. ओ. की पोस्ट को खत्म कर रहे हैं और तहसीलदार एक रेवेन्यु ऑफिसर होता है इसलिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी मिलेगा। आप एक्सटेन्शन ऑफिसर एग्रीकल्चर और दूसरों को रखेंगे उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं है। यदि आप उनके हाथों में काम सौंपेंगे तो वे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से नहीं चला सकेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उनकी एवज में तहसीलदारों को खत्म कर दिया जावे और पंचायत समितियों के साथ मिला दिये जाने चाहिए और तहसील का स्टाफ है कम कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से पंचायतों के साथ ग्राम सेविकों की पोस्ट पंचायत सचिव के रूप में आनी चाहिए। कुछ का मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरा विश्वास है कि वह ठीक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें कई प्रकार की कार्यवाही करनी है। पटवारी की पोस्ट व वी. एल. डब्ल्यू. को पोस्ट को एक करनी चाहिए। तथा जो ग्रेजुएट होना चाहिए और वही पंचायत का सेक्रेट्री होना चाहिए जो पटवारी की ट्रेनिंग पास होना चाहिए। जो पटवारी का काम भी कर सके और दूसरे कार्य जैसा उसे बताया, तीनों कार्य कर सके, ऐसे योग्य व्यक्ति को रखा जावे। जिससे पंचायतों को एक योग्य एडमिनिस्ट्रेटर और सलाहकार मिलेगा। और इससे जो हमेशा पंचायतों की शिकायतें आती हैं वे नहीं आवेंगी। कार्य भी सुचारु रूप से चलेगा और अगर वह ग्रेजुएट होगा तो उसका अच्छा ग्रेड भी मिलेगा और जब उसको अच्छा ग्रेड मिलेगा तो उसको

(श्री पृथ्वी सिंह)
यह भी भय होगा कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी नौकरी खत्म हो जाए तो मुझे दूसरी जगह ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि पटवारी के स्थान पर व पंचायत समिति के स्थान पर वी. एल. डब्लू. को रखा जाए तो अच्छा सलाहकार होगा और पंचायतों का भला होगा ।

इसके अलावा आपने न्याय पंचायतों की कड़ी रखी है । उनका पंचायतों से कोई ताल-मेल नहीं । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उनको बन्द कर देनी चाहिए और न्याय पंचायतों का कार्य पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिये । इसका कारण यह है कि कई पंचायतों में मुकदमे बिलकुल नहीं हैं और अगर मैं यह कह दूं कि वे बिलकुल बोगस हैं तो कोई बेहूदी बात नहीं होगी ।

उसके लिए पंचायत को बजट देना पड़ता है, क्योंकि उनकी कोई आमदनी नहीं होती, पंचायतों के ऊपर न्याय पंचायतें भार बनकर बैठी हैं, इसलिए इनको खत्म करना ही उचित होगा । यहां तक कह दूं कि न्याय पंचायतों के दफ्तर तक नहीं हैं और न वहां पर कोई न्याय ही है ।

दूसरे मैं आपको निवेदन करूं · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट ।

दूसरे मैं निवेदन करूं कि रेवेन्यू का कलेक्शन पटवारियों और तहसीलदार के माध्यम से होता है, वह पंचायतों और पंचायत समितियों को सौंप दिया जाना चाहिए और कलेक्शन का 25 प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड के रूप में पंचायतों को सौंप देना चाहिए जिससे कि इनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और कलेक्शन अच्छी तरह से होगा वे वसूली में सहयोग देंगी और राजस्व का रुपया जल्दी से जल्दी जमा करा देंगे । इससे फिजूलखर्ची बन्द होकर बड़ी बचत हो जायगी, रोजाना की डिक्रियां और कुर्कियां इन सब के खर्चे की बचत हो जायगी और इस तरह से वसूली में बड़ी भारी सहूलियत होगी ।

इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं वह यह है कि सरपंचों की कम से कम योग्यता मुकर्रर की जानी चाहिए ताकि अंगूठा छाप या मामूली पढ़े लिखे लोग सरपंच का चुनाव लड़ कर सरपंच न बन सकें, योग्य व्यक्ति सरपंच बन सकें, योग्य व्यक्ति सरपंच होंगे तो हिसाब अच्छी तरह से देख सकेंगे, काम अच्छी तरह से कर सकेंगे और कानून की किताबें अच्छी तरह से पढ़ कर अच्छा काम कर सकेंगे । इससे पंचायतों के कार्य में कुशलता और अच्छाई आयेगी ।

बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बजट देखा, उसमें पंचायत विभाग द्वारा 12 लाख 87 हजार रुपया ज्यादा

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

खर्च हुआ है इस खर्चे में ज्यादातर भवन निर्माण आदि ऐसे कामों में हुआ है··

श्री उपाध्यक्ष : आपने अभी बजट देखा उस पर चर्चा नहीं होगी, दूसरे माननीय सदस्यों ने बजट देखा है, उस पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं, क्योंकि आपने कोई कटौती प्रस्ताव तो दिया नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं पंचायत समितियों को अनियमित कार्यवाही होती है उस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत समिति छबड़ा में चांचौड़ा ग्राम में कंजर कालोनी का निर्माण हुआ था, पंचायत समिति द्वारा हजारों रुपया वितरित किया गया, मकान बनाने के लिये अपर्याप्त रकम दी जिससे मकान पूरे नहीं बन पाये और लोगों को सुपुर्द कर दिया, ऐसे लोगों को बड़ी असुविधा है, उन लोगों को और ऋण नहीं दिया गया जिससे कि वे मकान पूरे करा सकें और उनमें रह सकें।

शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामों में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, उनको सीधा सरपंच के आधीन कर रखा है, पंचायत समिति का उनके ऊपर हाथ है। इस कारण मास्टर सरपंच की खुशामद में लगे रहते हैं, सरपंच की वे यदि खुशामद न करें तो या तो उनका ट्रान्सफर हो जाता है या उनके सामने दूसरी परेशानियां आती हैं।

दूसरी पंचायत समिति द्वारा लघु सिंचाई योजना के सम्बन्ध में सुझाव दिये जाते हैं। कोई प्लान दी जाती है, उनको ऊपर भेजा जाता है तो कुछ टैक्निकल मिस्टेक्स इन्जिनियर्स के द्वारा रख दी जाती है जिनसे सही काम नहीं होता है।

एक बात अर्ज करूं, 2 अक्टूबर 59 को मैं भी सरपंच था, नागौर में मुझे भी समय मिला था स्वर्गीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू का भाषण सुना था, उससे ऐसा लगता था कि पंचायती राज आयेगा तो राम राज आयेगा, पर आज तो यह राम राज नहीं रावण राज आ गया। जो पंचायत इकाइयां कायम हुई हैं ये ठेकेदार के रूप में कायम हुई हैं, इन्होने गांव गांव में मुकदमेबाजी, फूट और बरबादी पैदा करदी है। जहां तक राजनैतिक दलबन्दी का सवाल है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता पर आपस में लोग वैमनस्यता रखते हैं। बी. डी. ओज़ खास तौर से वे बी. डी. ओज. जो नान-आर. ए. एस. हैं वे प्रधान को चक्कर में रख देते हैं। छीपाबड़ौद पंचायत समिति में ऐसा वक हुआ कि बी. डी. ओ. ने अपनी वाइफ को सदस्या के रूप से पंचायत समिति के सुपुर्द कर दिया····

(हंसी)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुपुर्द कैसे कर दिया ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इस तरह से दलबन्दी में फंस जाते हैं और पक्षपात होता है। जो लोग प्रधान के खिलाफ रहते हैं उनको सही न्याय नहीं मिलता है।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायत समितियों में जो अपव्यय होता है उसके बारे में काफी माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार क ध्यान आकर्षित किया और मैं भी राज्य सरकार को मेरे यहां पंचायत समिति है उसके उदाहरण के जरिये बत ना चाहता हूं कि पंचयत समिति में जो रुपया विकास कार्यों के लिए दिया जाता है, उसका किस प्रकार अपव्यय होत है। सांचोर में, मैंने प्रश्न के जरिये साबित कर दिया कि पंचायत समिति की आय को विकास अधिकारी अपव्यय कर के, किस तरह खजाने को खाली कर देता है। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया और मैंने राज्य सरकार को सूचना दी थी कि 64–65 के साल में जो विकास अधिकारी रहे उन्होंने 1 लाख की रकम पर्चेजेज में खर्च कर दी, उन्होंने जीप का इस ढंग से दुरुपयोग किया कि बार बार जोधपुर लाना बार बार नई जीप की रिपेयर्स के नाम पर खर्च करना, 30 हजार रुपये जीप की रिपेयर्स में खर्च हुए, जीप बिल्कुल नई, 6 महीने में, साल में नई जीप के रिपेयर्स में कैसे इतना खर्चा होता है, यह वे ही जान सकते हैं। उन्होंने पर्चेजेज जो एक लाख की कीं उनमें फालतू पर्चेजेज की, स्टेशनरी और दूसरी चीजें ला कर डाल दीं कि जिनका कोई उपयोग नहीं। इस तरह का अपव्यय पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। विकास अधिकारी ने देखा कि इतनी रकम पड़ी है तो एम्प्लीफायर, रेडियो, जिनका पंचायत समिति में कोई उपयोग नहीं, इस तरह की चीजें खरीद कर पंचायत समिति का जितना पैसा था, जो पंचायतों को दे कर विकास कार्य कराया जा सकता था, पंचायत घर, इरिगेशन, बैल वगैरह के लिये खर्च किया जा सकता था, वह वहां खर्च नहीं कर के फालतू खर्च कर दिया। पंचायत समितियां जिस मकसद से बनाई गई थीं, वह मकसद कतई पूरा नहीं हुआ है। गैर योजना का खर्चा बढ़ गया, पंचायतों को सेल्फ सफिशियेन्ट, एफिशियेन्ट बनाने की बात थी वह फैल हुई है, पंचायत समितियों के सामने यह गंभीर समस्या है, इसलिये वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की कि विकास अधिकारियों के पद खत्म करेंगे। एक विकास अधिकारी को खत्म करने से समस्या हल नहीं हो सकती। सादिक अली अध्ययन कमेटी बनी, उसने सुझाव दिये, पंचायतों और पंचायत समितियों से विस्तृत स्टडी करके अध्ययन रिपोर्ट पेश की थी उसके बारे में सरकार को एक काम्प्रिहेन्सिव बिल बना कर इस सदन में पास कर के पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को ऐसा मजबूत बनाया जा सकता है, इस ओर कदम उठाना चाहिये था पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ इलेक्शन वाला संशोधन लाकर इलेक्शन करवाये, बाकी जो महत्वपूर्ण सुझाव थे यह विकास का कदम है विकेन्द्रीकरण को सबसे पहले हमने लागू किया, सब की निगाहें हम पर लगी हुई थीं, पर वह बिल लाकर उन महत्वपूर्ण सुझावों को इम्प्लीमेंट नहीं किया इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि शीघ्र ही बिल लाकर जिला परिषदों को मजबूत बनाना चाहिए, पंचायत समितियों में फालतू खर्च हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि पहले छोटी छोटी पंचायतें बनाई थीं

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

उनसे झगड़ा फैला, वार्डों में भी झगड़े होने लगे, कोई विकास कार्य नहीं हो पाता, इलेक्शन के झगड़ों में ही सारा समय चला जाता है, इसलिए मैं सजेशन देना चाहता हूं कि 5 हजार की आबादी के आस पास की बड़ी पंचायतें बनानी चाहिए, पंचायत समिति का आज का स्ट्रक्चर है, गैर योजना खर्च सालाना बढ़ता जा रहा है, विकास के कामों में रुपया नहीं लगता, बी. डी. ओ. बैठे हुए हैं, नान-प्लान एक्सपेन्डीचर करते है, मैंने पंचायत समिति सांचोर का उदाहरण रख कर साबित कर दिया कि इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज वहां पर होती हैं, पर आज तक सरकार ने क्या एक्शन लिया, यह मैं नहीं देखता।

इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायत को इतना बड़ा बना देना चाहिए, पंचायत समिति और जिला परिषदें कुछ नहीं करतीं, सब काम तो पंचायतें करती हैं, पहले ब्लाक एडवाइजरी कमेटी थी तब ज्यादा अच्छा काम होता था। अब तो इतना टी० ए०, डी० ए० खर्च करने के बाद भी कोई काम नहीं होता तो यह जो फालतू खर्चा है उसको आज बन्द करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, या तो आप बड़ी पंचायतें बनायें या इन पंचायतों को खत्म कर दीजिये। आज जिस प्रकार की धारणा लोगों में विकास के प्रति होती जा रही है उससे लोगों की आस्था पंचायत राज्य के प्रति खत्म हो जायगी और इससे आपका जो मकसद था वह खत्म हो जायगा, या तो आप पंचायत समितियों को खत्म करिये या पंचायतों को बड़ी बनाई जावे, जिला लेवल पर आपको एडवाइजरी कमेटी बना देनी चाहिये। जिससे राजस्थान सरकार को मदद मिले, विकास के कार्य हो सकें। जो धनराशि विकास कार्यो के लिये दी जाय वह डाइरेक्ट सरपंच को दी जानी चाहिये। आज जीपों की यह दुर्दशा कर रखी है कि विकास अधिकारी उसका उपयोग तफरीह के लिये करते हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां उन जीपों को चलाना सीखते हैं। जीपों का जो उपयोग उनको करने दिया जाता है यह एक प्रकार से खुला दुरुपयोग है। राज्य सरकार को चाहिये कि वे इनको रोकें, जीपों का खर्चा बचा करके राज्य कोष में फायदा हो सकता है इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

जिला परिषदों में जिला लेवल पर कलेक्टर को सचिव के रूप में काम करना चाहिये। सादिक अली रिपोर्ट के अनुसार इनको बनाया जाना चाहिये या जिला परिषद् के ढाचे को ही खत्म कर दिया जाय।

इसके अलावा, मैं राज्य सरकार को यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सरपंच को आप पैसा देते हैं उसका बड़ा भारी रिएक्शन होता है। क्योंकि सरपंच तो दूसरे के जरिये काम कराता है। ऑडिट रिपोर्ट में जब इनकी चर्चा होती है तो दस्तखत उनके होते हैं इसलिये पैसे की सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाती है। आज गांवों में यह देखने को मिलता है पार्टीबाजी वहां पर होती है एक पार्टी दूसरी पार्टी के सरपंच पर आरोप लगाती है। ऐसी स्थिति में टैक्निकली पैसा तो वह लेता है लेकिन खर्च उसके जरिये नहीं होता इसके कारण कई सरपंचों का चालान हुआ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिये सरपंच के दस्तखतों की प्रणाली हटा देनी चाहिये। मिनिस्टर लोग कभी दस्तखत करते हैं क्या पैसे आदि देने पर? तो फिर सरपंच को क्यों परेशान किया जाता है। वह अपने दस्तखतों से रकम नहीं उठाये, किसी कर्मचारी के दस्तखतों से यह होना चाहिये ताकि उस पर एक्शन तो लिया जा सके। फाइलें इधर उधर चली जाती हैं, एम्बेजलमेंट के केसेज नहीं पकड़े जाते यह सब सरपंच के हट जाने से यह मामले खत्म हो जाते हैं।

इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने जो पैसा केटल फार्म के नाम पर, सीड फार्म के नाम, मुर्गी पालन के लिये जो दिया है वह एक प्रकार से व्यर्थ सा गया है। उनका उपयोग नहीं हुआ। इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरपंचों का जो स्ट्रक्चर है उसमें या तो सुधार किया जाना चाहिये या इनको खत्म करने की आवश्यकता है।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस सामुदायिक विकास योजना के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिया है मैं उस पर अपने विचार प्रगट करूंगा।

अभी तक हमारे सामुदायिक कार्यक्रम इस प्रकार से हो रहे हैं जिस प्रकार किसी का सिर दर्द होता है तब सिर दर्द की दवाई नहीं लगाकर उसके सिर को काटने की बात करते हैं जिससे न सिर ही रहे और न दर्द। कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है और प्रत्येक कार्य का नतीजा इसी प्रकार का आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े उत्साह के साथ हमने इस विकेन्द्रीकरण के कार्य को प्रारम्भ किया था तब इसको क्रान्ति का नाम दिया गया और आज इसको हटाने के लिये भी क्रान्ति का नाम दिया जा रहा है। आज विकास अधिकारी को हटाया कल हो सकता है सारी ही इन पंचायत राज संस्थाओं का भी खात्मा करना पड़े। जो आजकल प्रक्रिया चल रही है उसके अनुसार जो प्रक्रिया क्रान्ति के बाहर की बात हो जाती है तो फिर उसको हटाने की ही बात होती है। जब कोई काम हम करते है, और जब खराब आदमियों का प्रवेश उसमें हो जाता है, तो उस काम को बन्द करने का निर्णय लेना पड़ता है। इसी प्रकार एक दिन वह भी आने वाला है जब हम देखेंगे कि जनता कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी हटाने की मांग करेगी। यह निराशा धीरे धीरे बढ़ रही है, जब इस प्रकार के काम में भले आदमी नहीं आते हैं तो कार्य का यही नतीजा होने वाला है जैसा कि पंचायत राज का होने जा रहा है। जब आदमी ठीक नहीं होते तो गलत आदमी के हाथ अच्छी चीज का उपयोग भी गलत हो जाता है।

आपको मालूम होगा जब प्रान्तीय सरकारों का गठन हुआ तो बाद में जाकर भाई पटेल ने यह कोशिश की थी कि प्रान्त अलग अलग न रह करके सारे हिन्दुस्तान को पांच जोन्स में बांट दिया जाय। एक दिन यह भी आने वाला है जब भ्रष्टाचार और भी तेजी से बढने लगेगा, रुपये की बरबादी होने लगेगी तो भारत सरकार भी काम नहीं कर सकेगी और जनता कहेगी कि इस प्रकार की सरकार नाम की कोई चीज नहीं चाहिए। यह आवाज उठेगी कि राज नाम की कोई चीज नहीं रहे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

केवल मेनेजमेन्ट रहे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जहां गवर्नमेन्ट नाम की कोई चीज नहीं रहती है तो उस जगह मैनेजमेन्ट रहे यह कोई खराब बात नहीं। मैं समझता हूं कि वह दिन बड़ा शुभ दिन होगा जब हम इस नतीजे पर आ जायेंगे और खराब आदमियों से छुटकारा पायेंगे। ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? यह इसलिये हो रहे हैं कि जो नीचे गरीब आदमी होते हैं वे जब अपने से ऊपर वालों को ऐश आराम में देखते हैं तो गरीब आदमी मांग करता है कि ऐसे आदमियों को बदल दिया जाय। जैसे एक घर में विधवा रहती है, वह अपने वैधव्य के कारण किसी प्रकार का श्रृंगार आदि नहीं करती लेकिन आसपास की दौरानियां-जेठानियां और अन्य औरतों को जब ऐश आराम व तड़क भड़क में देखती है तो उससे फिर सतीत्व पालन की आशा की जाती है तो वह हो नहीं सकता। उसी प्रकार आम गरीब आदमी से आप चाहें कि वह त्याग करे, तपस्या करे और आप लोग एशोआराम में अपनी जिन्दगी बिताते रहें तो यह निश्चित है कि ऊपर यदि भोग चलेगा तो नीचे त्याग नहीं चल सकता तो फिर वह गरीब वर्ग हर वस्तु को हटाने की बात करेगा। आज उसी तरह से हर वस्तु को हटाने की बातें हम कर रहे हैं।

कोई कानून बनाते हैं तो कानून बनाने वाले उसमें अपनी सत्ता जरूर रखते हैं। एक समय था जब सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों ने अपने को पूज्य मानने का विधान रखा था। जब उनकी तपस्या क्षीण हो गई तो बाहुबल का युग आया राजा ईश्वर हो जाता है। जब वे भी त्याग से गिरने लगे तो उसकी भी प्रतिक्रिया यह हुई और आखिर हम सोचने लगे कि इनको भी हटाया जाय। उनको भी इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा हटाया गया।

(4 म.प.)

यह सारा खेल हो रहा है त्याग और भोग की लड़ाई चल रही है। कहीं विकास अधिकारी ने इतना खर्च कर लिया, कहीं 80 हजार की स्टेशनरी खर्च हो गई। यह सारा क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हम उनके मार्फत अपने काम करवाते हैं। हम उनको फोन पर सूचना देते हैं कि हमारा यह काम करो। हम उनसे अपना काम चाहते हैं। तो उनको भी आजादी हो जाती है कि वह अपनी निजी मर्जी से काम करें। इसलिए ये जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं, उनमें मेरे खयाल से ऊपर जो राजनैतिक भ्रष्टाचार है, जो सर्वोच्च शिखर पर भ्रष्टाचार है, उसके कारण नीचे तक होता है। ये भ्रष्टाचार के सब प्रकार हैं और उनकी सारी प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है। जब हम पंचायत राज की बात करते हैं, तो ऊंची बात है। यह पुरानी युग की बात है क्योंकि उस समय भले भले आदमियों के हाथ में व्यवस्था थी। इसलिए जहां कहीं भी भला आदमी नहीं रहेगा तो निर्माण का काम बन्द हो जायगा और सारी व्यवस्थायें गड़बड़ हो जायेंगी। हम आज उस दयनीय स्थिति में हैं कि जिस उत्साह के साथ हमने काम किया, वह नजर नहीं आता।

हम आज 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। परिपत्र आते हैं। कभी किसी को खुशी होती है? पर दीवाली और होली पर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कौन से परिपत्र आते हैं ? बिना परिपत्र के खुशी मनाते हैं लेकिन आजादी का दिन आता है तो उस दिन हम परिपत्र के सहारे मनाते हैं और रूखा-सूखा आयोजन करते हैं। इसका कारण यही है कि जिस जनता के लिए सारी बातें की गई, उसको कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे कोई चीज देने के लिए आता है बीच में चील ही झपट मारकर ले जाती है वही काम यहां पर हो रहा है। इस तरह से अगर काम होगा तो मेरे ख्याल से हर वस्तु की प्रतिक्रिया, हर वस्तु के खिलाफ यही भावना होगी और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी भारी हिंसात्मक क्रांति हो क्योंकि निराशा के बाद विस्फोट होता है। जब आशाएं सफल नहीं होतीं तो निराशा से विस्फोट होता है और वही विस्फोट एक न एक दिन भारत में हो जायगा। आज अधिकारी नेता बन गए हैं और नेता अधिकारी बन गए हैं। अधिकारी के हाथ में सत्ता है, वह रोब जमाता है और उसके इशारे पर कोई नहीं चलता है तो ठिकाने लगाने की बात करता है। जितने समारोह होते हैं, उनमें अधिकारी भाषण देते हैं। आज नेता का भाषण कम होने लग गया और ज्यादातर विभिन्न अधिकारी भाषण देते हैं। नेता लोग पीछे चले गए और अधिकारी आगे आगे· · ·

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : यह नेताओं की कमजोरी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) सुखाड़िया जी की कृपा है।

एक माननीय सदस्य : यह खाओ और खिलाओ वाली बात है।

श्री फूलचन्द बाफना : जिसका चरित्र कमजोर होता है, उसका असर कम पड़ता है, जिसका चरित्र भला है वह कमजोर कभी नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका ध्यान आपके कटौती प्रस्ताव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि 10 मिनट खतम होने को हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : यह मेरे कटौती प्रस्ताव की भूमिका है। आज हमारे पंचायती राज में राजनीति घुस गई। राजनीति की एक कहावत है—"देखो राजनीति का खेल, विभीषण को राज और हनुमान को तेल।" पंचायती राज में भी वही बात है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि आदमी का निर्माण होना चाहिए। एक आदमी था उससे अपने रूमाल की गांठ नहीं खुलती थी, उसने दूसरे आदमी को बुलाया। उस आदमी ने एकदम तलवार निकाल कर उस गांठ को ही काट दिया। हमने तो गांठ खोलने को ही कहा और उसने रूमाल ही काट दिया। इसलिए हम उस रास्ते पर जा रहे हैं कि गांठ खोल नहीं रहे हैं बल्कि काट रहे हैं, रूमाल कट रहा है अर्थात् जनता की भलाई की जो आशाएं थीं, वह खतम हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कटौती प्रस्ताव पर तो बोले नहीं।

श्री फूलचन्द बाफना : यह सब कटौती प्रस्ताव का आधार है। सभी कटौती प्रस्ताव की भूमिका लेकर खड़े होते हैं। खेर मैं ज्यादा न कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री [illegible] गुप्ता (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इसकी सफलता इसकी आर्थिक और सामाजिक नीति पर निर्भर है। इस आर्थिक और सामाजिक क्रांति को लाने के लिए हमने भी पंचायती राज को जन्म दिया और उस समय यह आशा की गई थी कि पंचायती राज कायम होने के बाद हम इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा आगे अग्रसर हो सकेंगे और आर्थिक क्रांति से ये पंचायत समितियां और पंचायती राज ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो सकेंगे। मैं आपके सामने नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से हमने यह पंचायत राज बनाया था और बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह जो पंचायत समितियों का जन्म हुआ था, वे पंचायत समितियां अपने लक्ष्य से बहुत दूर जा रही हैं। बल्कि मैं अगर यह कहूं और बड़ी नम्रता से कहूं कि अपने लक्ष्य से उल्टे लक्ष्य पर जा रही हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस सदन में बहुत सी बातें कही गईं। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि गड़बड़ियां ज्यादा हैं लेकिन सबसे ज्यादा चिन्ता की बात है कि पंचायती राज के अन्दर पंचायत समितियों ने लक्ष्य रखा था कि जनता को, जनमानस को प्रगति के रास्ते पर ले जाकर और उनका सहयोग प्राप्त करेंगे, उनकी आर्थिक और सामाजिक क्रांति में सहयोग दे सकेंगे, उस रास्ते पर पंचायत समितियां नहीं जा रही हैं इसलिए दुःख के साथ कहना पड़ता है और मैं माननीय मंत्री महोदय और उनके साथ जो अधिकारीगण यहां मौजूद हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे पास जो पंचायत समितियों की रिपोर्ट्स आती हैं, ये सब सच्चाई से परे हैं। मैं तीन पंचायत समितियों का सदस्य हूं और चौथी पंचायत समिति के नजदीक रहता हूं और जितने अधिकारी पंच और सरपंच हैं उनसे मिलने का बहुत ज्यादा अवसर प्राप्त होता है और मेरा क्योंकि पंचायत विभाग से काफी सम्पर्क रहा इसलिए जानकारी प्राप्त होने में दिक्कत नहीं होती इसलिए मैंने नजदीक से इस बात का अध्ययन किया और देखने की कोशिश की कि यह सब ऊपर ही ऊपर की कार्यवाही चल रही है यह सब दिखावे की कार्यवाही है। इसके अन्दर जो भावना होनी चाहिए वह कतई नहीं है। जैसे मन्दिर बहुत सुन्दर बनाया जाय, संगमरमर की अच्छी मूर्ति स्थापित कर दी जाय इसी तरह से पंचायती राज में अधिकारी नियुक्त किए गए चुनाव भी कराए गए, पैसा भी दिया मगर जन सेवा की भावना जो होनी चाहिए थी उसका उल्टा असर हुआ। 1959 में पंचायतें कायम हुई थी। गांव के स्कूल का अध्यापक, पंचायत और सहकारी समिति ये तीन हमारे गांव की उन्नति के बेक बोन हैं। और इस सम्बन्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारी प्रधान मंत्री थे, ने इस बात का कई बार जिक्र किया। जब से पंचायती संस्थाओं का जन्म हुआ है उस समय से इन तीनों संस्थाओं की स्थिति पहले की बजाय अधिक खराब हुई है। प्राइमरी स्कूल हैं वे पंचायत समितियों के अधिकार में हैं और टीचर हैं वे वहीं के वहीं रहने वाले हैं, पंच सरपंच का चुनाव होता है तो उसमें स्कूल के टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्कूल का टीचर काफी भाग लेता है और उनको सपोर्ट करता है और

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
पीछे पंच उसके इशारे पर काम करते हैं। इसी प्रकार ग्राम सेवक हैं। गांव गांव में ग्राम सेवक के रहने की व्यवस्था की है।

4.11 म. प

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री, पदासीन)

गांधीजी का यह उद्देश्य था कि हिन्दुस्थान में राम-राज्य कायम करने के लिये निस्वार्थ सेवा की भावना से काम करने वाला एक एक ग्राम सेवक मिल जावेगा, हिन्दुस्तान में ग्राम राज, राम राज्य कायम हो जावेगा। ग्राम सेवक तो आगये, हैडक्वार्टर भी गांव हो गया, उनको तनख्वाह भी मिलती रहेगी, लेकिन उन लोगों के आने के बाद गांव में मनमानी करने और कराने के गांव सेन्टर बन गये हैं। चुनाव में वे हर तरह से हिस्सा लेते हैं और हर तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं एक गांव में बीस साल के बाद गया। वह शिड्यूल्ड ट्राइब्स का गांव था। मैं यह देखना चाहता था कि उस गांव में बीस साल के बाद क्या प्रगति हुई ? ग्राम सेवक का हैडक्वार्टर था। बी. डी. ओ. भी आते हैं। मैंने पूछा कि ग्राम में कोई तरक्की हुई है। कहने लगे कि ग्राम सेवक साल में तीन महीने गांव में रहता है और 9 महीने कहीं और रहता है। गांव का उसने कोई घर नहीं छोड़ा कि कोई न कोई चीज उसने वहां से न ली हो। चमार से जूती और खाती से लकड़ी। साल में तीन महीने रहता फिर भी गांव वालों की ही रोटी खाता। ग्राम सेवक के पिताजी मुझ से मिले। उन्होंने कहा कि या तो ग्राम सेवक का तबादला करा दो या इसकी नौकरी छुड़ा दो। वह सुसराल नहीं जाता है। दो साल तक सुसराल नहीं गया है। दो साल तक सुसराल नहीं गया तो बाप ने सोचा कि बहू को ले आया जाय। उसको दिखाई कम देता था बहू को जब लेकर आया तो रास्ते में उसका सामान चोरी चला गया। उसको ग्राम सेवक नाम कहलवाने में ही शर्म आती है। सेवा करने की तो कोई वृत्ति ही नहीं है।

पंचायत समिति के सदस्य भी लक्ष्य से बहुत दूर जा रहे हैं। आपसी झगड़े हैं। सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के बाद चुनाव के तरीके बदले उससे परिस्थिति और भी खराब हो गयी। पहले तो यह था कि 25.30 आदमी मेजोरिटी में हो जाते तो उनका अधिकार होता। लेकिन अब अलग अलग कैम्प लगाये जाते है। प्रधान के चुनाव में चालीस चालीस हजार रुपये तक खर्च हो जाते हैं। एम. एल. ए. के चुनाव में भी इतना नहीं होता। इसलिये इसको तबदील किया जाय। सरपंच के साथ ही प्रधान का भी चुनाव हो जाय। हमने इस बीमारी को रोकने की कोशिश की उससे और यह ज्यादा बढ़ गयी है।

सदन का मैं अधिक समय न लेकर नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में बहुत ही सीरियसली और संजीदगी से विचार करना चाहिये कि पंचायती राज को कामयाब करने के लिये क्या कर सकते हैं। जिला परिषदों को ज्यादा अधिकार दिये जायं। खाद्य कमिश्नर अपोइन्ट किया जा रहा है। हमें बहुत ही दृढ़ता के साथ इस काम को करना चाहिये। इसमें देरी

Page No. 114

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करने का समय नहीं है । जितनी ज्यादा इसमें देरी होती है उतनी जनता की भावना इसके विपरीत होती जाती है । मैंने इसीलिये इस पर कटौती प्रस्ताव रखा । मैं नहीं चाहता कि इसको बन्द कर दिया जाय या तोड़ दिया जाय । इसको कामयाब बनाने के लिये जन भावना का उदय हो, बाफना साहब ने अभी कहा । मैं नहीं जानता कैसे भावना का उदय होगा । यह पंचायत राज बनाया यह प्रजातन्त्र की रीढ की हड्डी है । इसको सुधार करके किस तरह से इसको मजबूत बना सकते हैं इस ओर दृढता के साथ कदम उठाना चाहिये

श्रीमती सभानेत्री : श्री किशनलाल ।

श्री किशनलाल (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक विकास योजना पर मेरा कटौती प्रस्ताव है । आज सदन में पंचायती राज के सम्बन्ध में कई तरह के सुझाव दिये गये हैं । मैं पंचायती राज और राजस्थान दोनों का अटूट सम्बन्ध मानता हूं । इसमें कई त्रुटियां रही हों किन्तु पंचायती राज ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है यह मेरी मान्यता है ।

माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिये विभागीय अड़चनें पैदा की जाती हैं उनको दूर किया जाना चाहिये । पंचायती राज में कई त्रुटियां हैं इसलिये इसको तोड़ दिया जाय मैं इसके पक्ष में नहीं हूं । मैं तो इस पक्ष में हूं कि इसको अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाय । पहले आर. ए. एस. अधिकारी नियुक्त किये थे उनका पंचायती राज से कोई सम्बन्ध नहीं था । वे दो साल का समय निकालने की कोशिश करते थे । उनका, पंचायती राज का विकास हो या पतन, इससे कोई सरोकार नहीं था । पंचायती राज का एक अलग सर्विस केडर कायम किया जाना चाहिये जिससे यह जल्दी से जल्दी सुदृढ़ हो सके ।

दूसरी बात मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पंचायत समितियों में विकास अधिकारी और प्रधान का झगड़ा होता है उसको यह विभाग ध्यान से नहीं देखता है । जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति में विकास अधिकारी ने, गतवर्ष चुनाव हुए प्रधान के खिलाफ क्या क्या हरकतें कीं उस ओर विभाग ने ध्यान नहीं दिया । बस्सी के प्रधान के दफ्तर का ताला तोड़ डाला । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कोई अमल नहीं हुआ । उस विकास अधिकारी ने प्रधान पर हमला किया और उसके लिये राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के सामने कितनी ही बार शिकायतें कीं लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया । (शेम शेम की आवाजें) इस तरह से पंचायत राज नहीं चल सकता । एक तरफ पंचायती राज्य को मजबूत बनाना चाहते हैं दूसरी तरफ सर्विसेज को इतनी छूट दे दी जाय वह समझ में नहीं आता । यह बात मैं अर्ज करूं गतवर्ष की है । जिनके हाथ में विकास और सामुदायिक परियोजनायें हैं मुझे उम्मीद है आगे इस प्रकार की हरकतें नहीं होंगी और मंत्री महोदय अवश्य ही ध्यान देंगे ।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के कारण आर्थिक गड़बड़ियां

(श्री किशनलाल)

हुई हैं उनको माफ नहीं किया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र की पंचायत समिति बड़गांव में कई गड़बड़ियां हुई हैं, शिकायतें हुई हैं, जांच भी हुई लेकिन पता नहीं क्या हुआ ? कई ग्रामीणों से दस्तखत करा लिये गये, तकावी उनको नहीं मिली और आज उनसे वह वसूल की जा रही है। जिस काश्तकार को तकावी न मिली हो उससे वसूल की जाय इससे ज्यादा शर्म की बात विभाग के लिये नहीं हो सकती।

किसान को ऋण देने की जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार करना चाहिये। कई पंचायत समितियों में किसान भटकते फिरते हैं और उनको समय पर ऋण नहीं मिल पाता।

वैसे यह व्यवस्था हो सकती है। अगर विकास अधिकारी और प्रधानजी बैठकर विचार करें तो उनके मकान पर ऋण दिया जा सकता है।

मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले वर्ष में जल बोर्ड की योजना चली थी और गांवों में कुओं को खोदने के लिए रुपया गांवों में पहुंचाया जा रहा था तो पंचायत समितियों में साधन हों तो ये साधन दिये जा सकते हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि सादिक अली रिपोर्ट सदन में और राज्य सरकार के सामने है, उस पर अमल करना चाहिए जल्दी से जल्दी।

पंचायत समिति और जिला परिषद् को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। दलील दी जाती है कि पंचायत समितियां ठीक तरह से नहीं चलतीं। यह ऐसी ही दलील है कि जो अंग्रेज भारत छोड़ने से पहले देते थे कि तुम में क्षमता नहीं है अपना शासन चलाने की। पर आज वही भारत है जिसने अपनी प्रतिष्ठा दुनियां के सामने कायम की है। तो यह कहना सरासर गलत है कि जिला परिषदें और जिला समितियां काम नहीं चला सकतीं। जो पंचायत राज में दिलचस्पी नहीं रखते उनकी यह बात है। जो गड़बड़ियां जिस लेवल पर भी होती है उनको तुरन्त दूर किया जाना चाहिए ताकि पंचायत राज के प्रति जनता में गलत धारणा न बनें। दूसरी तरफ इस ऋण वितरण की व्यवस्था और आफिशियल और नॉन आफिशियल का झगड़ा तुरन्त निपटाया जाना चाहिए ताकि जो दिक्कतें पंचायती राज के चलाने में महसूस की जा रही हैं वे दूर हो सकें।

तीसरी बात, माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि अध्यापकों और स्कूलों को पंचायत समिति के अधीन नहीं रखना चाहिए। इसका मैं हामी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जिला परिषद् के पास वैसे तो कोई अधिकार नहीं है, पर अगर हम जिला के प्रशासन को ठीक करना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं तो जिला परिषदों को ज्यादा मजबूत बनाकर जो भी संस्थाएं चल रही हैं उन पर जिला परिषद् का नियन्त्रण होना चाहिए।

मेरी समझ में नहीं आता कि जिनका आज सजीव सम्पर्क है जनता के साथ उनके पास तो ये संस्थायें टिक नहीं सकतीं, पर उन अधिकारियों के पास टिक सकती हैं जो जनता

(श्री किशनलाल)
से कुछ भी सीधा या सजीव सम्पर्क नहीं रख सकते।

इसलिये सभापति महोदया, राजस्थान में पंचायती राज को अधिक मजबूत कराना चाहिये। जैसा जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पंचायती राज हमारे शासन की रीढ़ की हड्डी है। जिस पंचायती राज को राजस्थान में सबसे पहले हमने कायम किया और हमारे स्वर्गीय नेता के हाथों से जिसका उद्घाटन हुआ उसको मजबूत बनाने में पूरी दिलचस्पी हमें लेनी चाहिये। यही समाज का, हमारे प्रान्त का और देश के कल्याण का मार्ग हो सकता है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केसरीसिंह।

श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : माननीय सभापति महोदया, अब मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं—

पहला प्रस्ताव पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वाहन के दुरुपयोग के विषय में है।

सभापति महोदया, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि जो साधन, सत्ता और अधिकार पंचायत समितियों और जिला परिषदों को दिये गये हैं उनका सरासर दुरुपयोग किया जाता रहा है। कारण, कि इन पर नियंत्रण नहीं हैं। आज इनको कोई देखने वाला नहीं है कि जिला परिषद् का वाहन कहां जाता है, समितियों के वाहन कहां जाते हैं और उनका क्या होता है। इस पर किसी का कोई नियन्त्रण नहीं है। अगर प्रमुख शक्तिशाली है तो वह काम में ले लेता है और अगर प्रधान शक्तिशाली है तो वह काम में ले लेता है। बी. डी. ओ. भी अपने व्यक्तिगत कामों में इसका दुरुपयोग करता है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास है।

बी. डी. ओ. हिन्डोली चेतग्राम में एक जमीन रखते हैं। उस जमीन को जोतने के लिये बी. डी. ओ ने हिण्डोली पंचायत समिति के ट्रैक्टर और दूसरे साधनों का खुल कर प्रयोग किया। ट्रैक्टरों से ही अपनी जमीन हकवाई और उसी से सारी पैदावार की। यह सरासर अन्याय है। और एक तरह का लान्छन है कि जिला परिषद् और बी. डी. ओ. जिस प्रकार के भी साधन उसके पास हैं उनको वे अपने काम में ले लेते हैं। इस प्रकार की अगर प्रथा चली तो इसका अन्त न मालूम क्या होगा। इसका भगवान ही मालिक है।

दूसरा जो कटौती का प्रस्ताव मेरा है वह यह है कि पंचायत समितियों का कायदे से ऑडिट नहीं होता और ऑडिट नहीं होने से बहुत सी अव्यवस्था और बहुतसी गड़बड़ियां हुई हैं।

मैं निवेदन करूं कि हिण्डोली पंचायत समिति के अन्दर बीज का वितरण हुआ और उस बीज का पता नहीं। खाद का वितरण हुआ पर उसका पता नहीं। इस प्रकार की दुर्व्यवस्था ऑडिट ठीक नहीं होने से होती है। कारण बी. डी ओ. राजनीति का अंग समझता है अपने को और इसका प्रमाण सभापति महोदया, मेरे पास है कि एक सरपच जिसने कि इस आम चुनाव में किसी का साथ नहीं दिया उसको एक चैक

(श्री केसरीसिंह)

बी. डी. ओ. द्वारा दिया जाता है विकास काम के लिये 700) का। वह एक सार्वजनिक कुए के निर्माण के लिये दिया गया। उस चैक के मिलने के बाद वह उसके विपक्षी के साथ मिल गया तो उसके साथ क्या अन्याय किया। पर बी. डी. ओ. ने वह चैक सिकरने से रुकवा दिया और वह रोकने के आदेश स्वयं जिला परिषद् के प्रमुख जो मेरे स्वयं के मुकाबले में खड़े हुए थे, ने दिया उनके आदेशानुसार उनका चैक सिकरने से रुकवाया गया। मेरे पास उसकी फोटोग्राफी की कापी भी है जो मैं सदन की मेज पर रख दूंगा ताकि उसका निरीक्षण किया जा सके।

सभापति महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की दुर्व्यवस्था पचायती राज में चल रही है इसको सरकार रोके।

पंचायत राज जिस स्वप्न को देखते हुए कायम हुआ था कि पंचायतों के जरिये जनता को अधिकार मिलेंगे, जनता स्वयं अपने काम खुद कर सकेगी और यह लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण उन आशाओं को लेकर हुआ था कि काम सुचारु रूप से चलेगा मगर आज देखते हैं तो उन सब आशाओं पर पानी फेर दिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि मरीज के मर्ज की दवा नहीं की जावे बल्कि मरीज को ही मार दिया जावे। यह तो एक गलत काम होगा इसलिये मेरा निवेदन करना है कि पचायत समितियों को खतम नहीं किया जावे। केवल उनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जावे ताकि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अपनी मनमानी न कर सके।

दूसरा मेरा निवेदन करना है कि जहां पर बहुत से ऐसे निर्णय हुए कि कुछ चीजें बी. डी. ओज. ने जो अलाटमेंट जिनके लिये हुआ उनको नहीं देकर वे बेच दिये गये और पैसा खा लिया गया तो ये सब बातें ऑडिट के जरिये साबित हो सकती हैं। मैं पूर्णतया आशा और उम्मीद करता हूं कि पंचायत समितियों का आडिट कराया जावेगा और आडिट कराकर जो उसमें गलतियों के लिये भागीदार हों या गलत काम किये हों उनको पूरी सजा मिलनी चाहिये। इससे दुर्व्यवस्था रुकेगी।

इतना ही कह कर मैं अपने दोनों कटौती प्रस्तावों को सदन में रखता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदया, मेरा सरकारी व्यापार में पूंजी लगाये जाने सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव है। इसके लिए निवेदन है कि सरकारी व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है उसमें एक गंगानगर शुगर मिल भी है जिसके उत्पादन में प्रति वर्ष गिरावट आ रही है। गन्ना अधिक पेला जाता है और रिकवरी कम होती जाती है। 1956-57 में 19,.0,671 मन गन्ना पेला गया और उसकी चीनी 1,8.,823 मन हुई और इसी तरह से 1966-67 में 22,15,802 मन गन्ना पेला गया और उसकी चीनी ., 71, 152 मन हुई। यानी 40 हजार मन चीनी का उत्पादन कम हुआ जिसकी कीमत 20 लाख रुपये होती है। अब आप देखिये कि क्या यह अयोग्यता का सबूत नहीं है। मंत्री महोदय इस बात का जवाब देंगे कि वर्षा का अभाव है और इस कारण गन्ने में शुगर की मात्रा कम हो गयी। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसके

Page No. 118

(श्री मोहनलाल मोदी)

साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि 1957–58 में, 15, 31, 501 मन गन्ना पेलने पर 8, 62, 347 रुपये का लाभ हुआ है और 65-66 में 28, 84, 515 मन गन्ना पेलने पर 6,54,776 याने 1965–66 में लगभग 2 लाख रुपये का मुनाफा कम हुआ जब कि इस साल गन्ना पहले की अपेक्षा अधिक पेला गया। यह कमी इतनी ही क्यों जब कि इसमें डिस्टिलरी का भी मुनाफा शामिल है जब कि 1956–57 से 1965-66 में शराब की कीमत डबल से भी अधिक हो गई उसके हिसाब से डिस्टिलरी का प्रोफिट भी डबल होना चाहिए। तो मेरा निवेदन यह है कि या तो इस व्यापार में चोरी होती है या फिर यह व्यापार ऐसे लोगों के हाथों में है जो व्यापार ही नहीं समझते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनायी जानी चाहिए और उस कमेटी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जिस अधिकारी को चाहे उसको हटा सके और जिस कर्मचारी की चाहे उसकी नियुक्ति कर सके। वह कमेटी इसकी जांच करे कि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको हटाने का उनको अधिकार होना चाहिए। ताकि जो सरकार द्वारा व्यापार किया जाता है उसमें नुकसान न हो।

एक और भी निवेदन है कि गंगानगर शुगर मिल के अन्दर पुराना बारदाना लगाया जाता है और नये बारदाने की कीमत ली जाती है इससे यह होता है कि शुगर भी खराब आती है और इसकी मुझे जानकारी है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकारी व्यापार के अन्दर इतनी अंधेरगरदी और धांधलेबाजी क्यों होती है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौनसी डिमाण्ड है यह ?

श्री मोहनलाल मोदी : मैं अपने कटौती प्रस्ताव के ऊपर ही बोल रहा हूं। राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में है।

मैं अनाज के व्यापार के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। जिस जिले में जिस अधिकारी की गलती से वह गल्ला खराब हो जाता है और सड़ जाता है उसका नुकसान उस अधिकारी से लेना चाहिए। मैं एक उदाहरण पेश करता हूं कि आज भी सीकर में एक सेल्समैन है उसमें 37 हजार रुपये की राशि गल्ले की बाकी है। उसकी मोटरें चलती हैं, बसें चलती हैं लेकिन उससे सरकारी पैसा वसूल नहीं होता है। एक सेल्स मैन जिसको 100 रुपये की तनख्वाह है उसके ऊपर 37 हजार की बकाया है और वह वसूल नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जिस अधिकारी ने यह बकाया रखी है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उससे यह रकम वसूल की जानी चाहिए और उस को नौकरी से अलग कर देना चाहिए। ऐसी गलती जो लोग करते हैं उनके खिलाफ आपको सख्त कदम उठाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि आबकारी कर निरोधक दल के लिए जीपों की खरीद 1 लाख तीन हजार 100 रुपये की की जा रही जो नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि विकास

Page No. 119

(श्री मोहनलाल मोदी)
की जो जीपें हैं उनका दुरुपयोग होता है। पंचायत समितियों में जीपों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि विकास की जीपों का एक पूल बना देना चाहिए याने सब-डिवीजन की स्टेज पर एक पूल बना देना चाहिए जिसमें विकास की जीपें या डी. एस. पी. की या और दूसरी जीपें जो भी हों और जिस किसी भी अधिकारी को जीप की आवश्यकता हो तो वह एस. डी. एम. की मार्फत इनको ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि विकास की जीपों के लिए एक पूल बना देना चाहिए। मैं आपको नीम का थाना पंचायत समिति का जिक्र करता हूं। उनकी जीप में 2 वर्ष पूर्व मरम्मत में दस हजार रुपये एक साथ लगाये गये हैं। उसके बाद में बराबर रिपेयर्स के अन्दर पैसा लगता रहा और आज जीपों के अन्दर इतना पैसा लग गया है कि दो जीप नई खरीदी जा सकती हैं। तो इन सब के लिए बहुत बड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए।

विकास कार्यों के लिए तकावी जो दी जाती है इसमें सरलता आनी चाहिए। आज जो किसान तकावी के लिए जाता है उसके लिए पहले पटवारी ग्राम सेवक और सरपंच उसकी तस्दीक करते हैं और फिर कमेटी मन्जूर करती है। और उस पर ए. ई. ओ. की रिपोर्ट होती है। और ए. ई. ओ. की रिपोर्ट नहीं होती है तो तकावी नहीं देते हैं। मैं नहीं समझता कि उसकी रिपोर्ट की इतनी क्या आवश्यकता है। तकावी के लिए तो ऐसे नियम सरल बनाने चाहिए कि किसान को तकावी उसके घर के ऊपर मिले। वह सिर्फ दरख्वास्त पेश करे और जो भी अधिकारी हो वह तकावी उसके घर पर पहुंचावे। ताकि किसान को भी सहूलियत हो।

पंचायत समिति नीम का थाना ने एक छोटा पम्पिंग सैट खरीदा और वह पम्पिंग सैट पंचायत समिति में पड़ा है और जो कोई काश्तकार तकावी लेने के लिए आता है उसको कहते हैं कि यदि तुम यह पम्पिंग सैट लोगे तो तकावी देंगे। वह पम्पिंग सैट इस काम का भी नहीं है कि 20 फुट से भी पानी खींच सके। इसकी जांच की जानी चाहिए कि यह पम्पिंग सैट किस कारण से खरीदा गया और इसमें किस की गलती है।

बस यही निवेदन करना है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मंत्री महोदय जबाब देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : और कोई बोलना चाहें तो बोल लें।

श्रीमती सभानेत्री : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : सभापति महोदया, मांग संख्या 22 सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत 2,63,17,000 का है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बजट में देखें तो मालूम होगा कि यह दो मुद्दों में खर्च होती पाई जाती है। एक तो वह है जो कि सामुदायिक विकास योजनाओं के निर्माण में खर्च होते हैं और दूसरा इन सामुदायिक विकास योजनाओं का निर्माण कराने के लिए जो सरकारी मशीनरी है उस पर खर्च होते हैं। इस मांग का एनेलेसिस करने से यह मालूम

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

होता है कि जिस उद्देश्य को लेकर इस मांग का जन्म हुआ वह उद्देश्य जन्म लेने से पूर्व ही मर गया और गरीब जनता राजस्थान की जिसके उत्थान के लिए इस मांग का जन्म हुआ उस पर करोड़ों रुपयों का कर लगाकर मरे हुए सांप की लकीर पीटी जाती है। मोटे तौर पर यह मांग 5 मुद्दों में खर्च होनी प्रस्तावित की गई है—वह बजट में जो पृष्ठ 409 पर है मेन हैड्स हैं इरिगेशन, हैल्थ एण्ड रूरल सेनीटेशन, सोशियल एजूकेशन, कम्युनिकेशन्स और रूरल आर्ट्स, क्राफ्ट्स एण्ड इन्डस्ट्रीज—यह 5 मुद्दे हैं जिनमें यह 2 करोड़ से अधिक की रकम खर्च होती है। इसमें अलग अलग मुद्दों पर जो रकम खर्च होती है उसके लिए मैं निवेदन करूंगी कि इरिगेशन में करीब 14 लाख, एजूकेशन में रेकरिंग में 1 लाख और नान-रेकरिंग में 1 लाख, सोशियल एजूकेशन में रेकरिंग में 3 लाख और नान-रेकरिंग में 3 लाख 13 हजार और ग्रामसेवक हस्तकला तथा उद्योग में 2 लाख। और यह सारा खर्चा कुल मिलाकर जो डेवलपमेन्ट पर होता है कुल मिलाकर 20—22 लाख रुपये बनता है। यह मांग 2 करोड़ 63 लाख 17 हजार रुपये की है जिसमें से 20—25 लाख का निर्माण कार्य होता है। इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगी कि पंचायत समितियों को ग्रान्ट इन एड दी जाती है वह भी पालीटीकल एक्सप्लाइटेशन के सिवाय और किसी कन्सट्रक्टिव मद में खर्च होती हो इसका मुझे बहुत सन्देह है। लेकिन इतने थोड़े निर्माण के कार्यो के लिए इतनी बड़ी रकम सर्विसेज का विस्तार करके दो करोड़ से अधिक खर्च करना कहां तक न्याय संगत बात है। मैं निवेदन करूंगी कि यह राशि ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए खर्च की जाती है, जहां तक ग्रामीण जनता के उत्थान का सम्बन्ध है, मैं भी महसूस करती हूं कि इन पांच मदों के अलावा ग्रामीण उत्थान का शायद कोई बेटर रास्ता और हो सकता है यदि इसको सही तौर पर कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा जावे और उसके अनुसार कोशिश करने का खयाल रखा जावे तब तो सही है। लेकिन सरकार ने इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो ग्रामीण जनता के उत्थान करने का है सही तरीके से कार्यान्वित करने के बजाय उन्होंने एक तरह से सर्विसेज का विस्तार कर लिया है और थोथा प्रचार जिसे कहते हैं, उस थोथे प्रचार के लिए बहुत ज्यादा सर्विसेज का विस्तार करके दो करोड़ से अधिक रकम खर्च करते हैं। मैं सदन के सम्मुख एक सुझाव रखूंगी कि मेरे खयाल से जो रकम इस तरह से खर्च होती है वह किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं मानी जा सकती। इस मांग का आधार इस तरह होना चाहिए सौ में से 75 प्रतिशत निर्माण पर खर्च होना चाहिए, 15 प्रतिशत खर्च होना चाहिए सुपरवीजन पर और 10 प्रतिशत जो कोई अन्य न्याय संगत एक्स्पेन्डीचर हो तो उस पर। इस तरह से खर्चा किया हुआ ही सही माना जा सकता है लेकिन केवल इस तरह से जो खर्चा किया जाता है उसको देखने से और इस बजट को देखने से तो यही लगता है कि सर्विसेज का विस्तार करके भाई भतीजावाद को पनपाने के लिए यह रकम खर्च की जाती है और न कि ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए। ग्रामीण जनता के उत्थान का जहां तक प्रश्न है उसके लिए मैं निवेदन करूंगी कि ऐसी योजनाएं बनाई जा सकती हैं कि जिनमें ग्रामीण जनता

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

खुद आगे आकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयत्न करने को ग्रोफर करेंगी । इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगी ।

इसके साथ ही साथ मैं मांग नम्बर 46 जो कि फूड के बारे में है.........

(4.43 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके लिए मैं निवेदन करूंगी कि मांग नम्बर 46 को देखने से मालूम पड़ता है कि सरकार करीब 15 करोड़ 14 हजार रुपया के फूड प्रोडक्ट्स को बाहर से खरीद करने का लक्ष्य रखती है व इसके लिए 16 करोड़ सात लाख पचपन हजार के खर्च का प्रोविजन किया गया है । इनको केलकुलेट करने से मालूम पड़ता है, कि करीब 75 लाख 55 हजार का खर्चा पड़ता है 15 करोड़ के फूड ग्रेन को परचेज करने में यानि करीब करीब पांच परसेंट का खर्चा होता है 15 करोड़ के माल को खरीदने पर, यानि 5 परसेंट ग्रोवरहेड एक्सपेंडीचर इस खरीद में लगेगा । सदन के माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि यदि 100) की लागत माल पर खर्चे की दर 5) हो जाये तो किसी भी प्रकार से मुनाफे की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ सकती है और जो सस्ता धान जनता को सप्लाई करने की भावना से सरकार ने इस व्यापार को हाथ में लिया है उसका लक्ष्य ही खत्म हो जाता है क्योंकि पांच परसेंट तो सरकार खुद ही खर्चा कर देगी और कंज्यूमर तक जब यह अनाज पहुंचेगा तब उसमें करीब पांच परसेंट तो खर्चा बढ चुका होगा । इस प्रकार 10 परसेंट तक का खर्चा होने के बाद किसी भी तरह से यह मुमकिन नहीं है कि जनता को सस्ता अनाज सप्लाई किया जा सके । यह तो एक पहलू रहा इसका । दूसरा पहलू है है जिसके for reaching consequences हो सकते हैं यह भी देखना है कि सरकार अनाज का ट्रेड करने में अकेली ही नहीं होती, उसके अलावा दूसरे लोग भी अनाज के क्षेत्र में व्यापार करते हैं जब सरकार इस व्यापार में इतने मोटे खर्चे को उचित बताएगी तो अनाज का व्यापारी सरकार की इस गलत नीति का लाभ उठा कर जहां उनका एक परसेंट का यदि खर्चा होता है तो उसमें चार परसेंट और एड करके वह अपना मुनाफा लगाते हैं और इससे यह हो जाता है कि जनता की परचेजिंग पावर कम हो जाती है मार्केट्स भावों का बढना व राज्य की अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है । इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि यदि सरकार अपने इस खर्चीलेपन को कम करके जनता के सामने एक माडल प्रस्तुत नहीं करेगी तो समाजवादी समाज का निर्माण तो नहीं होगा बल्कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था न केवल पनपेगी जिसकी लपेटों में न सिर्फ मध्यम श्रेणी के लोगों का जीवन रहना असम्भव हो जायेगा बल्कि निचला तबका भी नहीं बच सकेगा । इसलिए मेरा निवेदन करने का है कि सरकार को यह पांच परसेंट को घटा कर दो परसेंट पर यह माल खरीदना चाहिए और यह दो परसेंट पर खरीद जा सकता है । और मैंने खुद ने देखा है होलसेल भण्डार की अध्यक्षा होने के नाते भी, हम भी बाहर से अनाज खरीदते हैं करीब दो

Page No. 122

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

परसेंट से अधिक खर्चा नहीं आता। इसलिए मैं समझती हूं कि यह दो परसेंट भी मैक्सीमम है, ये चार्जेज भी शामिल हैं— कार्यालय का स्थापन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज—ये सब दो परसेंट में शामिल हो सकते हैं। इसलिए सरकार की यह जो नीति है अनाज खरीदने वाली, यह किसी भी तरह से एक फायदे की नीति नहीं है। इसको किसी तरह से भी सदन को मानना नहीं चाहिए बल्कि आल्टर्नेटिव सुझाव है उसके मुताबिक नीति को कार्यान्वित किया जावे एक तरफ तो सरकार टैक्स बढ़ाती है और टैक्स बढ़ा कर अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग को बैलेंस करती है दूसरी तरफ इस तरह से नाजायज खर्चा होता है। इनमें कटौती करने से करीब 42 लाख 87 हजार की बचत हो सकती है जिससे सरकार 48 लाख की घाटे की अर्थ व्यवस्था से भी बच सकेगी व गरीब जनता उन सम्भवत: कर प्रस्तावों से भी जिनकी रूपरेखा माननीय वित्त मन्त्री द्वारा बनाई जा रही है।

मैं माननीय मंत्रीजी से और सदन से भी आशा करूंगी कि वह मेरे सुझाव पर सोचेंगे और मेरे सुझावों को सरकार के द्वारा मंजूर कराने के लिए प्रयत्न करेंगे।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : विकास मंत्रीजी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिए तो मौका मिलना चाहिए। पांच मिनिट के लिए ही बोलने दें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ समय देने के लिए बोलते रहे)

(अश्रव्य) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है। यह भी बढ़ाना पड़ेगा इसलिए विकास मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज की बहस तो वैसे ही एक घण्टे के बाद शुरू हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : यह घण्टा भर तो वैसे बढ़ाना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके साथ साथ एक आध घण्टा और सही।

श्री हरिवल्लभ : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनिट का ही समय मिल जाय....

श्री श्रवणलाल : पांच पांच मिनिट ही बोलने दें।

(श्री हरिवल्लभ बोलने के लिए कुछ कहते रहे)

(अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा (सामुदायिक विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन मांगें सदन के सामने प्रस्तुत हैं कुल मिला कर 16 सदस्यों ने अपने विचार सदन में प्रस्तुत किए हैं...

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनका (श्री हरिवल्लभ शर्मा का) पचायत राज के सम्बन्ध में बड़ा विलक्षण अनुभव है। इनको पांच मिनिट दे दिया जाय।

(श्री रामकिशन)
और फिर ये नये सदस्य हैं, बोले भी नहीं हैं कभी।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है बोले हैं, वह भी जब मैं सदन में था तब बोले हैं। विकास मंत्रीजी।

श्री परसराम मदे : उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर 6 सदस्यों ने आज तीन मांगों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। पंचायत राज के सम्बन्ध में और सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार की राय आज सदन में रखी। कई माननीय सदस्यों का ऐसा मानना है कि पंचायत राज जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था उस वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में हम असफल रहे हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि पंचायत राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम को और कम्युनिटि डेवेलेपमेंट प्रोग्राम को गति देने के लिए राजस्थान में एक बोल्ड स्टेप 1959 में लिया गया था और उसके बाद में देश के दूसरे राज्यों ने भी राजस्थान का अनुसरण किया, इतना बड़ा बोल्ड स्टेप जिसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना था। और डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन, आज डेमोक्रेसी का यह आधार है कि जनता की चुनी हुई संस्थाएं, समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करे। यह अपने प्रकार का एक कदम था। हमने वह कदम लिया और उसके बाद में इस सदन द्वारा पंचायत समितियों और जिला परिषदों और उसके अन्तर्गत बने नियमों के नीचे कार्यवाही चल रही हैं। अब प्रश्न यह रहता है कि आज जिस एक्ट के नीचे, आज जिन कानूनों और नियमों के नीचे वहां के पदाधिकारियों द्वारा, वहां के विकास अधिकारी और एक्सटेंशन आफिसर्स के द्वारा या जनता के चुने हुए पंच, सरपंच और प्रधान आदि जो लोग हैं उनके द्वारा ठीक तरह से काम किया जाना चाहिए, इसे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अगर कोई फेल्योर आफ डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन का है, जिसको मैं कतई नहीं मानता, शुरूआत में हमेशा जो एक बड़ा वेन्चर होता है, एक ऐसा बोल्ड स्टेप होता है, उसके अन्दर दिक्कतें आ सकती हैं, यह हो सकता है कि उसमें कुछ अनियमिततायें हों, यह भी हो सकता है इसमें जिन लोगों को उत्तरदायित्व निभाना था, उसको निभाने में वह पूर्ण नहीं उतरे हों—इस प्रकार की कमियां रह सकती हैं। लेकिन इन एक दो चीजों से पूरे पंचायत राज का अन्दाज लगा कर नहीं चल सकते। राजस्थान में करीब 34,000 हजार गांव हैं, और राजस्थान में 7,546 पंचायतें हैं, जिनमें 7,500 सरपंच हैं और करीब पचास हजार पंच हैं। इसके अलावा 232 पंचायत समितियां है। इन 232 पंचायत समितियों के अन्दर पांच पांच स्टैंडिंग कमेटियां हैं, उनके अन्दर काप्टेड मेम्बर्स भी हैं। तो कुल मिला कर एक बहुत बड़ा अमला सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को चलाता है। अगर इसमें कोई फेल्योर है तो, मैं ऐसा मानता हूं, ह्यूमन फेल्योर है, ह्यूमन एलीमेंट है। आप कोई भी काम को लीजिये, चाहे सरकारी सेवाओं के मामले को लीजिये, चाहे प्रतिनिधित्व के मामले को लीजिये, चाहे

(श्री परसराम मदेरणा)

किसी को भी लीजिये इनमें जो मोस्ट ग्रफेक्टिव पार्ट प्ले करता है, वह ह्यूमन फेक्टर है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि यदि एक दो सरपंच खराब हो गये, या एक दो प्रधान की गलती किसी काम में हुई है या एक दो विकास ग्रधिकारियों ने पर्चेज के मामले में कोई गलतियां की हैं--तो इसका मतलब यह नहीं है कि पंचायत राज राजस्थान में फेल्योर है। इसके विपरीत मेरा मानना है कि लोगों के ग्रन्दर पंचायत राज से एक राजनैतिक चेतना ग्राई है, लोकल डेवेलपमेंट वर्क्स को नजदीक से देखने का, निगरानी रखने का उनको मौका मिला है। पंचायत राज्य के जरिये, ग्राज मे पहले जो लोग राज्य को माई-बाप समझते थे, वह खुद ग्राज बैठ कर फैसले करते हैं ग्रौर ग्रपने भाग्य का स्वयं निर्णय करते हैं। इस बात से ग्राज कौन इन्कार कर सकता है कि पंचायत राज के जरिये हमारे गांवों के ग्रन्दर राजनैतिक, सामाजिक ग्रौर सांस्कृतिक चेतना नहीं ग्राई है। मैं निवेदन करूं कि इसमें कुछ गलतियां रह सकती हैं, इसके लिए मैं ग्रापसे इतना ही निवेदन कर दूं कि पंचायत राज को स्थापित करने का राजस्थान सरकार का एक बोल्ड स्टेप था, इसमें हम ट्रायल एण्ड करेक्ट के मैथड को लेकर चले हैं। जहां कहीं भी हमने यह देखा है कि जो पंचायत राज में थोड़ा बहुत फेल्योर है, यह कानून की ग्रवहेलना की वजह से है या ह्यूमन एलीमेंट की वजह से है तो उसको हमने हमेशा करेक्ट करने की कोशिश की है। इसलिए यह ग्रारोप लगाना गलत है कि राज्य सरकार क्योंकि ऊपर है ग्रौर क्योंकि ऊपर भ्रष्टाचार है इसलिए वह पंचायत राज में भी पनपता जा रहा है। नोहर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा, मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनका यह ग्रारोप बिल्कुल निराधार है। राज्य क्योंकि ऊपर बैठता है, इसलिए सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ग्रापने यह बताने की कोशिश की कि क्योंकि ऊपर भ्रष्टाचार है इसलिए नीचे भी भ्रष्टाचार घुसता ग्रा रहा है। ग्राप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि राज्य सरकार, जहां पंचायत समितियों, जिला परिषदों ग्रौर पंचायतों इनके जितने फंक्शन्स ग्रौर ड्यूटीज़ हैं उनमें किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती ग्रौर राज्य सरकार ग्रपनी तरफ से हमेशा यह कोशिश करती है कि क्योंकि एक सरकार बनती है मिनिस्टरों से इसलिये मिनिस्टर पब्लिक लाइफ में ईमानदारी का एक हाइएस्ट स्टेण्डर्ड रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की शंका या ग्राक्षेप की गुंजाइश नहीं हो। इसलिए यह कहना गलत था। ग्रब नोहर के जो बी. डी. ग्रो. थे उन्होंने कुछ ग्रनियमिततायें की, जिनके लिए नोहर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा तो मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर गंगानगर उस मामले की जांच कर रहे हैं ग्रौर जब उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, तो उसमें ग्रगर ऐसी कोई बात हुई तो उनके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन की कार्यवाही ग्रवश्य की जायेगी। उसमें किसी को सील्ड करने की या कोई लीपापोती करने की कोशिश नहीं की जायगी। यह मैं उन माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं।

यहां यह बात भी कही गई कि लोन की रिकवरी के मामले हैं या दूसरी तरह के मामले हैं उनके ग्रन्दर ग्रभी तक सरकार की

(श्री परसराम मदेरणा)

तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाये गये हैं। जैसी मुझे जानकारी मिली है हमने जो पंचायत समितियों को कर्ज दिया है, वह 10 करोड़ 89 लाख 24 हजार 462 रुपये दिया था, उसमें से जो अमाउन्ट रिकबर कर लिया गया है वह है और 8 करोड़ 16 लाख 4 हजार 60 रुपये हैं, जो ड्यू हो जाता है, इस ड्यू हुए में से जो हमने रिकबर किया है वह 7 करोड़ के करीब, यानि 7 करोड़ 13 लाख 28 हजार 83 रुपये और जो अमाउन्ट ड्यू हो गया है उसमें 1 करोड़ 2 लाख 76 हजार 513 रुपये की धनराशि बाकी है मेरा कहने का मतलब यह था कि राजस्थान में पिछले तीन सालों से अकाल पड़ रहा है, इसलिए रिकवरी के मामले में हमें स्टे करना पड़ा है। इसके अलावा पंचायत समितियों को भी कानूनी अधिकार दिया गया है कि वह भी स्थिति को देख कर स्टे दे सकते है।

इसके अलावा जैसा शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो स्टेटमेंट ग्राफ रिकवरी तहसीलदार के पास भेजा जाता है, उस स्टेटमेंट के जाने के बाद वसूली के लिए तहसीलदार के मार्फत नोटिस जाते हैं या नहीं जाते है वह रिकवरी करता है या नहीं कर सकता है वापिस सब पंचायत समितियों के पास यह इत्तला भेजता है या नहीं कि क्या रिकवरी के लिए अब शेष अमाउन्ट है। इसके सम्बन्ध में मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं कि रिकवरी के मामले में जो स्टेटमेंट के अनुसार अमाउन्ट ड्यू हो जायगा, उसके बाद वह पंचायत समिति के पास से तहसीलदार के पास जायगा तो तहसीलदार किन किन केसेज में पी. डी. आर. के तहत क्या क्या कार्यवाही करता है, या दूसरे बाकी केसेज में क्या कार्यवाही करता है क्योंकि हर केस में अलग अलग कार्यवाही होती है, उसके बाद में राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश उन लोगों को देगी कि वह अपनी एक पीरियोडिकल, या टर्म की रिकवरी की पोजीशन पंचायत समितियों को बताते रहें।

यहां यह बात भी कही गई कि जिला परिषदों की कुछ पावर्स कम हैं, जैसा कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य और बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। वह जानते हैं कि सादिक अली अध्ययन दल ने यह सिफारिश की हैं कि कुछ काम जिला परिषदों को देने चाहिए जिला परिषद एक अफेक्टिव बॉडी होनी चाहिए, जिला परिषद के पास कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिनका एक्जीक्यूशन वह खुद कर सके। कुछ सेवायें, जिनको अपन कहते हैं, सामाजिक सेवाओं की संस्थायें—वह भी उनको हस्तान्तरित की जानी चाहिए। इस प्रकार की सिफारिशें सादिक अली अध्ययन दल की थीं। राज्य सरकार ने नीति के तौर पर सादिक अली अध्ययन दल की पूरी की पूरी सिफारिशें मान ली है। उसके बाद में एक केबिनेट की सब कमेटी बैठी, जैसा कि मैंने आपको परसों निवेदन किया था कि वह कमेटी विचार कर रही है, और वह विचार यह कर रही है कि कौनसी पावर्स जिला परिषदो को हस्तान्तरित किए जाने चाहिए। सादिक अली अध्ययन दल ने जो सिफारिशें की हैं—उनमें मिडिल स्कूल, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, दूसरे सब सैन्टर, हैड सेन्टर, आयुर्वेदिक औषधालय और उसके साथ में दूसरे काम,

(श्री परसराम मदेरणा)

जैसे एक वर्कशाप स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वहां पर काश्तकारों के इम्प्लीमेंट और ट्रेक्टर आदि की मरम्मत और देख रेख का काम चल सके–इस प्रकार की सिफारिशें थी। उसके साथ साथ मिडिल स्कूल्स को हस्तान्तरित करने की भी सिफारिश थी। इन सिफारिशों को राज्य सरकार ने नीति के तौर पर मान लिया है लेकिन मिडिल स्कूल में कितना क्या हो रहा है, क्या सर्विस कन्डीशन्स हैं लेडी टीचर्स की, जैसे कि आप देखते हैं कि टीचर्स की सर्विस कन्डीशन्स के मामले जो पंचायतों में गये हैं, वह कई मैटर्स में वैरीफाई करने के लिए या दूसरे काम के लिए–जैसे जो मिलिट्री सर्विस में थे या जिला परिषद में थे–आते हैं। इन सब मामलों को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया जाय इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पंचायत राज के सम्बन्ध में जो केबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है, उसने कई मुद्दों पर आज सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट को देखा है और देखने के बाद कई स्टेट्स में जाकर पंचायत इन्स्टीट्यूशन्स में जो फंक्शनरीज हैं विलेज फंक्शनरीज हैं–चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो वह किसी तरह का काम करता है, किस तरह से विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद दी है–यह सब बातों को देखने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस बैठक का समय विचाराधीन मांगों के स्वीकृत होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री परसाराम मदेरणा : केबिनेट सब कमेटी ने इन सब मामलों को ध्यान से देखा है और उसकी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्यवाही की जायेगी। मैं निवेदन करूं आपसे कि आज यह नहीं कि सादिक अली कमेटी की पूरी की पूरी रिकमन्डेशन्स राज्य सरकार ने इन टोटो हर पाइन्ट पर स्वीकार कर ली है। चुनाव की बात को मान लिया था तो सदन में एक बिल लाकर सरकार ने उसमें संशोधन कर दिये हैं। उसके बाद जो आज पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव, जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव जो बड़ा ठोस रखा है वह सादिक अली कमेटी की रिकमन्डेशन के आधार पर था।

(5 म. प.)

बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानों की एक और बीमारी शुरू कर दी है। मुझे मालूम नहीं कि कितनी बीमारियें पंचायती राज्य में हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि अगर पंचायती विभाग मेरे पास रहा और आपका सहयोग मुझे मिलता रहा तो अवश्य इसमें सुधार करूंगा। यह भी माननीय सदस्य ने कहा कि आडिट रूल्स में किस प्रकार का संशोधन होना चाहिये और कहा कि पर्चेजिंग का काम विकास अधिकारियों के हाथ में नहीं रहे और वह काम कमेटी के हाथ में रहे। मैं यह निवेदन कर दूं कि यह हमने पहले ही तय कर दिया, यही बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे और इसी प्रकार से नीहर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि पर्चेजिंग के मामले में और खास कर स्टेशनरी पर्चेज करने के मामले में काफी गड़बड़ी की है और यह भी बताया कि लॉग बुकों के सम्बन्ध में कहा कि इतनी

(श्री परसराम मदेरणा)

लॉग बुकें पर्चेज कर ली गई हैं जो पंचायत समिति के लिये 100 वर्ष तक पर्याप्त होती रहेंगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब सबसे पहले इस प्रकार की शिकायत सरकार के पास आई तो 1-11-66 को सभी विकास अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया था कि वे स्टेशनरी और कुछ इम्प्लीमेंट्स को छोड़ कर और खास तौर से स्टेशनरी के लिये ऑर्डर दिये गये थे कि 500) की स्टेशनरी खरीद सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं; अगर उनको इससे ऊपर कोई भी विकास अधिकारी स्टेशनरी खरीदना चाहे तो वह कलेक्टर से इजाजत लेकर खरीद सकता है। उसको कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी। क्योंकि कुछ मामले हमारे सामने आये चाहे वे नोहर के हों, चाहे जैसलमेर के हों, चाहे सांचोर के मामले हों, चाहे वे आपके गोगुन्दा के हों या अन्य स्थान के हों। दो तीन मामले ऐसे हैं जो सामने आये हैं। उनके लिये जैसा मुझ से आश्वासन माननीय सदस्य चाहते हैं, मैं समझता हूं कि वे मेरे से ऐसी आशा रखते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो आरोप बी. डी. ओ और एक्सटेंशन आफिसरों के खिलाफ हैं जैसा कि प्रिंटिंग का पंचायतों का कह रहे हैं, उसमें स्टेंडिंग कमेटी के लोगों का भी हाथ बताया है‥

श्री रोशनलाल : मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों के द्वारा साबित कर दें तो जो भी कहें मैं मंजूर करने को तैयार हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी को कतई कोनफीडेन्स में नहीं लिया गया और कार्यवाहक विकास अधिकारी थे उन्होंने 60 हजार के हैंड पम्प खरीदे और जिन हैंड पम्पों की कीमत 80) की थी उनको 375) में खरीदा। आप कहते हैं कि स्टेन्डिंग कमेटी का हाथ था। स्टेन्डिंग कमेटी ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया और न उनको कोई जानकारी ही थी।

एक माननीय सदस्य : यह तो बचने का तरीका है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इन सारे कन्ट्राडिक्शन्स में नहीं जाना चाहता। आपने घरियावद की बात कही।

श्री रोशनलाल : एक तो घरियावद का कहा।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा गोगुन्दा का प्रश्न उठाया और तीसरा जो आपने उठाया वह बगड़ांव। इन तीनों में घरियावद का मामला है और जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो शिकायत विकास अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध है उसके विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करके भेजा जा रहा है। इसका मतलब यह कि कुछ न कुछ जांच से ऐसी बात पाई गई है। इसलिये मैं कहता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी की नोलेज में यह बात नहीं है। जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर वे दोषी नहीं हैं तो उनको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। दोषी व्यक्ति को डरने की जरूरत है। मगर जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है मैं यह कहूंगा कि न्याय होगा और किसी तरह का पक्षपात व प्रेशर से काम नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

होगा और किसी ने इस प्रकार की अनियमितता की है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये और राज्य सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी को सख्त से सख्त सजा देने से नहीं हिचकिचाएगी।

श्री रोशनलाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे सीरीयस चार्जेज हैं फिर भी दो वर्ष से ज्यादा समय हो गया है आपने कोई उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। अब कब उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जब भ्रष्टाचार के मामलों में इस प्रकार की देरी होती है तो भ्रष्टाचार के मामले ढीले पड़ते जावेंगे और दूसरे लोग अपना असर डाल कर उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास सबसे पहले धरियाबद के बारे में सन् 65 में इत्तिला आई।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके पास कब इत्तिला आई और धरियाबद और गोगुन्दा में आपने क्या कार्यवाही की।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो बजे से यह डिबेट शुरू हुई और पौने पांच बजे मैं बोलने लग रहा हूं....

श्री रोशनलाल : मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा : फिर भी मैंने प्रयत्न किया है जानने के लिये कि रिपोर्ट क्या है और हमने लिख दिया कि बी. डी. ओ. के खिलाफ और स्थाई कमेटी के खिलाफ आरोप पत्र भेजा जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जावेगी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने प्राइमरी स्कूलों के बारे में कहा। प्राइमरी स्कूलें पंचायत समितियों के पास जाने के बाद उनमें काफी हस्तक्षेप रहता है, ट्रान्सफरों के बारे में और अन्य कई बातों के बारे में कहा गया। यह भी कहा गया कि ट्रान्सफर इधर से उधर कर दिये जाते हैं। यह भी कहा गया कि टीचर्स जो सरपंचों की राय के होते हैं या उनसे मिले हुए होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाते हैं और दूसरे बच्चों को स्कूलों में भरती तक नहीं होने देते हैं। उनको पढ़ाते नहीं यह बात पिपलदा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। उन्होंने नाम बताया है, मैं उसकी जांच करूंगा कि किस बच्चे को पढ़ने से रोका गया है क्योंकि यह तो बहुत बड़ी सीरियस बात है। कोई बच्चा पढ़ने से वंचित हो जावे तो पंचायत समिति का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होती है। इसलिये इस चीज को मैं बहुत गंभीर मानता हूं और मैं जल्दी से जल्दी इसके बारे में जांच करा कर माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा और समय मिल गया तो हाउस को भी सूचित करने की कोशिश करूंगा।

सलूंबर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि तकावी के नियम ऐसे हैं कि जिससे काश्तकारों को काफी लम्बे अर्से तक कर्जा मिलना चाहिये जो नहीं मिलता। हमने इन

(श्री परसराम मदेरणा)

रूल्स में पंचायत समिति में तकावी देने के लिये 1966 में काफी संशोधन किये हैं और यह किया है कि आज जो एक ही इन्स्टालमेंट में दे दिया जाता है वह तीन इन्स्टालमेंन्ट में कर्जा दिया जाना चाहिए पहिले इन्स्टालमेन्ट में 40 परसेन्ट दूसरे में 50 परसेन्ट और तीसरे में 10 परसेन्ट। इस तरह से तीन इन्स्टालमेंट में लोन दिया जावेगा। इसके अलावा इम्प्लीमेन्ट्स वगैरा हैं उसके लिये 500) से कम है तो उसको एक साथ लोन दे दिया जावेगा। सबसे पहले यह बी. डी. ओ. के पास जावेगा, बी. डी. ओ. से बी. एल. डब्लू के पास जावेगा और फिर ए. इ. ओ. के पास जावेगा और ये जांच करके बी. डी. ओ. के पास भेजेंगे। तीनों मिल कर 40 दिन से ज्यादा समय इसमें नहीं ले सकते हैं और उनको 40 दिन के अन्दर अन्दर स्टेन्डिंग कमेटी के सामने रखना होगा। इसमें तीन दिन में बी. डी. ओ. अपना डिसिजन लेकर पंचायत समिति के पास रखेगा और लोन 40 दिन के अन्दर उनको मिल जाना चाहिये ऐसी व्यवस्था है पहले प्रोसीजर काफी लम्बा था उसको हमने बहुत कम किया है।

लेकिन मैं यह मानता हूं लोन्स के रूल्स के अन्दर थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, परसनल स्योरिटी के बाद भी लोन देते हैं, ऐसे भुगतान नहीं किया जाय तो रिकवरी में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिये हमने रूल्स बनाये हैं। मैं समझता हूं उसका सरलीकरण किया जा चुका है, सिम्प्लीफिकेशन किया जा चुका है, और इस सिम्प्लीफिकेशन के बाद माननीय सदस्यों के जैसा कि ध्यान में था कि लोन लेने में ज्यादा अर्सा लगता है, वह अब नहीं रहेगा।

श्री विजयसिंह रावत : मन्त्री महोदय ने माना है कि प्राइमरी स्कूलों को शिक्षा विभाग से हटा कर पंचायत समितियों के नीचे देने के बाद इर्रेगुलेरिटीज हो गई हैं, पर यह बताते बताते दूसरे पोइन्ट पर बोलने लग गये, आगे कुछ नहीं कहा कि इसके लिये सरकार का क्या निर्णय है।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार का निर्णय साफ है। प्राथमिक शालाएं पंचायत समितियों के पास में हैं। सादिकअली अध्ययन दल ने इस बात की सिफारिश की है कि प्राइमरी स्कूल्स पंचायत समितियों के पास रहे, उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिये मिडिल स्कूल्स भी जिला परिषदों को ट्रान्सफर हो जाने चाहिये। तो मैं समझता हूं कि आज मौके पर लड़कों की तादाद देख लीजिये, मास्टर स्कूलों में हाजिर रहे है, क्योंकि पंचायत समितियों का मौके पर कन्ट्रोल है। अगर शिक्षा विभाग के नीचे करेंगे तो मास्टर लोग हमेशा हाजिर रहते हैं या नहीं, समय पर पढ़ाते हैं या नहीं, ठीक तरह से पढ़ाते है या नहीं, इसकी निगरानी नहीं रख सकेंगे। जितना प्रसार प्राइमरी स्कूलों का पिछले सालों में हुआ है, जितनी मास्टरों की संख्या बढ़ी है, एक एक प्राइमरी स्कूल में एक नहीं तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच अध्यापक हैं इसलिये यह आवश्यक होगा कि प्राइमरी स्कूलें अब तक पंचायत समितियों के पास रही है, वैसे ही पंचायत समितियों के पास रहें। हो सकता है कि पोलिटिक्स की गड़बड़ हो, हस्तक्षेप हो। इसको रोकने के लिये हमने ऐसा किया है कि अध्यापकों के ट्रान्सफर के अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को न देकर विकास अधिकारी को दिये है, वह इसलिये किया है कि वह कन्ट्रोल रख सके, वह

(श्री परसराम मदेरणा)

एडमिनिस्ट्रेटिव हैड हैं। तो मैं समझता हूं एक दो जगह इस तरह की बातें जहां हजारों स्कूलों में से आई हैं तो इनसे इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि पंचायत समितियों से प्राइमरी स्कूलों को निकाल कर एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए। एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को दे देते हैं तो फिर उसी प्रकार की गड़बड़ियां होंगी, जिस तरह पंचायतों के सरपंचों का स्टेच्युटरी राइट नहीं था इनको देखने का जो निश्चित रूप से आप देखते थे कि कई जगह टीचर्स दो-दो तीन-तीन महीने तक गायब रहते थे। पर आज यह निश्चित हो गया है कि कोई मास्टर गायब रहता है या समय पर स्कूल नहीं जाता है, ठीक तरह से काम नहीं करता है तो विकास अधिकारी को मालूम हो जाता है, पंचायत-समिति की मीटिंग्स में सरपंच जाते हैं तो शिकायत कर सकते हैं, इस पर विकास अधिकारी फौरन एक्शन ले लेता है, इससे मास्टर समय पर स्कूल जाते हैं, ठीक तरह से काम करते हैं और कोई मास्टर गायब नहीं रह सकता। पंचायत समितियों से इन स्कूलों को अगर वापिस ले लिया गया तो पंचायतों के सरपंचों को वह शिकायत का मौका नहीं रहेगा। इसलिये प्राथमिक शालाओं का पंचायत समितियों के पास रहना ही उचित है, इन्हीं के पास यह रहनी चाहिये।

श्री विजयसिंह राव : यह बात सरकार मानती है कि पंचायत समितियों के पास प्राइमरी स्कूलों के जाने से अनियमितता आई है तो सरकार यह मानती है कि सरपंचों की शिकायत पर अध्यापकों का, खास तौर से लेडी टीचर्स का ट्रांस्फर हो जाता है, बी. ए., एस. टी सी की हुई लेडी टीचर्स को शराब पीये हुए सरपंच ऐसी बातें कहते हैं, उनको दबाते हैं और बाद में बी. डी. ओ को ट्रांस्फर के लिये सिफारिश करते हैं, तो ऐसी दशा में क्या इस प्रकार की व्यवस्था उचित है ? जहां राष्ट्र का निर्माण होता है, प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स रेस्पोन्सिबल हैं, इनको यदि पंचायत समितियों के अन्दर में रखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और व्यभिचार समाप्त हो सके ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने हाइ-पोथेटिकल बात कही है, उस पर मैं कोई कन्क्लूजन नहीं मानता, यह इन्कन्क्लूजिव है। सरपंच के कहने से अगर अध्यापक की गलती नहीं होने पर भी बी. डी. ओ. ट्रांस्फर करता है, टीचर ठीक काम कर रहा है फिर भी राजनैतिक कारणों से बी. डी. ओ. पर असर डालते हैं और वह बी डी. ओ. अगर असर में आ जाता है तो यह गलत बात है। पंचायत समिति को अधिकार है उनके तबादले के बारे में। सरकार यह मानती है कि ट्रांस्फर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर होने चाहियें, इस प्रकार के आदेश हमने जिला अधिकारियों को दे दिये हैं, अगर कोई ऐसा मामला सरकार के सामने आयेगा तो हम विकास अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेंगे। अध्यापकों के ट्रान्सफर के मामले में हम चाहते हैं कि कम से कम अर्से में ट्रान्सफर्स हो ऐसा नहीं हो कि चार, पांच साल तक एक ही जगह बैठे रहें; वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्रियेट नहीं होना चाहिये; कोई पार्टी वहां आती है तो अध्यापक एक पार्टी से लाभ उठाने के लिये कोई काम

(श्री परसराम मदेरणा)
करने लग जाता है, इस तरह की भावना उसके दिमाग में आ जाती है इसलिये चार पांच साल तक टीचर को एक जगह नहीं रखना चाहिये। शिक्षा का स्तर नहीं गिरे, शिक्षक समय पर आये और छात्रों को पढ़ाने में दिलचस्पी ले, यह हम चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसे वह सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिये जो एक जगह पर उसे मिल रही हैं, उसे दूसरी जगह ट्रान्सफर किया जाना चाहिये जहां उसे कम सुविधाएं हैं। जो अच्छा काम करते हैं उन टीचर्स को पंचायत समितियों द्वारा इनाम भी दिये जाते हैं। किसी का कहना नहीं मानता है इसलिये ट्रान्सफर करते हैं तो यह चीज नहीं होनी चाहिये, यह चीज गलत है, अगर इस प्रकार की शिकायत आयेगी तो उस पर एक्शन लिया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ट्रान्सफर्स के बारे में आप पंचायत समितियों की बातें करते हैं पर यह नहीं देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा टेलीफोन करके रोजाना ट्रान्सफर्स किये जाते हैं। आप जब रोजाना टेलीफोन करके ट्रान्सफर्स करते हैं तो आपकी देखा देखी पंचायत समितियां क्यों नहीं ट्रान्सफर्स करेंगी। आप ही तो सिखाते हैं उनको इस तरह की बातें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफर करें तो मुश्किल और ट्रान्सफर नहीं करें तो मुश्किल। राज्य सरकार को महसूस हो जाय कि एक अधिकारी एक जगह बैठा हुआ है, वहां वह ठीक तरह से काम नहीं करता है, रजिस्ट्रार कोओपरेटिव सोसायटीज ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसका तबादला करना जनता के हित में है, एडमिनिस्ट्रेशन के हित में है। अंधाधुन्ध ट्रान्सफर्स इसलिये हो रहे हों कि एक व्यक्ति से बिना किसी कारण से नाराज हैं और इसलिये ट्रान्सफर्स हो रहे हों तो वह खराब है। पर काम को ठीक तरह से चलाने के लिये ट्रान्सफर्स किये जाते हैं तो वह बिलकुल उचित है। सही आदमी सही जगह बैठा हुआ है, अच्छी तरह से काम कर रहा है तो है अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे अच्छी जगह नहीं रख कर ऐसी जगह रखा जाय जहां इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, जहां इमिजियेट ऑफिसर उसके सिर पर बैठा है। ऐसी स्थिति में ऐसे काम के लिये राज्य सरकार ट्रान्सफर करती है तो वह आवश्यक है और ऐसा करने का उसे अधिकार है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : There will be no end of such questions if such debate is allowed to continue.

श्री रामचन्द्र आर्य : आप जो दलील दे रहे हैं वह बिलकुल गलत है।

श्री विजयसिंह रावत : आपने जो पक्षपात तबादले के बारे में कहा उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन जो भ्रष्टाचार, व्यभिचार हो रहा, उसका मैं उदाहरण देता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला चर्चा के दौरान में नहीं आया था। यह नया मामला है, इसलिए उसको यहां न लें।

श्री परसराम मदेरणा : जब आप मांग पर बोले उस समय तो आपने यह बात कहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं और उसके बाद कभी भ्रष्टाचार की बात आती है तो कभी व्यभिचार की I think, I should not be taken by surprise in the House.

अगर आप पहले कहते तो··

श्री उपाध्यक्ष : अब यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता यह वाद-विवाद में नहीं आया था।

श्री विजय सिंह रावत : यह शिक्षा के अन्दर था, यह छोटा सा प्रश्न है, मन्त्री महोदय हल कर सकते है, जो सरपंच है, वह दबाव डालकर लेडी टीचर्स और टीचर्स का नाजायज फायदा उठाता है। इस पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला। इसका उदाहरण है कि सरपंच को सजा हो चुकी है टीचर से गलत काम करवाने के लिए····

श्री उपाध्यक्ष : कहीं एक केस हो गया हो तो इसका मतलब यह नहीं होना कि सब राजस्थान के अन्दर इस तरह के..

श्री विजय सिंह रावत : सब जगह होते हैं, अमूमन होते हैं।

श्री हेमसिंह : पांचवी कक्षा की जो परीक्षायें होती हैं, तो वे इस प्रकार होनी चाहिए जैसे मिडिल परीक्षायें होती हैं या हायर सैकेन्डरी की जैसे होती हैं। पेपर्स बाहर से आयें और जांचने वाले प्राथमिक अध्यापक न होकर मिडिल स्कूल के अध्यापक हों तो मेरे ख्याल से शिक्षा में अधिक इफीशियेन्सी आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह सुझाव आप और किसी समय दे सकते हैं। आज चर्चा के समय यह बात नहीं आई। तो मन्त्री महोदय जवाब नहीं दे सकते।

श्री रामचन्द्र आर्य : मन्त्री महोदय गलत उत्तर दे रहे हैं। हमें कहने का अधिकार है इसलिए हम कहते हैं नहीं, तो वह सही तरीके से उत्तर दें। तबादले भी यहां से तार के द्वारा होते हैं, आठ महीने भी नहीं हुए नोहर के तहसीलदार को तार से ट्रांसफर कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : राजनैतिक स्तर पर कुछ भी हो लेकिन मन्त्री महोदय कहते हैं कि पंचायत स्तर पर नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके बस की बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आज कई बातें तार से होती हैं। फोन से भी हमें सूचना मंगानी पड़ती है। मैंने गजेटेड ऑफिसर्स को थोड़े दिन पहले सस्पेंड किया और मैंने आदेश निकाला कि तार के जरिए उनको सूचित करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर फौरन कार्यवाही करनी पड़ती है। बैर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न था, मैंने फोन करके रात को 12 बजे वहां के एस. डी. ओ. को बुलाया, वह मेरे साथ एक डेढ़ बजे रात तक थे। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो तार से करनी पड़ती हैं, बाकी किस बात के लिए तार विभाग कार्य करता है।

श्री मंगलाल : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : आपने कटौती प्रस्ताव तो दिया नहीं, वाद-विवाद में हिस्सा लिया नहीं··

(श्री परसराम मदेरणा)

श्री श्रवणलाल : मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं भ्रष्टाचार के मामलों पर न जाकर, क्योंकि उनको न सरकार डील करने वाली है और न आगे ही उम्मीद कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार मिट जायगा । क्या मन्त्री महोदय इस बात को अनुभव नहीं करते कि पंचायत समितियों के तहत शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है ? जहां विद्यार्थी हैं तो स्कूल नहीं, जहां स्कूल है वहां विद्यार्थी नहीं और जहां ये दानों हैं तो टीचर नहीं । और यदि टीचर और मकान हैं तो वहां किताबें नहीं । तो यह अव्यवस्था इन पंचायत समितियों के अन्दर चल रही है और इस कारण शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : शिक्षा का स्तर गिरा है या नहीं, इस बात को सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं । दूसरी जगह यूनीवर्सिटीज एक के बाद एक बन्द करनी पड़ी हैं और शिक्षा का स्तर अगर यूनीवर्सिटीज में गिरा है तो नेशनल करेक्टर का ह्रास निश्चित तौर से प्राथमिक शालाओं पर उसका असर न जाय, इससे मैं इनकार नहीं करता । लेकिन आज प्राइमरी स्कूल्स बनाने की जिम्मेदारी आज कम्युनिटि डेवलपमेंट और उसके कोआपरेशन पर है । राज्य सरकार की तरफ से उनको अनुदान मिलता है। आप गांवों में जाइए, कितने स्कूल्स बने हैं । हो सकता है क्यों कि बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, शिक्षा पर पहले प्रेशर कम था, राजस्थान फ्यूडल स्टेट थी उसके कारण शिक्षा और लिटरेसी की परसेंटेज बहुत कम थी । अब गांवों में चेतना आई है । आज वहां 5—6 ट्रांजिस्टर्स हैं, वे रेडियो भी सुनते हैं, पंचायत समितियों में विकास की चर्चा भी करते हैं । समाज का भी धीरे धीरे भान उनको हो रहा है । वहां मकान की कठिनाई हो सकती है, अध्यापक की कठिनाई हो सकती है कि वह समय पर नहीं पहुंचता है, छुट्टी लेता है लेकिन कुल मिला कर पंचायत समितियां बनाने के बाद आज जैसे बच्चों कि हाजरी, लड़कियों, टीचर्स का समय पर रहना और नजदीक से निगरानी रखना, ये सुधार हो रहे हैं और सादिक अली की रिपोर्ट से भी यह साबित है और हमारे यहां पर इवेल्यूएशन हुआ है, विभाग की तरफ से, उसके अंदर भी हमने इस बात को पाया है कि आज प्राइमरी स्कूल्स की देखरेख में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है ।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक्सटेन्शन आफीसर्स के ड्यूअल कन्ट्रोल की बात कही यह सही है कि एक्सटेन्शन आफीसर्स टेक्नीकल आदमी है और उन पर डे-टु-डे कन्ट्रोल विकास अधिकारी का रहता है लेकिन उनके सर्विस कन्डीशन्स और दूसरी तरफ ट्रांसफर्स का अधिकार हैड आफ डिपार्टमेंट को दिया गया है क्योंकि वह टेक्नीकल काम करता है और उस काम के लिए दूसरा सीनियर आदमी नहीं है इसलिए उसका ड्यूअल कन्ट्रोल रखा है लेकिन डे-टू-डे प्रशासन, उसका प्रोग्राम बनाना, किस जगह जाना है, कैसा काम करेगा, इसकी देखरेख विकास अधिकारी करता है, स्टैंडिंग कमेटी करती है, टूर प्रोग्राम पंचायत समिति को देता है । इसलिए जरूरी है कि टेक्नीकल आदमी पर निगरानी रखने के लिए यह ड्यूअल कन्ट्रोल अच्छा है ।

बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने तहसील और पंचायत समिति के एमलेगमेशन

(श्री परसराम मदेरणा)

की बात कही । वित्तमंत्री ने इस सदन में एलान किया था कि राज्य सरकार से निर्णय लिया है कि एक कमीशन बिठायेंगे, वह सीलिमिट करके एक लाख के आसपास तहसील और पंचायत समिति बनाने को सिफारिश करेगा । उसके बाद मैं समझता हूं कि राजस्थान में 232 पंचायत समितियों के बजाय 170 और 180 के बीच में रह जायेंगी ।

श्री पृथ्वीसिंह : आपने जवाब दिया, उसमें विलीनीकरण का उत्तर नहीं दिया पंचायत समिति और तहसीलदार के बारे में। तहसीलदार को रेवेन्यू एक्सटेन्शन ऑफिसर···

श्री परसराम मदेरणा : मैंने एरिया और कोन्टरमीनस की बात कही । आपने जो बात आज उठाई थी, उसको राज्य सरकार नहीं मानती । सरकार ने फैसला किया है कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी आर. ए. एस, आई. ए. एस. और तहसीलदार सर्विस के लोग न रह कर ए ई. ओ. और एच. ई. ओ रहेंगे । ये ए ई. ओ. विकास अधिकारी के अलावा एक्सटेन्शन की ड्यूटी भी करेंगे, जिन पंचायत समितियों के अन्दर एग्रीकल्चर की ज्यादा पोटेन्शियलिटी है वहां ए. ई. ओ. रहे । राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है । इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है । पंचायत समितियों और तहसीलों को कोटर-मिनस करने की बात है इसके लिए एलान कर दिया गया है और कमीशन अपनी जल्दी ही कार्यवाही शुरू करेगा ।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 15 बीघा जमीन पंचायतों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है और सौ बीघा जमीन सीड मल्टीप्लीकेशन के लिए पंचायत समितियों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है । यह बात सही है कि कोई गांव नहीं है ऐसा जहां कि सौ बीघा का फार्म हो । अच्छी जमीन हो जहां फार्म लग या जा सके । रिहेबिलिटेशन के समय डिपार्टमेंट के डी. पी. ज थे उनके सामने अलाटमेंट के लिए रात दिन मामले आते थे । अलवर और भरतपुर में पापुलेशन का बहुत प्रेशर है । राज्य की ऐसी कोई इतनी जमीन जो कल्चरेबल फेलो हो वह पड़ी हुई नहीं है । सादिक अली कमेटी ने भी अपनी सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी की थी । कलेक्टर से जांच कराऊंगा कल नहीं तो परसों इसके लिये लिख दूंगा कि बहरोड़ में पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसी जमीन है जो कि अलाट की जा सकती है····

श्री अमीलाल यादव : मैंने खसरा नम्बर भी दिया है । जो काबिल काश्त है । कलेक्टर साहब ने सुझाव मांगा था तो हमने बताया था कि यह जमीन है इसका खसरा नम्बर यह है और यह काबिल काश्त है ।

श्री परसराम मदेरणा : अगर एक ही खसरा है, सौ बीघा जमीन है, आप लेना चाहते हैं, खसरा नम्बर दे दिया है, फेलो पड़ी हुई है, किसी का प्रोप्राइटरी राइट नहीं है, कल ही कलेक्टर को आदेश दे दूंगा या आपकी एप्लीकेशन है और उसमें खसरा नम्बर है तो वह जमीन आपको मिल जायगी ।

श्री अमीलाल यादव : वह फौरेस्ट लैंड है ।

श्री उपाध्यक्ष : सब ही फर्क हो गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रधान का चुनाव नहीं हो रहा है। 20,25 जगहें खाली पड़ी हैं, नोहर की समितियों का चुनाव नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय का पूरा जवाब सुन लीजिए। उसके बाद कोई समस्या या प्रश्न जिसका उत्तर न आया हो तो बाद में पूछ लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी नोहर से और बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि न्याय पंचायतों को खत्म कर देना चाहिए। पंचायत में मिला देना चाहिए और दोनों का अधिकार क्षेत्र एक हो जाना चाहिए। जब न्याय पंचायतें अलग की थी तो इसी बिना पर की थीं कि ऐसी शिकायतें थीं कि पक्षपात करते हैं। अलग नहीं करते हैं तो कान्ट्रिब्युशन वगैरा लेते हैं, प्रेशर डालते हैं और पक्षपात करते हैं फैसले करने में। सस्ता न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि न्याय पंचायतें पंचायतों से अलग हो होंगी। न्याय पचायतें न्याय के मामलों को देखेंगी। इसको सादिक अली कमेटी ने भी डीपली स्टडी किया है। पंचायत राज को सफल करने के लिए न्याय पंचायतों को अलग ही रखना चाहिये। उनका सेक्रेटरी हो और उनकी इन्कम हो। राज्य सरकार ने आबू की मीटिंग में एक नीति के तौर पर भी यह निर्णय लिया कि न्याय पंचायतों की आमदनी कैसे बढ़ायी जाय। राज्य सरकार 1 हजार रुपये तक की राशि दे तो सेक्रेटरी रह सकता है और काम काज चल सकता है। स्टाम्प फीस आती है वह राज्य सरकार ले ले। सादिक अली कमेटी की भी यह सिफारिश थी। उस सिफारिश को नहीं माना। इसलिए कि जुर्माने के रूप में बात होगी वह कम से कम होगी और राज्य सरकार को नहीं मिल पायगा। इसलिए जुर्माने की रकम न्याय पंचायतों के पास रहनी चाहिए। कुछ परसेन्टेज न्याय पंचायतों के लिए मुकर्रर है। न्याय पंचायतों को और पंचायतों को एक साथ मिला दिया जाय यह जो सुझाव है उसके लिये यह इसलिए अलग अलग किया गया कि किसी व्यक्ति को यह गुरेज न हो कि पंचायतों में बैठ कर पक्षपात किया और न्याय बड़ा महंगा मिला। इसलिए सारे कन्सीडरेशन करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया।

सूरतगढ़ की पंचायत समितियों को अलग अलग रखने की बात थी। ब्लाक बने थे। 232 संख्या थी उस वक्त। 52, 5 और 56 में जाकर और ब्लाक बने। 59 के बाद जाकर यह पंचायत समिति आई है। उस वक्त पंचायतें बनायी गयी थी। सूरतगढ़ पंचायत समिति की पंचायतों की संख्या 24 है। उस वक्त पंचायत समिति नहीं थी। पंचायत समिति 5 के केसेज के हिसाब से बनी थी। 60 में डिलिमिटेशन कमीशन चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू की अध्यक्षता में बैठा। उसमें विचार किया गया कि 500 से लेकर 2 हजार तक की पापुलेशन के हिसाब से बननी चाहिए। माननीय सदस्य ने कहा था तो अनूपपुर की पंचायत में कोलोनाइजेशन के कारण पापुलेशन का शिफ्टिंग हुआ। 1600 थी अब 6 हजार हो गयी। यह सेटलमेन्ट के कारण हुआ है। खाली जमीन

(श्री परसराम मदेरणा)

पड़ी थी। स्केटर्ड पापुलेशन थी। दिक्कती हो गयी। राज्य सरकार नयी पंचायत समितियां बनाने की नीति के तौर पर घोषणा करती है उस आधार पर पंचायत समिति बनेगी। अभी कई मामले पंचायत समितियों के लिए आते हैं, हैडक्वार्टर के बारे में या नोटिफाइड एरिया या अरबन एरिया के पास में आजाते हैं तो म्युनिसिपैलिटी में चले जाते हैं, बाकी एरिया के लिए डिलिमिटेशन की बात कुछ ही हो, ऐसे उदाहरण हैं जो इस कमेटी के सामने आते हैं। कलेक्टर अपने रिमार्क देता है। राज्य सरकार के पास आते ही डिलिमिटेशन कमेटी के पास भेजते हैं। उसका जो निर्णय होता है उसको राज्य सरकार लागू करती है। पंचायतों के क्षेत्र में हेरफेर राज्य सरकार नहीं करना चाहती। तहसीलों को कवर करने की कोशिश करेंगे, कमीशन बिठाया है। उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जावेगी।

उपाध्यक्षजी, यहीं पर रामग से आने वाले माननीय सदस्य ने लोन की रिकवरी के लिए बात कही। राजस्थान के भिन्न विभागों से कितना कर्जा दिया गया है, कितना ओवर ड्यू है और कितने कितने समय से ओवर ड्यू है, क्या इन्ट्रेस्ट एक्रू हुआ है और क्या इन्ट्रेस्ट है। कितनी राशि जो वसूल नहीं हो पाई है, लोनों का पता नहीं, कितनी राइट ओफ होगी और कितनी स्थगित कर दी गई है यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। और इसकी वसूली की कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जावेगी।

दूसरी, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि भूमि बंधक बैंक के मार्फत जो लोन अब मिलेगा, पर जो पहले का लिया हुआ है उसकी वसूली कौन करेगा। इसको पंचायत समिति करेगी और जो लोन बैंक के मार्फत दिया जावेगा उसकी वसूली बैंक करेगा।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : पचास पंचायत समितियों को लैंड मोर्टगेज बैंक के मार्फत मिलता था। तो तकावी देने के लिए क्या बैंक कर्जा देगी?

श्री परसराम मदेरणा : लोन देने के लिए जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है वह यह है कि यह लैंड डेवलपमेंट बैंक देगा। राज्य सरकार नहीं देगी। इसके पीछे अभिप्राय यह था कि इन पंचायत समितियों को खुद सरकार भी देती तो 20 लाख दे सकती थी, इससे ज्यादा नहीं और यह जो बैंक देगा तो बैंक डिबेन्चर फ्लोट करेगा और 30 लाख के करेगा। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार का 20 लाख हो जावेगा और 30 लाख यह हो जावेगा। यों पचास लाख हो जावेगा। हमने अपना बोस लाख कन्ट्रीब्यूट कर दिया है। और बैंक ने भी डिबेन्चर फ्लोट कर दिया होगा। तीस तारीख आखिरी थी और लैंडिंग पालिसी के सम्बन्ध में पहले बता दिया था कि नियमों को सरलीकरण किया जा चुका है।

श्री मदनलाल : 58 से लेकर 66 तक अनुदान के रूप में पंचायत समितियों को जो रुपया दिया गया है उसके प्रमाण-पत्र क्यों नहीं प्राप्त हुए?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : There should b some time limit.

श्री उपाध्यक्ष : यह नया प्रश्न है और किसी तरह से पूछ सकते हैं: उसकी सूचना

(श्री उपाध्यक्ष)

दे दी जावेगी। पर चूंकि चर्चा में नहीं आया तो मन्त्री महोदय जवाब नहीं दे सकते।

श्री परसराम मदेरणा : पीपलदा से आने वाले माननीय सदस्य ने अन्न बीज की खरीद के सम्बन्ध में भी कहा। उसकी इन्क्वायरी चल रही है ऐसा अभी मालूम हुआ है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद दोषी को दण्ड देने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री श्रवणलाल : 24.39 करोड़ का मामला है यह। मन्त्री महोदय के सामने सब बातें हुई हैं। चर्चा भी हुई है। उसका जवाब मिलना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी देने का प्रश्न है तो माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछ लें।

अब पंचायत राज की जो बातें राज्य सरकार के सामने रखी गई हैं और जिन खामियों की ओर माननीय सदस्यों ने इशारा किया है उनमें सुधार करने का प्रश्न है। राज्य सरकार सुधार करना चाहती है, उनको ढंकना नहीं चाहती। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

पंचायत राज थ्री टायर सिस्टम है। उसमें जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी कार्य प्रणाली को नियमों में बांध रखा है। जो इन नियमों को तोड़ता है उस पर कार्यवाही की जाती है। इस पर भी कहीं गड़बड़ियां होती हैं तो ठीक की जावेंगी।

अन्त में यही निवेदन करूंगा कि पंचायती राज ने आर्थिक सामाजिक क्रान्ति लाने में नई चेतना फूंकने में बहुत बड़ा योगदान दिया है माननीय सदस्य इस पंचायती राज की अहमियत में और पंचायती राज की सफलता में आस्था रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनावेंगे। ये मजबूत बनेंगी तो राजस्थान का गांव मजबूत बनेगा और गांव मजबूत बनेगा तो राजस्थान और देश मजबूत बनेगा, खुशहाल होगा।

अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया उस वक्त पंचायत समितियों ने कितना काम किया। रेलवे लाइन और उसके इन्स्टालेशन्स पर पहरेदारी का काम किया और इसमें जिस सजगता का और राष्ट्रीय देशभक्ति का और अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया उसके लिये वे इस सदन से तारीफ के दो शब्द सुनने के मुस्तहक हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत समिति मेन बॉडी है। उसके पास सबसे ज्यादा पॉवर हैं। सादिक अली कमेटी की सिफारिशें भी हैं। उसमें है कि विधायक एसोसियेट मेम्बर नहीं रहने चाहिए। फुल फ्लेज्ड वोटर की हैसियत से बैठते हैं। तो आपकी ओर से भी चेष्टा होनी चाहिये कि ये संस्थाएं ठीक काम करें। उनमें अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं बदनाम करती हैं इन संस्थाओं को और पंचायती राज की इस तरह से बुनियादी स्थिति कमजोर बनती है। इस ओर आप सजग रहेंगे और इन पर रोक लगावेंगे यह आशा करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि ये मांगें आप पास करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्पेशल ऑडिट द्वारा सांचोर विकास समिति के बारे में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
बताई गई गड़बड़ियों के बारे में उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आपने उत्तर तो दे दिया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पर एक्शन क्या लिया, यह नहीं बताया।

श्री परसराम मदेरणा : 23-5-67 को कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के डिप्टी कमिश्नर को बी. डी. ओ. की जांच के लिये लिखा है और वह जांच की रिपोर्ट आने पर डिसिप्लिनेरी एक्शन लेने का सवाल होगा तो उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। जो दोषी होंगे उनको दण्ड मिलेगा, रियायत का सवाल नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डौली) : बी. डी. ओ. हिंडौली ने अपने खेत में पंचायत के ट्रैक्टरों से काम लिया उसके विषय में सरकार ने क्या किया?

श्री परसराम मदेरणा : ट्रैक्टर कितना जोता, कितने बीघे में जोता, कब जोता ये सारी बातें आफ हैण्ड तो नहीं बता सकता। जांच करवा कर जो उचित कार्यवाही होगी करेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह : इटावा पंचायत समिति की जांच किसके द्वारा करवाई जा रही है?

श्री श्रवणलाल : 15 बीघा जमीन पंचायत के लिये अपनी आय बढ़ाने के लिये दी गई है जिनके पास जमीनें इतनी भी नहीं हैं क्या उनको गंगानगर में या चम्बल प्रोजेक्ट में जमीनें देंगे?

श्री परसराम मदेरणा : पीपलदा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि जांच किससे करवाई जा रही है तो ए. डी. एम. कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि नियमों का सरलीकरण किया है उस पर वाद-विवाद नहीं हुआ।

श्री मोहनलाल मोदी : सरल बनाया है या जटिल बनाया है?

श्री खेतसिंह : तहसील और पंचायतों के डिलिमिटेशन के लिये कमीशन मुकर्रर कर दिया तो मेम्बर कौन-कौन हैं इसके?

श्री परसराम मदेरणा : वन मैन कमीशन होगा शायद। अभी तक परसनल्स की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रामकिशन : खेतसिंहजी के प्रार्थना-पत्र इसमें विचाराधीन हैं या नहीं?

श्री रामचन्द्र आर्य : पंचायत समिति के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सुझाव दिया था कि पंचायतों के सेक्रेटरी और ग्रामसेवक आदि को रेवेन्यू वसूल करने के अधिकार दिये जायें इसके बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मैंने अपने उत्तर में ही जवाब दे दिया था, उस समय

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हों तो मेरा क्या दोष है ? मैंने यह कहा था कि केबीनेट की एक सब-कमेटी बनाई है। लैण्ड मेनेजमेंट किसके हाथ में रहे यह बुनियादी सवाल है। आया लेण्ड रेवेन्यू की वसूली उनको दी जानी चाहिए यह सब मामले उस केबीनेट की सब-कमेटी कई राज्यों में गयी थी जहां कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाईजेशन है और वहां पर जाकर उसने अध्ययन किया है और इस प्रकार के यह सारे मामले उसके विचाराधीन हैं और उसकी रिपोर्ट आने के बाद में राज्य सरकार उन पर निर्णय लेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पथरीले इलाके में जो कुये पानी के लिए खुदवाये जाते हैं उसमें हम पी. डब्ल्यू. डी. की रेट देते हैं और जबकि पत्थर के खोदने में काफी दिक्कतें होती हैं। तो क्या आप इस संबंध में विचार करके जिस प्रकार से पत्थरों के खोदने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा रेट्स दी जाती हैं उस प्रकार की रेट्स दिये जाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि कम रेट के कारण कई कुए अधूरे पड़े हैं।

श्री परसराम मदेरणा : रेट्स के सम्बन्ध में यह मामला बहुत बार आया था और कई बार इस प्रकार के प्रश्न आये थे जैसा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कि जिला परिषद् के प्रमुख हैं उस समय उनके सामने भी प्रश्न था। राज्य सरकार ने कमेटी बना दी है जिसमें डिपार्टमेंटल लेवल पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके साथ में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के असिस्टेन्ट इन्जीनियर और एक आदमी और है। इन तीन की एक कमेटी बना दी है और वह कमेटी रेट्स के बारे में फाइनल सुझाव देगी और सुझाव देने के बाद में जो प्रोपोजल्स आयेंगे उन पर विचार करके रेट्स दुबारा निर्धारित की जायेंगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुनाव के बारे में आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया पंचायत समिति नोहर के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : चुनाव के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य आप प्रधान थे और उसी तरह से दूसरे लोग भी काफी प्रधान हैं जो कि इस धारा सभा के सदस्य हैं। यह इसका सबूत है कि अभी इन चुनावों के दौरान में कोई पंच सरपंच होगया, कोई सरपंच प्रधान हो गया, और प्रधान जो थे वह प्रमुख होगए, और कई प्रमुख और प्रधान यहां एम. एल. ए. हो गए हैं और कोई प्रमुख मेम्बर आफ पार्लियामेंट हो गये। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो प्रधान की जगह खाली हुई है–राज्य सरकार के सामने कई धारा सभा के सदस्यों का सुझाव आया था कि क्योंकि विधान सभा का सेशन चल रहा है इसलिए अभी प्रधान के चुनाव नहीं कराये जायें। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जो हमसे पूछा तो हमने यही सलाह दी की क्योंकि धारा सभा के सदस्य अभी सेशन में हैं और उनका यहां रहना जरूरी है इसलिए चुनाव अभी नहीं कराके सितम्बर में कराये जाने चाहिए। यह हमने सुझाव दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने एक प्रश्न एजीटेट किया था कि पंचायतों की जो सीमाएं बांधी हैं उसमें कोई गांव दूर का और कोई पास का

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
ले लिया है उसके सम्बन्ध में विभाग को कई बार कहा गया, और वह डीलिमिटेशन की कार्यवाही करने के लिए कहते है, और इसको कहते 5–7 साल हो गए हैं। उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार के जो भी केसेज आपके ध्यान में आये उनका जल्दी से जल्दी निराकरण करने की कोशिश करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, यह मामला जितना आसान दीखता है उतना है नहीं हम पंचायतों को और पंचायत समितियों को जिस तरह से को–टरमीनस करना चाहते हैं वहां पर विलेज लेवल के फंक्शनरीज हैं इसलिए पंचायतों को चेन्ज करने के लिए कहेंगे तो नतीजा यह होगा कि साथ में पटवार सर्किल को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार का एक सुझाव है कि पंचायतों के अन्दर डीलिमिटेशन का काम शुरू किया जाये, लेकिन इस प्रकार की कई चीजें दिखती हैं जिसमें पंचायत समितियां मूव करती है तो कई फैसले हुए हैं इसलिए हमने परमानेन्ट डीलिमिटेशन कमेटी पंचायतों के गठन के लिए बैठा रखी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पंचायत समितियों ने, जिला परिषद् ने जिसके लिए मूव कर दिया है उसको करायेंगे या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा इस तरह से हमने कोसी—जुडीशियल बॉडी बैठा रखी है। मैं इन्टरफियर नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 3 -सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,63,17,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,82,54,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 मुख्य शीर्षक 'घ'–राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,71,01,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 13 जून, 1967 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बज कर 59 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 13 जून, 1967 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(कृपया प्रश्न संख्या 404 का उत्तर देखिये)

उन योजनाओं की सूची जिन पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जल-वितरण चालू है :—

1. मुन्दरा
2. जम्बावल
3. कोसलेश्रो
4. तख्तगढ़
5. रानी
6. फालना
7. रोहिट
8. बाकरी
9. बीजापुर
10. जैतारण
11. बिन्जोवा
12. सुमेरपुर

उन योजनाओं की सूची जिन पर निर्माण कार्य चालू है :—

1. बैरा
2. सोजत
3. बुसी
4. धामला
5. रायपुर
6. खोमेल
7. श्रानन्दपुर कालू
8. बगरी
9. खोड
10. साण्डेराव
11. खुशालपुर
12. बाबन्डरी
13. टेसरी
14. वानोद
15. गुन्दोज
1 . निम्बाज

उन योजनाओं की सूची जो बनाई तो जा चुकी हैं, पर विचाराधीन हैं :—

1. पीपलिया
2. बवाली
3. जोजावर
4. देवली
5. बार
6. विशालपुर
7. रास
8. बबरा
9 गुरा एन्दला
10. नाना

उन गांवों की सूची जिनके लिये योजना बनाई जा रही हैं :—

1. देवली
2. भटवारा
3. महुवा
4. सोजत रोड
5. सेवारी
6. सिवांदी
7. बलुन्डा
8. खारची
9. नाडोल
10. खाटलिया
11. खेरवा
12. सिवारा
13 सोमेसर भादरतन

परिशिष्ट 2

(कृपया प्रश्न संख्या 410 का उत्तर देखिये)

पैमाना जिस पर शक्कर एवं अन्य खाद्यान्नों का जिला स्तर पर वितरण किया जाता है।

(प्रति व्यक्ति प्रति माह)

क. सं.	नाम जिला	शक्कर	आयातित गेहूं एवं आटा	ज्वार	अन्य खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	1 किलो	5 किलो	2 किलो	—
2.	अलवर	1 किलो	4 किलो	—	—
3.	बाड़मेर	1 किलो	7 किलो	—	—
4.	बूंदी	1 किलो	3 किलो	—	—
5.	बांसवाड़ा	1 किलो	4 किलो	2 किलो	—
6.	भरतपुर	2 किलो मार्च तक, 1 किलो अप्रेल में	5 किलो बड़ों को 2½ किलो बच्चों को	—	—
7.	भीलवाड़ा	1 किलो	2 किलो	2 किलो	—
8.	बीकानेर	1 किलो बड़ों को, ½ किलो बच्चों को	5 किलो	2 किलो	—
9.	चित्तौड़गढ़	1 किलो	3 किलो 1½ किलो बच्चों को	1 किलो	—
10.	चूरू	600 ग्राम	3 किलो	—	—
11.	डूंगरपुर	1 किलो	3 किलो	1 किलो	2 किलो
12.	गंगानगर	1 किलो	5 किलो	—	—
13.	जयपुर	1 किलो	5 किलो 2½ किलो बच्चों को	—	—

1	2	3	4	5	6
14.	जोधपुर	1 किलो	5 किलो	—	—
15.	जैसलमेर	1 किलो	5 किलो	5 किलो	2 किलो
16.	जालौर	1 किलो	4 किलो	4 किलो	—
17.	झालावाड़	750 ग्राम	3 किलो 1½ किलो बच्चों को	—	—
18.	झुन्झुनू	800 ग्राम	3 किलो	—	2 किलो
19.	कोटा	1 किलो	5 किलो	—	—
20.	नागौर	1 किलो 500 ग्राम 700 ग्राम	3 किलो	1 किलो	—
21.	पाली	750 ग्राम	2 किलो	2 किलो	—
22.	सीकर	1 किलो	3 किलो	—	—
23.	सवाई माधोपुर	1 किलो	3 किलो	3 किलो	—
24.	सिरोही	1 किलो	5 किलो	1 किलो	—
25.	टोंक	1 किलो	3 किलो	1 किलो	—
26.	उदयपुर	1 किलो	5 किलो	—	—

परिशिष्ट 3

(कृपया प्रश्न संख्या 415 का उत्तर देखिये)

बयाना तहसील में नवम्बर, 66 से अप्रेल, 67 तक की अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा वितरण कराये जाने के लिए दी गई चीनी की सूची :—

देने की तारीख 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	व्यक्ति जिसको चीनी दी गई 3	मात्रा 4
9-11-66	तरसुमा	बाबूलाल सरपंच	16-00 कि.
9-11-66	महम्मूदपुरा	रोशनलाल सरपंच	20-00 ,,
9-11-66	परयो	ब्रजलाल अधिकृत व्यक्ति	14-00 ,,
9-11-66	बिडयारौठी	मूलचन्द ,,	18-00 ,,
9-11-66	पुराबाई खेरा	रेवतीप्रसाद ,,	20-00 ,,
9-11-66	ब्रम्हबाद	प्रभुलाल ,,	36-00 ,,
9-11-66	सिगारा	जीवनसिंह सहकारी समिति	25-00 ,,
9-11-66	वीरमपुरा	मनोहर लाल, अधिकृत व्यक्ति	75-80 ,,
9-11-66	खेरली गरासिया	सीयाराम ,,	20-00 ,,
9-11-66	कनावर	भजनलाल ,,	20-00 ,,
9-11-66	बागरेन	रेवतीप्रसाद ,,	15-00 ,,
9-11-66	कामबारी	कमलसिंह ,,	14-00 ,,
9-11-66	समोगर	मनोहरसिंह ,,	18-00 ,,
9-11-66	बिडयारी	केशीराम सहकारी समिति	16-00 ,,
9-11-66	नहरोली	गोपीराम सरपंच	11-00 ,,
1-11-66	नारोली	नारायणदास ,,	10-00 ,,
1-11-66	नावली	गोपीराम ,,	10-00 ,,
1-11-66	बहुगांवा	करोड़ीमाल ,,	12-00 ,,
1-11-66	महुओली	रतन गूजर अ० व्य०	12-00 ,,
1-11-66	शेरगढ़	बाबूलाल ,,	22-20 ,,
			356-00 ,,
1-12-66	बरखेड़ा	रामभरोसो अ० व्य०	3-50 ,,
			3-50 ,,

1	2	3	4
1-1-67	बावरी	अतरसिंह सरपंच	10-30 कि
1-1-67	वीरमपुरा	मनहोरी अ० व्य०	3-40 ,,
-1-67	बिदयारी	केलीराम सहकारी समिति	8-00 ,,
1-1-67	बावरी	अतरसिंह सरपंच	3-50 ,,
1-1-67	वीरमपुरा	गरीबा अ० व्य०	3-50 ,,
1-1-67	खेरली गरासिया	सीयाराम ,,	7-00 ,,
1-1-67	कनावर	भजनलाल ,,	3-70 ,,
			80-40 ,,
1-1-67	नहुरोबी	दूखीराम ,,	20-00 ,,
			20-00
		कुल योग ..	459-92 कि.

परिशिष्ट 4

(कृपया प्रश्न संख्या 417 का उत्तर देखिये)

सूची "क"

क्र० सं०	नाम तहसील	जन संख्या	अकालग्रस्त की जनसंख्या
1.	जेतारण	68765	42084
2.	सोजत	107078	16875
3.	रायपुर	89103	अकाल नहीं है।
4.	पाली	155322	8748
5.	खारची	115924	अकाल नहीं है।
6.	देसूरी	124169	13563
7.	बाली	209940	34716

सूची "ख"

जिले की हर तहसील को अनाज 1 जनवरी से 30 अप्रेल तक जो दिया गया:—

नाम तहसील	नाम महीना	गेहूं (आयातित)	माइलो
1. पाली	जनवरी से अप्रेल तक	1070-33-00	650-64-000
2. सोजत		150-00-000	90-00-000
3. बाली		500-00-000	—
4. देसूरी		1253-00-000	160-00-000

प्रत्येक तहसील में स्टाक निम्न प्रकार 1 जनवरी को था:—

1.	पाली	6278-46-900	8907-72-900
2.	बाली	2882-28-450	6516-16-400
3.	रायपुर	2040-10-000	2037-58-800
4.	जेतारण	963-43-638	2259-48-800
5.	देसूरी	62-59-700	667-31-300
6.	खारची	237-22-200	523-05-500
7.	सोजत	175-15-300	365-19-500

1 जनवरी से 30 अप्रैल, 67 तक का अनाज का वितरण

सूची "ग"

नाम तहसील	गेहूं	माइलो
1—रायपुर	2146-63-000	3608-98-500
2—देसूरी	1253-59-700	708-97-300
3—जैतारण	977-05-500	2523-89-500
4—बाली	3807-00-000	2670-00-000
5—पाली	5837-05-800	2192-64-000
6—सोजत	926-00-000	597-00-000
7—खारची	150-00-000	160-00-000

आटे का अलाटमेन्ट किया गया :

उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं० 11, 13 पाली को 725 बोरी
मैसर्स जेवतराम खच्चरमल, बाली 300 बोरी
मैसर्स रूपचन्द सोहनराज, खारची, 600 बोरी
मैसर्स पारसमल लालचन्द, रोहट, 375 बोरी
मार्केटिंग को. सो. लि. रायपुर 200 बोरी
,, ,, जैतारण 100 बोरी
मैसर्स सांकलचन्द जुहारमल देसूरी 100 बोरी *

* यह अलॉटमेन्ट आटा राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।

प्रत्येक तहसील के खाद्यान्न के व्यापारी की सूची निम्न प्रकार है :

तहसील रायपुर खाद्यान्न रीटेलर की सूची :

नाम वितरण कर्ता	नाम वितरण सर्किल
1—श्री नथमल रामरतन	सेंदडा
2—श्री नदमल	सूमेल
3—श्री ग्रा. से. स. समिति, अमरपुरा	अमरपुरा
4—श्री जसराज अमरचन्द नानणा	नानणा
5—श्री कुन्दनमल भंवरलाल	चांग
6—श्री लालचन्द विजयराज	बाबरा

7–श्री चम्पालाल सम्पतराम	कोटकिराणा
8–श्री जीवराज भंसाली	गिरो
9–श्री बाबूलाल जैन	हाजीवास
11–श्री पानलाल बोरा	बिराटिया खुर्द
12–श्री ग्राम से. स. स. रायपुर	रायपुर
13–श्री दासराम चुन्नीलाल	रायपुर
14–श्री चम्पालाल सम्पतराम	रायपुर
15–श्री नथमल रामरतन	रायपुर

(2) तहसील जैतारण

1. ग्राम से० स० स० फालना
2. ,, पिप्रोस
3. ,, लितराया
4. ,, बांजाकुडी
5. ,, लोटोती
6. ,, रामवासकला
7. ,, बलुंदा
8. ,, मेड़
9. ,, बिरोल
10. ,, गरनीया
11. ,, कंग्रलू
12. ,, कंवलीया
13. ,, घोड़ावड़
14. ,, बलाड़ा
15. ,, जैतारण
16. तहसील राज्य कर्मचारी स० स० जैतारण
17. क्रय-विक्रय स० स० जैतारण
18. श्री भागीरथ लाम्बोया
19. श्री हुकमसिंह डिगरना
20. श्री लूनकरण पुखराज निम्बोल 1–5–67
21. श्री कार्यूसिंह खराड़ी

कुल 19 दूकानें अप्रेल तक कार्य कर रही थीं।

(3) तहसील खारची

1. रेलवे कोप्रोपरेटिव सोसाइटी मा. जं.
2. गणेश कोप्रोपरेटिव सो. मारवाड़ जं.
3. ग्राम सेवा स० समिति, हेमलियावास

पाली

1. उपभोक्ता स. समिति, भण्डार 6 दुकानें
2. जिला होलसेल भण्डार लि. पाली तीन दुकानें
3. श्री पारसमल लालचंद बायद, गेलावास
4. मस्तीराम नेनूराम मकरोवाला ग्राम
5. कोर्धोराज रामनारायण भोतड़ों के प्रकाल के ग्रामों के लिए हैं।

सोजत

1. व्यक्तिगत ग्राम राज्य कला
2. ग्राम से. स. शिवपुरा
3. ग्राम से.स.स., सुरावता
4. ,, गागड़ा
5. ,, व्यक्तिगत मेव
6. व्यक्तिगत रूपावास

देसूरी

कोप्रापरेटिव	व्यक्तिगत
3	4

1. श्री गजानन्द ग्राम से० स० समिति रानीगांव
2. रानी कोप्रापरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, रानी खुर्द
3. मैर्सस सांकलचन्द जुहारमल दादाई
4. मैसर्स जेठाराम करणवा
5. मैसर्स सांकलचन्द जुहारमल रानी

बाली तहसील

1. व्यापारी मण्डल बाली में प्रकाल के नजदीक गांवों के लिए।

2. पटवारी गोरीया द्वारा, गोरीया
3. पूंपा मोमाजी काकराड़ी
4. वीरचन्द मंगा कोयलवास
5. बेहताराम भीमानां, भीमानां
6. कासमभाई भोमाणा
7. दानाराम, नाणा
8. मदनलाल चांवड़ेरी
9. मूलचन्द पोकरमल, दूदनी
10. नारायण भाई, कोठार
11. माणकचन्द कोलीघाड़ा, मणगोर
12. घोसूलाल चतुरभुज, बिसलपुर
13. मदनराज, खीमेल
14. ललीतकुमार मगराज, सांडेराव
15. लालाराम छोगालाल, मोकमपुरा
16. नरसिंग खेता, पाचलवाड़ा ।

परिशिष्ट 5

(कृपया प्रश्न संख्या 421 का उत्तर देखिये)

जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों में बनाये गये तथा बनाने वाले सन् 1961 से अब तक के तालाबों एवं एनीकटों की सूची।

क्र. स.	नाम पंचायत समिति	कार्यों की संख्या				क्षेत्रफल जिसकी सिंचाई होती है	क्षेत्रफल जिसकी क्षमता है। सिंचाई की
		तालाब	एनीकट	ऐसे कार्य जिन का सर्वे एवं एस्टीमेट बन चुका है	योग		
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	पीपलखूंट	3	14	—	17	—	18 एकड़
2.	भूखिया	46	9	—	55	327 एकड़	975 ,,
3.	कुशलगढ़	14	35	—	49	135 ,,	450 ,,
4.	तलवाड़ा	7	7	—	14	—	225 ,,
5.	घाटोल	25	5	—	30	492 ,,	594 ,,
6.	सज्जनगढ़	5	16	—	21	12 ,,	310 ,,
7.	बागीडोरा	4	1	—	5	65 ,,	105 ,,
8.	गढ़ी	43	5	—	48	200 ,,	6000 ,,

जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति में अधूरे कार्यों की सूची

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	कार्य जो अधूरे हैं (तालाब एनी कट)
1	2	3
1.	भूखिया	9
2.	पीपलखूंट	14
3.	कुशलगढ़	20
4.	तलवाड़ा	3
5.	घाटोल	3
6.	सज्जनगढ़	9
7.	बागीडोरा	—
8.	गढ़ी	—
	कुल ..	58

परिशिष्ट 6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति दूदू में अस्थाई अध्यापक

429. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू):— क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पंचायत समिति दूदू में कितने अध्यापक हैं जो अस्थाई हैं ?

(ख) कितनी अध्यापिकायें अस्थाई हैं ?

(ग) कब तक ये अस्थाई रूप में कार्य करते रहेंगे ?

(घ) अध्यापक व अध्यापिकाओं का क्या ग्रेड इन्क्रीमेंट हो चुका है ? अगर सब का हो गया तो क्या सब का ग्रेड इन्क्रीमेंट का पैसा दे दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) कोई अस्थाई नहीं है।

(ख) कोई नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 7 अध्यापकों को छोड़ कर अन्य सभी का ग्रेड इन्क्रीमेंट दे दिया गया है। इन 7 का ग्रेड इन्क्रीमेंट अभी तक इसलिए नहीं मिल पाया है कि इनकी सेवाओं का प्रमाणीकरण करने में कठिनाइयां हैं।

पुष्कर नगरपालिका में यात्री कर

430. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पुष्कर नगरपालिका जो यात्री कर लेती है उस कर को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक हटाया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं।

नोहर-रावतसर, रावतसर-सरदार शहर व नोहर-भादरा बस सर्विस

431. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नोहर-रावतसर व रावतसर सरदार शहर व नोहर-भादरा रोड पक्की बन कर तैयार हो चुकी है ?

(2) यदि हां, तो इन सड़कों पर प्रति-दिन कितनी बसें चल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बसों की कमी के कारण जनता को भेड़ बकरियों की तरह बसों में भरकर मोटर मालिक ले जाते हैं ?

(4) यदि हां, तो इन सड़कों पर बसों के परमिट कब बढ़ाये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन सड़कों पर प्रतिदिन 9 बसें चलती हैं

(क) नोहर रावतसर मार्ग पर 3

(यातायात मंत्री)

(ख) रावतसर सरदारशहर मार्ग पर -।

(ग) नोहर भादरा मार्ग पर अस्थाई रूप से एक।

(3) यह सही नहीं है।

(4) नोहर भादरा मार्ग पर अस्थाई परमिट देने के लिये कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन अधिकारिणी के विचाराधीन है।

सरपंच ग्राम पंचायत आलनपुर (सवाई माधोपुर) का रिक्त पद

432. **श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या** पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) ग्राम पंचायत आलनपुर पंचायत समिति सवाई माधोपुर के सरपंच का पद कब और किस कारण से रिक्त घोषित किया गया ?

(2) उक्त पंचायत के सरपंच का पद रिक्त होने के पश्चात् पुनः इस पद का चुनाव कराया गया या नहीं ? यदि नहीं तो किस कारण से ?

(3) ग्राम पंचायत आलनपुर पंचायत क्षेत्र है अथवा नोटिफाइड एरिया के अन्तर्गत उसका एक अंग है ?

(4) राज्य सरकार इस पंचायत की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने के विषय में क्या सोच रही है ?

उत्तर

सरपंच श्री बजरंगलाल का चुनाव अवैध घोषित होने से दिनांक 4-6-66 से।

जी नहीं। पंचायत आलनपुर के क्षेत्र का एक भाग नोटीफाइड एरिया में सम्मिलित कर दिए जाने और पंचायत के उप चुनाव राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दिए जाने के कारण।

पंचायत आलनपुर का एक भाग पंचायत क्षेत्र है और दूसरा नोटिफाइड एरिया के अन्तर्गत। आलनपुर पंचायत के बने हुए क्षेत्र को दूसरी नजदीकी पंचायत में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा रही है।

एनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स एवं आफिसर्स के पदों की कमी

433. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(क) खाद्य विभाग ने गत तीन माह में कितने एनफोर्समेन्ट इन्स्पेक्टर्स एवं एनफोर्समेन्ट आफिसर्स की कमी की है ?

(ख) जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उनको किन नियमों के अन्तर्गत हटाया गया ? और उनको किस किस विभाग में भेजा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उनको अभी तक न तो वेतन ही मिला है और न ही अन्य विभागों में उनकी नियुक्ति हो पाई है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(क) खाद्य विभाग ने गत तीन माह में

(खाद्य मंत्री)

53 एनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स व 18 एनफोर्समेन्ट आफीसर्स कम किये हैं।

(ख) भारत सरकार से 50% अनुदान बन्द होने से एनफोर्समेन्ट स्टाफ को कम करना पड़ा इन कर्मचारियों को अन्य विभागों से अस्थाई आधार पर इस शर्त पर रखे गये थे कि जब कभी इनको आवश्यकता न होगी तब उनको इनके पैत्रिक विभागों में भेज दिये जावेगें। सो स्क्रीनिंग (Screening) कमेटी ने उनके कार्य का मूल्यांकन कर व गोपनीय अभिलेखों के आधार मानकर उनको वापिस भेज दिया है।

(ग) जिन कर्मचारियों को वापिस भेजा गया है उनके पूर्व विभाग में समावेश होने या वेतन आदि मिलने के सम्बन्ध में इस विभाग को कोई सूचना नहीं है।

नायब तहसील, इन्द्रगढ क्षेत्र में गल्ले की दूकानें

434. श्री हेन्द्रसिंह (पीपलदा) क्या खाद्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे —

(1) कोटा जिले की नायब तहसील, इन्द्रगढ़ क्षेत्र में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यह दुकानें पर्याप्त नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन दुकानों पर समय पर गल्ला नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इनमें से कई दुकानदार सप्लाई का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो दूसरी दुकान खोलने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र नवलपुरा व ग्राम पंचायत बलवन के ग्राम वासियों की दुकानें करीब 4-4 व 5-5 माइल दूर होने के कारण गल्ला ले जाने में काफी दिक्कत होती है ? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

1. 6 दुकानें खोली गई हैं।

2. यह सही नहीं है।

3. यह सही नहीं है। गल्ला आवश्यकतानुसार खुदरा विक्रेताओं को दिलाया जाता रहा है।

4. यह सही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई शिकायत जनता व सब तहसील इन्द्रगढ़ आदि से प्राप्त नहीं हुई है। यदि शिकायत प्राप्त हुई तो जांच करके दुकादार को हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

5. यह सही नहीं है।

लाखेरी (बूंदी) में पानी वितरण व्यवस्था

435. श्री नन्दलाल बैरवा (किशनगंज) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाखेरी (जिला बूंदी) क्षेत्र में पानी का भयंकर अकाल दो वर्षों से हैं पर नगरपालिका

(ति नन्दलाल बैरवा)
व सरकार दोनों की ओर से उचित प्रबन्ध नहीं हो सका है ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका नाखेरी ने इस वर्ष पानी का संग्रह करने के लिए तौरण की बावड़ी पर मवेशियों की खेल में एक टैंक बनवाया था ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया व सीमेन्ट व्यय हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त टैंक को नियमानुसार विशेषज्ञ लोगों की सलाह लेकर नहीं बनवाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि टैंक तैयार होकर पानी भरते ही पहले दिन टूट कर जमीदोज हो गया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त टैंक की लागत में जितना सीमेन्ट खर्चा बताया गया है वह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ ?

(6) क्या सरकार उक्त टैंक के निर्माण के तरीके, व्यय व निर्माण की सामग्री के सम्बन्ध में जांच विधिवत् करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । नगरपालिका द्वारा अस्थाई रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है ।

(2) जी हां । 315) रु० व 40 बोरी सीमेन्ट ।

(3) जी हां

(4) टैंक की एक तरफ की दीवार टूट कर गिर गई थी ।

(5) यह सही नहीं है ।

(6) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पंचायत समिति लाडनूं के सरपंचों को दी गई विकास व निर्माण कार्यों की रकम

436. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं ने जनवरी व फरवरी, 67 में विभिन्न पंचायतों को विकास व निर्माण कार्यों के लिए दी जाने वाली मंजूरशुदा रकम कुछ एक सरपंच को दी हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किस पंचायत के कौन कौन से सरपंचों को दी गई है तथा किस नियम के तहत यह कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) केवल चार पंचायतों को छोड़कर बाकी पंचायतों की रकमें सम्बन्धित सरपंचों को ही दी गयी ।

(2) जिन सरपंचों को रकम दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । रकम देने की कार्यवाही राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम सन् 195- की धारा 3-(4) के अन्तर्गत की गई ।

Copy placed on the table

पंचायत समिति चिड़ावा को कृषि ऋण

437. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 156

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(1) क्या पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनूं को 79,000) रु० की धनराशि कृषि विभाग से मार्च, 1967 में दी गई है ?

(2) क्या उपरोक्त पंचायत समिति को उपरोक्त धनराशि इसलिये दी गई थी कि उस पंचायत समिति ने पूर्व में कृषि ऋण को प्राप्त धनराशि से अधिक धनराशि खर्च करदी थी, और इस धनराशि से कृषि ऋण के खाते में कमी की पूर्ति हो जाये ?

(3) क्या उपरोक्त 79,000 रु० की धनराशि को फिर खर्च कर दिया गया ?

(4) अगर हां, तो कितनी और क्यों और उसके लिये कौन दोषी है ?

(5) क्या विकास विभाग की तरफ से इस प्रकार के आदेश हुए हैं कि पंचायत समिति उस प्राप्त धनराशि से अधिक किसी भी सूरत में खर्च नहीं करेगी ?

(6) अगर हां, तो ऐसे आदेश किस तारीख को हुए और पंचायत समिति ने 79,000) रु० की धनराशि में से जो धनराशि खर्च की उसको किस तारीख से किस तारीख तक खर्च किया गया ?

(7) क्या राज्य सरकार उपरोक्त अनधिकृत कार्यवाही के लिए दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश स्वीकृति के साथ नहीं था।

(3) जी हां। इसके बाद भी 30,000) और खर्च किये गये।

(4) जी हां। स्वीकृति से अधिक ऋण देने की पंचायत समिति दोषी है।

(5) जी हां।

(6) आदेश दिनांक 22-12-66 को हुए व व्यय दिनांक 4-4-67 तक किया गया।

(7) जी हां।

नगरपरिषद कोटा म्यूनिसिपल इन्जीनियर व हैल्थ आफीसर की नियुक्ति

438. श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर-परिषद् कोटा में म्यूनिसिपल इन्जीनियर व हैल्थ आफिसर का स्थान एक लम्बी अवधि से रिक्त पड़ा हुआ है ? अगर हां, तो क्यों व कब से ?

(2) सरकार ने उक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की व कब तक इनकी पूर्ति कर देगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान जन सेवा आयोग के पास हैल्थ आफीसरों के चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त न होने से चयन नहीं किया जा

(स्वायत्त शासन मंत्री)
सका, इससे हैल्थ आफीसर का पद रिक्त रहा है। इन्जीनियर का पद भी रिक्त था जिस पर अब नियुक्ति हो गई है।

नगरपरिषद् में हैल्थ आफीसर एवं सहायक इन्जीनियर के पद निम्न प्रकार रिक्त रहे हैं:—

(1) हैल्थ अफीसर = अप्रेल 1967 से अब तक

(2) सहायक इन्जीनियर = नवम्बर 66 से माह मई 67 तक

(2) सहायक इन्जीनियर भेज दिया गया है। हैल्थ आफीसर की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 8

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देखिये)

सूची (क)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिये 1967-68 में टूल्स एवं प्लान्ट्स की खरीद

क्रम सं०	विवरण मशीनरी का	प्राप्त मशीन संख्या	कुल कीमत	कीमत जो दी जा चुकी अप्रेल व मई 1967 में।	विवरण
1.	ट्रैक्टर टैंकर 600 गैलन	24	1,00,000	95,000	
2.	टार बोइलर्स	30	66,000	43,000	
3.	मैस प्लानाइट मिक्सचर्स 715 सी एफ टी	1	16,000	14,000	
4.	अर्थ रैकर (डीजल)	1	7,000	6,000	
5.	होट मिक्सप्लान्ट	4	2,13,000	1,63,000	
6.	टैक्टर ट्रेलर्स (3 टन)	5	29,000	19,000	
7.	मैशीन क्रशर	6	15,000	14,000	
8.	जीप साधारण	1	19,000	17,000	
9.	स्टोन प्रशर	1	50,000	38,000	
10.	ग्रेन्युलेटर कनवर्टर (रिट)	1	5,000	4,000	
	योग		5,20,000	4,19,000	

सूची (ख)

मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट द्वारा परियोजना राजस्थान के लिये टूल्स एवं प्लान्ट्स की खरीद

क्र. सं०	विवरण मशीनरी का	प्राप्त मशीन संख्या	कुल कीमत	कीमत जो दी जा चुकी अप्रेल व मई 1967 में	विवरण
1.	पंपिग सेट	24	6,00,000	6,00,000	
2.	जनरेटिंग सेट	7	70,000	70,000	
3.	टिपर ट्रक	8	3,60,000	3,60,000	
	योग		10,30,000	10,30,000	

परिशिष्ट 8 —

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखिये)

अजमेर जिले की स्वयं सेवी संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान और जिस कार्य के लिये अनुदान दिया गया उसका विवरण

क्रमांक I नाम व संस्था	स्वीकृत अनुदान							
	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67
1. महिला शिक्षा सदन हटुंडी।	75045	4690	5316)29	12722)61	8684)64	3770)27	4550	11153)62
2. श्री दयानन्द अनाथालय अजमेर।	—	—	—	—	—	3153)94	8312	7394)11
3. वाधित बाल विकास समिति अजमेर।	—	—	—	—	—	1300)00	1440)86	1087)58

कार्य व मद जिनके लिये उपरोक्त संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया।

क्रमांक	नाम संस्था	कार्य व मद जिसके लिये अनुदान स्वीकृत किया गया
1.	महिला शिक्षा सदन हट्टंडी ।	यह संस्था 1959–60 से ही एक अनुसूचित जन जाति की छात्राओं के लिये आश्रम स्कूल संचालन हट्टंडी में कर रही है । प्रथम वर्ष में 75045) रु. स्वीकृत किये गये हैं इनमें 25000) रु. का अनावर्तक अनुदान आश्रम स्कूल भवन निर्माण हेतु किया गया है तथा 33385) रु. अनुसूचित जाति के छात्रावास भवन के लिए विस्तार हेतु दिया गया है बाकी वर्षों में केवल आवर्तक अनुदान आश्रम स्कूल संचालन हेतु स्वीकृत किया गया है ।
2.	श्री दयानन्द अनाथालय, अजमेर।	यह संस्था अनाथ बालकों का अनाथालय संचालन कर रही है। जिसके लिये आवर्तक अनुदान वित्तीय वर्ष 64–65 से दिया जा रहा है ।
3.	बाधित बाल विकास समिति अजमेर।	यह एक बाधित बालकों का स्कूल है जिसे 64–65 से स्कूल संचालन हेतु आवर्तक अनुदान दिया जा रहा है ।

परिशिष्ट 9

(कृपया प्रश्न संख्या 436 का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति लाडनूं द्वारा जनवरी।फरवरी सन् 67 में विकास के निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न पंचायतों को दी गई रकम की सूची:—

क्र. सं. 1	पंचायत जिसके निर्माण कार्य के लिए रकम दी गई 2	सरपंच पंचायत जिन्हें रकम दी गई 3
1	वि. मीठा	वि. मीठा
2.	,,	,,
3.	,,	,,
4.	खामियाद	खामियाद
5.	,,	,,
6.	,,	,,
7.	लैडी	लैडी
8	,,	,,
9.	,,	,,
10.	,,	,,
11.	,,	,,
12.	,,	,,
13.	,,	,,
14.	मालगांव	मालगांव
15.	,,	,,
16.	रताऊ	रताऊ
17.	,,	,,
18.	,,	,,
19.	,,	,,
20.	,,	,,
21.	,,	,,
22.	,,	,,
23.	आकलियां	आकलियां
24.	,,	,,
25.	,,	,,
26.	दुजार	दुजार

Page No. 162

1	2	3
27.	दुजार	दुजार
28.	,,	,,
29.	,,	,,
30.	वल्दू	वल्दू
31.	,,	,,
32,	,,	,,
33.	,,	,,
34.	,,	,,
35.	,,	,,
36.	आसोटा	मासोटा
37.	,,	,,
38.	सुनारो	सुनारी
39.	,,	,,
40.	,,	,,
41.	,,	,,
42.	तंवरा	तंवरा
43.	,,	,,
44.	,,	,,
45.	मोठड़ी	मीठड़ी
46,	,,	,,
47.	,,	,,
48.	,,	,,
49:	,,	,,
50.	,,	,,
51.	,,	,,
52	ध्यावा	ध्यावा
53.	,,	,,
54.	,,	,,
5 .	सारड़ो	सारड़ो
56.	,,	,,
57.	,,	,,
58.	कमुंडी	लेडी
59.	रीगगु	मीठड़ी
60.	डोगसरी	रताऊ
61.	सिलनवाद	रताऊ

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 12 जून, 1967)

स्कम्भ सं. 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
23	16	श्री परसरा मर णा	श्री परसराम मदेरणा
37	10	दर्वास्त	दरख्वास्त
66	अन्तिम से 3	शायत	शायद
66	अंतिम	क्लोजर	एन्क्लोजर
67	2	डिमारर्केशन	डिमार्केशन
68	अन्तिम से 3	साधार ण	साधारण बीप
69	2	ाप	जीप
69	12	जनाने	बनाने
69	15	क	की
70	1	प्रथम पंचवर्षीय	(1) प्रथम पंचवर्षीय
70	10	र.जाखड़ा	राजालेड़ा
70	21	चतुथ	चतुर्थ
73 व 75	शीर्षक	भू. स.	भू. सै.
75	13	उनक	उनके
79	अंतिम से 8	असेम्बला	असेम्बली
79	,, 6	के बारे	के बारे में
84	,, 10 व 11	स्मशान	शमशान
85	14,15 व 18	स्मशान	शमशान
89	1	यालों की	वालों की
90	25	reosonable	reasonable
92	18	इसा	इसी
96	अंतिम से 7	फाजियों	फौजियों
99	,, 3	मिलट्रा	मिलट्री
101 व 105	शीर्षक	भू. स.	भू. सै.
106	10	समाप्त होने	समाप्त होने के
119, 121, 123	शीर्षक	भू. स.	भू. सै.

1	2	3	4
162	अंतिम से 13	यहे कि	कहें कि
198	11	श्री परस । मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
198	15	एक । नीय सदस्य	एक माननीय सदस्य
210	5	दिलंचम्पी	दिलचस्पी
210	अन्तिम से 5	(छाबड़ा)	(छबड़ा)
210	,, 2	पंच यत	पंचायत
211	4	म ननीय	माननीय
211	9	को अनियमित	की अनियमित
212	16	बी डी.	बी. डी.
212	17	प्रध न	प्रधान
213	4	सरकारक	सरकार का
213	7	बत ना	बताना,
213	11	पंच यत	पंचायत
213	19	ब र	बार
215	अंतिम से 6	दीजये	दीजिये
217	,, 13	बाफा	बाफना
217	,, 5	ब त	बात
219 व 221	शीर्ष	(श्री रघुनाथ विश्नोई)	(श्री फूलचन्द बाफना)
222	1	श्री फूलचन्द बाफ ।	श्री फूलचन्द बाफना
222	6	अ पके	आपके
228	9	म	में
228	10	होत	हुंता
231	अंतिम से 4	वाहन कहा	वाहन कहां
231	अन्तिम	क्तिशाली	शक्तिशाली
232	अंतिम से 2	सरपच जसने	सरपंच जिसने
236	4	श्री भरोसिंह	भैरोंसिंह
237	अंतिम से 13	दो	दी
238	अंतिम से 12	श्रीमती कान्ता कथरिया	श्रीमती कान्ता कथूरिया
240	अंतिम से 10	मना	माना
2 1	15	खर्च क	खर्च का
242	7	हैं जिसके for	जिसके far
244	12	श्र िरधारी लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
,,	13	एक प्राध	एक आध

1	2	3	4
256	अंतिम से 5	न	श्री
258	,, 2	अधिकार को	अधीकारी को
259	,, 6	श्री विजयसिंह : रावत	श्री विजयसिंह रावत :
,,	,, 5	प स	पास
260	2	टोचर्र	टोचर्स
,,	6	व्यवस्थ	व्यवस्था
,,	15	इन्कम्बलूजिव	इन्कम्बलूजिव
262	18	श्री रघुनाथ वि नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
,,	14	श्री विजय सिंह रावत	श्री विजयसिंह रावत :
,,	अंतिम से 2	श्री परसरा मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
263	4	Howse	House
,,	अंतिम से 10	श्री हेन्द्रसिंह	श्री महेन्द्रसिंह
264	3	श्री रामच द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
266	4	स ती है	सकती है
268	अंतिम से 10	श्री परसराम देरणा	श्री परसराम मदेरणा
271	20	रामग	रामगढ़
272	अंतिम से 3	Should b	Should be
275	,, 12	श्री परसराम मदेरण	श्री परसराम मदेरणा
278	9	श्री परसरा मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
279	अंतिम से 7	श्री परसरा देरणा	श्री परसराम मदेरणा
293	13	के दों	के पदों
294	19	श्री हेन्द्रसिंह	श्री महेन्द्रसिंह